त्रयोदश माला, खंड 36, अंक 21

शुक्रवार, 22 अगस्त, 2003
31 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 36 में अंक 11 से 21 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 56
Date 22/3/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 36, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 21, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2003/31 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 422 से 425	5-41
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	42-49
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 421 और 426 से 440	49-88
अतारांकित प्रश्न संख्या 3855 से 4049	88-339
शीतल पेय (साफ्ट ड्रिंक्स) आदि में सुरक्षा मानक संबंधी संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव	339-342
सभा पटल पर रखे गये पत्र	343-364
राज्य सभा से संदेश	364-366
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही-सारांश	366
याचिका समिति	
तैंतीसवां प्रतिवेदन	366
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
पैंतालीसवां से इक्यावनवां प्रतिवेदन	366-367
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	367-369
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
127वां से 129वां प्रतिवेदन	369-370
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार	370-389
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	370-388
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	391-423
(एक) बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति	391-415
श्री राम विलास पासवान	391, 392-395
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	391-392, 406-408

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

श्री रामचन्द्र पासवान 395-396

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 396-397

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 398-399

श्री रघुनाथ झा 399-400

श्री अधीर चौधरी 400-401

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 401

श्री प्रभुनाथ सिंह 401-402

श्रीमती रेनु कुमारी 402-403

डा. नीतिश सेनगुप्ता 403

कुंवर अखिलेश सिंह 403-404

श्री दिनेश चन्द्र यादव 404

श्री निखिल कुमार चौधरी 405

श्री अर्जुन चरण सेठी 408-415

(दो) फतेजा फोरजिंग एण्ड आटो पार्ट्स कंपनी औरंगाबाद पर बैंक की बकाया भारी राशि से उत्पन्न स्थिति 416-423

श्री चन्द्रकांत खैरे 416

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल 418

श्री शिवाजी माने 422

नियम 377 के अधीन मामले 424-433

(एक) कतिपय समुद्र तटीय मार्गों और राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 424

(दो) उत्तर प्रदेश में ब्रह्मावर्त रेलवे स्टेशन को बनाए रखने और मंधना तथा बिठुर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र 424-425

(तीन) दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को गुजरात के पालनपुर में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 425

(चार) सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस 'ए' से 'डी' तक के इंजेक्शनों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंतसिंह यादव 425-426

(पांच) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रुपला गावीत 426

(छह) सूरत से देश के अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों के बीच हवाई सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री मान सिंह पटेल 426

(सात) देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता

डा. चरणदास महंत 426-427

(आठ) आंध्र प्रदेश में बीज की आपूर्ति तथा सिंचाई सुविधाओं के बारे में किसानों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेणूका चौधरी 427-428

(नौ) छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केन्द्र को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह 428

(दस) महाराष्ट्र और देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों हेतु विकास कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया 428-429

(ग्यारह) केरल के त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन 429

(बारह) हैदराबाद में 24 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2003 तक पहला अफ्रीकी-एशियाई खेल आयोजित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री चाडा सुरेश रेड्डी 429-430

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इटावा और औरैया जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित करने और क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 430

(चौदह) बिहार के खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का और केले पर आधारित उद्योगों को लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी 430-431

(पन्द्रह) सुंदरबन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 431

(सोलह) मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 431-432

(सत्रह) उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए खुंटुनी से पीतापल्ली तक एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव 432

(अठारह) केरल में समुद्र तट के किनारे सी-वाल के निर्माण के लिए आवश्यक निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम 432-433

(उन्नीस) तमिलनाडु के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन 433

सदस्यों द्वारा निवेदन 433-440

(एक) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंताओं के रिक्त पदों को प्रोन्नति प्राप्त अभियंताओं से भरे जाने की मांग के बारे में 433-436

(दो) मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की त्वरित और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता के बारे में 436-440

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 441

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित* 441-445

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 356क आदि का अंत:स्थापन)

डा. नीतिश सेनगुप्ता 441-442

(दो) बालक श्रम उत्सादन विधेयक

श्री इकबाल अहमद सरडगी 442

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 243 यघ तथा 243 यड का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 442

(चार) रेल (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 124ख का अंत:स्थापन)
डा. वी. सरोजा 443

(पांच) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक
(धारा 2 और 16 का संशोधन)
डा. वी. सरोजा 443

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 275 का संशोधन)
श्री रमेश चेन्नितला 444

(सात) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 389क का अंत:स्थापन)
श्री पी.एच. पांडियन 444

(आठ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 302 का संशोधन)
श्री पी.एच. पांडियन 445

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 51क का संशोधन)
डा. वी. सरोजा 445

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 298क से 298ग का अंत:स्थापन) 445-485
विचार करने के लिए प्रस्ताव 445
श्री जी.एम. बनातवाला 446-450, 482-484
श्री अनादि साहू 450-454
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 454-457
श्री हन्नान मोल्लाह 457-460
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 460-463
प्रो. रासा सिंह रावत 463-466
श्री रमेश चेन्नितला 466-469
श्री वरकला राधाकृष्णन 469-472
श्री थावरचन्द गेहलोत 472-474
श्री रामदास आठवले 474-475
श्री सईदुज्जमा 475-477
श्री ई. अहमद 477-479
श्री ईश्वर दयाल स्वामी 479-482

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 39 का संशोधन) 485
विचार करने के लिए प्रस्ताव 485
श्री रामदास आठवले 485

विदाई उल्लेख 485-488
राष्ट्रगीत 488

लोक सभा

शुक्रवार, 22 अगस्त, 2003/31 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री नथुनी राम, एस. सिवान पिल्लै और राम नारायण सिंह के निधन की सूचना देनी है।

श्री नथुनी राम 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने बिहार के नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में और राज्य सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री नथुनी राम एक सक्रिय संसद थे। वह 1977 से 1979 तक अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे।

वह 1978 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और मंगोलिया की यात्रा पर गए भारतीय संसदीय शिष्ट मंडल, जिसने मास्को का भी दौरा किया, के सदस्य थे।

श्री नथुनी राम का निधन संक्षिप्त बीमारी के पश्चात् 23 अप्रैल, 2003 को हुआ।

श्री एस. सिवान पिल्लै 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के सदस्य थे। उन्होंने तत्कालीन त्रावणकोर-कोचीन राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

1950 के दौरान उन्होंने गांधी निधि की केरल इकाई के संचालक के रूप में कार्य किया।

वह एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा।

श्री पिल्लई पेशे से वकील थे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में गहन रुचि ली और समाज के पद-दलित, अधिकार-वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के हित के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण लिया था और थिरूर में बुनियादी शिक्षा विद्यालय स्थापित करने में उनका योगदान रहा। उन्होंने 'नव युगम' नामक तमिल साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और उसका संपादन किया।

श्री एस. सिवान पिल्लै का निधन 93 वर्ष की आयु में थिरूर, जिला-कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 8 जुलाई, 2003 को हुआ।

श्री राम नारायण सिंह 1987 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने हरियाणा के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

राजनीति में आने से पहले, श्री सिंह प्रशासनिक सेवा में थे। वह कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हरियाणा के विभिन्न जिलों में सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट और बाद में, उपायुक्त के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने 'सरकार आपके द्वार' नामक लोकप्रिय योजना शुरू की।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और गरीबों तथा दलितों की शिकायतों के निवारण के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने हरियाणा कृषि निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री रामनारायण सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में 4 अगस्त, 2003 को हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि यह सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित करेगी।

अब सभा दिवगंत आत्माओं की याद में सम्मानस्वरूप थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई...*(व्यवधान)* आज

सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* पूरा मामला खुल चुका है। यह बहुत गम्भीर विषय है।...*(व्यवधान)* मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैंने नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो स्थगन प्रस्ताव हेतु नोटिस हैं। मुझे प्रश्नकाल के निलंबन के लिए भी नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रश्न काल किसी प्रकार प्रभावित हो। किन्तु चूंकि देखता हूं कि किसानों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा। इस विषय पर कौन बोलेगा? एक ही सदस्य को यह उल्लेख करने की अनुमति दी जाएगी! प्रश्नकाल को क्यों निलंबित किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं तो केवल उल्लेख कर रही हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक के बाद एक माननीय सदस्य को मौका दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह किसानों की मौतों का प्रश्न है। मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हमने अपना नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* महोदय, कर्नाटक में गम्भीर समस्या है। पन्द्रह जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। एक केन्द्रीय दल गया है और अपनी रिपोर्ट तैयार की है। हमने कम से कम तीन लाख टन खाद्यान्न का अनुरोध किया है। हमें एक लाख टन खाद्यान्न ही दिया गया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। हमने ज्ञापन भी दिया है। अत: सूखा पीड़ित जिलों के लिए केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इन सब बातों का उल्लेख 'शून्य काल' के दौरान कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हमें एक भी चीज नहीं दी जा रही है। हम सहायता के लिए अनुरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इन सबका उल्लेख 'शून्यकाल' के दौरान कर सकते हैं। मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्यकाल' के दौरान मैं आपको अवसर अवश्य दूंगा यदि 'शून्यकाल' हुआ।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को 8.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया गया है। यही, नहीं, 352 करोड़ रुपए की नकद सहायता दी गई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इन सब विषयों पर 'शून्यकाल' के दौरान चर्चा कर सकते हैं, अब नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

अब मुझे प्रश्नकाल पर आने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके केस में मिनिस्टर साहब से बात की है और जब जीरो ऑवर में आप प्रश्न उठाएंगे तो मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं।

[अनुवाद]

अब मैं प्रश्नकाल पर आता हूं। कृपया बैठिए।

प्रश्न सं. 421, श्री मोहन रावले — अनुपस्थित

श्री शिबु सोरेन — अनुपस्थित

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जीरो आवर में आपको मौका दूंगा, तब आप उस पर बोलिए। अभी आप बैठ जाएं।

कुंवर अखिलेश सिंह: हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देखा है। वह एडजोर्नमेन्ट मोशन का विषय का नहीं है। लेकिन मैं आपको जीरो आवर में मौका दूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह: जीरे आवर तो हो नहीं पायेगा।

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर का होना या न होना, यह आप लोगों के हाथ में है। आप सब नियम जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मैं जीरो आवर भी लेना चाहता हूं, लेकिन इस तरीके से आप खड़े होंगे तो जीरो आवर नहीं आएगा। इसलिए आप कोआपरेट करें, मैं आपको जीरो आवर में मौका दूंगा।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंस्टीट्यूट आफ इंश्यूरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट

***422. +श्रीमती रीना चौधरी:**
श्री भेरूलाल मीणा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हैदराबाद में 'इंस्टीट्यूट आफ इंश्यूरेंस एंड रिस्क मैनेजमैंट' स्थापित करने हेतु दस करोड़ रुपए की धनराशि का अंशदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया में, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष ने स्वयं को 'इंस्टीट्यूट आफ इंश्यूरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट' का आजीवन अध्यक्ष और निदेशक नियुक्त कर लिया है;

(ग) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण नोडल मंत्रालय में परामर्श किए बिना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उक्त अंशदान कर सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कई शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) आईआईआरएम के निगमीकरण के समय आईआरडीए के पूर्व-अध्यक्ष को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। आईआरडीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार छोड़ते समय उन्होंने आईआईआरएम के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इस समय, आईआरडीए के वर्तमान अध्यक्ष आईआईआरएम का अध्यक्ष पद भी संभाले हुए हैं।

(घ) और (घ) विधि मंत्रालय ने राय दी है कि आईआरडीए अधिनियम की धारा 14 प्राधिकरण को ऐसा करने की शक्ति प्रदान नहीं करती। यह राय आईआरडीए को सूचित की जा चुकी है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रीमती रीना चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आईआरडीए ने आईआईआरएम को

दस करोड़ रुपए का अंशदान दिया है, यह ठीक है। लेकिन आईआरडीए के पूर्व निदेशक को आईआईआरएम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह नियुक्ति आपकी सहमति से हुई है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। आईआरडीए के जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, वह रिटायर हो चुके हैं। अपने आपमें मेरी स्वीकृति या अनुमति अब मात्र एकेडमिक प्रश्न रह गया है। वह रिटायर हो गए हैं और अब आईआईआरएम के अध्यक्ष नहीं हैं।

श्रीमती रीना चौधरी: मंत्री महोदय ने कहा कि अब वह अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। आइआरडीए एक्ट की धारा 14 में आपने कहा है कि ऐसी नियुक्ति नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूं कि यह नियुक्ति किसकी सहमति से हुई है, क्या उन्होंने स्वयं को नियुक्त कर लिया, यदि आपने नहीं किया है तो क्या आप उनको हटाएंगे?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न इतना ही है कि फिर नियुक्ति की थी या नहीं?

श्री जसवंत सिंह: इसी प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब वह पद समाप्त हो गया और वह चले गए। उनकी नियुक्ति कैसे हुई, क्या हुई, इस अध्याय को समाप्त समझ लिया जाए, तो अच्छा होगा, क्योंकि अपने आपमें आईआरडीए ने एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया है, वह ठीक काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कार्य बीमा कवरेज का विस्तार करना और बीमा कंपनियों विशेषकर उन गैर-सरकारी कंपनियों को विनियमित करना है जो हमारे देश में पंजीकृत हो रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान की स्थापना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य के क्षेत्र में आता है और क्या उस संस्थान की स्थापना के लिए दस करोड़ रुपए का अंशदान करना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए उचित है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, प्रश्न का मुख्य बल इस पर है कि क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित आईआईआरएम जैसे संस्थान से उद्देश्य पूरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीमा कंपनी जैसे विकासशील उद्योग में यदि कोई ऐसा संस्थान हो जो अनुसंधान कार्य और भावी अध्ययन करे जो बीमा उद्योग को करना चाहिए तो यह एक अच्छी बात होगी। यह अच्छी बात है कि संस्था की स्थापना की गई है। क्या आईआरडीए ने इसकी स्थापना अथवा किसी और ने की, यह एक अकादमिक प्रश्न है क्योंकि संस्थान की स्थापना हो गई है। हम इस संस्थान के कार्यकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में यह संस्थान फले फूलेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं बीमा संबंधी प्रश्न पूछना चाहता हूं यद्यपि इसका संबंध मुख्य प्रश्न से नहीं है। यह इस सत्र का अन्तिम दिन है और माननीय मंत्री भी यहां हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है, कि जब पालिसियां कोटों के अनुसार बेची जाएंगी, वर्ष के अंत में तो इस कोटे को बड़े पैमाने पर पूरा करना, स्वास्थ्य संबंधी जांच, जांच प्रमाणन आदि संबंधी नियमों को पढ़े बिना की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार पिछले दरवाजे से लाखों-करोड़ों रुपए हड़प लिए जाते हैं। दिल्ली मंडल में पिछले वर्ष एक एजेन्ट द्वारा एक पते से ऐसे 450 मामले पंजीकृत किए गए। ऐसी घटनाएं अनेक स्थानों में होती रहती हैं किंतु यह दिल्ली मंडल में एक विशेष मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर आकृष्ट किया गया है और क्या सरकार उनकी जांच करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या ऐसी चोरी रोकी जा सकती है और सरकारी धनराशि के हड़पने के ऐसे उपायों से सरकारी क्षेत्र की रक्षा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न प्रमुख प्रश्न से नहीं उठता किन्तु फिर भी यदि माननीय मंत्री चाहते हैं तो वह उत्तर दे सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह: मैं अपने पूरे सामर्थ्य से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि व्यापक रूप से यह बीमा के दायरे में आता है और मैं अपनी योग्यतानुसार इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

यह सत्य है कि मात्र बीमा क्षेत्र में ही नहीं अपितु सरकारी कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में भी हम कोटा अथवा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उदाहरणार्थ कर संग्रहण के बारे में हम कहते हैं कि अमुक सर्किल से अमुक राशि जरूर संग्रहित की जाये। मैं इसे कभी भी पूरा न होने वाला तथा अव्यावहारिक दृष्टिकोण मानता हूं क्योंकि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। चूंकि ये लक्ष्य तो जनता को बताने भर के लिए होते हैं जिससे कि यह जान सकें कि हकीकत में जितना काम होना चाहिए उससे अधिक काम हो रहा है। यदि इसे ठीक कहूं तो यह कि मैंने उत्तरदायित्व संभालने के पश्चात् सभी बीमा कम्पनियों की प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा कराई, जिससे सभी बीमा कंपनियां अब अपनी प्रबंधन

प्रणाली की विस्तृत लेखापरीक्षा कराएं जो वास्तव में बीमा कम्पनियों की कमियां न निकालने का कार्य न करें बल्कि यह देखने का कार्य करें कि हमारी बीमा कम्पनियां किस तरह चल रही हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। हम बीमा कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार करेंगे। यह मेरा बाध्यकारी कर्त्तव्य है कि मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे प्रश्नों का अस्वीकार करना ही बेहतर होगा।

वित्तीय सेवाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता

***423. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय सेवाएं शुरू करने हेतु विश्व व्यापार संगठन के साथ हाल में किए गए समझौते का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के निबन्धन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न व्यापार संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वित्तीय सेवाओं पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में 1.1.95 को लागू हुए व्यापार एवं सेवाओं संबंधी सामान्य करार (गैट्स) और 14.11.1997 को वित्तीय सेवाओं में व्यापार संबंधी समिति के एक निर्णय के अनुसरण में अपनाये गए वित्तीय सेवाओं से संबंधित गैट्स के अनुबंध के अतिरिक्त कोई विशिष्ट करार नहीं है। वित्तीय सेवाओं सहित सभी सेवा क्षेत्रों पर डब्ल्यू टी ओ में गैटस के अन्तर्गत अधिदेशित सेवा वार्ताएं दिनांक 1.1.2000 से चल रही हैं। इन वार्ताओं को जिनमें सभी सेवा क्षेत्र और आपूर्ति की सभी पद्धतियां शामिल हैं, दिनांक 1.1.2005 तक समाप्त करना है। यद्यपि भारत इन वार्ताओं में एक सक्रिय भागीदार है, तथापि विभिन्न क्षेत्रों में बाजार पहुंच के लिये किये जा रहे और प्राप्त हो रहे अनुरोधों के कारण भारत द्वारा प्रस्ताव की जाने वाली बचनबद्धताओं की सीमा के बारे में अंतिम निर्णय व्यापारिक भागीदारों द्वारा प्रस्तावित बचनबद्धताओं से होने वाले लाभों के अनुमान पर निर्भर होगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि लघु उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की दिशा में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं से विचार-विमर्श के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है? जैसे कि कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क की दर डब्ल्यूटीओ पूर्ण रूप लागू होने तक खत्म कर देना चाहिये और आयात शुल्क की दर कच्चे माल पर कम और तैयार माल पर ज्यादा होनी चाहिए। वर्तमान में जो औद्योगिक इकाइयों को बंदरगाह तक निर्मित माल को ले जाने के लिए फ्रेट सब्सिडी उपलब्ध कराने तथा लघु उद्योग और निर्यात करने वाली संस्थाओं को सस्ती ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में क्या सरकार का कोई चिंतन है?

अवैध रूप से चाइना जैसे देशों से जो माल अपने देश में आ रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार का क्या कोई चिंतन है? डब्ल्यूटीओ एग्रीमैंट 2005 तक लागू किया जाना है लेकिन उसके लागू होने तक सैंकड़ों लघु उद्योगों के बंद होने की संभावना है। वर्तमान में विदेश से आयात किये जा रहे सामान को, उपभोक्ता को उपलब्ध कराने से पहले, भारतीय मानक संस्था द्वारा गुणवत्ता की जांच कराने की क्या कोई योजना है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था वह वित्तीय सर्विसेज के संबंध में था। वित्तीय सर्विसेज के संबंध में डब्ल्यूटीओ में जो बातचीत चल रही है, उसमें कृषि क्षेत्र के बारे में अलग, से जो उद्योग में आने वाला माल है, उस पर अलग से और सर्विसेज की बातचीत अलग से चल रही है। सर्विसेज की बातचीत में वित्तीय सर्विसेज के ऊपर भी चर्चा चल रही है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह सर्विसेज के बारे में नहीं है बल्कि वह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में जो नैगोसिएशन चल रही है उसमें कई भी प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ के सामने हैं और भारत उन पर अपनी टिप्पणी कर रहा है। विभिन्न राजनैतिक दलों से, व्यावसायिक संस्थाओं से और श्रम संस्थाओं से हमने विस्तृत चर्चा की है और जो भी स्टैंड हम वहां इस बारे में लेते हैं, प्राथमिकता हमारी यही रहती है कि उसमें हमारे देश के लघु उद्योगों का हित कायम रहे।

जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसकी वजह से अपने उद्योग को क्या कोई नुकसान हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इस दृष्टि से अब अपना उद्योग काफी शक्तिशाली बन रहा है, और अपना मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर भी काफी मजबूत हुआ है। पिछले वर्ष 6 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में

ग्रोथ हुई है और इस साल भी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर का एक्सपोर्ट भी विश्व में दूसरे नम्बर पर है। माननीय सदस्य ने जो चाइना का विषय उठाया है, चाइना से बहुत ज्यादा माल जो वैध या अवैध तरीके से आ रहा था, उस स्थिति में भी अब परिवर्तन आया है। पिछले वर्ष चाइना का जो एक्सपोर्ट हुआ है वह 106 प्रतिशत बढ़ा था और जो माल चाइना का हमारे देश में आया वह 36 प्रतिशत बढ़ा था। इस साल भारत-चाइना के व्यवसाय में भारत की दृष्टि से बहुत प्रगति होने वाली है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि चाइना से जो माल आया, वह पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कम हुआ है। हमारा कहना यह है कि वर्तमान में रेट कांट्रेक्ट में जो पारदर्शिता विश्व में आई है और सरकार के चिंतन के बारे में हमने प्रश्न किया था कि "यदि निवेश में कमी आई है तो समझौते का निर्बंधन और शर्त क्या है"। कहने का मतलब यह है कि इसमें रेट-कांट्रेक्ट की बात है। अखबारों में इस बारे में बहुत सारा मैटर आया है जिसे हम सभी लोग जानते हैं और अखबारों की कटिंग भी हमारे पास है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ को अपनी टिप्पणी भेजी जा चुकी होगी। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि एक अमरीकन कंपनी "जैरोक्स कारपोरेशन" को जो कंट्रेक्ट मिला था, उस पीरियड में लगभग 30 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक विदेशी कंपनी ने 30 करोड़ रुपया घूस में दिया तो तो कम से कम 300 करोड़ रुपये का चूना तो भारत सरकार को लगाया ही होगा। हमें इसकी जानकारी अमरीका के द्वारा मिलती है, भारत में इसकी जानकारी हमें बाद मिलती है। हमारा सवील माननीय मंत्री जी से यह है कि भारत में रेट-कंट्रैक्ट की जो पारदर्शिता है, उसके बारे में हमारा क्या चिंतन है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था वह सर्विसेज सैक्टर के संबंध में था। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, कि भारत और चाइना के बीच में जो व्यवसाय है वह पिछले वर्ष 5 बिलियन डालर का था।

हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह सन् 2005 तक 10 मिलियन डालर तक पहुंच जाए। इससे स्वाभाविक है कि एक्पोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बढ़ेगा। इम्पोर्ट में अधिकतर चीजें वे हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में काम आती हैं। बढ़ता हुआ इम्पोर्ट हमारे कन्ज्युमर गुड्स का नहीं है, वह अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में प्रयोग में आने वाली चीजों का है।

जहां तक आपने झेरोक्स कंपनी के बार में कहा है, उसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे पूरे तथ्यों की जानकारी कर लें। उसमें एक भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी के बीच में ज्वाइंट वैन्चर था। एक विदेशी कंपनी ने भारतीय पार्टनर के ऊपर आरोप लगाया था और डिपार्टमेंट आफ कम्पनी एफेयर्स ने उसकी जांच की थी—यह उसके संबंध में है। न इसका डब्ल्यू.टी.ओ. से कोई ताल्लुक है और न अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से इसका कोई ताल्लुक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल अब आप पूरक प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय जी ने स्पष्ट तौर पर चूना लगाने की बात कही थी, जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में अच्छी वकालत करते हैं और यहां भी लगता है कि उनकी वकालत चल रही है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यहां पाण्डेय जी की वकाल कर दी है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस प्रश्न का उत्तर इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि यह सरकार माननीय संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से बचती रही है । इस संबंध में मैं आपका ध्यान प्रश्न के भाग (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन मिला है। 'इस संबंध में' का तात्पर्य वित्तीय सेवाओं से है। यह वित्तीय सेवाओं के बारे में विश्व व्यापार संगठन में किसी करार के बारे में है। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भाग (ग) और (घ) का एक ही है, "उपर्युक्त के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।"

क्या उनके कहने का आशय यह है कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में उनके उत्तर के कारण कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और तो और विदेशी वित्तीय सलाहकारों और भारतीय बाजार में छाये रहने वाले अन्यों के बारे में आशंकाएं व्यक्त करने वाले तथ्यात्मक अभ्यावेदन भी प्राप्त नहीं हुए हैं?

मैं समझता हूं कि मेरी बात सुस्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री की अभिव्यक्ति से मुझे ऐसा लग रहा है, कि मानो मैं अपनी बात कह पाने में सक्षम नहीं हूं। मुझे इसे इस तरह कहने दीजिए। मैं

अपनी उन आपत्तियों के अतिरिक्त अपने प्रश्न को दुहराता हूं जो आपत्ति उठायी गई है। वास्तव में उत्तर को स्वत: स्पष्ट होना चाहिए। जब सांसद कोई सूचना मांगे तो विस्तृत उत्तर देना चाहिए। इसमें सदन से सूचना को छिपाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार को वित्तीय सेवाओं पर विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं के संबंध में अनुलग्नकों अथवा अन्यथा अड़चनों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो ये आशंकाएं क्या हैं और सरकार का इन आशंकाओं कि बाहरी व्यक्ति हमारे बाजारों पर अधिकार न जमा लें, को दूर करने के लिए क्या कर रही है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है कि प्रश्न का प्रथम भाग का उत्तर और भाग (ग) का उत्तर अस्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि जब पर्याप्त उत्तर दिये जाते हैं तो माननीय सदस्य को ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या सरकार ने वित्तीय सेवाओं को शुरू करने के लिए हाल में ही विश्व व्यापार संगठन के करार को अनुमोदित किया है। इसका उत्तर पूर्णत: स्पष्ट है। उत्तर यह है कि वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2000 से वार्ताएं शुरू हुई हैं। ये वार्ताएं वर्ष 2005 में पूरी होगी और इसके पश्चात् ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय अथवा अन्य प्रकार के करार किए जाएंगे।

अत: सरकार द्वारा किये गये ऐसे किसी वित्तीय करार के बारे में किसी अभ्यावेदन का प्रश्न ही नहीं उठता है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह प्रश्न कैसे नहीं उठता है? यह तथ्यात्मक मामला है। क्या मैंने आपको पत्र लिखा है? क्या किसी और ने इस बारे में आपको पत्र लिखा है?

श्री अरुण जेटली: कृपया मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए और यह पूर्णत: स्पष्ट होगा। यह प्रश्न पहले से किए गए करारों के अनुमोदन से संबंधित है। उत्तर यह है– वार्ताएं चल रही हैं। ये वर्ष 2005 में पूरी होंगी। इसलिए आज किसी अंतिम करार का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे किसी अंतिम करार के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन का प्रश्न ही नहीं उठता ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे खेद है। उत्तर स्पष्ट नहीं है। भाग (ग) से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: माननीय सदस्य आशंकाओं की बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: मैं इसे समझता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: भाग (ग) सीधे-सीधे सरकार को वित्तीय सेवाओं के बारे में प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित है। यह प्रश्न का भाग (ग) है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: भाग (ग) ऐसा नहीं कहता। भाग (ग) कहता है, भाग (ख) के बाद जो कहता है। आप करार की शर्तें एवं निबंधन बताएं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: भाग (क) और (ख) यहां समाप्त होता है। इसका भाग (ग) स्वतंत्र रूप से है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: श्री बंसल यह बहुत ही आसान भाषा है ...*(व्यवधान)* मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: यह आसान भाषा है। मैं इसे समझता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि माननीय मंत्री महोदय ने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता, इससे सदन का समय बर्बाद होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह बहुत ही आसान है, यह आसान भाषा है। सरकार के समक्ष है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: यदि आप मुझे उत्तर नहीं देने देंगे, तो यह जटिल हो जाएगा।

भाग 'क' हुए करार से संबंधित है। भाग (ख) हुए करार की शर्तें और निबंधन से संबंधित है और भाग (ग) कहता है कि क्या आपको इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है। उत्तर यह है कि जब कोई अन्तिम करार हुआ ही नहीं है तो फिर अभ्यावेदन का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन श्री बंसल की यह बात ठीक है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वार्ताओं के दौरान, उन सभी पक्षों से परामर्श करें जिनके हित इससे जुड़े हुए हैं। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। वे हमें अभ्यावेदन देते हैं। हमने सेवा क्षेत्र के प्रत्येक पक्ष से व्यापक विचार-विमर्श किया है। यहां तक कि हमने इस संबंध में जब-जब प्रस्ताव अथवा अनुरोध किए हैं तब-तब लगभग सभी पक्षकारों, विभिन्न अंशधारकों से व्यापक विचार-विमर्श किया है और उन्होंने भी इस बाबत हमें लिखा है।

श्री पवन कुमार बंसल: उत्तर तो यही है परन्तु मुख्य भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया है कि वे आशंकाएं क्या हैं और अभ्यावेदन क्या है। कृपया मंत्री महोदय से इस भाग का उत्तर देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, कृपया बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल: संक्षेप में वास्तविकता यह है कि मैं नहीं चाहता कि वे प्रत्येक बात का उत्तर दें।

श्री अरुण जेटली: मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी प्रगति की है। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 52 प्रतिशत का योगदान है। सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव जमा रहे हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र के कुछ भागों में कुछ संगठन ऐसे हैं जहां भारतीय हित सर्वोपरि है। कुछ क्षेत्रों में इनको खोलने के प्रति हमारा दृष्टिकोण तनिक दकियानूसी किस्म का रहा है। तीसरी श्रेणी उनकी है जो सीमित रूप से और वह भी पारस्परिक आधार पर इसे खोलना चाहते हैं।

श्री सुनील खां: अध्यक्ष महोदय, अमरीका और समूह-7 के देशों ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के बावजूद लघु उद्योग क्षेत्र, अति लघु क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए बाई अमेरिकन एक्ट, फ्रैंच एक्ट जैसे अन्य एक्ट बनाए हैं। तो फिर हम क्यों न अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारतीय-क्रम अधिनियम बनायें ताकि लघु उद्योगों और अन्य अति लघु उद्योग को संरक्षण दिया जा सके।

श्री अरुण जेटली: महोदय, जहां तक विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों के संभालने का संबंध है और जिसके बारे में माननीय संसद सदस्य यह कह भी रहे हैं वह खुद इस बात को लेकर क्षुब्ध हैं और क्षुब्ध भारत सरकार भी है और हमारे अपने विनिर्माण क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, इस संबंध में विभिन्न बाजार तक की पहुंच वाली वार्ताओं के जरिये संरक्षण मिलता रहता है। विनिर्माण क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमारी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है और इसके परिणामस्वरूप हम वार्ताओं के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हमारी पहुंच हो। इसका सुस्पष्ट उदाहरण यह है कि इस्पात जैसे क्षेत्र जहां कुछ वर्षों पहले हमें काफी समस्या थी लेकिन सेल सहित भारतीय कम्पनियों के विश्व बाजार पर अपना लक्ष्य साधने के कारण हमारे घरेलू क्षेत्र पुनः पनप चुका है। अतः जब भी हम वे वार्ताएं करते हैं तो हम अपने घरेलू क्षेत्र के सभी उद्योगों को ध्यान में रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे: अध्यक्ष महोदय, जब से हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने हैं, देश में कई कृषि उत्पाद आयात होते हैं। हिन्दुस्तान में और खास तौर पर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बड़ी मात्रा में कपास पैदा होती है, क्या उस किस्म की कपास विदेश से आयात की जाती है? यदि हां, तो आज उसके ऊपर कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है? क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बारे में सोच रही है या उसे कम कर रही है? हमें ज्ञात हुआ है कि देश में जो कपास पैदा होती है, कुछ मिलों के दबाव में आकर कपास के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्या यह बात सच है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, हालांकि, उसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बता दूं।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, उसमें आज भी इम्पोर्ट ड्यूटी प्रायः उसी प्रकार की है ताकि देश के अंदर बाहर से कृषि प्रोडक्ट्स न आ पायें क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र बहुत सैंसेटिव है। विशेष रूप से कई विदेशी राष्ट्र ऐसे हैं जो कृषि में बहुत अधिक सबसिडी देते हैं, इसलिये दोनों की आपस में प्रतिस्पर्द्धा करवाना उचित नहीं होगा। इस बात को हम मद्देनजर रखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि अपने देश में हमें जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे एडिबल आयल की हमारे यहां कमी है और हमारी जो आवश्यकता है, उसे हम बाहर से मंगवाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि का बहुत कम सामान अपने देश में आने देते हैं जो लगभग नैग्लिजिबल होता है।

एक माननीय सदस्य: इसकी ड्यूटी कितनी है?

श्री अरुण जेटली: इसकी तुलना में एग्रीकल्चर में नैग्लिजिबल इम्पोर्ट है। पिछले वर्षों में जितने फूड बास्केट प्रोडक्ट्स हैं, फूड एंड मैरीन प्रोडक्ट्स हैं, उनमें 31 हजार करोड़ रुपये के इम्पोर्ट तक पहुंच पाये हैं। जिससे देश के किसानों का हित होगा, उन्हें बढ़ाया जायेगा। जहां तक काटन का प्रश्न है, उस पर 5 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी है लेकिन सरकार के पास फलैक्सिबिलिटी है। काटन पर आज भी बाउंड रेट 100 परसेंट है इसलिये अगर किसी स्टेज पर लगता है कि हमें अपने काटन किसानों का हित प्रोटैक्ट करना है तो सरकार के पास फलैक्सिबिलिटी है, जहां एप्लाइड रेट और बाउंड रेट्स हमें लगता है कि बहुत अधिक है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

***424. श्री राम टहल चौधरी:**
श्री मान सिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में अन्य क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे निवेश में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घरेलू उद्योगों में निवेश में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

(क) से (ग) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि के दौरान कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा यथा संकलित क्षेत्र-वार कुल निवेश और उपयोक्ता उद्योग द्वारा (1993-94 के मूल्यों पर) सकल पूंजी निर्माण के रूप में मापित (नवीनतम उपलब्ध) आंकड़े अनुबंध I में दिये गये हैं।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार आशय-पत्र (एलओआई) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के माध्यम से औद्योगिक निवेश आशयों के क्रियान्वयन के रूप में पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान राज्य-वार निवेश के आंकड़े अनुबंध II में दिये गये हैं। इसी प्रकार, पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी अंतर्वाह के रूप में राज्य-वार निवेश के आंकड़े अनुबंध III में दिये गये हैं।

औद्योगिक निवेश के आंकड़े अनुबंध I में दिये गये हैं। आई.ई.एम. और एल.ओ.आई. के रूप में निवेश आशयों के क्रियान्वयन की स्थिति (जैसी उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई है) में उतार-चढ़ाव आ रहा है (अनुबंध II)। वर्ष 2000 से 2003 की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह में वृद्धि हुई है (अनुबंध III)।

अध्ययन करने पर यह देखा गया है कि औद्योगिक निवेश कई कारणों से प्रभावित हुआ है, जिनमें कुछ निम्नानुसार है:-

1. निवेश परिचालन तथा व्यापार चक्र,
2. कारपोरेट पुनर्संरचना के समंजन में पीछे रह जाना,
3. उपभोक्ता तथा निवेश मांग पर्याप्त नहीं होना,
4. वास्तविक ब्याज दर अधिक होना,
5. अवसंरचनात्मक बाधाएं, विशेष करके बिजली के क्षेत्र में,
6. भूमि तथा श्रमिकों के लिए बाजारों में संस्थागत कठोरताएं,
7. उन देशों में आर्थिक मंदी और उनकी वसूली में मंदी आना जो कि भारत के प्रमुख कारोबारी भागीदार हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरीका, जापान और यूरोपीय संघ,
8. डम्पिंग, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा,
9. घरेलू कराधान की उच्च दर और राज्यों में समान करों का नहीं होना।

औद्योगिक पुनर्संरचना और सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है, जो कि दक्षता में सुधार लाने और घरेलू उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए की गई है, यह वर्ष 2003-2004 के पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों द्वारा 54.4 प्रतिशत का निवल लाभों में वृद्धि होने से परिलक्षित हो जाता है। इसी प्रकार, निर्यातों में भी वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2002-2003 में बढ़कर 19.18 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार विश्वास सूचकांक में सुधार आया है जो फिक्की के अनुसार अप्रैल से जून, 2003 की अवधि में 12.6 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

उद्योग में ही पुनर्संरचना तथा घरेलू रूप से और वैश्वीय अर्थव्यवस्था दोनों में बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण की वजह से व्यवसाय के वातावरण में आए सुधारों के कारण पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जो उद्योग में निवेश का एक प्रमुख सूचक है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में पिछले वर्ष के (-) 3.4 प्रतिशत विकास की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 10.5 प्रतिशत विकास हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी जा रही नरम ब्याज दर नीति तथा शेयर बाजारों में सुधर रही मनोवृत्ति की वजह से उद्योग में किए जाने वाले निवेश में और वृद्धि होने की आशा है।

(घ) सरकार ने घरेलू उद्योगों में निवेश बढ़ाने और निवेश के लिए प्रेरक वातावरण का सृजन करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य सामान्यत: भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार लाना और कुल मांग में वृद्धि करना, अवसंरचना आधार में सुधार लाना, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह को प्रोत्साहित करना, कर संरचना को युक्तिपूर्ण बनाना, शेयर बाजार की मनोवृत्ति में सुधार लाना, निर्यात को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहन देना और ब्याज दरों में कमी करके तरलता बढ़ाना है।

वर्तमान उदारीकृत औद्योगिक नीति व्यवस्था के अंतर्गत, निवेश संबंधी निर्णय और स्थापना-स्थल का चयन उद्यमियों द्वारा उनके स्वयं के वाणिज्यिक अनुमान के आधार पर किया जाता है। फिर यह राज्यों के निवेश के वातावरण, अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता, संसाधनों और बाजार पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं तथा प्रोत्साहनों के जरिए उनके प्रयासों में मदद करती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) यह संकेत देती है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को वस्तुत: 10 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास करना होगा। तदनुसार, उद्योग और खनिजों के लिए योजना परिव्यय, नौवें योजना परिव्यय (प्राप्ति) की तुलना में 31.9 प्रतिशत का विकास दर्ज करते हुए, बढ़ाकर 58,939 करोड़ रुपये (2001-2002 के मूल्यों पर) कर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय, नौवीं योजना परिव्यय (प्राप्ति) की तुलना में 84.2 प्रतिशत विकास दर्ज करते हुए बढ़ाकर 403,927 करोड़ रुपये (2001-2002 के मूल्यों पर) कर दिया गया है।

दसवीं योजना का निवेश दर संबंधी लक्ष्य (बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में) 28.41 प्रतिशत है, जबकि नौवीं योजना में यह 24.23 प्रतिशत था। दसवीं योजना के लिए सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 40,81,670 करोड़ रुपये (2001-2002 के मूल्यों पर) निर्धारित किया गया है जबकि नौवीं योजना में यह राशि 25,06,658 करोड़ कुपये थी जिसमें 62.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। किए गए महत्वपूर्ण उपाय अनुबंध-IV में दर्शाए गए हैं।

अनुबंध I

उपयोक्ता उद्योग द्वारा सकल स्थिर पूंजी निर्माण (1993-94 के मूल्यों पर)

(रुपये करोड़ में)

प्रमुख क्षेत्र	1998-99	1999-00	2000-01@	2001-02#
कृषि और सम्बद्ध*	16516	18082	18364	19880
उद्योग**	137197	127230	122406	113705
सेवा***	91357	96398	104555	101868
जोड़	245070	241710	245325	235453

* कृषि और सम्बद्ध में कृषि, वानिकी, लट्ठे निर्माण और मछली पकड़ना शामिल है।

** उद्योग में खनन एवं उत्खनन विनिर्माण (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत) विद्युत, गैस व जलापूर्ति और निर्माण शामिल हैं।

*** सेवा में व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण तथा संचार, वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यावसायिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं शामिल हैं।

@ का आशय अनन्तिम अनुमानों से है।

का आशय त्वरित अनुमानों से है।

स्रोत : सी एस ओ

अनुबंध II

निवेश आशयों (आईईएम+एलओआई) की कार्यान्वयन संबंधी राज्य-वार तथा वित्तीय वर्ष-वार स्थिति

राज्य का नाम	2000-01		2001-02		2002-03	
	संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	47	470	71	1753	69	638
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	4	6	18	1000	11	61
बिहार	0	0	2	14	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	5	127	6	42
दादर और नगर हवेली	5	125	11	80	14	170
दमन और दीव	7	16	6	43	3	4
दिल्ली	2	0	0	0	0	0
गोवा	11	68	24	309	6	32
गुजरात	54	1715	98	4377	49	1938
हरियाणा	26	278	44	1000	20	559
हिमाचल प्रदेश	1	25	11	121	2	2
जम्मू और कश्मीर	1	130	0	0	1	3
झारखंड	4	13	5	119	0	0
कर्नाटक	14	413	21	193	8	45
केरल	3	13	6	35	1	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	10	199	22	248	7	32
महाराष्ट्र	32	604	124	2200	44	586
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	5	10	5	25
मिजोरम	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	9	86	6	28
पांडिचेरी	3	14	6	47	10	43
पंजाब	24	719	38	965	15	294
राजस्थान	19	97	53	1336	23	172
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	45	384	82	1300	21	111
त्रिपुरा	0	0	0	0	2	0
उत्तर प्रदेश	39	525	76	845	19	253
उत्तरांचल	2	6	2	8	1	5
पश्चिम बंगाल	34	1003	78	714	52	1422
एक से अधिक राज्यों में स्थल	2	0	0	0	3	67
जोड़	389	6823	817	16930	398	6532

टिप्पण : क्रियान्वित आईईएम तथा औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित एलओआई के संदर्भ में निवेश

अनुबंध III

कैलेण्डर वर्ष 2000, 2001, 2002 के एफ.डी.आई. का राज्य-वार अन्तर्वाह

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000	2001	2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	251.65	339.80	288.81
2.	असम	0.71	0.00	5.58
3.	बिहार	1.60	0.00	0.00
4.	गुजरात	29.10	109.41	288.42
5.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	582.57	1310.36	892.90
7.	केरल	53.76	6989	54.86
8.	मध्य प्रदेश	3.30	9.73	9.17

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	3578.89	2991.73	4865.73
10.	राजस्थान	0.99	6.67	1.06
11.	तमिलनाडु	551.87	742.70	1341.22
12.	पश्चिम बंगाल	33.07	66.84	132.21
13.	चंडीगढ़	163.22	4.01	842.55
14.	दादर और नगर हवेली	0.20	0.00	0.00
15.	दिल्ली	2457.56	6918.31	2994.28
16.	गोवा	34.19	10.92	146.79
17.	पांडिचेरी	0.00	299.26	0.00
18.	दर्शाये न गये राज्य	2349.63	2962.27	4259.77
	योग	10092.31	15841.89	16123.35

टिप्पण : उपर्युक्त अन्तर्वाह में एस.आई.ए.+एफ.आई.पी.बी.+आर.बी.आई.+शेयरों का अधिग्रहण शामिल है।

स्रोत : औ.नी. एवं संवर्धन विभाग।

अनुबंध IV

घरेलू उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पूंजीगत वस्तुओं और कागज उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करने और इन उद्योगों में विकास की दीर्घकालीन स्थिरता का सुनिश्चय करने की रणनीतियों का पता लगाने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठनों को अध्ययन कार्य सौंपे हैं।

- "डब्ल्यू टी ओ में बाजार पहुंच से संबंधित वार्तासमूह (एनजीएमए)" द्वारा विचार किये जा रहे प्रशुल्क संबंधी प्रस्तावों को अनुकूल बनाने के लिए भारतीय उद्योग और पुनर्संरचना पर अपेक्षित प्रभाव के अध्ययन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) को सौंपा गया था।

- 2002-07 के लिए मध्यावधि निर्यात नीति की घोषणा की गयी थी जिसमें निर्यात हेतु अपेक्षित निविष्टियों के लिए अपेक्षाकृत कम शुल्कों सहित समुचित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर बनाये रखने की महत्ता पर जोर दिया गया था। इनमें शामिल हैं:- कर प्रतिपूर्ति की सुस्पष्ट और व्यापक योजनाएं, निर्यात के लिए अपेक्षित प्रमुख निविष्टियों हेतु अपेक्षाकृत कम सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त सेवा कर में छूट देना, जिससे शुल्क वापसी की आवश्यकता कम से कम हो सके।

- प्रमुख क्षेत्रों जिसमें इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रानिक/वैद्युत और इनसे सम्बद्ध, वस्त्र, रत्न व आभूषण, रसायन व संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं, में निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियां।

- व्यापक विद्युत क्षेत्र में सुधारों को सुगम बनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 पारित करना और विद्युत क्षेत्र योग्य विनिर्माण का मुख्य प्रवर्तक है, में निवेश आकर्षित करना।

- वर्ष 2003 में स्टेशनरी क्षेत्र की 13 मदों और औषध तथा भेषज क्षेत्र की 10 मदों, जो लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में है, के संबंध में निवेश की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर

5 करोड़ रुपये करने की अधिसूचना की गई है। इससे वे मदों की गुणवत्ता में सुधार कर पायेंगे और उदारवादी अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे।

* लघु उद्योग सूची से 75 मदों अर्थात् प्रयोगशाला के लिए रसायन और रिजेन्ट्स (54), चमड़ा व चमड़ा उत्पाद (9), प्लास्टिक उत्पाद (6), रसायन व रसायन उत्पाद (3), और पेपर उत्पाद (3), का अनारक्षण का अभिप्राय इन मदों में और निवेश आकर्षित करने में सहायता करना है।

केन्द्रीय बजट 2003-04 में घोषित निवेश से संबंधित कुछ उपाय, जो निवेश की गति के बढ़ाने और निवेश के लिए प्रेरक वातावरण बनाने के लिए भी उपाय हैं, इनका विवरण नीचे दिया गया है:

* उच्च वोल्टता पारेषण परियोजनाओं के लिए विशिष्ट उपकरणों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

* सौर ऊर्जा, विंड टर्बाइनों और हाइड्रोजन, ईंधन सैलों में प्रोत्साहन-संचालित अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए सी एस आई आर को 20 करोड़ रुपये का आबंटन करना।

* बजट में नई पहलों का प्रस्ताव किया गया जिनका लक्ष्य ढांचागत सुविधाओं का विकास करना और उन्हें विश्व-स्तर पर तुलना योग्य बनाना था। इन व्यापक पहलों की अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपये है और इनमें शामिल हैं, कुल 10,000 किमी. लंबाई की नई सड़क परियोजनाएं, स्वर्णिम चतुर्भुज के आधुनिकीकरण हेतु रेल विकास योजना और दिल्ली व मुंबई हवाई अड्डों तथा नवी मुंबई व कोचीन के पत्तनों का उन्नयन करके उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना। इन परियोजनाओं को निजी-सार्वजनिक साझेदारी पर आधारित नवीन निधि-पोषण विधि के माध्यम से आरंभ किया जा रहा है।

* पिछले चार वर्षों की अवधि के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर 12% से गिरकर 7% रह गई है। इस नरम ब्याज दर नीति ने निवेश की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

* औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा इक्विटी बाजार में सुधार की दृष्टि से, यह घोषणा की गई कि शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश करमुक्त होंगे। तदनुसार, घरेलू कंपनियों पर 12.5% लाभांश वितरण कर लगेगा।

* उन सभी सूचीबद्ध शेयरों को पूंजी लाभ कर से मुक्ति, जिन्हें आवश्यकता 1 मार्च, 2003 को अथवा उसके बाद खरीदा जाएगा और जिन्हें एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय बीत जाने के बाद बेचा जाएगा।

* एक ''इंडिया डिवेलपमेंट इनिशिएटिव'' की स्थापना करना, ताकि भारत को एक उत्पादन केन्द्र और एक निवेश लक्ष्य, दोनों रूपों में, बढ़ावा दिया जा सके।

* विदेशी बैंकों द्वारा सहायक उपक्रम स्थापित करने एवं निजी क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित करने में सफलता की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर कम से कम 74% करने की घोषणा।

* सार्वजनिक भविष्य निधि और अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की प्रशासित दरें, जिन्हें बाजार की दरों के अनुरूप समायोजित किया जाएगा।

अन्य उपाय :

* उद्योगों के परिचालन वातावरण में सुधार करने की दृष्टि से, सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं 'सेबी' अधिनियम में संशोधन एवं प्रतियोगिता अधिनियम।

* आयात-निर्यात नीति 2003-04 में, भारत की मुख्य क्षमताओं वाले क्षेत्रों का उपयोग करके इसकी निर्यात वृद्धि को मजबूत और तीव्र करने का लक्ष्य रखा गया है।

* इसमें उच्च विकास की संभावना वाले इन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है- वस्त्र, आटो पुर्जे, रत्न और आभूषण, औषध तथा भेषज एवं इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर।

* विनिर्माताओं के निर्यात दायित्वों को कम करके एवं आधुनिकीकरण व विस्तार संबंधी उनकी लागतों को कम करके 'निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना' को और अधिक आकर्षक तथा लचीला बनाया गया है।

* भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दृष्टि से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश को सुगम बनाना तथा लेन-देन संबंधी लागतों में भारी कमी को लक्ष्य बनाकर किए गए प्रक्रियात्मक सरलीकरण।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न ब्याज दर नीति जारी रखी है। इसने बैंक दर को पूर्व में 6.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक, नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को 5.0 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत तक कम कर दिया है जो एक ऐसा कदम है जिससे तरलता की स्थिति आगे और आसान होगी।

* औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने 10वीं योजना में क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव किया है।

* जम्मू तथा कश्मीर और सिक्किम राज्यों में क्रमशः 14 जून, 2002 व 23 दिसंबर, 2002 को और उत्तरांचल व हिमाचल प्रदेश में 7 जनवरी, 2003 (दोनों राज्यों के लिए) को औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा। इन आर्थिक प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ 10 वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट, संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश हेतु 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 15 प्रतिशत की दर पर पूंजी निवेश राजसहायता सम्मिलित हैं। यह महसूस किया गया है कि ये संरचनात्मक नीतियां औद्योगिक निवेश को आकृष्ट करेगी और इन राज्यों में घरेलू उद्योगों की विकास संभाव्यता में बढ़ोत्तरी करेगी।

* निवेश अनुमोदनों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए तथा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और तेजी लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए गोविन्दराजन समिति का गठन किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सभी राज्य मुख्य मंत्रियों को लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे गोविन्दराजन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करें। निवेशों को सरल बनाने के लिए एक निवेशक अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर प्रक्रियाओं में साथ-साथ सरलीकरण किये जाने की जरूरत है।

* विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) क्षेत्र के उत्तरोत्तर उदारीकरण की इसकी बचनबद्धता के अनुसरण में सरकार ने निर्णय लिया है कि उन सभी कंपनियों, जिन्होंने शेयर धारिता में विदेशी इक्विटी की सीमा पर ध्यान दिये बिना विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग, समझौतों में प्रवेश कर लिया है, को अब से रायल्टी भुगतानों की अवधि पर बिना किसी अड़चन के निर्यात पर 8 प्रतिशत तथा घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तक रायल्टी भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब सही-सही नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य में, अन्य क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है, जिसका उत्तर घुमा-फिरा कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि हर राज्य का मुख्य मंत्री और उनके लोग विदेशों में जाया करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में किस-किस राज्य के मुख्य मंत्री विदेशी पूंजी संसाधन लाने के लिये कितनी बार विदेश गये हैं? उनके विदेश प्रवास से उन राज्यों को क्या लाभ मिला है और उन राज्यों में कितना निवेश किया गया है? इसके अलावा उनके आने-जाने में जो खर्चा हुआ है, क्या उसका भी फायदा उठाया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, अब क्या वह खर्चा वसूल करना है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का यह प्रश्न कि कितने मुख्य मंत्री विदेश गये हैं, उस संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत यह विषय नहीं आता। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ऐसे कितने राज्य हैं, जिनमें निवेश आया है लेकिन उसकी डिटेल्ज नहीं दी गई है और प्रश्न का उत्तर घुमा-फिरा कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रश्न के उत्तर के साथ हमने तीन अनैक्शचर्स दिये गये हैं - एनैक्शचर-1 में सर्विसेज के अंतर्गत बताया गया है कि एग्रीकल्चर और उद्योग में कितना निवेश पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में किया गया है, उसमें पिछले चार वर्षों की लिस्ट दी गई है; अनैक्शचर-2 में पिछले तीन वर्षों में हर राज्य में कितना-कितना निवेश किया गया है, उसकी डिटेल्ज दी गई है और अनैक्शचर-3 में हर राज्य में कितना फारेन डायरेक्ट इनवैस्टमेंट आया, उसकी पिछले तीन वर्षों की डिटेल्ज दी हुई है। अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से इस प्रश्न के उत्तर में इससे ज्यादा डिटेल्ज नहीं दी जा सकती थी।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष जी, मेरे पास जो उत्तर है, उसमें राज्य-वार डिटेल्ज नहीं है। यदि डिटेल्ज होती तो मैं पूछता नहीं।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अनैक्शचर्स की एक कापी दे दूंगा।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि जैसा उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 2000-2003 की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह में वृद्धि हुई है, लेकिन अध्ययन करने पर यह देखा गया है कि अत्यधिक निवेश कई कारणों से प्रभावित हुआ है। उत्तर में इसके 9 कारण दिये गये हैं जिनसे औद्योगिक निवेश प्रभावित हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर में जो 9 कारण दिये हैं, भविष्य में निवेश प्रभावित न हो, उसके लिये सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, मैंने नौ कारण बताये हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन देशों में एफ.डी.आई. आता है, वह कई कारणों से प्रभावित होता है। पहला कारण हम लोगों ने देखना है कि उसकी इंटरनेशनल बिजनेस साइकिल क्या है। पिछले दो वर्षों में चूंकि पूरे विश्व में मंदी का दौर था, पूरे विश्व में जितना एफ.डी.आई. ग्लोबली आया था, वह दो वर्षों में लगभग 65 प्रतिशत कम हुआ है और उसका प्रभाव विश्व के अधिकतर देशों पर पड़ा है। इसलिए जो ग्लोबल एफ.डी.आई. और बिजनेस साइकिल है, उसके कारणों को रोक पाना केवल भारत के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था और जो उसके सुधार कार्यक्रम है, उन्हें हम आगे भी लागू रखें, जिसके परिणामस्वरूप, जो लोग यहां निवेश करते हैं, उन्हें लगे कि उनका निवेश स्टेबल भी है और निवेश में प्रॉफिटेबिलिटी भी है, तभी हम ज्यादा निवेश को आकर्षित कर पायेंगे- जैसा चाइना के केस में हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में पूछना चाहती हूं कि राज्यों में निवेश स्वीकृत करने हेतु क्या उनके पास कोई एक समान दिशानिर्देश हैं। क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है जिसमें उन्होंने भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य राज्यों को दी गई स्वीकृतियों के विपरीत उनके द्वारा विदेशी राष्ट्रों के साथ किए गए समझौतों को खारिज किए जाने पर आपत्ति की थी? मैं जानती हूं कि उड़ीसा सरकार और केन्द्र सरकार के बीच उन मामलों में स्वीकृति देने में भेदभाव के मुद्दे पर झगड़ा है जिनमें परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गयी जबकि राज्यों ने विदेशों के साथ प्रत्यक्ष समझौते किये।

श्री अरुण जेटली: अब निःसन्देह मैं स्वीकृतियों की चर्चा करूंगा। अधिकांश क्षेत्र पहले से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। हमने सरकार के अंतर्गत कार्यरत प्राधिकरण की स्थापना की है। यह प्राधिकरण त्वरित प्रस्ताव के आधार पर निवेश स्वीकृत कर रही है।

मुझे ऐसे किसी मुद्दे की जानकारी नहीं है जो अभी उत्पन्न हुआ है लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कुछ विशेष ब्यौरा लाएं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सरकार माननीय सदस्य को सूचित करे।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह माना जा सकता है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि की दौरान देश में औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है, किंतु जहां तक बिहार का सवाल है, अनुबंध में जो उत्तर आया है उसके अनुसार वर्ष 2001, 2002 और 2003 में बिहार में निवेश शून्य हुआ है। जहां तक विदेशी निवेश का सवाल है, अनुबंध के अनुसार पूरे देश में दो ऐसे राज्य हैं जहां वर्ष 2002 में निवेश शून्य है। उसमें पांडिचेरी और बिहार का नाम दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां के मुख्य मंत्री विदेश नहीं जाते हैं या जा नहीं सकते हैं, वहां विदेशी निवेश लाने के लिए क्या कोई दूसरी योजना हो सकती है। बिहार में घरेलू निवेश भी शून्य है और विदेशी निवेश भी शून्य है। रघुवंश बाबू मेरी बात सुन रहे होंगे। सिर्फ पांडिचेरी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं ...*(व्यवधान)* बिहार के विषय में मंत्री जी बतायें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप केन्द्र सरकार से क्यों नहीं पूछते कि बिहार में पूंजी निवेश क्यों नहीं हुआ तथा वहां पूंजी निवेश कराने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): रघुवंश बाबू, आप लालू जी को बोलिये कि वह राबड़ी देवी को मुख्य मंत्री के रूप में विदेश भेजे। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, यह गंभीर विषय है और यह केवल एक राज्य का प्रश्न नहीं है, पूरे देश की दृष्टि से अगर

हम देखें और देश के अंदर आने वाले निवेश को अगर हम लोगों को बढ़ाना है तो विश्व में जिन देशों में अधिक निवेश हुआ है, उसके क्या कारण रहे हैं, हम लोगों को उनसे कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा। जिन राष्ट्रों और जिन राज्यों में उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जहां आपकी नीति एकदम स्टेबल है, जहां निवेश करने के बाद निवेशक को लगता है कि उसका निवेश स्टेबल और प्रोफिटेबल रहेगा, वहीं निवेश ज्यादा आकर्षित होता है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, निवेश के बाद निवेशक को उसमें प्रोफिटेबिलिटी सामने नजर नहीं आयेगी तो शायद वहां निवेश कम होगा। इसलिए हर राज्य में, भारत में तथा राजनीतिक तौर पर हम सब राजनीतिक दलों को भी इस दिशा में सोचना होगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में बताया है। आंकड़े यह बताते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में भारी कमी आयी है।

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहूंगा। पहली बात यह कि क्या सरकार केरल जैसे राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश करेगी?

दूसरी बात यह कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नीति बनायेगी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को मिले।

अभी-अभी माननीय मंत्री ने अवसंरचना विकास की बात की है। यदि सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कतिपय कदम उठाती है और नीतिगत पहल करती है तो औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए अधिक लाभ प्राप्त करना बहुत सरल होगा।

श्री अरुण जेटली: मैं संसद सदस्य को सिर्फ पहले कही हुई बात के बारे में बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति का संबंध है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारी उदार नीति है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नीति के परिणामस्वरूप निवेश हो, वह निवेश देश में हो, इस संबंध में कतिपय कारक हैं। इनमें से एक मुख्य कारक यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हो जो आज दुनियाभर में है। उदाहरण के लिए, दो वर्ष पहले दुनिया भर में विदेशी निवेश के आंकड़े लगभग 12,000 बिलियन डालर तक पहुंच गये थे और आज वही आंकड़े घटकर लगभग 550 बिलियन डालर रह गये हैं। मैं आपको अनुमानित आंकड़े दे रहा हूं। इसलिए, गत दो वर्षों में दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 65 प्रतिशत की कमी आयी है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय देश जहां निवेश होता था, को नुकसान हुआ। यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो कुछ समयावधियों पर की गई कटौतियों के अलावा हम अपना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यथावत रख पाये हैं। लेकिन इनमें से एक कारक को हमें दिमाग में रखना होगा कि यदि हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकृष्ट करना है तो हमें अपने आप को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले एक आकर्षक देश के रूप में विकसित करना होगा। हमें न केवल अपनी नीति के बल पर टिके रहना होगा अपितु हमें अन्य उन कारकों पर भी टिके रहना होगा जो हमारे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक हैं। जो भी मैंने कहा वह सारे देश पर लागू होता है। यह केरल जैसे राज्यों पर भी लागू होता है जो कुछ क्षेत्रों में आज लाभ कमा रहे हैं और उन्होंने तरक्की की है। उदाहरण के लिए, मत्स्य क्षेत्र में, आपने तरक्की की है; पर्यटन क्षेत्र में आपने तरक्की की है, यहां भी आपने बुनियादी सुविधाएं दी हैं वहां आप उन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। यदि आप उद्योग की दृष्टि से देखें, तो संभवतः इस क्षेत्र में भी केरल में निवेश आकर्षित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे।

महिला न्यायालय

***425. +श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में महिलाओं से संबंधित मामलों के निपटान हेतु स्थापित महिला न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी राज्यों में ये महिला न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्यों में ऐसे न्यायालयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने महिलाओं से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अनन्य न्यायालयों का गठन किया है। अभी तक महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश ने 3, कर्नाटक ने 22, राजस्थान ने 4 और दिल्ली ने 6 न्यायालयों का गठन किया है।

गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ अन्य राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन महिलाओं के लिए न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं। गोवा राज्य में महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों को सेशन और साथ ही मजिस्ट्रेट स्तर पर यथा संभव महिला न्यायिक अधिकारियों को आबंटित किया जाता है।

सेशन न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राज्य उत्तरदायी होते हैं और उनका गठन राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए स्कीमों को लागू करती है, जिसके अधीन न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए और त्वरित निपटान न्यायालयों तथा कुटुम्ब न्यायालयों जैसे विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों और राज्य उच्च न्यायालयों से यह प्रस्ताव किया है कि महिलाओं के प्रति अत्याचारों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर पर एक अनन्य त्वरित निपटान न्यायालय को, जहां भी यह विद्यमान हो, अलग से रखा जाए।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, उत्तर में मुद्रण संबंधी एक छोटी सी गलती है। आंध्र प्रदेश के बाद (क) से (घ) तक उत्तर में तीसरी पंक्ति में, कर्नाटक के बाद, 22 नहीं है। कर्नाटक 1 है। यह मुद्रण संबंधी गलती है। इसे कृपया ठीक किया जाए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आंध्र प्रदेश में तीन न्यायालय खोले गए हैं, कर्नाटक में एक, राजस्थान में चार और दिल्ली में छः न्यायालय खोले गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहां निरंतर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि प्रधान मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में मधुमिता की उसके भ्रूण के साथ हत्या हुई। इस तरह से अगर अत्याचार और जुल्म महिलाओं पर बढ़ते रहेंगे और दलित महिला द्वारा शासित राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और वह भी प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में, तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? क्या माननीय प्रधान मंत्री जी महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में अलग से न्यायालय खोलने पर विचार कर रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मुख्यतः यह राज्य का विषय है। जहां तक अधीनस्थ अदालतों का संबंध है, चाहे वे सत्र न्यायाधीश की अदालतें हों अथवा मजिस्ट्रेटों की अदालतें हों, यहां वे राज्यों के अधीन ही आती हैं। उच्च न्यायालयों से परामर्श करके राज्य सरकारों को ही न्यायालयों की स्थापना करनी होती है। कतिपय राज्यों में न्यायालय पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। कुछ राज्य इस बारे में विचार कर रहे है। मैं सोचता हूं उत्तर प्रदेश में चौदह पारिवारिक अदालतें है। उत्तर प्रदेश राज्य में भी महिला अदालतें खोलने का प्रस्ताव है। यह विचाराधीन है।

जिन राज्यों ने अभी तक अदालतें स्थापित नहीं की हैं, इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रस्ताव आए हैं। यह बात भारत सरकार की जानकारी में है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया। मैंने विशेष रूप से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में विशेष महिला न्यायालय गठित करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है। मंत्री जी ने कहा कि सैशन कोर्टों की स्थापना राज्य सरकारों के अधीन है और राज्य सरकारें हाईकोर्ट के परामर्श से इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव आया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए अलग अदालतें स्थापित करने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार कब तक मंजूर करेगी?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं के लिए अलग से अदालतें स्थापित करने का प्रश्न है, मैं इस संबंध में यह भी जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार इस प्रकार के न्यायालय स्थापित करने के लिए तैयार न हो, तो क्या भारत सरकार अपनी ओर से कोशिश करेगी ताकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए विशेष महिला अदालतों की स्थापना की जा सके?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं ये राज्यों के हाथ में है?

अध्यक्ष महोदय: आप सदैव राज्य सरकारों से पूछ सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, वह हमने किया है और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं। भारत सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को यह कहते हुए

पत्र लिखे हैं कि इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक अदालत गठित की जाए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वाः फास्ट ट्रैक अदालतें पारिवारिक न्यायालयों से अलग हैं। हम दोनों को आपस में मिला रहे हैं। संसदीय अधिनियम से पारिवारिक अदालतें गठित की गयी हैं। वह फास्ट ट्रैक अदालतों की बात कर रहे हैं जो अलग है। वह किस बारे में बात कर रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। पारिवारिक अदालतें पारिवारिक अदालत अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अनुरक्षण अभिभाविकी और अन्य विवादों के लिए बनायी गयी है। कतिपय राज्यों में पारिवारिक अदालतें पहले से ही सक्रिय हैं। कुछ राज्यों में बार एसोसिएशन ने कुछ विरोध किया है और इसमें विलंब हुआ है। हम राज्यों को उन राज्यों में भी पारिवारिक अदालतें स्थापित करने के लिए पत्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक अदालतें, जिसके बारे में मेरे सहकर्मी कह रहे थे, वस्तुतः आपराधिक मामलों के प्रयोजनार्थ गठित की गयी अदालतें हैं और इनमें से 1200 पहले से ही कार्यरत हैं। मेरे मित्र यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि प्रत्येक जिले में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों सहित आपराधिक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जानी चाहिएं ताकि नियमित अदालतों के समक्ष जाने के स्थान पर महिलाओं पर अत्याचार के इन आपराधिक मामलों को फास्टट्रैक अदालतों के समक्ष ले जाया जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः अभी यह बात क्लीयर हुई है।

श्रीमती रेनु कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में राज्यों की भी चर्चा कर दी और कहा कि राज्यों की ओर से इस बारे में प्रस्ताव आना चाहिए था। बाद में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज द्वारा भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, जहां महिला-उत्पीड़न और महिलाओं पर बलात्कार चरम-सीमा पर है, वहां अगर राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं देती है, राज्य सरकार को इतनी समझ नहीं है कि वह अपने प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकें, क्या भारत सरकार ऐसी स्थिति में यह कहकर चुपचाप बैठ जाएगी कि प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है?

महोदय, कोई महिला, आदिवासी या पिछड़ी किसी भी जाति की हो, महिला एक महिला होती है, भले ही वह किसी समुदाय की हो। यदि कहीं महिलाओं का दमन होता है, उनके ऊपर अपराध होता है, उनका बलात्कार किया जाता है, तो यह मानव जाति पर कलंक है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार जैसे पिछड़े इलाके में महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या वे केन्द्र सरकार की ओर से वहां महिला न्यायालयों की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना के लिए विचार करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे मंत्री जी से उत्तर लेने दीजिए। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः इसका उत्तर तो आने दीजिए। मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। आप कृपया बैठिए। रेनु कुमारी जी आप हमेशा सदन में क्यों झगड़ा करती रहती हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामसः महोदय, यह सच है कि महिलाओं पर हुये अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए विशेषकर बिहार राज्य में किन्हीं विशेष अदालतों का गठन नहीं किया गया है और जैसा कि मैंने एक बार कहा था और मैं पुनः कह रहा हूं, कि राज्य सरकारों को प्रस्ताव देना होगा। जिस पर उच्च न्यायालय विचार करेगा, और फिर उच्च न्यायालयों से परामर्श करके राज्य सरकारें इन्हें स्थापित कर सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि सदस्य के दृष्टिकोण पर उचित विचार किया जायेगा और वह भी ठीक स्थान पर।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं समझती हूं कि यदि कैबीनेट मंत्री की ओर से उत्तर दिया जाता, तो शायद मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता?

अध्यक्ष महोदयः अब आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारे जो प्रश्न थे, उनके बारे में रेनु कुमारी जी ने चर्चा की, वह सही है। दरसल मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों

ही प्रदेशों में महिला मुख्य मंत्री हैं, वहीं क्यों महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ पटना को छोड़कर, पूरे बिहार में कहीं भी महिला न्यायालय नहीं हैं। पटना में जो महिला न्यायालय है, वह भी रीयल ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस संबंध में एक प्रपोजल बिहार के सांसदों से ले लीजिए और उसे हाईकोर्ट को भेज कर वहां से एक प्रपोजल मंगवा लीजिए ताकि जो महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म और बलात्कार की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, उन पर कुछ अंकुश लग सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बिहार में महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म और बलात्कार की अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बिहार को लिया ही नहीं है। मेरा आग्रह है कि बिहार पर भी ध्यान दीजिए और यदि बिहार पर भी आपने कृपा की होती, तो उसके बारे में जो स्थिति है, उसकी जानकारी भी सदन को मिलती। मैं आपसे आग्रह कहना चाहता हूं कि बिहार की ओर ध्यान दें और बिहार में राज्य सरकार की सहायता के बिना महिला न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रयास करें।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह सच है कि माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि कुछ विशेष अदालतें गठित की जाएं। उन्होंने मुझे पारिवारिक अदालतों के संबंध में भी पत्र लिखे हैं कि लगभग 38 जिले हैं और वहां केवल एक पारिवारिक अदालत स्थापित की गयी है। इसलिए, मैं समझता हूं राज्य सरकारें इस मामले पर विचार करें।

भारत सरकार इसे सीधे तौर पर नहीं कर सकती है। परन्तु जहां तक कुटुम्ब नययालय का प्रश्न है भारत सरकार पूरी निधियां मुहैया करा रही है। यह प्रत्येक कुटुम्ब न्यायालयों को 10 लाख रुपये तथा आवर्ती खर्चों के लिए पांच लाख रुपये भी दे रही है। इसलिए, यदि राज्य सरकारें उच्च न्यायालय से परामर्श करके इस मामले को लेती हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मुझे उत्तर से पता चला है कि केन्द्र सरकार न्यायालयों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करती है तथा राज्य सरकारों को धन भी मुहैया कराती है। क्या माननीय मंत्री जी इस तथ्य से अवगत हैं कि तमिलनाडु सरकार ने आधारभूत सुविधा मुहैया कराने हेतु 140 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव की सिफारिश की है जो पिछले एक वर्ष से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर अद्यतन नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक महिला न्यायालय की स्थापना की है जिसका यहां कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए चार विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना की गयी है। हो सकता है मेरी बात पूरी तरह सही न हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने हेतु 140 करोड़ रुपये जारी करेगी। महोदय, हमारे राज्य के अधिकांश संसद सदस्यों ने सभी जिला न्यायालयों में अदालत भवनों के निर्माण हेतु अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से योगदान दिया है। इस संबंध में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मद्रास उच्च न्यायालय और सभी जिला न्यायालयों के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने हेतु 140 करोड़ रुपये जारी करे।

श्री अरुण जेटली: महोदय, जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है वहां पहले ही महिला न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। किन्तु ये आंकड़े हमारे पास नहीं हैं; हम संशोधित आंकड़े मांगेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं। जहां तक न्यायालय भवनों का निर्माण का प्रश्न है, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम का पूर्णरूपेण वित्त-पोषण कर रहे थे। यहां तक कि अन्यों के संबंध में भी इन न्यायालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु हमारे पास राज्य सरकारों को अवसंरचनात्मक सहायता देने के लिए एक योजना है। मैं इस बात का पता करूंगा कि यह प्रस्ताव किस चरण में है। यदि हमें इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तो हम उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में है। आप अपनी बात केवल इसी विषय तक सीमित रखिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इसी विषय पर पूछ रही हूं। महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने महिला न्यायालयों के कार्यकरण का अध्ययन किया है। प्रतिवेदन संसद को सौंपा जा चुका है। सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी है। हम बार-बार सम्पर्क बनाए हुए हैं। की गयी कार्रवाई रिपोर्ट सरकार के समक्ष है। वकीलों को उपस्थित होने की अनुमति दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: सीधा प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: इन न्यायालयों में किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं की जा रही है तथा ये न्यायालय के अधिनियम के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं वह इस संबंध में क्या कर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, जहां तक कुटुम्ब न्यायालयों का प्रश्न है, यह वस्तुतः एक बहुत ही अच्छा प्रयोग रहा है। परन्तु माननीय सदस्य का यह कथन सत्य है कि स्थायी समिति ने कहा है कि कतिपय राज्यों ने इन न्यायालयों की स्थापना नहीं की है। सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात् हम अनेक राज्यों के साथ इस मामले में बातचीत करते रहे हैं। उदाहरणार्थ, दिल्ली में कोई कुटुम्ब न्यायालय नहीं है। हम दिल्ली सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से कुछ जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उस जगह पर इन न्यायालयों की स्थापना की जा सके।

मध्याह्न 12.00 बजे

दिल्ली में जमीन न मिलने की वजह से इसकी स्थापना नहीं हो पायी है। अब, जिन राज्यों ने इनकी स्थापना नहीं की है, हम उनसे तत्परतापूर्वक आग्रह कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में भी न्यायालयों की स्थापना हो।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आपका उत्तर यह कहता है कि दिल्ली में छः न्यायालय स्थापित किए गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये आंकड़े कहां से प्राप्त किए हैं। उत्तर के प्रथम भाग में कहा गया है कि दिल्ली में छः न्यायालयों की स्थापना की गयी है। इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में किसी न्यायालय की स्थापना नहीं की गयी है। क्या हम जान सकेंगे कि कुटुम्ब न्यायालयों के संबंध में हो क्या रहा है?

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं तथा श्रीमती आल्वा की जानकारी के लिए इसे पुनः कह रहा हूं कि कुटुम्ब न्यायालय उन न्यायालयों से भिन्न है जिनके संबंध में वह उत्तर दिया गया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: प्रश्न कुटुम्ब न्यायालयों से संबंधित है और आप उत्तर अन्य न्यायालयों के संबंध में दे रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: यह उत्तर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से संबंधित आपराधिक मामलों के संबंध में है। कुटुम्ब न्यायालय वैवाहिक, तलाक और अभिरक्षा विवादों से संबंधित हैं जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार के हैं। जहां तक कुटुम्ब न्यायालय का प्रश्न है इससे संबंधित वास्तविक आंकड़े उत्तर में उल्लिखित आंकड़ों से कहीं अधिक उत्साहजनक हैं। हम सिर्फ दंड न्यायालयों का जिक्र कर रहे हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष महोदय: अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1, श्री एम. चिन्नासामी।

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

समान सिविल संहिता

+
S1. **श्री एम. चिन्नासामी:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सी.एन. सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के पश्चात्, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समान सिविल संहिता बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) समान सिविल संहिता बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

सरकार विभिन्न समुदायों की स्वीय विधियों को उनसे व्यापक परामर्श करने के पश्चात् ही संशोधित करती है। हाल ही के वर्षों में, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 51), विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 49) और भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 26) जैसी अनेक स्वीय विधियों को, इन्हें विभिन्न सांविधानिक गारंटियों के अनुरूप बनान के लिए, समुदायों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् संशोधित किया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, प्रश्न गलत है। इस मुद्दे का स्पष्टीकरण आवश्यक है। मैं प्रश्न पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं क्योंकि सरकार की ओर से अच्छा उत्तर दिया गया है। यह गलत है क्योंकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है कि "........उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय..." ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि यह गलत है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री जी.एम. बनातवाला: ऐसा कोई निर्णय नहीं है। इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गयी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि कुछ गलत है तो आप हमेशा मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: यह किसी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तीन न्यायाधीशों में से किसी एक का मात्र अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए प्रश्न गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री एम. चिन्नासामी: महोदय, समान नागरिक संहिता के संबंध में अल्प सूचना प्रश्न को चर्चा हेतु दुबारा इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि सभा समुचित रूप से नहीं चल पाई। आज अध्यक्ष महोदय की कृपा से इस मुद्दे को सभा में चर्चा के लिए उठाया जा सका है।

अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि संसद राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के निमित्त एक समान नागरिक संहिता तैयार कर सकती है। यह पहली बार नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने अपनी ऐसी राय दी है। कुछ समय पहले, शाह बानो वाले अतिसंवेदनशील मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने ऐसी ही राय दी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न सीधे पूछें। आप मंत्री महोदय से अपना प्रश्न पूछें।

श्री एम. चिन्नासामी: न्यायालय के इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश में अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं तथा धार्मिक नेताओं ने इसका स्वागत किया है। उदाहरणार्थ, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की नेता, सुश्री डा. जयललिता ने समान नागरिक संहिता पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है तथा इस महीने की 18 तारीख को आयोजित दल की कार्यकारी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दुबारा अपनी राय दी है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? अन्यथा मैं माननीय मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री एम. चिन्नासामी: इसके अलावा भाजपा की नीति भी एक समान नागरिक संहिता तैयार करने की रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता तैयार करने में क्या समस्या है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, यह सच है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस मामले में कुछ टिप्पणियां की हैं। पहले भी कुछ टिप्पणियां की गयी थी। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, इन मामलों में सरकार की नीति आमतौर पर दो प्रकार की है। जहां तक धार्मिक समुदायों के अपने व्यक्तिगत कानूनों का सवाल है, हम इस संबंध में विभिन्न धार्मिक समुदायों से परामर्श करते हैं। इन परामर्शों के पश्चात्, हम प्रयास करते हैं कि यहां तक कि व्यक्तिगत कानूनों को विभिन्न संवैधानिक प्रतिभूतियों और मौलिक अधिकारों के समान लाया जाए। लोक सभा के इस सत्र के दौरान हमने ईसाई समुदाय से परामर्श करने के पश्चात् उनसे संबंधित अनेक कानूनों में संशोधन किया है और इन कानूनों के ऐसे बहुत से पक्ष हैं जो पहले समुदाय को स्वीकृत थे परन्तु अब वे समुदाय में स्वीकृत नहीं हैं।

उन्हें संशोधित किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे सरकार जारी रखना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चिन्नासामी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एम. चिन्नासामी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि:

> ''क्या उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात् सरकार का विचार समान नागरिक संहिता बनाने का है...''

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार समान नागरिक संहिता बनाने का है। क्या आपने इस समान नागरिक संहिता को बनाने की समयसीमा के बारे में सोचा है?

श्री अरुण जेटली: इस विषय पर सरकार का विचार बिलकुल साफ है। पर्सनल ला के मामले में, हमने विभिन्न धार्मिक समूह के लोगों से बात की है और इस मामले में व्यापक आम सहमति तैयार करने के पश्चात् जो भी सुधार की जरूरत होगी उस दिशा में हम कोशिश करेंगे और वांछित सुधार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान को बनाते समय सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना रखते हुए, सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार सिविल कोड का पालन करने का प्रावधान रखा था। यह सरकार इसमें छेड़खानी करने का कुप्रयास कर रही है। केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, क्रिश्चियन, तमाम ट्राइबल्स, आदिवासी जो भी हैं, सब के अपने-अपने धर्म हैं और वे अपने धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस देश को बर्बाद करने का एक दूसरा प्रयास और किया जा रहा है- क्या ऐसी आपकी कोई योजना है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, किस राजनैतिक दल और किस गुट की नीति से देश आबाद हो रहा है या बर्बाद हो रहा है-यह राजनैतिक मतभेद का विषय हो सकता है और इस प्रश्न द्वारा उसकी चर्चा इस सदन में करने का यह अवसर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी इस बात का दबाव है कि वे भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक प्रगति के लिए बनाएं, यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं सरकार का रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। पर्सनल ला के संबंध में और जो भी जरूरत है उन सभी मामलों पर सरकार राजनीतिज्ञों और विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोगों से बात करती रही है। विभिन्न धार्मिक समूह के इन लोगों में कभी ऐसा माहौल बने और वे सुधार के लिए तैयार हों, सरकार इस दिशा में सकारात्मक रूप से कदम उठाती रही है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे: देश में समान नागरिक आचार संहिता कानून को लागू करना चाहिए, बड़ी मात्रा में इसकी मांग हो रही है। माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के सामने हम सभी लोग एक जैसे हैं, एक सरीखे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे सामने आज कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह देश की बढ़ती आबादी है। दिनों-दिन देश की आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देश में समान आचार संहिता लगाते वक्त कई समस्याएं खड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें तो हम कम से कम यह कर सकते हैं कि देश की आबादी को अगर रोकना है तो देश के सारे समाज, सारे धर्मों को कुटुम्ब नियोजन को, फैमिली प्लानिंग को हम कम्पलसरी कर दें। अगर हिन्दू मानते हैं कि बच्चा भगवान ने दिया है तो सभी को 'हम दो हमारे दो' का सिद्धान्त अपनाना चाहिए, अन्यथा जो देश में ऐसी प्रथा चली है कि 'हम पांच हमारे 25'। अगर इस देश की आबादी रोकनी है, इस देश में फैमिली प्लानिंग अगर सही मात्रा में लानी है, इम्प्लीमेंट करनी है तो समान नागरिक आचार संहिता लागू करनी है और सभी को कम्पलसरी फैमिली प्लानिंग अपनाने की जरूरत है। इसीलिए सरकार को समान नागरिक कायदा आचार संहिता लागू करनी चाहिए। अगर कोई प्राब्लम भी होगी तो कम से कम सभी के लिए हम दो हमारे दो, नीति यहां पर लानी चाहिए और दो के ऊपर कानून बनाने के बाद जिसका बच्चा पैदा हो, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सभी फैसिलिटीज बन्द करनी चाहिए, क्या इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है या नहीं?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि देश की जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, पोपुलेशन स्टेबिलाइजेशन होना चाहिए, यह विषय प्रत्यक्ष रूप से यूनीफोर्म सिविल कोड का विषय न होकर नेशनल हैल्थ एंड पोपुलेशन पालिसी के साथ संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में जो नीति लाने जा रहा है, उसमें इन्सेंटिव, डिसइन्सेंटिव के संबंध में सरकार की क्या पौलिसी है, उसे नीति के अंदर स्पष्ट रूप से रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, यह कानून बने, उसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी?

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: अध्यक्ष महोदय, श्री चिन्नासामी की बातों को आगे बढ़ाते हुए अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं है। समान नागरिक संहिता बनाना और इसे लागू करना कोई नया विचार नहीं है। इसकी परिकल्पना संविधान में राज्यनीति निदेशक के सिद्धांतों में ही की गई थी। हमारे देश में एक समान दंड प्रक्रिया संहिता है और ढेर सारे समान कानून बने हुए हैं। अब चूंकि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के आधार पर एक नई बात सामने आई है, जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार—यानी एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार या जो भी सरकार है—उच्चतम न्यायालय के फैसले या टिप्पणी के पश्चात् इस संबंध में विधान लाने के मामले में गंभीरता से विचार कर रही है और यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है जिसके अन्दर इस कार्य को पूरा किया जाएगा? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार आम सहमति तैयार करने जा रही है। अच्छी बात है। मंत्री जी वह सभी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? बताइए, छह महीने, एक वर्ष या तीन महीने। कोई समय सीमा हमें बताइए जिसके अन्दर आप यह विधान लाने जा रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: यह चर्चा काफी लम्बे समय से चलती आ रही है। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि समान नागरिक कानून बनाने के लिए राज्य प्रयास करेगा।

विद्वान सदस्य ने भी कई कारण बताए हैं कि क्यों वे ऐसा महसूस करते हैं कि इसे प्रचारित किया जाना चाहिए। इस सभा में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य होंगे और सभा के बाहर भी ऐसे लोग होंगे जो माननीय सदस्य से सहमत होंगे। साथ ही, जहां तक सरकार का सवाल है, विशेषकर एनडीए सरकार की नीति का सवाल है, तो इस संबंध में हमारा रुख बहुत ही स्पष्ट रहा है। हम विभिन्न पर्सनल ला के मामले में प्रगतिशील संशोधन कर रहे हैं क्योंकि यदि हम दिशा में पहल करते हैं तो वे सभी संशोधन वांछनीय होंगे। इस प्रयोजनार्थ हम सभी समुदाय के लोगों से विचार-विमर्श करते हैं। हमारा सबसे अधिक जोर इस बात पर है कि सभी पर्सनल ला में धीरे-धीरे सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और उनमें समानता, गरिमा, स्वतंत्रता आदि की गारंटी होनी चाहिए। यही हमारा प्रयास है, जहां तक इस सरकार का सवाल है।

श्री जी.एम. बनातवाला: अध्यक्ष महोदय, समान नागरिक संहिता के प्रश्न पर व्यापक दुष्प्रचार किया जा रहा है और राष्ट्र को गुमराह किया जा रहा है। यह प्रश्न भी उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के संदर्भ में है। मामला ए.आई.आर. 2003 एस.सी.डब्ल्यू. 3536 के संदर्भ में है। जहां तक उच्चतम न्यायालय का सवाल है, तो ऐसा कोई फैसला नहीं है, ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है, तीन न्यायाधीशों में से केवल एक न्यायाधीश ने अपने फैसले में इस बारे में अपना व्यक्तिगत विचार दिया है। दो अन्य न्यायाधीशों ने अपने दो अलग-अलग फैसले में इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले या सिफारिशों पर कोई हाय-तौबा मचाए। यह तीन न्यायाधीशों में से केवल एक का व्यक्तिगत विचार है ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, ऐसा वे कैसे कह सकते हैं ...*(व्यवधान)* कोई न्यायाधीश अपना व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदय, जब कोई न्यायाधीश बोलता है, तो वह उसका फैसला होता है ...*(व्यवधान)* जब माननीय अध्यक्ष बोलते हैं, तो यह उनकी व्यवस्था होती है ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, स्वयं उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले 2000 एससीसी 224 में इस मामले को स्पष्ट किया था। इस विशेष फैसले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि उसने विभिन्न पर्सनल ला को समान नागरिक संहिता के सूत्र में बांधने के लिए कभी कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि न्यायाधीशों ने समय-समय पर केवल अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए हैं। इस तरह उच्चतम न्यायालय का स्पष्टीकरण है।

सरकार मामले को स्पष्ट नहीं कर रही है और यह प्रश्न राष्ट्र को गुमराह कर रहा है। हालांकि सरकार का जवाब कुछ हद तक अच्छा है तथापि कापी सुधार की जरूरत है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आवश्यक रूप से यह स्पष्ट कर पाएगी जो मैंने जानना चाहा है। दूसरी बात कि क्या सरकार समान नागरिक संहिता के विभिन्न तबके के लोगों से जिनमें न केवल अल्पसंख्यक शामिल हैं, बल्कि जनजातीय, हिन्दू, इसाई और अन्य लोग भी हैं, हो रहे पुरजोर विरोध से अवगत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। कृपया अब आप बैठ जाइए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, यह कोई मंच नहीं है जहां कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले के विश्लेषण पर चर्चा करते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: पर, कृपया आप इस मामले को स्पष्ट करें। प्रश्न आपके सामने रखा जा चुका है।

श्री अरुण जेटली: उच्चतम न्यायालय का फैसला सार्वजनिक दस्तावेज होता है। सभी सदस्यों को इसे पढ़ना चाहिए। हां, जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस विषय के संबंध में सशक्त समर्थक विचार है, तो सरकार भी इस मामले में पूरी तरह गंभीर है कि इस सुझाव के समर्थन में भी सशक्त समर्थक विचार हैं और इसके विरोध में भी ऐसे ही विचार हैं।

फिर इस विषय पर चर्चा की जरूरत ही क्या है। बस यही बात है कि सरकार ने अपना रुख अपनाया है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मुख्य बात है कि पर्सनल ला धार्मिक विश्वास पर आधारित होता है। यह धार्मिक विश्वास संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

इसलिए सबसे पहली बात यह है कि क्या समान नागरिक संहिता यदि इसमें संशोधन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत परिभाषित मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, और दूसरी बात यह कि यदि समान नागरिक संहिता लागू हो भी जाए तो यह 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगी?

महोदय, एकता की परिकल्पना समानता से भिन्न है। एनडीए के एजेण्डा में हमने समान नागरिक संहिता का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए, क्या इस 13वीं लोक सभा में इस मामले पर बहस करने का हमारा कोई नैतिक अधिकार बनता है?

श्री अरुण जेटली: महोदय, माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि यह एनडीए एजेण्डे का अंग नहीं है। किन्तु जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, तो इस पश्न का जवाब देने का सरकार का दायित्व तब भी बनता है क्योंकि यह संसदीय अधिकार एक हिस्सा है।

जहां तक इसे अधिनियमित करने का सवाल है, तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे परिकल्पनात्मक प्रश्नों को न पूछें क्योंकि ऐसे इस पर कई विचार उभरकर सामने आएंगे। जिस संविधान में अनुच्छेद 25 का उल्लेख है तो इसी संविधान में अनुच्छेद 44 भी है। इसलिए, यह कहने का यह कोई मंच नहीं है कि यदि समान नागरिक संहिता अधिनियमित हो जाए तो क्या होगा। यह अतिक्रमणीय है या नहीं है, और जहां तक धार्मिक सम्प्रदाय का सवाल है, तो क्या यह विभिन्न धार्मिक समुदाय के नागरिकों के नागरिक अधिकार के अनुरूप खरा उतर सकेगा या यह किसी रूप में धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाएगा, यह सभी बातें परिकल्पना हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: मैं धर्म, धार्मिक अधिकार पर आधारित अधिकारों की बात कर रहा हूं।

श्री अरुण जेटली: वे सवाल अभी नहीं उठते हैं क्योंकि सरकार इस विषय पर व्यापक बहस कराने के पक्ष में है और विभिन्न संबद्ध समुदायों से बातचीत के बाद ही सुधार के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अल्पकालीन प्रश्न पूरा हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

निर्धन लोगों को ऋण

***421. श्री मोहन रावले:**
श्री शिबु सोरेन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निर्धन, बेरोजगार युवकों, मजदूरों, सुविधा रहित लोगों, छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट दिशानिर्देश/नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समाज के उपरोक्त वर्णित वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने और इसकी वसूली से संबंधित अपनी नीति की समीक्षा करने और इसका सरलीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) से (घ) इन नीतियों/मार्गनिर्देशों की समीक्षा एवं सरलीकरण सतत प्रक्रिया है।

विवरण

भारत सरकार निर्धन व्यक्तियों, सुविधा-रहित लोगों, लघु एवं सीमांत कृषकों, दलितों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के मार्गनिर्देश/नीतियां तैयार करती है। इन मार्गनिर्देशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व द्वारा बैंकों को इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं।

बैंकों के लिए निर्धारित निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य के अन्दर, कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए 10 प्रतिशत का उप लक्ष्य है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियां/जनजातियां शामिल हैं।

निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं अनुबंध-I से V में संलग्न हैं:

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)
2. स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)
3. स्कावेंजरों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एसएलआरएस)
4. विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना
5. प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

अनुबंध I

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की प्रमुख विशेषताएं

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ने 1 अप्रैल, 1999 से आईआरडीपी एवं इसकी अनुषंगी योजनाओं

अर्थात् स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (टीआरवाईएसईएम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत उपकरण किटों की आपूर्ति (एसआईटीआरए) गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई), और दस लाख (मिलियन) कुओं की योजना (एमडब्ल्यूएस) का स्थान ले लिया है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त (स्वरोजगारियों) के परिवार को तीन वर्षों में बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी दोनों के माध्यम से उन्हें आय-उत्पादक आस्तियां प्रदान करके गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। शुरू की जाने वाली गतिविधि से मासिक आय, कम से कम तीसरे वर्ष में, बैंक को की जाने वाली वापसी अदायगी को छोड़कर 2000/- रु. से कम नहीं होनी चाहिए। एसजीएसवाई एक सर्वांगीण कार्यक्रम है, जिसमें सामाजिक संग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से गरीबों का स्व-सहायता समूहों में संगठन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, ऋण प्रौद्योगिकी, आधारभूत सुविधा, विपणन एवं आय उत्पादक आस्तियों जैसे स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं। इस योजना में केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के आधार पर निधियन की परिकल्पना की गई है और पंचायत समितियों के माध्यम से डीआरडीए द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ऋण रकम की मात्रा के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सामूहिक गतिविधियों को वरीयता प्रदान की जाती है और 4-5 प्रमुख गतिविधियों को अधिक सहायता दी जाती है। एसजीएसवाई योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

पात्रता: भूमिहीन श्रमिक, सीमांत भूमि वाले लघु एवं सीमांत कृषकों जैसे ग्रामीण गरीब, ग्रामीण कारीगर और शिक्षित बेरोजगार, जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की सूची में शामिल हों और जिनकी आयु सीमा 60 वर्ष तक हो।

आरक्षण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40% और विकलांगों के लिए 3%, खंड में 50% स्व-सहायता समूह महिलाओं के लिए होने चाहिए।

गतिविधियां: सामूहिक गतिविधियों पर जोर सहित पहचान की गई प्रमुख/सामूहिक गतिविधियां/स्व-सहायता समूह की सदस्यता 10-20 की सीमा के अंदर, लघु सिंचाई के लिए न्यूनतम 5 सदस्य। पहचान किए गए असुविधाजनक क्षेत्रों, रेगिस्तानों, पर्वतीय और छिटपुट एवं बिरल आबादी वाले क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों या गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर के सदस्यों आदि की संख्या के संबंध में छूट प्रदान की जाती है।

परियोजना लागत: कोई अधिकतम सीमा नहीं। जो स्व-सहायता समूह लगभग छह महीने से अस्तित्व में हैं और जिन्होंने अर्थक्षम समूहों की संभाव्यता प्रदर्शित की है, वे तृतीय चरण में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें डीआरडीए और बैंकों से नकदी ऋण सुविधा जैसी परिक्रामी निधि प्राप्त होती है। डीआरडीए सब्सिडी जारी कर सकते हैं, जो सामूहिक कारपस के बराबर तथा न्यूनतम 5000 रु. और अधिकतम 10,000 रु. होती है तथा बैंक ऋण से सम्बद्ध होती है। बैंक समूह के ऋण खपाने की क्षमता और ऋण की पात्रता के आधार पर नकदी ऋण सुविधा के रूप में ऋण मंजूर करेंगे जो सामूहिक कारपस के गुणकों में होगा और सामूहिक कारपस के चार गुना तक हो सकता है।

सब्सिडी: सब्सिडी का अंतिम भाग, सामान्य-परियोजना लागत का 30%, अधिकतम 7500/-रु., अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 10,000 रु., समूह परियोजना लागत का 50% या 1.25 लाख रु. जो भी कम हो और सिंचाई किसी मौद्रिक सीमा के बिना यथास्थिति 30% या 50%।

प्रतिभूति: 50,000 रु. तक के व्यक्तिगत ऋण या 5 लाख रु. तक के सामूहिक ऋण के संबंध में बैंक ऋण से सृजित आस्थियां। भूमि का बंधक, यदि आस्तियां सृजित नहीं की जाती हैं, जैसाकि भूमि पर आधारित गतिविधियों के मामले में है या अन्य पक्ष की गारंटी। 50,000/-रु. से अधिक के व्यक्तिगत ऋणों और 5 लाख रु. से अधिक के सामूहिक ऋणों के लिए, प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त, बैंक के विवेकानुसार उपयुक्त मार्जिन राशि/अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जा सकती है।

वापसी अदायगी: न्यूनतम 5 वर्ष, किस्तें नाबार्ड/जिला एसजीएसवाई समिति की अनुमोदित इकाई लागत के अनुसार। सब्सिडी निश्चित अवरुद्धता अवधि पूर्ण होने के बाद ही स्वीकार्य होगी।

वसूली: व्यक्तिगत संपर्क, संयुक्त वसूली शिविर, कानूनी कार्रवाई आदि, जिसके असफल रहने पर देयराशियों के समायोजन के लिए सब्सिडी की जब्ती। गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग वसूली में सुविधा प्रदान करने वालों के रूप में किया जा सकता है और इस खर्च को पूरा करने के लिए ऋण राशि का 0.5% स्वरोजगारियों से वसूल किया जा सकता है। तुरंत वापसी अदायगी करने पर इस निगरानी शुल्क को माफ किए जाने के लिए पात्र हो जाता है।

पुनर्वित्त: बैंक एसजीएसवाई के अंतर्गत संवितरित ऋणों के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं।

अनुबंध II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की प्रमुख विशेषताएं

एसजेएसआरवाई योजना 1.12.1997 से देश के सभी शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में लागू है। अन्य घटकों के साथ-साथ, इस

योजना की दो उप योजनाएं हैं जिसमें बैंक ऋण अंतर्गस्त है अर्थात शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीयूए)। इस योजना का निधीयन केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

कवरेज: हितकारियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण के आधार पर की जाती है।

आरक्षण: इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को न्यूनतम 30% की सीमा तक, विकलांगों को 3% और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कम से कम स्थानीय जनसंख्या में उनके अनुपात की सीमा तक सहायता प्रदान की जानी होती है।

आय का मानदंड: यूएसईपी के अंतर्गत, अल्प रोजगार प्राप्त एवं बेरोजगार शहरी युवक, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है। जो व्यक्ति नौवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और जिन्हें यूएलबी सूची में शामिल किया गया है, उन्हें बैंक ऋणों से सहायता प्रदान की जाती है।

परियोजना लागत: 5000 रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं को बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया जाना होता है।

सब्सिडी: सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 7500 रु. के अध्यधीन परियोजना लागत का 15% होता है।

मार्जिन राशि: उधारकर्ता को मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5% लाना होता है।

ब्याज दर: ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

सामूहिक गतिविधियां: डीडब्ल्यूसीयूए के अंतर्गत, महिला हिताधिकारी सामूहिक रूप से स्वरोजगार के उद्यम शुरू कर सकती हैं। डीडब्ल्यूसीयूए समूह में कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाएं शामिल होनी चाहिए। समूह 1,25,000 रु. या परियोजना लागत के 50%, जो भी कम हो, की सब्सिडी के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त, समूह अपनी स्थापना थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी के रूप में भी कर सकता है।

वापसी अदायगी: वापसी अदायगी अनुसूची बैंक द्वारा यथा निर्धारित 6 से 18 महीने की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के पश्चात 3 से 7 वर्ष के बीच हो सकती है।

अनुबंध III

स्केवेंजरों की उन्मुक्ति और पुनर्वास योजना (एस एल आर एस) से जुड़ी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों की प्रमुख विशेषताएं

यह योजना 1993 में लागू की गई थी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्केवेंजरों और उनके आश्रितों को हाथ से मैला हटाने/साफ करने के विद्यमान घिनौने कार्य से उन्मुख करना एवं उनका पुनर्वास करना तथा उन्हें वैकल्पिक सम्मानजनक कारोबार में लगाना है।

कवरेज: इस योजना में देश के सभी स्केवेंजरों और उनके आश्रितों (अनुसूचित जाति के स्केवेंजरों तथा गैर-अनुसूचित जाति के स्केवेंजरों दोनों) को शामिल किया गया है।

ऋण राशि: इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक की परियोजना का वित्त पोषण किया जा सकता है।

सब्सिडी: अधिकतम 10,000 रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत पर उधारकर्ताओं को सब्सिडी उपलब्ध है।

मार्जिन सहायता: उधारकर्ता राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम से 4% ब्याज दर पर परियोजना लागत के 15% की दर से, मार्जिन सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

ब्याज दरें: 6,500 रुपए तक के सभी ऋणों को 4% की रियायती दर पर डी आर आई ऋण माना जाएगा। तथापि, जहां ऋण की राशि 6,500 रुपए से अधिक हो जाती है, वहां पर समस्त ऋण पर ब्याज भारीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निदेश के अनुसार लगेगा।

जमानत: ऋण से सृजित आस्तियों का दृष्टबंधन ही ऋण के लिए प्रतिभूति होगी। राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम अपनी मार्जिन राशि ऋण सहायता को पूरा करने के लिए आस्तियों पर द्वितीय प्रभार/समरूप प्रभार रखेगा।

वापसी अदायगी: बैंकों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 6 से 18 महीने के अधिस्थगन के पश्चात 3 से 7 वर्ष के भीतर ऋणों की वापसी अदायगी की जाएगी।

अनुबंध IV

विभेदी ब्याज दर योजना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों की प्रमुख विशेषताएं

इस योजना को 1972 में लागू किया गया था और सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इसे क्रियान्वित किया गया

था। उत्पादक एवं लाभप्रद क्रियाकलापों में लगाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत वार्षिक रियायती दर पर बैंक वित्त उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी आर्थिक दशा में सुधार कर सकें। जोत (होल्डिंग) मानदण्ड अ.जा./अ.ज.जा. पर लागू नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत उधारकर्ताओं की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य जो बहुत ही साधारण स्तर पर कृषि और/या संबद्ध क्रियाकलापों में लगे हैं, वैसे व्यक्ति जो स्वयं जंगली उत्पादों को एकत्र करते हैं और उनका प्राथमिक प्रसंस्करण करते हैं, लोग जो शारीरिक तौर पर साधारण स्तर पर कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों में लगे हैं, योग्यता वाले गरीब छात्र आदि। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार अपने कुल अग्रिमों का कम से कम एक प्रतिशत उधार दें। कुल डीआरआई अग्रिमों का दो-तिहाई बैंक के ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

परिचालन क्षेत्र: इस योजना को देश भर में लागू किया जा रहा है।

आय संबंधी मानदण्ड: पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 7200 रुपए की वार्षिक आय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 6400 रुपए वार्षिक आय। जोत का आकार किसी प्रकार से एक एकड़ सिंचित भूमि और 2.5 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऋण राशि: उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रति हिताधिकारी अधिकतम सहायता 6500 रुपए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सहायता, यंत्रों उपस्करों को प्राप्त करने के लिए प्रति हिताधिकारी 5000 रुपए अधिकतम तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वे इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हों। इसी प्रकार, इस योजना के आय मानदण्डों को पूरा करने वाले अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य इस योजना के अधीन उपलब्ध 6500 रुपए के ऋण के अतिरिक्त प्रतिहिताधिकारी 5000 रुपये तक का आवास ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

मार्जिन राशि: इस योजना के अंतर्गत कोई मार्जिन राशि निर्धारित नहीं की गई है।

पूंजी सब्सिडी/ब्याज: कोई पूंजी सब्सिडी उपलब्ध नहीं की है।

ब्याज दर: ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है। चालू देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा।

जमानत: किसी संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ऋण राशि से सृजित आस्तियां बैंकों के पास दृष्टिबंधक रखी जाएंगी।

वापसी अदायगी: दो वर्ष की रियायत अवधि सहित पांच वर्ष से अनधिक की अवधि।

आरक्षण/प्राथमिकता: बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनके डीआरआई अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. को दिया जाता है।

अनुबंध V

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

भारत सरकार ने स्नातकों सहित शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसाय, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में व्यष्टि उद्यमों की स्थापना द्वारा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए दिनांक 2.10.1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) जैसी सब्सिडी से जुड़ी योजना का सूत्रपात किया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना है। प्रारम्भ में इस योजना को शहरी क्षेत्र में लागू किया गया था। दिनांक 1.04.1994 से इस योजना को देश भर में लागू किया जा रहा है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:

आयु: 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग वाले बेरोजगार युवा इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह आयु वर्ग 18-40 वर्ष है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति हेतु पत्रा होने के लिए अ.जा./अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिलाओं की अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट है।

आय सीमा: लाभार्थियों की पारिवारिक आय 40,000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो तथा लाभार्थी के माता-पिता की आय भी 40,000 रुपए से अधिक न हो।

निवासी: उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से स्थायी निवासी हो। (विवाहित महिलाओं के मामले में निवास संबंधी मानदण्ड उनके पति अथवा ससुराल वालों पर प्रयोज्य होता है)

शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है।

मार्जिन राशि: लाभार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाएं तथा सरकार इस लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी के रूप प्रदान करेगी मार्जिन राशि एवं सब्सिडी राशि परियोजना लागत का 20 प्रतिशत होगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सब्सिडी राशि की उच्चतम सीमा

7500 रुपए है। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल में देय सब्सिडी राशि की उच्चतम सीमा 15,000 रुपए है।

सब्सिडी: 15 प्रतिशत की दर से, अधिकतम सब्सिडी को 7500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। अत: उधारकर्त्ता द्वारा लाई जाने वाली मार्जिन राशि में परियोजना लागत के 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत का अंतर होगा।

शामिल क्रियाकलाप: फसलों को उगाने/उर्वरक की खरीद इत्यादि जैसे प्रत्यक्ष कृषि परिचालनों को छोड़कर कृषि एवं इससे संबद्ध सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्रियाकलापों को इस योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

परियोजना वित्त: व्यावसायिक क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक तथा अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रुपए तक की परियोजनाएं बैंकों द्वारा वित्तपोषण की पात्र हैं। साझा फर्म के मामले में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है तथा वास्तविक ऋण राशि व्यक्तिगत स्वीकार्यता की सीमा तक है।

आरक्षण: अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महिलाओं एवं अन्य कमजोर समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों के लिए साफ सुथरा एवं पर्याप्त शेयर को सुनिश्चित करें।

जमानत: एक लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए किसी तीसरे पक्ष की गारंटी/संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है तथा इस योजना के तहत अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिम के रूप में माना जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए, 2 लाख रुपए तक की परियोजना (पीएमआरवाई के अंतर्गत ऋण की उच्चतम सीमा) संपार्श्विक प्रतिभूति की छूट के पात्र हैं। साझा परियोजना के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की औद्योगिक क्षेत्र छूट सीमा छोटे क्षेत्र में 5 लाख रुपए प्रति उधारकर्त्ता खाता होगी।

सितारा श्रेणी के होटलों द्वारा अधिक कीमतें वसूल करना

***426. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:**
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितारा श्रेणी के होटलों और अन्य 'फास्ट फूड ज्वाइंट्स' शीतल पेय एवं पेयजल जैसे कई वस्तुओं पर कंज्यूमर अफेयर पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 1977 का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं से अधिक कीमतें वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त नियमों के अनुसार होटलों में बेची जाने वाली सभी वस्तुएं अधिकतम अंकित खुदरा कीमत बर बेची जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में अन्य बातों के साथ-साथ पैकेज या पैकेज पर लगी चेपी पर ''अधिकतम खुदरा मूल्य.........(सभी करों सहित)'' के रूप में खुदरा मूल्य की घोषणा करना अपेक्षित है। उक्त नियमों का संबंध मूल्यों की घोषणा से हैं, मूल्य नियंत्रण से नहीं। तथापि, नियमों के तहत पैकेज को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना निषिद्ध है और नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दण्ड की व्यवस्था है।

होटलों और रेस्तराओं में अधिक कीमत वसूल जाने के मामलों का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा पता लगाया गया था। उनसे प्राप्त विवरण से पता चलता है कि होटलों और खाने की बड़ी दुकानों में बोतलों में शीतल पेय और पेयजल जैसी पैकेज में रखी वस्तुओं की अधिक कीमत वसूले जाने के खिलाफ पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 के उपबंधों के तहत सितारा श्रेणी के होटलों के खिलाफ दर्ज किए गए 7 मामलों सहित 1468 मामले दर्ज किए गए हैं।

तम्बाकू का उत्पादन और खपत

***427. श्री आर.एस. पाटिल:**
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न किस्मों के उत्पादन और खपत की राज्य-वार मात्रा और कीमत कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान तम्बाकू निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसका निर्यात किया गया;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान तम्बाकू के घरेलू खपत में गिरावट आई है जिससे तम्बाकू क्षेत्र में लगे हुए लोगों की संख्या कम हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस समय कृषि संबंधी कुल निर्यात की तुलना में तम्बाकू निर्यात का कितना हिस्सा है; और

(च) सरकार द्वारा तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अंतर्गत तंबाकू बोर्ड, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू के उत्पादन का विनियमन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ सी वी तंबाकू के राज्य-वार तथा वर्ष-वार उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े: मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	कर्नाटक	कुल
2000-01	3.20*	फसल अवकाश	0.72	41.98	45.90
2001-02	119.48	0.11	0.46	57.68	177.73
2002-03**	127.66	0.03	0.45	63.26	191.40

*फसल अवकाश

**अनंतिम

गैर-एफ सी वी तंबाकू की किस्मों के राज्य-वार उत्पादन तथा खपत के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 617 मिलियन अमरीकी डालर तक की रही है। तंबाकू का निर्यात मुख्यतः रूस, यू.के., बेल्जिम, यमन, जर्मनी, मिस्त्र, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल तथा दक्षिण अफ्रीका को किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 2002-03 में कुल कृषि निर्यातों (समुद्री उत्पाद, बागान इत्यादि सहित) में तंबाकू का हिस्सा लगभग तीन प्रतिशत रहा था।

(च) निर्यातों के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ मेंलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रमुख बाजारों में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को भेजना, तंबाकू के निर्यातों के वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक क्रेडिट लाइन की व्यवस्था करना शामिल हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

***428. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात में प्रत्यंक तटवर्ती राज्य का योगदान कितना है;

(ख) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर कर्नाटक और उड़ीसा की समुद्री उत्पाद निर्यात क्षमता का पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 2003-04 हेतु समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) समुद्री उत्पादों के निर्यातों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात निम्नानुसार रहे थे।

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (मिलि. अमरीकी डालर)
2000-01	440473	1416.32
2001-02	424470	1253.35
2002-03	439943	1406.58

(ख) और (ग) समुद्री मत्स्यन क्षमता के बारे में अलग से राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, खारे पानी के क्षेत्र की क्षमता के बारे में अनुमान उपलब्ध हैं। अनुमान है कि भारत में खारे पानी के 1.2 मिलि. हैक्टेयर क्षेत्र का उपयोग श्रिम्प की खेती

के लिए किया जाता है। इस समय केवल 167,466 हैक्टेयर क्षेत्र को श्रिम्प की खेती के लिए विकसित किया गया है जो उपलब्ध क्षमता का केवल 14% है। जहां तक कर्नाटक तथा उड़ीसा का संबंध है, उपलब्ध क्षमता के प्रतिशत के रूप में विकसित क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक अर्थात् क्रमशः 44.25% तथा 40.76% है। तथापि, अक्षमता में आगे और वृद्धि 11 दिसंबर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा हुई है जिसमें तटीय विनियमन ज़ोन (सी आर जैड) क्षेत्र में और व्यापक रूप से फैले विषाणु जनित रोग के बढ़े हुए खतरे के कारण कृषि के परम्परागत तथा उन्नत परम्परागत तरीके से भिन्न तरीके से जल कृषि उद्योग/फार्मों की स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया है।

(घ) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के पास समुद्री उत्पादों की उतराई को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) द्वारा मत्स्यन कुशलता तथा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कुछेक योजनाओं के माध्यम से इन प्रयासों में सहायता प्रदान की जा रही है। इस बारे में एमपीडा ने विशेष रूप से निम्नलिखित योनजाएं कार्यान्वित की हैं:-

(1) यंत्रीकृत मत्स्यन के लिए पोतों में फिश फाइडर्स, जी पी एस फिश होल्ड आदि की स्थापना हेतु सब्सिडी।

(2) फिश फाइडर्स, जी पी एस आदि का उपयोग करने के बारे में मछुआरों को प्रशिक्षण।

(3) मत्स्यन पोतों पर कछुआ वर्जन उपायों (टीईडी) की स्थापना।

(4) मछुआरों को इन्सूलेटिड बाक्सों की आपूर्ति करना, आदि।

खारे पानी तथा ताजे पानी में श्रिम्प के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एमपीडा कुछेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जो निम्नानुसार हैं-

(1) नए फार्म के विकास के लिए सब्सिडी।

(2) नए श्रिम्प तथा स्कैम्पी उत्पत्तिशालाओं की स्थापना करने हेतु सब्सिडी।

(3) फार्मों निस्सारण उपचार प्रणाली की स्थापना करने हेतु सब्सिडी।

(4) उत्पत्तिशालाओं में पी सी आर लैबों (विषाणुजनित रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए) की स्थापना करने हेतु सब्सिडी।

(5) श्रिम्प फार्मों के लिए जल परीक्षण किटों को खरीदने के लिए सब्सिडी।

(6) फार्म क्षेत्रों के निकट चिल्ड रूम की स्थापना हेतु सब्सिडी।

(7) कृषकों का प्रशिक्षण तथा अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरा।

जलकृषि का संवर्धन करने के लिए एमपीडा द्वारा निम्नलिखित थ्रस्ट क्षेत्रों का पता लगाया गया है:-

(1) कृषि के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को लाना;

(2) नई जातियों का विविधिकरण; और

(3) जल कृषि को निम्नलिखित के माध्यम से सततधारणीय बनाना;

(4) अच्छे फार्म तथा स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा रोग निवारण तथा नियंत्रण।

(5) पर्यावरणीय प्रबंधन तथा परिस्थिति की अनुकूल खेती के तरीके।

इसके अतिरिक्त, समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए एमपीडा द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं; जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजनाएं; स्वच्छता तथा गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण संबंधी सुविधाओं का उन्नयन करने के उपाय, जल कृषि का विस्तार करना, रोगों के फैलाव को रोकने के लिए प्रबंधन की ठोस पद्धतियों को अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण देना; निर्यात हेतु मूल्यवर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करने हेतु सहायता देना, विपणन सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 1376 मिलि. अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन की आगामी बैठक हेतु कार्यसूची

***429. डा. वी. सरोजा:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 2003 में कन्कून, मैक्सिको में आयोजित की जाने वाली विश्व व्यापार संगठन की आगामी मंत्रीस्तरीय बैठक की कार्यसूची क्या है;

(ख) वे मुद्दे कौन से हैं जिन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है;

(ग) इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है;

(घ) इन मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त करने में भारत ने स्वयं को किस प्रकार तैयार किया है;

(ङ) कौन-कौन से देशों ने विकासशील देशों के हित का बचाव करने हेतु विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इन मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने का निर्णय लिया है; और

(च) इन मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त करने हेतु भारत सहित विकासशील देशों द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) कानकून (मैक्सिको) में 10 से 14 सितंबर, 2003 तक आयोजन के लिए निर्धारित डब्ल्यू टी ओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पांचवें सत्र के लिए कार्यसूची का अभी तक परिचालन नहीं किया गया है। तथापि, दोहा घोषणा पत्र में यथासमाविष्ट दोहा में मंत्रियों के निर्णय के अनुसार मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पांचवें सत्र में दोहा में अंगीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं की प्रगति का जायजा लेगा; कोई आवश्यक राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा; और यथाआवश्यक निर्णय लेगा। इसके अलावा चार तथाकथित सिंगापुर मुद्दों अर्थात् व्यापार एवं निवेश; व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा नीति; सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार सुगमीकरण के संबंध में कानकून में वार्ताओं की शुरूआत के लिए स्पष्ट सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) भारत दोहा कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मुद्दों पर चल रही वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। भारत ने इन वार्ताओं के दौरान लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि उक्त कार्यक्रम के विकास संबंधी आयाम को बनाए रखा जाना चाहिए और उसके प्रभाव को किसी भी किमत पर कम नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत वार्ताओं का संबंध है भारत की यह स्थिति है कि विकासशील देशों द्वारा बाजार पहुंच संबंधी आगे की वचनबद्धताएं सभी व्यापार-विकृतकारी घरेलू सहायता में महत्वपूर्ण कमी तथा सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों को समाप्ति पर निर्भर करती है। इसके अलावा, विकासशील देशों द्वारा बाजार पहुंच संबंधी वचनबद्धताओं में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों, विकास संबंधी आवश्यकताओं, खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत ने इस बात का ध्यान आकर्षित किया है कि वार्ताओं के अधिदेश में यह व्यवस्था है कि विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार कृषि संबंधी वार्ताओं के सभी तत्वों का अभिन्न अंग होगा।

गैर कृषि उत्पादों के बारे में भारत ने वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं जैसे अपने निर्यात हित के उत्पादों के लिए संवर्धित बाजार पहुंच का पुरजोर समर्थन किया है। भारत में कमी संबंधी वचनबद्धताओं के मामले में ''पूर्ण पारस्परिकता से कम'' के लिए प्रावधान करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सेवा संबंधी वार्ताओं में अत्यधिक हित प्रदर्शित करते हुए भारत ने प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन में और अधिक उदारीकरण के लिए कहा है।

तथाकथित सिंगापुर मुद्दों के संबंध में उनके महत्वपूर्ण पहलुओं पर डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के विचार अभी भी अलग-अलग हैं। तौर-तरीकों के संबंध में किसी भी निर्णय पर विचार करने से पहले और अधिक स्पष्टता अभिप्रेत है। दोहा में अधिदेशित स्पष्टता संबंधी प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए ताकि इसमें शामिल मुद्दों के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से समझा जा सके।

भारत सभी विकास संबंधी मुद्दों जैसे ट्रिप्स एवं लोक स्वास्थ्य; विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार के प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए विकसित तथा विकासशील देशों के भागीदारों के साथ द्विपक्षीय, सर्वपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर समन्वय कर रहा है ताकि कैनकुल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से सफल परिणाम हासिल किए जा सकें।

(ङ) और (च) दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र में दोहा में शुरू की गई वार्ताओं के लिए एक विकास लक्ष्य की व्यवस्था है। इस प्रकार सभी डब्ल्यू टी ओ सदस्य विकासशील देशों को विशेष और विभेदकारी व्यवहार प्रदान करके और विकासशील देशों के अनुकूल तकनीकी सहायता/क्षमता निर्माण कार्यक्रम के द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। भारत सम्पूर्ण वार्ताओं तथा इनसे निकलने वाले निष्कर्षों में इस फोकस को कामय रखने पर जोर देगा। डब्ल्यू टी ओ में विकासशील देशों द्वारा भारत के विचारों का समर्थन प्रत्येक मुद्दे पर अलग-अलग है।

समान विचारों वाले देशों का एक समूह जिसका भारत भी एक हिस्सा है, नियमित रूप से जेनेवा में अनौपचारिक रूप से बैठक करता है। विकासशील देशों के समूहों के बीच आयोजित बैठकों में नैरोबी में 28 मई, 2003 को पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका से व्यापार मंत्रियों की बैठक; ढाका में 31 मई—2 जून, 2003 तक आयोजित अल्प विकसित देशों के व्यापार मंत्रियों की दूसरी बैठक मारीशस में 19-20 जून, 2003 तक आयोजित अफ्रीकी संघ की बैठक; और ब्रुशेल्स में 31 जुलाई से 1 अगस्त, 2003 तक आयोजित ए सी पी व्यापार मंत्रियों की बैठक शामिल हैं। भारत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले विकासशील देशों के समान विचारों वाले समूह के व्यापार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अन्य विकासशील देशों के भी ट्रिप्स तथा लोक स्वास्थ्य, विकासशील

देशों के लिए विशेष तथा अलग प्रचार के व्यवहार; और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान तथा मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करारों के संबंध में चिन्ताओं; और काफी हद तक सिंगापुर मुद्दों जैसे विकास संबंधी मुद्दों पर सामान्यत: भारत के समान विचार हैं।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात प्रणाली में सुधार

***430. श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयात और निर्यात की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार लाने और इसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने हेतु व्यापक सुधार उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) 2002-07 तक की अवधि के लिए निर्यात एवं आयात नीति को 1 अप्रैल, 2002 से लागू किया गया था। इस नीति के मूलभूत उद्देश्य वैश्विक पण्य व्यापार का कम से कम 1 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के लिए देश से निर्यातों में सतत वृद्धि को सुकर बनाना तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती, संघटकों, खपत की जाने वाली वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं की पहुंच उपलब्ध कराकर सतत आर्थिक विकास को तेज करना और सेवाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गयी कार्यनीति में सौदा लागत को कम करना और नीति के कार्यान्वयन में अत्यधिक पारदर्शिता लाना शामिल है। 31 मार्च, 2003 को घोषित 2003-2004 के लिए एक्जिम नीति में नीति एवं प्रक्रियाओं में आगे और सुधार किया गया है।

एक्जिम नीति 2002-2007 को तैयार करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, वाणिज्य मंडलों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारिक नेताओं तथा अनुभवी व्यवसायिकों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और नीति को अंतिम रूप देने में उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

कच्ची सामग्री के आयात पर प्रतिबंध

***431. श्री रामजीलाल सुमन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संगमरमर उद्योग में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के आयात पर कतिपय प्रतिबंध है जबकि तैयार माल के आयात को प्रतिबंधों से छूट दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्व कार्य-निष्पादन के आधार पर कच्ची सामग्री का आयात करने हेतु केवल कुछ ही संस्थाओं को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार को संगमरमर उद्योग से संबंधित सभी आयात और निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) संगमरमर टाइलों जैसे तैयार उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को 1.4.2001 को हटा दिया गया था। चूंकि ऐसे प्रतिबंधों को और आगे "भुगतान संतुलन" के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तथापि, अपरिष्कृत संगमरमर ब्लाकों और स्लैबों के आयात पर प्रतिबंध जारी थे और इनके आयातों की विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 14.3.2002 के नीति संबंधी परिपत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अध्यधीन अनुमति है एक्जिम नीति के अंतर्गत आयातों और निर्यातों पर ऐसे प्रतिबंधों को एक्जिम नीति के पैरा 2.6 में सूचीबद्ध प्रतिबंधों के सिद्धान्तों पर अपनाया और लागू किया जा सकता है।

संगमरमर के अपरिष्कृत ब्लाकों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए औद्योगिक एसोसिएशनों और व्यक्तिगत पक्षकारों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों पर विधिवत् विचार करने और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में पूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए।

[अनुवाद]

रीसर्जेंट इंडिया बांड

***432. श्री खारबेल स्वाइं:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रीसर्जेंट इंडिया बांड में जमा की मोचन धनराशि कितनी है;

(ख) क्या उक्त बांड के जमाकर्त्ता धनराशि को वापस ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) ऐसी स्थिति का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) अनुमान है कि रीसर्जेंट इंडियाबांडों के मूलधन तथा ब्याज की वापसी के लिए 5.5 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

(ख) ये बांड पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय हैं तथा जमाकर्त्ताओं के पास राशि निकालने या उसी राशि का अन्य स्कीमों में पुनर्निवेश करने का विकल्प है।

(ग) चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त वायदा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, इसलिए हमारे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों पर बांडों के मोचन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार अंतर

*433. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जून, 2003 तक भारत के आयात-निर्यात की कुल मिलाकर स्थिति क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन वस्तुओं/क्षेत्रों के आयात व निर्यात में वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान आयात में अचानक हुई वृद्धि से देश का व्यापार अंतर बढ़ा है जो कि पिछले कुछ वर्षों से वहनीय सीमा के अंदर बना हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयात में हुई अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में निर्यात में वृद्धि करने और आयात में कमी लाने तथा व्यापार अंतर को वहनीय सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पण्य वस्तुओं के संबंध में भारत के निर्यात-आयात की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:-

मिलियन अमरीकी डालर

	2000-01	2001-02	2002-03(अ)	2003-04(अ) अप्रैल-जून
निर्यात	44560	43827	52234	13147
आयात	50536	51413	61286	17329

अः अनन्तिम आंकड़े

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बागान क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है। आयातों की प्रमुख मदें, जिनकी वृद्धि दर अधिक रही है, पैट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक, मशीनें, कीमती और कम कीमती पत्थर इत्यादि हैं। आयात की वे प्रमुख मदें जिनमें गिरावट आई है, उर्वरक एवं परियोजना सामान हैं।

(ग) और (घ) अप्रैल-जून, 2003-04 के दौरान व्यापार अंतर अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान हुए (-) 180 मिलियन अमरीकी डालर और अप्रैल-जून 2001-02 में हुए (-) 2430 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में (-) 4182 मिलि. अमरीकी डालर का रहा है। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान व्यापार अंतर में वृद्धि तेल और गैर-तेल आयात दोनों के वृद्धि के कारण है। जबकि इनमें से कुछ अनिवार्य आयात हैं, अन्य मदों की आवश्यकता निर्यात उत्पादन और घरेलू औद्योगिक उत्पादन के लिए होती है।

(ङ) जनवरी 2002 में घोषित की गयी मध्यावधि निर्यात कार्यनीति 2002-07 में शामिल नीतियों के आधार पर केन्द्रीय बजट, 2003-04 और एक्जिम नीति, 2003-04 के जरिए अनेक कार्यक्रम/स्कीमें आरंभ की गयी हैं। एक्जिम नीति 2003-04 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) 100% निर्यात अभिमुख इकाइयों (ई ओ यू) को सुदृढ़ करने आदि के लिए नीतियां तैयार की गयी हैं। फोकस सीआईएस नामक एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली निविष्टियों के आयात के

लिए शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीम को सुदृढ़ किया गया है। सरकार का सतत प्रयास होने के कारण निर्यात संवर्धन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और निर्यात बढ़ाने और व्यापार अंतर को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 में निर्यात अभी तक सबसे अधिक 52.2 बिलियन अमरीकी डालर तक हो गए जिनमें डालर के अनुसार 19.20 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी। अप्रैल-जून, 2003-04 में निर्यात वृद्धि दर डालर के अनुसार 11.06 प्रतिशत की थी।

[हिन्दी]

फरार कंपनियां

***434. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 185 निजी कंपनियां, जिन्होंने शेयर में 'पब्लिक इश्यू' जारी किया था, आम निवेशकों के 1150 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सभी कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा देय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत इन फरार कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने उक्त कंपनियों द्वारा शेयर जारी करने के समय उनके कार्यकरण के संबंध में समुचित आकलन करवाया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या 'सेबी' ने अपने आकलन के पश्चात, इन कंपनियों के दावों में पाई गई कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उनको बाजार में अपना शेयर जारी करने की अनुमति दी थी;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सेबी के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कंपनियों के नाम तथा निर्गम का आकार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कंपनी अधिनियम की धारा 62, 63, 68 तथा 628 के तहत 149 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किए गए हैं। सांविधिक विवरणियां न दायर करने के लिए 142 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 50 मामलों में प्राथमिकी दायर की गई है।

(घ) और (ङ) पूंजी निर्गम तथा उससे जुड़े मामले कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। वर्ष 1992 के पश्चात सार्वजनिक निर्गम जारी करने वाली कंपनियों द्वारा तत्कालीन सेबी (प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देशों में सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना भी अपेक्षित था। उस समय लागू सांविधिक अपेक्षा के अनुसार, मसौदा विवरणिका की एक प्रति विधीक्षा हेतु सेबी के पास दायर की जाती थी ताकि 1992 के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(च) और (छ) भाग (घ) और (ङ) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

फरार कंपनियों की सूची

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निर्गम का आकार
1	2	3
1.	आशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्ववर्ती आशी फार्माकेम लिमिटेड)	5.52
2.	एक्मे स्पिनर्स लिमिटेड	2.58
3.	आदित्य अल्कालायड्स लिमिटेड	3.55
4.	एडवांस वायो कोल (इंडिया) लिमिटेड	4.87
5.	एल्प्स मोटर फायनेंस लिमिटेड	2.44
6.	एमी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	3
7.	एमीगो एक्सपोर्टस लिमिटेड	3.3
8.	अंकुश फिनस्टाक लिमिटेड	3
9.	एक्वा डेव इंडिया लिमिटेड	8.3
10.	एरो सिक्यूरिटीज़ लिमिटेड	4.75
11.	एशियन इंडस्ट्रीज एंड सिक्यूरिटीज़ एस ए लिमिटेड	4.6

1	2	3
12.	आरीफेरस एक्वा फार्म्स लिमिटेड	7.05
13.	एवो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.34
14.	ए वी आर सिक्यूरिटीज	2.47
15.	अम्बुजा जिंक लिमिटेड	2.14
16.	एशियन वेजप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7.09
17.	आरोमा कोक लिमिटेड	4.29
18.	बाफना स्पिनिंग मिल्स एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड	18.42
19.	ब्राहुमा पोलीटेक्स लिमिटेड	3.7
20.	भावना स्टील कास्ट लिमिटेड	2.1
21.	बिग स्टार फिल्म लिमिटेड (पूर्ववर्ती मनहोल्डिंग्स एंड क्रेडिट्स लिमिटेड)	2.69
22.	ब्लासम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्ववर्ती ब्लासम ब्रूरोज लिमिटेड)	14.6
23.	ब्रेक्स आटो इंडिया लिमिटेड	3.73
24.	बचत इन्वे. एंड फायनेंस लिमिटेड	2.2
25.	बोध गया सिरेमिक्स लिमिटेड	0.49
26.	काल्डिन एयरकान लिमिटेड	4.45
27.	कनरा क्रेडिट्स लिमिटेड	2.49
28.	केयरवेल हाइजीन लिमिटेड	2.49
29.	कावेरी साफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम्स लिमिटेड	6.5
30.	चार्म्स इंडस्ट्रीज (पूर्ववर्ती चार्म्स सिरेमिक्स लिमिटेड)	3.75
31.	चिराऊ फायनेंस लिमिटेड	3.24
32.	सिल्पन फायनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2.51
33.	सिटीजन यार्नस लिमिटेड	2.2
34.	क्रेस्टवर्ल्ड मेरीन्स लिमिटेड	4.38
35.	क्रोमाकेम लिमिटेड	3
36.	सिल्सन आर्गेनिक्स लिमिटेड	8
37.	डेनिम लेदर्स लिमिटेड	4.75

1	2	3
38.	डेकन पेट्रोलियम लिमिटेड	4.57
39.	डी कर्त्तव्य फायनेंस लिमिटेड	4.05
40.	डेनमूर फैक्स रोल्स लिमिटेड	10.21
41.	ध्रुव माखन इंडिया लिमिटेड	7.35
42.	हवनिल कैमिकल्स लिमिटेड	5.84
43.	डोवर सिक्यूरिटीज लिमिटेड (पूर्ववर्ती दाईवा-सिक्यूरिटीज लिमिटेड)	2
44.	एफकान सिक्यूरिटीज लिमिटेड	5.45
45.	इलेक्ट्रो फ्लेम लिमिटेड	3.5
46.	एस्के टेलीकाम लिमिटेड	3
47.	फिनटेक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	4.1
48.	फ्लोरा वालकवरिंग लिमिटेड	5.82
49.	फ्रंटलाइन फायनेंशल सर्विसेज लिमिटेड	4.43
50.	जेनविन कमोडिटीज डेवलपमेंट कारपोरेशन	2.68
51.	गिरीश होटल्स रिजार्टस एंड हेल्थ फार्मस लिमिटेड	2.59
52.	ग्लोबल ब्लूम्स इंडिया लिमिटेड	2.1
53.	ग्लोबल एक्जीबिशन्स	4.45
54.	ग्लोबल प्रापर्टी लिमिटेड	4.25
55.	गोगा फूट्स लिमिटेड	4.21
56.	ग्रिव्स होटल्स लिमिटेड (नाम बदलकर केडिया इन्फोटेक लिमिटेड किया गया है)	4.98
57.	ग्रोथ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5.4
58.	गाजी सिक्यूरिटीज लिमिटेड	4.8
59.	ग्लोबल फायनेंस कार्पो. लिमिटेड (पूर्ववर्ती सिद्ध ग्लोबल इक्विटी लिमिटेड	4.5
60.	ग्रापको माइनिंग कंपनी लिमिटेड	4.77
61.	गुजरात बोनान्जा आटो एंड स्टील रोलिंग लिमिटेड	5.4
62.	हालमार्क ड्रग्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड	7

1	2	3
63.	हरी पर्वत मेरी लैड एंड रिजार्टस लिमिटेड	2.85
64.	हिन्दुस्तान टूल्स एंड फोर्जिंग्स लिमिटेड-III	5.96
65.	हाईटेक वाइंडिंग सिस्टम्स लिमिटेड	3.84
66.	हितेश टेक्सटाईल मिल्स	7.48
67.	हाफलैंड इन्वे. लिमिटेड (पूर्ववर्ती वाडरा इन्वे. लिमिटेड)	2.90
68.	हार्बर नेटवर्क्स सिस्टम्स लिमिटेड	4.69
69.	हाईटेक ड्रग्स लिमिटेड	3.23
70.	आईसीपी सिक्यूरिटीज	2.34
71.	इंटेग्रेटिड एम्यूजमेंट लिमिटेड	8.38
72.	इंचाकलंजी सोया लिमिटेड	2
73.	इंटरएक्टिव फायनेंशल सर्विसेज लिमिटेड	1.85
74.	ईशान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेल्टर्स लिमिटेड	6.1
75.	कल्याणी फायनेंस लिमिटेड	3.2
76.	कामाक्षी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड	5.71
77.	कायास्वी एजुकेशन लिमिटेड	4.15
78.	केसर ग्रीनफोल्ड लिमिटेड	5.69
79.	कीव फायनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती कीव इन्वे. एंड प्रोप. लिमिटेड)	12
80.	कॉमे आन कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	4.51
81.	लक्ष्य सिक्यूरिटीज लिमिटेड	3.24
82.	लिंफा लैब. लिमिटेड	3.35
83.	लियोन्स इंडस्ट्रियल एस्टेट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पूर्ववर्ती लियोन्स रेंज फायनेंस लिमिटेड)	6.37
84.	मा कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड	1.44
85.	मा लोफिन एंड कैपिटल लिमिटेड	4.35
86.	मध्यवर्त एक्सोइल लिमिटेड	2.3
87.	महा केमिकल्स लिमिटेड	3.83
88.	मेरिन कार्गो कंपनी लिमिटेड	3.41
89.	मिडवेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	6.3
90.	मोबाइल टेलिकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	11.53
91.	मदर केयर इंडिया लिमिटेड	3.54
92.	मानव फार्मा लिमिटेड	5.3
93.	मृग फार्माश्यूटिकल्स लिमिटेड	3.5
94.	नागार्जुना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नागार्जुना जियो मैरिन्स लिमिटेड)	2.73
95.	नवक्कराय स्पिनर्स लिमिटेड	3.16
96.	निलकेम कैपिटल लिमिटेड	7.1
97.	नोवा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लिमिटेड	14.27
98.	न्यूलाइन ग्लासवेयर इंडिया लिमिटेड	6.78
99.	नैसर्गिक एग्रीटेक (इंडिया) लिमिटेड	4.66
100.	नेचुरो पेस्ट लिमिटेड	4.84
101.	निशु फिनकैप लिमिटेड	4.25
102.	ओशन निट्स लिमिटेड	2.61
103.	ओरियंटल रिमेडीज एंड हर्बल्स लिमिटेड	1.88
104.	उड़ीसा ल्यूमिनरीज लिमिटेड	4.95
105.	पी.के. वडुवम्मल फायनेंस लिमिटेड (नोवल फायनेंस लिमिटेड)	1.5
106.	पंग्गो एक्सपोर्टस लिमिटेड	2.47
107.	पप्पीलान एक्सपोर्टस लिमिटेड	11
108.	परीक्षा फिनवेस्ट लीज लिमिटेड	2.48
109.	पाटलिपुत्र क्रेडिट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड	7.49
110.	पाइमेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड	2.48
111.	प्रीमियर एकवा फार्मस लिमिटेड	5.3
112.	प्रीज्म फूड्स लिमिटेड	3.75
113.	पर्थ इंड्स लिमिटेड	3.05
114.	पशुपति केबल्स लिमिटेड	11.95
115.	परफेक्ट वीवर्स लिमिटेड	4.68

1	2	3
116.	प्राइंम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	6
117.	प्रोटेक सर्किट ब्रेकर्स लिमिटेड	2
118.	प्रोटेक स्विचगियर्स लिमिटेड	2
119.	क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1.93
120.	राजगढ़ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3.05
121.	रैंक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5.2
122.	रेमेड लैब्स लिमिटेड	3.52
123.	रेडी फूड्स लिमिटेड	19.6
124.	रहिनो टायर्स लिमिटेड	9.59
125.	रिच कैपिटल एंड फाईनेन्सियल लिमिटेड	5.74
126.	रिजवी एक्सपोर्टस लिमिटेड	3.65
127.	रायस मैरीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड	7.61
128.	राहिल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड	7.91
129.	राजाधिराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.5
130.	रियलटाइम फिनलीज लिमिटेड	3.75
131.	रूसांडे एंड कंपनी लिमिटेड	0.94
132.	एस.एस.के. फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड	2
133.	साइं गृह फाइनेंसिज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	4.05
134.	साईमोह आटो लिंक्स लिमिटेड	2.6
135.	संजेओ सर्विसेज लिमिटेड	4.66
136.	सीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.56
137.	सेल्फरिज आटोमोबाइल लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.82
138.	शक्ति फ्लावर्स एंड टिशूज लिमिटेड	3.3
139.	शेफाली पेपर्स लिमिटेड	2.57
140.	श्याम प्रिंट्स एंड पब्लिशर्ज लिमिटेड	2.25
141.	सिद्धार्थ फार्माकैप लिमिटेड	12
142.	सिम्प्लैक्स होल्डिंग लिमिटेड	2.27
143.	सदर्न हर्बल्स लिमिटेड	5.11
144.	एसपीआईएल फाइनेंस लिमिटेड	5.7
145.	एसएसपी पोलिमर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3.24
146.	स्टार इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	2.47
147.	स्टार एक्जिम लिमिटेड	2.76
148.	स्टर्लिंग काक्स एंड ब्रिक्स लिमिटेड	4.44
149.	सुखचैन सीमेंट्स लिमिटेड	3.65
150.	सनराईज ओलियो कैमिकल्स लिमिटेड	6.26
151.	सूरज स्टोन कार्पोरेशन लिमिटेड	6.75
152.	स्वर्णिमा आयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.6
153.	साकेत एक्सट्रूजंस लिमिटेड	2.13
154.	शिवम् अपेरल्स एक्सपोर्ट लिमिटेड	4.45
155.	श्री नीलाचल लेबोरेट्रीज लिमिटेड	3.15
156.	श्री सरगोविंद ट्रेडलिंक लिमिटेड	3.75
157.	श्री वैष्णवी डाईंग एंड प्रिंटिंग लिमिटेड	3.24
158.	श्री याक्स फार्मा. एंड कास्मैटिक्स लिमिटेड	6.06
159.	श्री जी डायकैम लिमिटेड	1.94
160.	श्री महालक्ष्मी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स लिमिटेड	5.09
161.	शुभम् ग्रेनाईट्स लिमिटेड	12.29
162.	साउथ एशियन मशरूम्स लिमिटेड	6.1
163.	स्पार्कल फूड्स लिमिटेड	5
164.	सुपर डोमेस्टिक मशीन्स लिमिटेड	5.55
165.	सुशील पैकेजिंग्स (इंडिया) लिमिटेड	4.52
166.	स्विस्तिक नाइट्रो एरोमैटिक्स लिमिटेड	2.1
167.	टैक्टफुल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3.29
168.	टापलिन शूज लिमिटेड	7.8
169.	तीर्थ प्लास्टिक्स लिमिटेड	5.03
170.	टस्कान एक्सपोर्टस लिमिटेड	19.85

1	2	3
171.	यूनिकोर्न फार्मास्यूटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	8.38
172.	यूनिवर्सल वीटा एलीमेंटैयर लिमिटेड	1.8
173.	वत्स इन्फोटेक लिमिटेड (पूर्ववर्ती धारीसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड/पीपल एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड, ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड)	2.65
174.	वत्स वर्ल्ड लिमिटेड (एकेए आनगोइंग एडवरटाईजिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड/लिटिल किंगडम वर्ल्ड लिमिटेड)	5.09
175.	वरमानी स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड	4.25
176.	विडियानी एग्रोटेक लिमिटेड	39.95
177.	विनी मेरास्पिन स्टील्स लिमिटेड	11.32
178.	विजन टेक्नोलाजी इंडिया लिमिटेड	4.09
179.	विपुल सिक्यूरिटीज लिमिटेड	3
180.	वेल्कम क्वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6.66
181.	विनफार्म एग्रो. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.99
182.	वाकर इंडिया लिमिटेड	3.75
183.	वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	232.6
184.	जेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2.8
185.	जोडिएक सीमेंट्स लिमिटेड	7.43
	जोड़	1156.3

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यकरण

***435. श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों/प्रवर्तकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव को राज्य-वार किस तारीख को अनुमोदित किया गया था;

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रों, विशेषकर उड़ीसा में पारादीप और गोपालपुर में इनके कार्यशील न होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के किस तारीख से कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को शीघ्र कार्यशील बनाने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों/प्रोन्नायकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के लिए दिए गए अनुमोदन के राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरे निम्नांकित हैं:

क्र.सं.	स्थान	संवर्धक का नाम	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4
1.	पोसित्रा (गुजरात)	गुजरात पोसित्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	3.7.2000 (सिद्धांतत:) 15.2.2002 (औपचारिक अनुमोदन)
2.	इंदौर (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2.1.2002 (सिद्धांतत:) 27.11.2002 (औपचारिक अनुमोदन)
3.	नवी-मुंबई (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको)	5.5.2000 (सिद्धांतत:) 15.2.2002 (औपचारिक अनुमोदन)

1	2	3	4
4.	ननगुनेरी (तमिलनाडु)	तमिलनाडु सरकार	28.9.2000 (सिद्धांतत:)
5.	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश सरकार	26.9.2000 (सिद्धांतत:)
6.	गोपालपुर (उड़ीसा)	उड़ीसा सरकार	19.3.2001 (सिद्धांतत:)
7.	हसन (कर्नाटक)	कर्नाटक सरकार	18.6.2001 (सिद्धांतत:) 8.8.2003 (औपचारिक अनुमोदन)
8.	कल्पी (पश्चिम बंगाल)	पश्चिम बंगाल सरकार	23.5.2000 (सिद्धांतत:)
9.	साल्ट टेक (कोलकाता)	पश्चिम बंगाल सरकार	7.11.2001 (सिद्धांतत:) 13.8.2003 (औपचारिक अनुमोदन)
10.	भदोइ (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश सरकार	19.9.2000 (सिद्धांतत:)
11.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश सरकार	2.1.2002 (सिद्धांतत:)
12.	ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश सरकार	19.6.2001 (सिद्धांतत:)
13.	मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड	27.11.2002 (सिद्धांतत:) 27.6.2003 (औपचारिक अनुमोदन)
14.	पारादीप (उड़ीसा)	उड़ीसा सरकार	2000 (सिद्धांतत:)
15.	वल्लापरदम/पुथुवेपीन (केरल)	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	27.11.2002 (सिद्धांतत:)
16.	काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)	काकीनाडा सीपोर्टस लिमिटेड	27.11.2002 (सिद्धांतत:)
17.	खोप्टा (महा मुंबई-महाराष्ट्र)	गुजरात पोसित्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	27.11.2002 (सिद्धांतत:) 8.8.2003 (औपचारिक अनुमोदन)
18.	सीतापुर (राजस्थान)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम	17.3.2003 (सिद्धांतत:) 21.5.2003 (औपचारिक अनुमोदन)
19.	जोधपुर (राजस्थान)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम	22.5.2003 (सिद्धांतत:) 22.7.2003 (औपचारिक अनुमोदन)
20.	दाहेज (गुजरात)	गुजरात अवसंरचना विकास निगम	8.8.2003 (सिद्धांतत:)
21.	येकम्पाडी (कर्नाटक)	कनारा वाणिज्य एवं उद्योग मंडल	8.8.2003 (सिद्धांतत:)

(ग) से (ङ) ग्रीन फील्ड एस ई जेड की स्थापना अधिकांशतः राज्य सरकारों के सहयोग से निजी क्षेत्र में की जा रही है और ये लम्बी परिपक्वता अवधि वाले बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के स्वरूप के हैं। स्थापना के लिए अनुमोदित 21 एस ई जेडों में से इंदौर (मध्य प्रदेश) साल्टलेक, कोलकाता (प. बंगाल) तथा जयपुर (राजस्थान) स्थित एस ई जेड प्रचालन के लिए तैयार हैं। जहां तक गोपालपुर का संबंध है, उड़ीसा सरकार अपनी प्रमुख एजेंसी, उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (इडको) के जरिए प्रमुख संवर्धन तथा सुविधाप्रदाता है। मै. टाटा आयरन एवं स्टील लिमि. (टिस्को) ने एक संयुक्त उद्यम के भागीदार के रूप में एस ई जेड उद्यम में रुचि दिखाई है। एस ई जेड के कार्यनीतिक विकासकर्त्ता विपणन का चयन कार्य एस पी वी के गठन के पश्चात् अक्तूबर 2003 के अंत तक आरंभ होने की आशा है। पारादीप के संबंध में राज्य सरकार डुबुरी में इस एस ई जेड के स्थान परिवर्तन की संभावना पर विचार कर रही है जो पारादीप पत्तन से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसके लिए पर्याप्त अधिग्रहित भूमि उपलब्ध है।

चूंकि एस ई जेडों को निजी/संयुक्त क्षेत्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, अतः विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा कार्य शुरू करने की संभावित समय सीमा बताना संभव नहीं है। तथापि इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरे करने के लिए राज्य सरकार/एस ई जेड के प्रोन्नायकों के साथ वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। एस ई जेडों के संवर्धन के लिए हाल में उठाए गए कुछेक कदमों में विकास के लिए माल के शुल्क मुक्त आयात घरेलू खरीद एस ई जेड तथा उसमें स्थित यूनिटों के प्रचालन तथा रख-रखाव मान्यता प्राप्त बैंकिंग माध्यमों से किसी परिपक्वता प्रतिबंध के बिना बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना, एस ई जेडों में उपतटी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की सुविधाएं एस ई जेड विकासकर्त्ता तथा इकाइयों को सेवाकर से छूट घरेलू टैरिफ क्षेत्र से इस ई जेडों को की गई बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्रीकर से छूट, एस ई जेड के विकासकर्त्ताओं को पहले पंद्रह वर्षों में दस वर्षों के लिए आयकर से छूट, पांच वर्ष के लिए आयकर का अवकाश, दो वर्षों के लिए कर से छूट और एस ई जेड इकाइयों द्वारा तीन वर्ष के लिए अर्जित लाभों में से 50% के पुनर्निवेश तथा पत्तन विमानपत्तन आधारित एस ई जेडों के लिए 1000 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षा से छूट शामिल हैं।

खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क

***436. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल उद्योग और व्यापार के केन्द्रीय संगठन और खाद्य तेल उद्योग से जुड़े कई अन्य संघों ने सरकार से परिष्कृत पाम तेल के आयात पर सीमा शुल्क में यथास्थिति बनाए रखने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्य तेलों के संबंध में सीमा शुल्क ढांचे की जांच की थी और यह निर्णय लिया गया था कि इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए;

(ग) यदि हां, तो आर.बी.डी. पाम तेल और आर.बी.डी. पामोलीन पर शुल्क कम किए जाने की घोषणा के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थानीय उद्योग और खाद्य तिलहनों के किसानों पर तत्संबंधी क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस वर्ष की बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में और फिर वित्त विधेयक, 2003 पर विचार करने के स्तर पर, खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क ढांचे की जांच की गई थी। परिष्कृत पाम तेलों को उतारने की लागत को कम करने और घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए आर.बी.डी. पाम तेल/पामोलीन पर सीमा शुल्क को 30 अप्रैल, 2003 से 92.4% (85% मूल सीमा शुल्क + 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क) से कम करके 70% (70% मूल + शून्य विशेष अतिरिक्त शुल्क) कर दिया गया था।

(घ) सीमा शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में आर.बी.डी. पामोलीन की कीमतें स्थिर हो गई हैं। परिष्कृत पाम तेलों के आयातों में भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब तक की प्रवृत्ति से स्थानीय उद्योग और तिलहन उगाने वाले किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संकेत नहीं मिलते हैं।

विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल परपज व्हीकल) का गठन

***437. श्रीमती प्रभा राव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के बजाय अन्य देशों से प्रत्यक्षतः ऋण प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल परपज व्हीकल) गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभुतासंपन्न बंधपत्रों के जरिए उधार ली जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है और विदेशों से धन उधार लेने के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों से उधार लिए जाने वाले धन में से अपशिष्ट पूल मुद्रा ऋण का पूर्व संदाय करने का है; और

(ङ) विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी वित्तीय संस्थानों को ऋण की कुल कितनी धनराशि का पूर्व संदाय किया जाना आवश्यक है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों की अच्छी स्थिति और कम घरेलू ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऊंची लागत वाले कुल लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के ऋणों का परिपक्वता-पूर्व वापसी-भुगतान किया। भारत सरकार का इरादा इस नीति को जारी रखने का है।

(ङ) 31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी खाते में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों और द्विपक्षीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

सारणी

वित्तीय संस्था	31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण (बिलियन अमरीकी डालर में)
1. विश्व बैंक	25.49
2. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	1.71
3. अन्तरांष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	0.26
4. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी)	0.04
5. पेंट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)	0.02
6. द्विपक्षीय सहायता	14.05
जोड़	41.57

वस्त्र मिलों का बंद किया जाना

***438. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान राज्य-वार कितनी वस्त्र मिलों को बंद किया गया;

(ख) इन मिलों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन मिलों को बंद करने से मिल-वार कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इन बंद मिलों को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान देश में बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र (गैर-लघु उद्योग) मिलों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	6
2.	असम	1	1
3.	गुजरात	2	5
4.	हरियाणा	5	3
5.	जम्मू व कश्मीर	1	0
6.	कर्नाटक	2	1
7.	केरल	1	2
8.	मध्य प्रदेश	1	0
9.	महाराष्ट्र	1	0
10.	उड़ीसा	3	1
11.	पंजाब	3	6
12.	राजस्थान	4	1

1	2	3	4
13.	तमिलनाडु	11	10
14.	उत्तर प्रदेश	1	0
15.	पश्चिम बंगाल	2	3
16.	उत्तरांचल	1	0
17.	पांडिचेरी	0	1
18.	मणिपुर	0	1
	कुल	42	41

(ख) और (ग) मिलों के बंद होने के कारण और उपर्युक्त वस्त्र मिलों के बंद होने से प्रभावित कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	कारण	2001-02		2002-03	
		मिलों की संख्या	प्रभावित कामगार	मिलों की संख्या	प्रभावित कामगार
	वित्तीय कठिनाइयां	21	10698	19	9649
2.	श्रमिक हड़ताल	3	1466	3	909
	तालाबंदी	2	203	5	3177
4.	अन्य	16	7234	14	4015
	कुल	42	19601	41	17750

(घ) से (च) सरकार ऐसी नीति व्यवस्था लागू करना चाहती है जिसमें उद्योग की उन्नति और विकास सुगम हो सके। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों में समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीईआएफआर) की स्थापना करना आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करता रहता है जिनमें औद्योगिक पुनर्स्थापना के सभी क्षेत्र अर्थात् प्रारंभिक चरण में औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना, रुग्ण/कमजोर एककों की पहचान करना, केवल अर्थक्षम एककों को रियायतें और राहत देने की अपेक्षा एककों का अर्थक्षमता-अध्यन करना, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा स्वयं बैंकों में समन्वय स्थापित करना, प्रवर्तक के अंशदान के लिए मानदंड बनाना, ऋणों के पुनर्भुगतान/पुनर्निर्धारण की अवधि बढ़ाना, पैनल दर/चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन करना और छोड़ना आदि शामिल है।

जब स्वस्थ एकक रुग्ण एककों को अधिग्रहीत करते हैं तब उनको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72ए के अंतर्गत आयकर के लाभ प्रदान किए जाते हैं। कर लाभ संचित घाटों की अग्रेणीत राशि और समामेलन के बाद रुग्ण कंपनियों के अनियोजित मूल्यह्रास के रूप में होता है। बीआईएफआर ऐसा मंच प्रदान करता है जहां संबंधित एजेंसियों को रुग्ण औद्योगिक एकक का पुनरुद्धार करने अथवा अन्य कोई कार्रवाई करने के लिए उचित निर्णय लेने, विश्लेषण करने तथा उसका पता लगाने के लिए एक ही मंच पर एक साथ लाया जाता है।

राज्य वित्त संबंधी समिति

***439. श्री नरेश पुगलिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पेंशन के लिए धन उपलब्ध कराने के कारण विभिन्न राज्यों पर बढ़ते बोझ की समीक्षा करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की पेंशन संबंधी देयताओं का अध्ययन करने के लिए एक ग्रुप का गठन किया है। यह ग्रुप कर्नाटक सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री बी.के. भट्टाचार्य की अध्यक्षता में कार्य करेगा तथा आठ राज्य सरकारों के वित्त सचिव, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि तथा कुछ विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।

इस ग्रुप को विचारार्थ विषय में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में प्रचलित मौजूदा पेंशन स्कीम का अध्ययन करना, राज्य सरकारों की पेंशन अदायगी संबंधी प्रवृत्तियों एवं उनकी राजकोषीय अड़चनों की समीक्षा करना तथा राज्यों को उनकी बढ़ती हुई भावी पेंशन देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए निधियन व्यवस्थाओं के संबंध में उपयुक्त मेकेनिज्म का सुझाव देना अपेक्षित है।

वस्त्रों का निर्यात

*440. श्री के. ई. कृष्णमूर्तिः
श्री इकबाल अहमद सरडगीः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वस्त्रों के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति के आकलन हेतु हाल में वस्त्र निर्यात के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-2003 के दौरान वस्त्रों का निर्यात 11842.2 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 2001-2002 में वस्त्रों का निर्यात 10764.7 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था। इस प्रकार इसमें 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) सरकार वस्त्र निर्यात संबंधी स्थिति पर सतत आधार पर निगरानी रख रही है। इस संबंध में निर्यात लक्ष्यों की तुलना में विभिन्न वस्त्र उप क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों, पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) और कयर बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ, 6 मार्च, 2003 को एक बैठक की। इस बैठक में वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2003-2004 के लिए वस्त्र और क्लोदिंग उत्पादों के वास्ते 16,310 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करने के प्रति सहमति दी।

(घ) सरकार वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही सरकार ने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दी है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गई है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गई है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), वस्त्र उद्योग विशेषकर डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में अपैरल की कुशल मानव शक्ति संबंध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवा सके।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक योजना शुरू की गई है।

आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर का देय उत्पाद शुल्क

3855. श्री प्रियरंजन दासमुंशीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आई टी सी और हिंदुस्तान लीवर पर 1987 से आज तक कुल कितना उत्पाद शुल्क बकाया है;

(ख) कंपनियों द्वारा न्यायालय में राहत हेतु कितनी राशि पर आपत्ति उठाई गई है; और

(ग) विवादों की आज तक की क्या प्रगति है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

3856. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब नैशनल बैंक में पिछले तीन वर्षों से आज की तिथि तक, जिन कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन आश्रितों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर समुचित रोजगार दिया गया है;

(ग) उन आश्रितों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है; और

(घ) इन्हें अनुकम्पा के आधार पर कब तक रोजगार उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1999 से 2003 तक (दिनांक 13.8.2003 तक) की अवधि के दौरान सेवा काल के दौरान उसके 834 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। उपर्युक्त में से 377 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई है। 425 मामलों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपात्र पाया गया है।

आवेदकों से आस्तियों, देयताओं, परिवार की आय आदि के बारे में अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण शेष 32 आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

शराब का आयात

3857. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के हाल ही के आदेश के अनुसार तीन सितारा और अन्य होटल अपने 5 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जन से विदेशी शराब का शुल्क मुक्त आयात कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा एक या दो सितारा होटलों और अन्य रेस्ताराओं को उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सुविधा को एक और दो सितारा होटलों और रेस्त्राओं को उपलब्ध कराने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने एक ऐसी स्कीम सूत्रबद्ध की है जिसमें सेवा उपलब्ध कराने वालों को फालतू पुर्जों का आयात करने, कार्यालय एवं फर्नीचर, व्यावसायिक उपकरणों एवं उपभोज्यों हेतु शुल्क मुक्त ऋण अधिकार की अनुमति प्रदान की गयी है। ऐसे होटलों के मामले में (3 स्टार और अधिक) जो पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध और पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत हों, ऐसा शुल्क मुक्त अधिकार उनके द्वारा अर्जित औसतन विदेशी मुद्रा का 5% है बशर्ते कि सेवा उपलब्ध कराने वालों की विदेशी मुद्रा/आय पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में 10 लाख रुपए से अधिक हो।

[हिन्दी]

कर प्रणाली का सरलीकरण

3858. श्री पदम सेन चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में करदाताओं को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से कर प्रणाली को सरल और सुचारू बनाने हेतु कई निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्व विभाग की छवि सुधारने और शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए लोकपाल नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) कर कानून का औचित्यीकरण और सरलीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि कर कानूनों में ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो उपभोक्ता के हित में हों और करदाताओं को परिहार्य परेशानी से बचाएं। इनमें शामिल हैं निर्धारितियों द्वारा

स्व-निर्धारण को शुरूआत से अधिकारियों के साथ निर्धारितियों के सम्पर्क में पर्याप्त कमी, अधिकतम खुदरा कीमत आधारित निर्धारण का विस्तार, विवादों के समाधान के लिए निपटान आयोग की स्थापना, बड़े सीमा स्टेशनों में 'इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम' की शुरूआत, निर्यात पर शुल्क की प्रति-अदायगी का शीघ्रता से संवितरण, सरलीकृत आयकर विवरणियों की शुरूआत, कर्मचारियों की ओर से नियोक्ताओं द्वारा विवरणियों को इकट्ठे फाइल करने की योजना, मध्यवर्तियों के माध्यम से आयकर विवरणियों को इलैक्ट्रानिक रूप से दायर करना संभव बनाना, 'संपर्क' योजना के द्वारा विवरणियों को आसानी से तैयार करने के लिए साफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध कराना; समयबद्ध तरीके से (धन) वापसियां जारी करके प्रदान की गई बेहतर करदाता सेवा, क्लीयरेंस प्रमाणपत्रों की अपेक्षा की समाप्ति, आदि।

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, करदाताओं की शिकायतों का अधिक प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए आयकर-लोकपाल की नियुक्ति करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) चूंकि प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है, इसलिए प्रत्यक्ष करों के संबंध में सुनिश्चित समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

3859. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31.7.2003 के इंडियन एक्सप्रेस में "इंडिया नाट फिट फार फोरेन इनवेस्टमेंट" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31 जुलाई, 2003 के "इंडियन एक्सप्रेस" में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की सूचना दी गई है। अध्ययन में यह निष्कर्ष दिया गया है कि भारत कई उद्योगों के लिए किफायती स्थान होने के बावजूद यहां की परिवहन संबंधी असुविधाएं और आधार ढांचा लागतें अन्य अनेक उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के लिये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के फायदे को अक्सर समाप्त कर देती हैं।

(ग) सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्यों के साथ-साथ व्यापार, उद्योग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधार ढांचा और वित्तीय क्षेत्रों में नीति का उदारीकरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में कमी करना और उसको युक्तिसंगत बनाना, ब्याज दरों में कमी, आधार ढांचा एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए करावकाश की व्यवस्था करना, विनिमय दरों और कीमतों पर स्थिरता बरतते हुए आर्थिक विकास में तेजी लाने की दृष्टि से ठोस-बृहत आर्थिक नीतियां बनाना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2003-04 के बजट में आधार ढांचा विकास के लिए सरकारी एवं निजी साझेदारी का प्रस्ताव दिया गया है। इन उपायों से आधार ढांचा संबंधी असुविधाओं के दूर होने की आशा की जाती है। इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1991 से विदेशी प्रत्यक्ष अन्तर्प्रवाहों ने अधिकांशत: एक निरंतर वृद्धि दिखाई है। विदेशी प्रत्यक्ष अन्तर्प्रवाह वर्ष 2000-01 में 2.34 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 3.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

उपहार सिनेमा अग्नि कांड की गुम फाइलें

3860. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े लोगों से जुड़े उपहार सिनेमा अग्नि कांड, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय से गुम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और दोषियों को क्या दंड दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या ऐहतियाती उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (घ) जी, हां। विचारण के दौरान यह देखने में आया था कि न्यायालय के अभिलेखों में कुछ दस्तावेज आंशिक रूप से फटे हुए थे और कुछ उपलब्ध ही नहीं थे। विचारण न्यायालय ने इन अभिलेखों की फोटोप्रतियों के रूप में द्वितीयक साक्ष्य दिए जाने

का आदेश किया था। जहां तक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का संबंध है, द्वितीयिक साक्ष्य की अनुज्ञा दिए जाने और उन्हें प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची है।

केन्द्रीय सरकार इस संबंध में जांच कराए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना

3861. श्रीमती रमा पायलट: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है जो ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के प्रति अनिच्छुक हैं जैसाकि उनके लाइसेंस समझौते में वायदा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह बैंकों को लाइसेंस शर्तों के अनुपालन करने का संदेश भेजे जिसके अंतर्गत सभी के लिए अपनी शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए नए निजी बैंकों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इनमें से कितनों ने इस निर्देश का अनुपालन किया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लाइसेंस की शर्तों के भाग के रूप में अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में खोलें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पहले से ही पर्याप्त शाखाएं हैं।

कोटक महिन्द्रा ही गैर-सरकारी क्षेत्र का अकेला ऐसा बैंक है जो पिछले तीन वर्ष के दौरान स्थापित किया गया है। बैंक से कहा गया है कि वे अपने लाइसेंस में निर्धारित शर्त के रूप में तीन वर्ष के भीतर अर्थात् मार्च 2006 तक ग्रामीण/अर्ध शहरी में 25 प्रतिशत शाखाएं खोले। वर्तमान में ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में इसकी कोई शाखा नहीं है। पहले खोले गए गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी अन्य नए बैंकों की अर्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25 प्रतिशत शाखाएं हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का कार्यकरण

3862. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की संरचना और कार्यकरण में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना और कार्यकरण में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए पुनर्संरचना की है। पुनर्संरचना योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

[अनुवाद]

विदेश से संग्रहीत धनराशि

3863. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई भारतीय संगठन भारत में अपनी गतिविधियों के लिए विदेश से धनराशि संग्रहीत करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी धनराशि संग्रहण, इसके उपयोग और कर प्रतिबद्धताओं के बारे में कोई व्यापक जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ऐसी निधियों के विवरण/आंकड़े न तो एकत्र किए जाते हैं अथवा न ही रखे जाते हैं।

(ग) विभाग द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

(घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

छात्रों को छात्रवृत्ति

3864. श्री सुन्दरलाल तिवारीः
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति बढ़ाने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचाराधीन है। कुछ लम्बित मुद्दों को सुलझाए जाने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

अनुकंपा आधार पर रोजगार

3865. श्री भेरूलाल मीणाः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनका वर्ष 2002 और 2003 के दौरान निधन हुआ था;

(ख) उन मृत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार नहीं दिया गया और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संबंधित कंपनी में उन्हें कब तक रोजगार मिलने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. ने अपने बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करना बन्द कर दिया है और इसके बदले में क्रमशः 1 जून, 2002 तथा 1 अक्तूबर, 2002 से नकद क्षतिपूर्ति की योजना शुरू की है। वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान हुई कर्मचारियों की मृत्यु के ब्यौरे तथा अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियों से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.

कर्मचारियों की मृत्यु		
1.1.2002 से 31.12.2002 तक	-	66
1.1.2003 से 30.6.2003 तक	-	32
1.1.2002 से 31.5.2002 तक कर्मचारियों की मृत्यु	-	30
अनुकम्पा आधार पर आवेदन करने वाले आश्रितों की संख्या	-	16
अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या	-	11
विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अस्वीकृत मामलों की संख्या	-	5
लम्बित पड़े मामलों की संख्या	-	शून्य

न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि.

कर्मचारियों की मृत्यु		
1.1.2002 से 31.12.2002 तक	–	77
1.1.2003 से 31.7.2003 तक	–	31
1.10.2002 तक अनुकम्पा आधार पर आवेदन करने वाले आश्रितों की संख्या	–	40
अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या	–	30
अस्वीकृत मामलों की संख्या (पति/पत्नी कार्यरत)	–	2
पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव वाले मामलों की संख्या	–	7
उन मामलों की संख्या जहां आवेदन वापस लिया गया है	–	1

[हिन्दी]

बैंकों में अनियमितताएं

3866. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री शिवाजी माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कितने धोखाधड़ी से संबंधित मामले सौंपे गए हैं;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और ये मामले किन-किन बैंकों से संबंधित थे;

(ग) इस संबंध में कितने बैंक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है और तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए गए और बैंकों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए एक करोड़ रुपए और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त रहने के कारण सेवा से पदच्युत/सेवा-मुक्त/हटाए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। बैंकों को समय-समय पर सामान्य धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों, धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर श्री ए. घोष की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों की व्यापक समीक्षा की थी और समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सूचना बैंकों को दे दी गई है ताकि उसे कार्यान्वित किया जा सके। बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे अपने 50 प्रतिशत कारबार को शामिल करते हुए समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रणाली शुरू करें और यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा तंत्र के कार्य की निगरानी निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा उच्च स्तर पर की जाए। बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों में पाई गई कार्य प्रणाली के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा खाते खोलते समय सावधानी बरतने, "अपने ग्राहक को जानिए" की संकल्पना के कार्यान्वयन, प्रतिभूति फार्मों की उचित अभिरक्षा एवं रखरखाव, नए खोले गए खातों के परिचालनों पर निकट निगरानी रखने, साख पत्रों को खोलने एवं गारंटियां जारी करते समय सावधानी बरतने, भर्ती के समय उम्मीदवारों के गहन अनुवीक्षण, अनुशासनिक कार्रवाई तुरन्त शुरू करने और दोषी कर्मचारियों को अनुकरणीय एवं निवारक सजा देने आदि के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी मित्रा समिति, जो बैंकों में धोखाधड़ियों के विधिक पहलुओं को देखने हेतु गठित की गई थी, की अन्दरूनी निवारक उपाय संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की सलाह दी है।

विवरण I

वर्ष 2001 और 2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित और बैंकों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए एक करोड़ रुपए और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	2001		2002	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
भारतीय स्टेट बैंक	04	62.79	04	6.56
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	02	3.29	–	–
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	02	2.85	–	–
स्टेट बैंक आफ इंदौर	–	–	01	4.05
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	02	13.44	–	–
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	01	1.00	–	–
इलाहाबाद बैंक	01	1.51	01	1.15
आंध्रा बैंक	03	5.12	03	9.15
बैंक आफ इंडिया	06	150.36	01	3.56
बैंक आफ महाराष्ट्र	02	16.57	02	5.53
केनरा बैंक	02	6.30	10	45.32
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	03	4.28	02	4.76
कार्पोरेशन बैंक	02	12.79	01	6.07
देना बैंक	03	34.87	–	–
इंडियन बैंक	–	–	02	12.31
इंडियन ओवरसीज बैंक	01	2.15	02	2.95
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	04	34.70	03	43.54
पंजाब नैशनल बैंक	01	7.00	05	16.53
पंजाब एंड सिंध बैंक	–	–	03	53.18
सिंडिकेट बैंक	–	–	01	1.14
यूनियन बैंक आफ इंडिया	02	12.49	08	34.74
यूको बैंक	03	6.04	–	–
विजया बैंक	01	1.29	–	–

(आंकड़े अनन्तिम)

विवरण II

वर्ष 2001 और 2002 के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त पाए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पदच्युत किए गए/सेवामुक्त किए गए/हटाए गए अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	पदच्युत किए गए/सेवामुक्त किए गए/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	
	2001	2002
भारतीय स्टेट बैंक	55	72
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	02	13
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	01	03
स्टेट बैंक आफ इंदौर	04	03
स्टेट बैंक आफ मैसूर	07	07
स्टेट बैंक आफ पटियाला	08	06
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	03	01
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	06	03
इलाहाबाद बैंक	03	09
आंध्रा बैंक	30	28
बैंक आफ बड़ौदा	12	13
बैंक आफ इंडिया	46	31
बैंक आफ महाराष्ट्र	10	08
केनरा बैंक	27	31
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	25	19
कार्पोरेशन बैंक	06	16
देना बैंक	09	07
इंडियन बैंक	17	35
इंडियन ओवरसीज बैंक	01	11
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	05	07
पंजाब नैशनल बैंक	24	36
पंजाब एंड सिंध बैंक	09	06
सिंडिकेट बैंक	29	21
यूनियन बैंक आफ इंडिया	09	07
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	18	15
यूको बैंक	09	05
विजया बैंक	05	11

(आंकड़े अनंतिम)

[अनुवाद]

मोरपेन लेबोरेट्रीज लिमिटेड द्वारा संग्रहीत धन

3867. श्री पवन सिंह घाटोवार:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनियामक प्राधिकारियों के ध्यान में मोरपेन लेबोरेट्रीज लिमिटेड नामक एक दवा निर्माता कंपनी द्वारा देय तिथि को अपने निवेशकों को जमा का प्रतिदाय न करने का मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो उन निवेशकों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 2003 के दौरान आज तक देय तिथियों को उनके जमा का प्रतिदाय नहीं किया गया है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) निवेशकों को समय पर धन का प्रतिदाय सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा जीवन बीमा निगम और औद्योगिक विकास बैंक से भारत सरकार के नामितियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी धन का दुरुपयोग

3868. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री शिबु सोरेन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वत्स कारपोरेशन, मुंबई और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सरकारी धन को धोखे से हड़पने के लिए इनके कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वत्स कारपोरेशन की दो सहायक कंपनियों नामत: वत्स म्यूजिक और वत्स एजुकेशन बंबई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं; और

(ङ) यदि हां, तो एक वर्ष से भी कम अवधि के अंदर कंपनी की निवल संपत्ति के आश्चर्यजनक रूप से 21 करोड़ रुपए से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

करदाताओं द्वारा कर संग्रहण

3869. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-जून, 2003 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या करों की कम वसूली के कारण वित्तीय घाटा बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) अप्रैल-जून, 2003 के दौरान प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

(करोड़ रु. में)

	लक्ष्य	उपलब्धियां
आयकर	7342 रु.	5912.87 रु.
निगमित कर	7725 रु.	3159.39 रु.

तथापि, अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए कोई माह-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। बजट अनुमान ही पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य होते हैं।

(ग) और (घ) राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए योजना तथा गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण वित्तीय घाटा बढ़ा है।

(ङ) सरकार, वित्तीय औचित्य की कार्यनीति अपनाती रही है जिसका उद्देश्य अधिक कर राजस्व, सुधरी हुई गैर-कर प्राप्तियां और गैर-योजना व्यय की वृद्धि को नियंत्रित करना है ताकि घाटे को कम किया जा सके।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम

3870. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिकलन के नए तरीके के कारण गत वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम दुगुना हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या तरीका अपनाया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़े सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार संशोधित किए जा रहे हैं, जिनमें इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। राजकोषीय वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए संकलित संशोधित आंकड़े (अनंतिम) हाल ही में प्रकाशित 2342 मिलियन अमरीकी डालर और 3905 मिलियन अमरीकी डालर के तदनुरूपी आंकड़ों से बढ़कर क्रमशः 4029 मिलियन अमरीकी डालर और 6131 मिलियन अमरीकी डालर हो गए हैं।

एल.पी.जी. सिलिंडरों का निर्यात

3871. श्री सईदुज्जमा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में बड़ी मात्रा में एलपीजी के खाली सिलिंडरों का निर्यात इराक को किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाली गैस सिलिंडरों के निर्यात के साथ-साथ एलपीजी/सीएनजी के भरे हुए सिलिंडरों का भी निर्यात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) अप्रैल-फरवरी, 2001-02 तथा अप्रैल-फरवरी, 2002-03 के दौरान इराक को निर्यात किए गए एल पी जी सिलेंडरों (आईटीसी) (एचएस) कोड सं. 73110001 के अंतर्गत शामिल) की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं:

मात्रा इकाई कि.ग्रा. में मूल्य: करोड़ रुपए में

2001-2002		2002-2003 (अप्रैल 02 फरवरी 03)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
206483	2.38	263175	1.36

(स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता)

(ग) और (घ) मौजूदा आयात-निर्यात पालिसी के अंतर्गत आईटीसी (एचएस) कोड सं. 73110001 के अधीन आने वाले एलपीजी/सीएनजी के भरे हुए या, खाली सिलेंडर मुक्त रूप से निर्यात किए जा सकते हैं तथा इस प्रकार किसी भी देश को भरे हुए या खाली एल पी जी/सी एन जी सिलेंडरों के निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है।

राज्यों का वित्तीय घाटा

3872. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 में सभी राज्यों का वित्तीय घाटा कितना था;

(ख) क्या राज्यों को विदेशी एजेंसियों से तथा देश के बाहर से ऋण लेने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मणिपुर राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है और उसका ऋण घाटा तथा भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण कितना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित सभी राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2001-02 (संशोधित अनुमान/वास्तविक) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 4.20 प्रतिशत रहा है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अंतर्गत, राज्यों को सीधे तौर पर देश के बाहर से ऋण लेने की अनुमति नहीं है। तथापि, भारत सरकार, राज्यों की ओर से विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसी विदेशी एजेंसियों से ऋण लेती है और ये ऋण केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दे दिए जाते हैं।

(घ) वर्ष 2001-02 (वास्तविक) के लिए मणिपुर राज्य की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:-

वित्तीय संकेतक	राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत) के रूप में प्रतिशत
राजस्व घाटा	-4.87
सकल राजकोषीय घाटा	-10.27
वर्ष के अंत में बकाया ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों सहित)	66.54*

*संशोधित अनुमान आंकड़ों से संबंधित।

इसके अतिरिक्त मणिपुर भी उन 22 राज्यों में से एक राज्य है, जिसके मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राजकोषीय समेकन के लिए राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) के अंतर्गत, मणिपुर सरकार ने भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के अंतर्गत मणिपुर सरकार को अब तक 109.70 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में जारी की जा चुकी है।

[हिन्दी]

कन्नूर टेक्सटाइल सेंटर

3873. श्री टी. गोविन्दन:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कन्नूर टेक्सटाइल सेंटर की अवसंरचनात्मक विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना को केन्द्र सरकार से कब तक अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां। कन्नूर में हथकरघा के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र विकास योजना (टी सी आई डी एस) के अंतर्गत 26.68 करोड़ रुपए की परियोजना लागत (जिसमें भूमि की कीमत लागत भी शामिल है) वाला एक परियोजना प्रस्ताव केरल राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

(ख) इस परियोजना में सभी संघटकों की ब्यौरे-वार कुल लागत निम्नलिखित है:

क्रमांक	क्रियाकलाप	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1	2	3
1.	भूमि और स्थल का विकास	160.00
2.	पेय जल आपूर्ति	150.00
3.	आन्तरिक सड़कें	200.00
4.	विद्युत सब्स्टेशन और फिटिंग	28.00
5.	जल निकास और सफाई की व्यवस्था	100.00
6.	सामान्य सुविधा सेवाएं—जल आशोधन संयंत्र और बहिस्राव आशोधन संयंत्र (भूमि को छोड़कर) सहित	370.00
7.	रंगाईघर के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर (भूमि को छोड़कर)	516.40
8.	करघा पश्चात् प्रक्रिया के लिए सामान्य सुविधाएं (भूमि को छोड़कर)	513.64
9.	प्रशिक्षण केन्द्र	261.75

1	2	3
10.	परीक्षण, रंग मिलान, प्रयोगशाला के लिए उपस्कर	12.00
11.	उत्पाद विकास केन्द्र के लिए बहिस्राव आशोधन संयंत्र	3.00
12.	छपाई, डिजाइन, परिधान विकास और कच्चा माल विभागों के खर्चे	87.21
13.	कल्याण उपाय—शिशु गृह, स्वास्थ्य पैकेज (अस्पताल के निर्माण सहित), संरक्षणकारी उपायों आदि सहित	250.00
14.	डिलीवरी वाहन	15.00
	कुल परियोजना लागत	2667.00

(ग) वस्त्र आयुक्त ने राज्य सरकार से उनके प्रस्ताव के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण/सूचनाएं देने के लिए कहा है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

नई वित्त कंपनी के लिए मानदण्ड

3874. **श्री सुन्दरलाल तिवारी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त कंपनी स्थापित करने/चलाने के नियम क्या हैं;

(ख) नियम के विरुद्ध चलने वाली वित्त कंपनी के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और ऐसी कितनी कंपनियां हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वित्त कंपनी खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने के नियम को अनिवार्य बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क), (घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) का कारोबार प्रारम्भ नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, उन कंपनियों द्वारा एनबीएफसी का कारोबार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है जो 9 जनवरी, 1997 को विद्यमान थी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदनकर्त्ता कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा करना पड़ता है। वैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को 9 जनवरी, 2003 तक 25 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करने के लिए छः वर्ष का समय दिया गया है जिनके पास न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि नहीं थी। नई कंपनी के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि 21 अप्रैल, 1999 से 2 करोड़ रुपए है।

(ख) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के निबंधनों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करता है, तो उसे कम से कम एक वर्ष की कैद की सजा हो सकती है जिसे बढ़ाकर पांच वर्ष तक किया जा सकता है और इसके साथ कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों के लिए दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध पहले ही प्रतिकूल कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश जारी किए हैं जिनमें ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र संबंधी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, के आगे जमाराशियां स्वीकार करने तथा जमाराशियों की वापसी अदायगी के कार्य को छोड़कर आस्तियों को संक्रामित करने पर रोक लगा दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्षित निवल स्वाधिकृत निधि नहीं रखने वाली किसी भी कंपनी को कार्य करने के लिए 9 जनवरी, 2003 से आगे समय के विस्तार को मंजूरी नहीं दी है और इस प्रकार, कानून को लागू करते हुए ऐसी सभी कंपनियों को उस

तारीख से आगे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में कार्य करने से रोक दिया जाता है। चूंकि कानून को लागू करके यह रोक लगाई गई थी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी कंपनियों की अलग से कोई सूची नहीं रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23,357 कंपनियों द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए किए गए आवेदनों को मुख्यत: निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी मानदण्ड को पूरा न किए जाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया है।

[अनुवाद]

परिपक्व राशि के लिए अकाउंट पेयी चैक

3875. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये से अधिक की परिपक्व राशि के लिए अकाउंट पेयी चैक जारी करने की वर्तमान प्रणाली से गांव में लोगों को काफी असुविधा होती है क्योंकि इसे भुनाने के लिए बैंकों में उनके खाते नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीणों की इस जायज शिकायत को दूर करने के लिए ठीक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत 20,000 रु. से अधिक परिपक्वता धनराशि अकाउंट पेयी चैकों द्वारा प्राप्त करने में निहित प्रक्रियात्मक देरियों एवं इसके परिणामस्वरूप होने वाली असुविधा का उल्लेख करते हुए कुछेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से 20,000 रु. से अधिक के सभी निक्षेपों की पुनर्अदायगी अकाउंट पेयी चैकों द्वारा करने की अपेक्षा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-टी में की गई है। उपर्युक्त अपेक्षा को शिथिल करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

सिगरेट बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस

3876. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिगरेट बनाने के लिए मैसर्स जे.टी. इंटरनेशनल लिमिटेड सहित कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संयुक्त उद्यम कंपनी या अनुषंगी कंपनी के रूप में अनुमोदित किया है/उन्हें लाइसेंस प्रदान किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त/अनुषंगी कंपनियों, उनकी उत्पाद क्षमता और भारतीय/विदेशी भागीदारी की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केमेक्सिल के पैनलों/समितियों का प्रतिनिधित्व

3877. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर क्षेत्र से केमेक्सिल के विभिन्न पैनलों/समितियों का प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है और इस कारण इस क्षेत्र में औषधि उपयोग का विकास नकारात्मक रहा है;

(ख) क्या केमेक्सिल में उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन की नियुक्ति पश्चिमी क्षेत्र से की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कैसे यह सुनिश्चित करेगी कि उत्तरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की जाएगी और इस क्षेत्र में निर्यातकों की समस्या को सुलझाने के लिए वहां उनकी नियमित बैठकें बुलाई जाएंगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) केमेक्सिल की प्रशासन समिति जिसे 29 नवम्बर, 2002 को 19 सदस्यों के साथ गठित किया गया था, में उत्तरी क्षेत्र से कोई भी सदस्य नहीं है। क्षेत्रीय आधार पर आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में औषध उद्योग की नकारात्मक वृद्धि हुई है। तथापि वर्ष 2002-03 में भारत का औषधीय तथा भेषजीय वस्तुओं का निर्यात 11925 करोड़ रुपए था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 19.9% की वृद्धि हुई है।

(ख) श्री आनंद लाडसरिया, निदेशक मै. एवरेस्ट फ्लेवसे लि. जो कि केमेक्सिल के कास्मेटिक्स एंड टायलेटरिज पैनल के अध्यक्ष भी हैं, को परिषद में उत्तरी क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह मेन्थोल के प्रमुख निर्यातक हैं जिसे रायपुर, उत्तर प्रदेश में तैयार करके निर्यात किया जाता है। परिषद में पद के लिए चुनाव अखिल भारतीय आधार पर होता है।

(ग) केमेक्सिल का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है जिसका प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक होता है तथा वह उत्तरी क्षेत्र के सदस्य

निर्यातकों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं पर कार्यवाही करता है। इसके अलावा केमेक्सिल के नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न ओपन हाउस/शैक्षणिक गोष्ठियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। अत: उत्तरी क्षेत्र के हितों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

मांस निर्यात संबंधी समिति

3878. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रीय हित में मांस निर्यात से होने वाले लाभ की बारीकी से जांच कराने तथा मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ-साथ निरंतर हो रही आलोचना का जवाब देने हेतु, मांस निर्यात से होने वाले नफा-नुकसान के संबंध में एक अध्ययन कराने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या एनीमल राइट्स इंटरनेशनल की मांग के अनुसार कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस समिति के कब तक गठित होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल के लिए भंडारण लाइसेंस

3879. डा. चरणदास महंत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कम्पनियों/फर्मों द्वारा मिट्टी के तेल 'ख' श्रेणी के पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण हेतु जारी भंडारण लाइसेंसों को अपेक्षित लाइसेंस शुल्क लेने के पश्चात् हाई स्पीड डीजल यथा 'ख' श्रेणी के पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोलियम की समान श्रेणी) के भंडारण हेतु की अनुमति दी जा सकती है;

(ख) क्या विगत में किसी तेल कम्पनियों/फर्मों को उक्त अनुमति दी है;

(ग) क्या 'क' और 'ख' श्रेणी के पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण हेतु भंडारण लाइसेंस को अन्य पक्षों/फर्मों/कम्पनियों के नाम पर अंतरित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त की क्या प्रतिक्रिया है और सक्षम प्राधिकारी कौन है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 156 के अनुसार 'क' और 'ख' श्रेणी के पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण हेतु भंडारण लाइसेंस को अन्य व्यक्ति के नाम अंतरित किया जा सकता है जिसके लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है:-

- लाइसेंस के धारक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जिसमें उस व्यक्ति का नाम व पता दिया हो जिसको वह उक्त लाइसेंस का अंतरण करना चाहता है और वह अनुज्ञप्त परिसरों के पूर्ण कब्जे का उल्लेख करे;
- अंतरण के लिए प्रार्थित लाइसेंस और उसके साथ संलग्न अनुमोदित योजना अथवा योजनाएं;
- उस व्यक्ति द्वारा प्रपत्र IX में विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र जिसके नाम लाइसेंस पर अंतरण करना प्रार्थित हो;
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में बनाये गये क्रास बैंक ड्राफ्ट जो नागपुर में देय हो द्वारा प्रदत्त पांच सौ रुपये का शुल्क।

यथा उपर्युक्त दस्तावेजों और शुल्क प्राप्त करने के उपरांत, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि अंतरण का अनुमोदन करता है, तो वह अपने हस्ताक्षर से लाइसेंस पर इस आशय का एक पृष्ठांकन करेगा कि नामित व्यक्ति को लाइसेंस का अंतरण कर दिया गया है।

को-आपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का पुनरुद्धार

3880. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के केन्द्रीय बजट में देश में को-आपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के पुनरुद्धार की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह योजना अब तक नहीं बनाई गई है और इसे अंतिम रूप भी नहीं दिया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) जैसाकि वर्ष 2002-03 के बजट में घोषणा की गई थी, को-आपरेटिव क्रेडिट ढांचा के पुनरुद्धार हेतु प्रारूप योजना पहले ही तैयार कर ली गई है। पुनरुद्धार कार्यक्रम को वित्त प्रदान करने की रीतियों को भारतीय रिजर्व बैंक व राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे कार्यक्रम अति शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

जीवन रक्षक दवाइयां

3881. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी जीवन-रक्षक दवाइयों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है;

(ख) किस आधार पर दवाई का "जीवन रक्षक" के रूप में मूल्यांकन किया जाता है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी की जाती है कि इस कर-छूट का लाभ लोगों तक पहुंचे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) अधिसूचना संख्या 21/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 1.3.2002 की क्रम संख्या 83 के तहत 126 जीवन रक्षक औषधियां/दवाएं, उनके लवण, इस्टर तथा नैदानिक परीक्षण किट सहित सीमा शुल्क से बिना शर्त छूट प्राप्त हैं। इसके अलावा इन जीवन रक्षक औषधियों अथवा दवाओं के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली बल्क औषधियों पर भी, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, सीमा शुल्क से छूट है।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जीवन रक्षक औषधि अथवा दावा के रूप में प्रमाणित, व्यक्तिगत प्रयोग में काम आने वाली औषधि अथवा दवा पर भी कुछ शर्तों के अध्यधीन सीमा शुल्क से छूट है।

अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1.3.2002 की क्रम सं. 252 के तहत इन 126 औषधियों अथवा दवाओं और उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली बल्क औषधियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट है।

(ख) जीवन रक्षक औषधियों/दवाओं को सीमा शुल्क कानून अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में से किसी में भी परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संस्तुति पर किसी खास औषधि/दवा को शुल्क से छूट देने के प्रयोजन से जीवन रक्षक दवा मान लिया जाता है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा होता है और वह निविष्टियों की लागत, अनुसंधान एवं विकास लागत, उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री प्रोत्साहन लागत, व्यापारिक कमीशन, ढुलाई खर्च और कर आदि पर निर्भर करता है। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क कानूनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

सिंगापुर में निर्यात संवर्धन कार्यालय

3882. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात संवर्धन को सुगम बनाने के लिए सिंगापुर में विशेष कार्यालय खोलने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.)

3883. श्री महबूब जाहेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक दूसरी बार "एग्जिट आप्शन" योजना के माध्यम से अपने कर्मचारियों की संख्या को और कम करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि कर्मचारी एवं अधिकारी संघ के परामर्श से "एग्जिट आप्शन" योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात् यथावधि इसका प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव "एग्जिट आप्शन" योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) आयु: आवेदन की तिथि के समय 50 वर्ष से अधिक किन्तु 58 वर्ष से कम।

(ii) पदोन्नति के चार अवसरों के तहत कोई पदोन्नति न हुई हो तथा उनके कनिष्ठ भी उन्हें अधिक्रमित कर चुके हों।

(iii) अधीनस्थ कर्मचारी के मामले में; या तो वे चारों अवसरों पर पदोन्नत नहीं हुए हों अथवा पदोन्नति के पात्र न हों और कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अधिक्रमित हों।

(iv) पहरा व निगरानी कर्मचारी; ठेके के कर्मचारी; वे कर्मचारी जिन्होंने बांड का निष्पादन किया हो तथा बांड की अवधि पूरी न की हो; तथा वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो/अवेक्षित हो, वे इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

(v) अनुग्रहपूर्व: अधिकतम 36 महीनों के अध्यधीन 60 वर्ष (पूरे किए गए महीने) की आयु तक शेष बची सेवा के 50 प्रतिशत के लिए अंतिम आहरित वेतन। आवास ऋण सहित सभी ऋणों का परिसमापन किया जाएगा। प्रबंधन के पास आवेदनों को रद्द करने का अधिकार होगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आी.) और निर्यात-आयात बैंक द्वारा ऋण का संवितरण

3884. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात-आयात बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने राज्य-वार कुल कितनी ऋण-राशि संवितरित की;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात-आयात बैंक और आई.डी.बी.आई. का वित्तीय कारोबार कितना रहा; और

(ग) आज की तिथि तक इन संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) द्वारा (राज्य-वार) संवितरित ऋण की कुल राशि क्रमश: विवरण-I और विवरण-II पर दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान आई.डी.बी.आई. और एक्जिम बैंक का वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ों में)

	2000-01		2001-02		2002-03	
	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक
मंजूरियां	23178	2174.3	13505	4240.7	2889	7828.3
संवितरण	17474	1896.4	11151	3452.9	3924	5320.3
करोपरांत लाभ	691	154.1	424	171.2	401	206.6
निवल अनुपयोज्य आस्तियां	8370.6	407	6500.2	448	7329.9	184

(ग) पिछले तीन वर्ष के लिए आई.डी.बी.आई. तथा एक्जिम बैंक की सकल/निवल अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

	2000-01		2001-02		2002-03	
	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक
सकल अनुपयोज्य आस्तियां	13230	1071	14449	986	16007	784
निवल अनुपयोज्य आस्तियां	8370.6	407	65002	448	7329.9	184
निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्तियां	14.8	8.17	11.7	7.13	14.2	2.25

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष		
		2000-01	2001-02	2002-03
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1475.6	701.0	184.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0
3.	असम	32.7	33.7	0.0
4.	बिहार	28.2	6.2	12.6
5.	छत्तीसगढ़	25.5	10.5	10.5
6.	दिल्ली	2688.0	1162.1	953.8
7.	गोंवा	64.5	21.2	0.4
8.	गुजरात	817.3	902.1	111.9
9.	हरियाणा	612.3	240.2	98.5
10.	हिमाचल प्रदेश	73.8	86.9	0.4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	58.6	0.0	0.0
12.	झारखंड	34.0	6.2	6.5
13.	कर्नाटक	1549.2	552.2	139.9
14.	केरल	172.6	104.9	42.3
15.	मध्य प्रदेश	357.3	312.5	74.7
16.	महाराष्ट्र	4216.2	4277.1	1433.5
17.	मणिपुर	0.0	0.0	0.0
18.	मेघालय	0.0	9.7	2.1
19.	मिजोरम	0.6	0.0	0.0
20.	नागालैंड	0	0.0	0.0
21.	उड़ीसा	204.6	49.1	6.7
22.	पंजाब	800.8	608.3	62.1
23.	राजस्थान	635.9	295.4	80.5

1		2	3	4
24.	सिक्किम	0.0	0.0	0.0
25.	तमिलनाडु	1203.6	556.5	341.8
26.	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0
27.	उत्तर प्रदेश	613.9	211.3	77.5
28.	उत्तरांचल	49.1	32.3	0.0
29.	पश्चिम बंगाल	859.8	371.2	89.2
30.	संघ राज्य क्षेत्र	128.3	55.7	24.3
(1)	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	0.0
(2)	चंडीगढ़	58.8	5.2	1.9
(3)	दादरा एंड नागर हवेली	30.9	30.8	22.4
(4)	दमन एवं दीव	30.2	9.0	0.0
(5)	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
(6)	पांडिचेरी	8.4	10.8	0.0
	कुल	16702.3	10606.1	3753.3

विवरण II

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार संवितरित राशि

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	124	97	338
चण्डीगढ़	–	4	–
गुजरात	227	343	328
जम्मू एवं कश्मीर	–	–	1
गोवा	–	4	–
कर्नाटक	67	49	102
केरल	4	32	18
महाराष्ट्र	834	1577	2444
मणिपुर	–	–	1
मध्य प्रदेश	31	62	31
नई दिल्ली	216	666	860
पंजाब	–	–	106
राजस्थान	21	17	10
तमिलनाडु	197	240	318
उत्तर प्रदेश	7	47	124
पश्चिम बंगाल	155	299	499
कुल	1884	3438	5179

टिप्पणी: उपर्युक्त तालिका में बैंक के अधिकतम ऋण सीमा, बायर्स क्रेडिट एंड डायरेक्ट इक्विटी लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत विदेशी कंपनियों को किए गए संवितरणों को छोड़ दिया गया है।

निर्यात संवर्धन परिषद में पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियम

3885. श्री भास्करराव पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल रसायन, भेजष और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिपद में पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत उपनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परिषद के कुछ पदाधिकारियों पर डी आर आई अधिनियम और इस परिषद के उपनियमों के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपए के गैर कानूनी आयात और निर्यात के लिए मुकदमा चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संदिग्ध कर्तव्यनिष्ठा वाले ऐसे पदाधिकारियों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वाणिज्य विभाग द्वारा परिचालित आदर्श अनुच्छेद/उप कानूनों को मूलभूत रसायन भेषज एवं सौंदर्य पसाधन निर्यात संवर्धन परिषद (केमैक्सिल) द्वारा अंगीकृत किया गया है। पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद/उप कानून निम्नानुसार हैं—

पैरा 4.2—परिषद में किसी पद के चुनाव के लिये किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी चाहिए अर्थात-

(1) तुरन्त पूर्ववर्ती एक वित्त वर्ष के दौरान उसके पास अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सत्ता के पास लघु उद्योग के लिये 25 लाख रु. और अन्य के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि से कम उत्पादों के निर्यात नहीं होने चाहिए।

(2) जहां कोई व्यक्ति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा क्षेत्रीय अध्यक्ष आदि के चुनाव के लिये खड़ा होता है उसके पास अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सत्ता के पास तुरन्त पूर्ववर्ती एक वित्त वर्ष के दौरान 2 करोड़ रु. से कम उत्पादों के निर्यात नहीं होने चाहिए।

पैरा 27.1—अध्यक्ष दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, और

(1) तदनुसार सेवा निवृत्ति होगा और

(2) अगले चुनाव (तुरन्त आगामी) में दोबारा चुनाव लड़ने के लिये पात्र नहीं होगा।

पैरा 27.2 (1)—एक उपाध्यक्ष होगा जिसे समिति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये चुना जायेगा।

(2) दो वर्ष की अपनी अवधि पूरी करने के पश्चात उपाध्यक्ष को समिति द्वारा अध्यक्ष पद धारण करने के लिये अनुमोदित किया जायेगा यदि वह अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिये अनिच्छुक न हो अथवा उसने परिषद की सदस्यता के बारे में अनुच्छेद 8.1 में अंकित कोई अयोग्यता न प्राप्त कर ली हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग के लिए ऋण

3886. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक को पुनर्गठित ऋण सुपुर्दगी प्रणाली का प्रस्ताव भेजा है ताकि उद्योगों के समक्ष आने वाली ढांचागत रुकावटों को हटाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न

3887. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार झारखंड में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने झारखंड को रियायती मूल्यों पर किस गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराया है;

(ग) क्या झारखंड को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा आवश्यकता से कम है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की अनुमानित संख्या 23.94 लाख है।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन झारखंड सरकार को केन्द्रीय पूल से राज सहायता प्राप्त दरों पर आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

वर्ष	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
2000-01	1.845	0.211	0.000	2.056
2001-02	5.675	0.633	0.916	7.224
2002-03	8.147	2.163	1.539	11.849

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन झारखंड सहित सभी राज्यों को सभी श्रेणियों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर पर किया जाता है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जब्ती

3888. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जब्त की गई विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से तस्करी में लायी गयी वस्तुओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर जब्त की गई विभिन्न वस्तुओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	बुक किए गए मामलों की संख्या	जब्त की गई विभिन्न वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रुपए में)
2000-2001	1289	17.37
2001-2002	1335	17.93
2002-2003	641	16.17

(ख) सरकार संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रख रही है और संवेदनशील उड़ानों के संबंध में निगरानी बरत रही है। साथ ही यात्री संबंधी अग्रिम सूचना प्रणाली के आधार पर आसूचना तैयार की जा रही है जिसमें यात्रियों की प्रोफाइलिंग भी शामिल है। संवेदनशील स्थानों से आने वाले यात्रियों द्वारा लाए गए माल और हैंड बैगेज का एक्स-रे किया जाता है।

[अनुवाद]

दावा नहीं किए गए लाभांश का अंतरण

3889. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बड़ी कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दावा नहीं किए गए लाभांश और ब्याज का अंतरण शिक्षा/रक्षा निधियों में नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी हैं और प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कंपनियों के लिए अदावाकृत लाभांश और ब्याज को शिक्षा/रक्षा निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

3890. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हस्तशिल्प समूहों का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना शिल्पकारों के लिए कितनी सहायक रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितने शिल्पकार लाभान्वित हुए; और

(ङ) सरकार ने शिल्पकारों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। देश में हस्तशिल्प कलस्टरों के लिए निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं:-

(i) वर्ष 2000-2001 के दौरान सिक्किम, लेह, जोधपुर, पुरी और बस्तर में पांच शिल्प कलस्टरों के डाइअगनासटिक अध्ययन का मैसर्स आईसीए डोमस ट्रस्ट, नई दिल्ली को सौंपा गया।

(ii) वर्ष 2002-2003 के दौरान छः कलस्टरों अर्थात् दिल्ली, विल्लुपुरम (आन्ध्र प्रदेश), चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश), सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) और बाड़मेर (राजस्थान) के मूल्याकंन और वैल्यु चेन विश्लेषण का कार्य मैसर्स एच.एस.एम. मनागेनल कानसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को सौंपा गया।

(iii) वर्ष 2002-2003 के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के मूल्यांकन पर अध्ययन का कार्य मैसर्स नेशनल प्रोडक्टिविटि काउंसिल, नई दिल्ली को सौंपा गया।

(iv) वर्ष 2003-2004 के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना की माइक्रो फाइनैन्स स्ट्रेटेजि के अध्ययन का कार्य मैसर्स माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इण्टरनेशनल लिमिटेड, गुड़गांव को सौंपा गया।

(ग) सतत विकास के लिए देश में चयनित कलस्टरों को विकसित करने के उद्देश्य से अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना को वर्ष 2000-2001 में आरम्भ किया गया था। इस प्रयोजन के लिए लगभग 278 कारीगर कलस्टरों को चिह्नित किया गया है जिन्हें 3 से 5 वर्ष की अवधि के दौरान सतत रूप से विकसित किया जाएगा। अभी तक कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई है तथापि कारीगर इस स्कीम से, दोनों पिछली और अगली कड़ियों के संबंध में, लाभान्वित हो रहे हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत लाभान्वित हुए कारीगरों की वर्षवार एवं राज्यवार संख्या संलग्न विवरणानुसार है।

(ङ) सरकार ने देश में कारीगरों को समय पर और बिना किसी समस्या के ऋण सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड स्कीम तैयार की है। यह स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक व इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और इस स्कीम को इसके सदस्य बैंकों में इसे अपनाने और कार्यान्वयन हेतु, परिचालित कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत लाभान्वित हुए कारीगरों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित हुए कारीगरों की संख्या		
		2001-02	2002-03	2003-04
1		2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	5305	5705	5705
2.	उत्तरांचल	2092	3542	3542

1		2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	1869	–	1869
4.	झारखण्ड	250	1300	1300
5.	गुजरात	3016	144	–
6.	मध्य प्रदेश	4737	1149	450
7.	महाराष्ट्र	813	–	1000
8.	गोवा	–	–	–
9.	दिल्ली	390	500	–
10.	हिमाचल प्रदेश	2605	–	–
11.	हरियाणा	1960	500	–
12.	पंजाब	950	500	–
13.	राजस्थान	5500	250	–
14.	जम्मू एवं कश्मीर	1240	100	–
15.	आन्ध्र प्रदेश	2725	120	–
16.	तमिलनाडु	5730	300	–
17.	केरल	10015	–	40
18.	कर्नाटक	2750	2928	225
19.	पाण्डिचेरी	600	–	–
20.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
21.	उड़ीसा	3350	1082	–
22.	बिहार	–	–	–
23.	पश्चिमी बंगाल	12363	120	–
24.	त्रिपुरा	1844	209	350
25.	असम	3804	–	150
26.	अरुणाचल प्रदेश	285	100	–
27.	नागालैंड	670	–	–
28.	मणिपुर	260	–	–
29.	मिजोरम	210	–	–
30.	मेघालय	200	–	–
31.	सिक्किम	–	550	–
	कुल	75533	18799	14631

आवास उद्योग के लिए कर लाभ

3891. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.डी.टी. ने टी.डी.आर. के विरुद्ध मुम्बई के आवास उद्योग को कर लाभ प्रदान करने वाले कुछ निर्देश परिपत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। बोर्ड द्वारा केवल मुम्बई के आवास उद्योग के लिए कोई विशेष कर-लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं।

तथापि, धारा 80झख की उपधारा, (10) के मौजूदा, उपबंधों की व्याख्या के संबंध में महाराष्ट्र आवास उद्योग चैम्बर द्वारा प्रकट की गई कुछ शंकाओं का उत्तर दिनांक 4.5.2001 के पत्र के तहत दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) कर नीति को संशोधित करने के लिए संसद सदस्यों और विभिन्न लोक मंचों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच बजट प्रक्रिया के समय की जाती है और सरकार का निर्णय वित्त विधेयक में प्रस्तावों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है।

कम्प्यूटर की खरीद के लिए दिशा-निर्देश

3892. श्री आदि शंकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सक्षम प्राधिकारी ने दिसम्बर, 1998 के दौरान सरकारी विभागों द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम की खरीद के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सक्षम प्राधिकारी को यह जानकारी है कि आपूर्ति और निपटान महानिदेशक ने व्यक्तिगत कम्प्यूटरों के लिए सामान्य विशिष्टताओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है और मूल्य ठेका को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशक ने कम्प्यूटरों के लिए मूल्य ठेका को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की खरीद मूल्य ठेका किस वर्ष से लागू होगा;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की खरीद के लिए खुली निविदा प्रणाली अनिवार्य है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। मांग-पत्र भेजने वाले विभागों/कार्यालयों की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सामान्य विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

(घ) से (ज) जी, हां। 15.12.1999 से दर निविदाएं नियमित रूप से तय की जा रही हैं। पिछली तय की गयी दर निविदा दिनांक 8 जुलाई, 2003 तक वैध है। नई दर निविदाएं तय करने के लिए विज्ञापित निविदाएं दिनांक 22.08.2003 को खोली जानी हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली के तहत् प्रावधानों के अनुसार संबंधित केन्द्रीय सरकारी विभाग निविदाएं मंगाए बिना आपूर्ति और निपटान महानिदेशक के निविदा दरों के द्वारा व्यक्तिगत कम्प्यूटर खरीद सकते हैं।

वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिशें

3893. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) ने विभिन्न मंत्रालयों का व्यय संबंधी अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से वैज्ञानिक मंत्रालयों को सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों के व्यय की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का परामर्श दिया था;

(ग) कौन सा मंत्रालय इन सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए नोडल मंत्रालय था और इस मंत्रालय ने व्यय सुधार आयोग के परामर्श पर अभी तक क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या कोई समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इनमें से प्रत्येक वैज्ञानिक मंत्रालय/विभाग के संबंध में इस समिति की क्या सिफारिशें हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ग) से (छ) व्यय सुधार आयोग ने कुल लगभग 70 मंत्रालयों/विभागों में से 36 मंत्रालयों/विभागों का अध्ययन किया था। व्यय सुधार आयोग ने वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों का अध्ययन नहीं किया है। जिन मंत्रालयों/विभागों (वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों सहित) का अध्ययन नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे व्यय सुधार आयोग द्वारा अपने "स्टाक एहैड" शीर्षक वाले नोट में सुझाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार अपने कार्यों की समीक्षा करें। व्यय सुधार आयोग की स्वायत्तशासी संस्थानों संबंधी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई थी?

[हिन्दी]

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के साथ भारतीय स्टेट बैंक का समझौता ज्ञापन

3894. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के साथ "एस.बी.आई.- महिन्द्रा ट्रैक्टर प्लस" नाम से किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक को इस समझौते से क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक तथा महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के बीच हुए तालमेल के अनुसार कंपनी ट्रैक्टरों की खरीद के लिए किसानों को 3000 रुपए की रियायत देगी जबकि बैंक 10 प्रतिशत के घटाए गए मार्जिन पर ऋण मंजूर करेंगे। बैंक ने अग्रिम शुल्क/प्रोसेसिंग प्रभार भी छोड़ दिए हैं। उपर्युक्त व्यवस्थाओं से बैंक को आसान एवं आकर्षक शर्तों पर कृषि उपस्कर के लिए ऋण देने में सुविधा होगी तथा बैंक अपने अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि करने में समर्थ होंगे।

[अनुवाद]

दमन संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय का द्विविभाजन

3895. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दमन उद्योग संघ से दमन संघ राज्य क्षेत्र को दो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में बांटने के विरोध में विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस द्विविभाजन से बलसाड आयुक्तालय के क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण हुआ है और दमन के व्यापारी समुदाय के लिए बहुत सी समस्याएं और उत्पीड़न उत्पन्न कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस द्विविभाजन का प्रस्ताव करने वाली अधिसूचना को निरस्त करने और दमन संघ राज्य क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को एक ही आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि व्यापारी समुदाय की समस्याओं और क्षेत्राधिकार अतिक्रमण को दूर किया जा सके?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सम्पूर्ण दमन संघ शासित क्षेत्र को एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अंदर रखने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) अभ्यावेदन की जांच की गई है और संपूर्ण दमन संघ शासित क्षेत्र को एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अंदर रखने का निर्णय लिया गया है।

कृषि के लिए ऋण दर

3896. श्रीमती रमा पायलट: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से कतिपय अन्य श्रेणियों को उपलब्ध मूल ऋण दर की तर्ज पर एक पृथक कृषि ऋण दर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किसानों को उचित ब्याज दर पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराने के लिए क्या नये कदम उठाये हैं ताकि हमारी कृषि जोन की उत्पादकता विकसित देशों के स्तर तक बढ़ सके?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक उधार दर के लिए आधार के रूप में कार्य करने हेतु सभी लागत तत्व एवं उचित लाभ मार्जिन शामिल करके एकल मूल आधार दर (पीएलआर) की घोषणा करते हैं। अलग-अलग उधारकर्ताओं/क्षेत्रों पर ब्याज दर जोखिम प्रीमिया आदि को ध्यान में रखते हुए पीएलआर से जोड़कर निर्धारित की जाएगी। कृषि क्षेत्र को कम ब्याज दरों का लाभ देने की आवश्यकता के संबंध में 28 फरवरी, 2003 को केन्द्रीय बजट पेश करते समय दिए गए वक्तव्य के परिणामस्वरूप, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने प्रतिभूत अग्रिमों के लिए अपनी मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक एवं कम की ब्याज दर मात्रा लागू करने के मामले में उचित कार्रवाई करने हेतु 5 मार्च, 2003 को अपने सभी सदस्य बैंकों को सलाह दे दी है। तत्पश्चात आईबीए ने 12.7.2003 को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी है कि 50,000 रु. तक के फसल ऋणों पर ब्याज दर 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

केन्द्रीय भंडागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) का भंडारण शुल्क

3897. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के खाद्यान्नों के भण्डारण के शुल्क बहुत अधिक बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय भण्डागार निगम से प्रचलित लागत अभिलेख नियमों के अनुसार लेखाओं के साथ लागत अध्ययन करने अथवा लागत अभिलेख प्रणाली तैयार करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय भण्डागार निगम ने भारतीय खाद्य निगम के आग्रह पर क्या कदम उठाये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) केन्द्रीय भण्डारण निगम को भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय भण्डारण प्रभार वित्त मंत्रालय की लागत रेखा शाखा द्वारा लागत के विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर की गई सिफारिशों पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा तय किए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम की जांच

3898. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम के रिकार्डों की हाल की जांच से यह उजागर हुआ है कि श्रमिकों को प्रति वर्ष औसतन चार लाख रुपये मिलते हैं और "छद्म" श्रमिक भी देखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विशाल आय के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक इस स्थिति की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम के हरियाणा क्षेत्र स्थित सिरसा डिपो में एक हैंडलिंग श्रमिक के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान मजदूरी, प्रोत्साहन मजदूरी तथा समयोपरि भत्ता समेत विभागीय श्रमिक की वार्षिक आय लगभग 4 लाख रुपये है। ऐसा काम के अत्यधिक बोझ के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रोत्साहन स्कीम के अनुसार श्रमिकों की

"प्रोत्साहन-मजदूरी आय" में वृद्धि हो गई। यह प्रोत्साहन स्कीम श्रमिकों के प्रति शिफ्ट/दिन के उत्पादन से सम्बद्ध है। औसतन एक विभागीय श्रमिक की कुल मजदूरी 1.70 से 1.80 लाख रुपये वार्षिक के बीच होती है।

भारतीय खाद्य निगम के पास उनके विभिन्न डिपुओं में खाद्य हैंडलिंग प्रचालनों के लिए पर्याप्त श्रमिक बल है और निगम को प्रचालनों हेतु किसी बाहरी श्रमिक की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

प्रौक्सी लेबर के बारे में कोई विशिष्ट मामला भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में नहीं आया है। प्रौक्सी लेबर, यदि कोई हो, की कथित प्रणाली से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा क्षेत्र के सभी जिला प्रबंधकों को अनुदेश जारी कर कड़ाई से पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए कहा गया है।

श्रमिकों की उत्पादकता में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों के लिए मौजूदा प्रोत्साहन योजना को 13.03.1999 को भारतीय खाद्य निगम के श्रमिक संघ के साथ हुए समझौते के अनुसार नियमित किया जा रहा है। श्रमिकों को प्रोत्साहन आय का भुगतान बोरियों/हाइट/लीड की विहित मानदंडों से परे हैंडलिंग करने के लिए किया जाता है। योजना में इन तीनों प्रचालनों के लिए सामान्य मजदूरी के ऊपर अतिरिक्त प्रतिशतता देने का प्रावधान है। श्रमिकों की प्रोत्साहन आय शिफ्ट घंटों के दौरान तथा शिफ्ट घंटों के बाद उनके द्वारा किए गए उत्पादन पर निर्भर करती है। निर्धारित मानदंडों की तुलना में अधिक बोरियों की हैंडलिंग करने और श्रमिकों को स्थानीय दुकान और स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन और समयोपरि भत्ते के भुगतान के कारण श्रमिकों की संयुक्त आय में वृद्धि हो जाती है।

श्रमिकों द्वारा किए गए उत्पादन के मामले में नियमों के ढांचे के भीतर मजदूरी, प्रोत्साहन मजदूरी और समयोपरि भत्ते के भुगतान को गैर-कानूनी भुगतान नहीं कहा जा सकता है। समयोपरि भत्ते/ प्रोत्साहन पर व्यय को न्यूनतम बनाये रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अपेक्षाकृत कम कार्य वाले डिपुओं से श्रमिकों को दौरे पर भेजकर ऐसे डिपुओं पर तैनात करें, जहां पर्याप्त काम उपलब्ध है, क्योंकि वास्तविक प्रोत्साहन/समयोपरि भत्ते की तुलना में यात्रा भत्ता पर व्यय कम होता है। इस प्रकार, प्रोत्साहन और समयोपरि भत्ते पर होने वाले व्यय में काफी सीमा तक कटौती की गई है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

3899. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों ने कितना विदेशी ऋण लिया है;

(ख) इस ऋण का पुनर्भुगतान किस प्रकार किया जायेगा;

(ग) क्या इन कंपनियों ने यह ऋण नयी गतिविधियों को आरंभ करने अथवा भारतीय वित्तीय संस्थाओं को मौजूदा ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदन/स्वतः मार्ग के अर्न्तगत अनुमोदित/संविदाकृत विदेशी मुद्रा ऋण निम्नानुसार हैं:-

	अवधि	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	2000-01	2837.00
2.	2001-02	2653.00
3.	2002-03	4235.00

(ख) उधारकर्ता द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों की वापसी, वापसी-अनुसूची के अनुसार, की जाएगी।

(ग) और (घ) विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार उधारकर्ता मौजूदा क्षमता के विस्तार, नए निवेशों तथा सामान्य कार्पोरेट प्रयोजनों के लिए जिनमें भारतीय वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों को बकाया राशियों की वापसी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्रोतों से विदेशी मुद्रा ऋण जुटा सकते हैं।

कंपनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) द्वारा बाहर से निरीक्षण कार्य कराया जाना

3900. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) निरीक्षण संबंधी कार्य को बाहर से करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करता है;

(ग) क्या कर्मचारियों की कमी और अधिक कार्यभार के कारण कंपनी कार्य विभाग जीरोक्स मोदी कोर्प घूसखोरी के आरोप जैसे बड़े मामले ही बाहरी योग्य एजेंसियों को सौंप चुका है

(घ) क्या शार्दूल श्राफ समिति ने कंपनी कार्य विभाग द्वारा ऐसे निरीक्षण कार्यों को बाहर से कराने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मैसर्स जिराक्स मोदीकार्प लिमिटेड के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 के अन्तर्गत जांच का कार्य व्यवसायिक फर्म को सौंप दिया गया है।

(घ) फिलहाल ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल को यू.के. की सहायता

3901. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को कितनी सहायता दी जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूनाइटेड किंगडम की सरकार अगले दो वर्षों के दौरान इस राशि में वृद्धि करने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राशि कितनी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) वर्ष 2002-03 के दौरान भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 631.23 करोड़ रु. की राशि दी गई थी और चालू वर्ष (2003-04) के दौरान अब तक पश्चिम बंगाल को विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 283.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) यूनाइटेड किंगडम की सरकार भारत को द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मुहैया कराती है। वर्ष 2002-03 के दौरान यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत को 146.09 मिलियन पौण्ड की सहायता मुहैया कराई है। यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय सहायता का राज्य-वार आवंटन नहीं करता। यूनाइटेड किंगडम ने इंगित किया है कि वे भविष्य में भारत को दी जाने वाली सहायता बढ़ाकर संभवत: प्रतिवर्ष 300 मिलियन पौण्ड कर देंगे।

[अनुवाद]

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय

3902. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के दिल्ली और चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के विज्ञापन, खान-पान, सम्मेलनों, यात्रा भत्ता, प्रबंधकों और उनसे ऊपर के अधिकारियों के दौरों, मोबाइल फोन बिलों, निजी टैक्सी बिलों, ड्राइवरों को समयोपरि भत्ते, पेट्रोल बिलों, विविध व्ययों और अन्य कार्यालय व्यय जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों के अंतर्गत होने वाले व्यय में कटौती के लिए कोई अभियान शुरू करने हेतु कंपनी को निर्देश देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) परिहार्य व्यय पर रोक लगाने हेतु कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग और वित्तीय सलाहकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा मनोनीत, वित्तीय सलाहकार कंपनी के लेखा विभाग का भी प्रमुख है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए)

लेखा शीर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
विज्ञापन	2.37	5.04	4.46	2.06	3.87	3.33
सम्मेलन	2.23	1.83	1.57	5.42	2.67	3.71
समयोपरि भत्ता	0.10	1.43	0.30	1.97	0.10	1.70
स्थानीय वाहन भत्ता	13.15	68.74	14.74	60.75	16.61	66.28
पैट्रोल	0.20	54.87	0.43	57.64	0.70	61.39
खान-पान प्रबंध	4.87	8.29	7.00	8.02	8.79	9.70
प्रबंधकों तथा उच्चाधिकारियों के दौरे	4.30	11.19	4.41	11.27	3.08	10.97
मोबाइल फोन	–	0.35	0.41	0.39	0.26	0.79
प्राइवेट टैक्सी	–	1.81	–	1.96	0.06	1.58
विविध	78.50	112.70	81.78	96.74	74.41	101.94

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन संबंधी खर्चों को बीमा अधिनियम की धारा 40ग द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस धारा के प्रावधान के अनुसार, कोई भी बीमा कंपनी प्रबंधन व्यय के रूप में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना, निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकती।

(ङ) आतंरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा शीर्ष-वार बजटीय आवंटन, स्वीकृत बजट की तुलना में किये गए व्यय की आवधिक पुनरीक्षा जैसे विभिन्न बजटीय तरीकों के माध्यम से लागत पर नियंत्रण रखने और लागत में कटौती करने का प्रयास किया जाता है।

(च) और (छ) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में वित्तीय सलाहकारों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है। चूंकि, वित्तीय दूरदर्शिता का इस्तेमाल करने तथा कड़ा आंतरिक नियंत्रण रखने में सभी साधारण बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए इन कंपनियों में लेखा विभाग को वित्तीय सलाहकारों के प्रभार के अधीन लाकर उनके द्वारा निपटाए जाने वाले कार्य क्षेत्र का विस्तार करके, वित्तीय सलाहकार के पदों को समुचित रूप से शक्तिशाली बना दिया गया है।

खराब धान की खरीद

3903. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास अच्छे किस्म के धान और अन्य खाद्यान्नों की खरीद सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विशेषकर पंजाब के भटिन्डा और संगरूर जिलों में किसी विपथन की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान खराब धान और अन्य खाद्यान्नों की खरीद के उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक-समान विनिर्दिष्टियों के मानदण्डों के अनुसार खाद्यान्नों की वसूली करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन धान और अन्य खाद्यान्नों की खरीदारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडियों में तकनीकी सहायक नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् सहायक प्रबंधक (गु.नि.)/डिप् प्रबंधक (गु.नि.), जिला/क्षेत्रीय/जोनल अधिकारी भी खरीदे गए धान और अन्य खाद्यान्नों का निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंडियों का दौरा करते हैं।

(ग) से (च) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 2003 की रिपोर्ट संख्या 4 (सा.क्षे.उ.) में यह देखा गया था कि भटिण्डा और संगरूर जिलों में 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जिला प्रबंधक स्तर तक के अधिकारियों की मिलीभगत से तकनीकी कर्मचारियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में घटिया चावल और अस्वीकृति की सीमा के बाहर का 171.46 करोड़ रुपये मूल्य का (1.72 लाख टन मात्रा) चावल स्वीकार किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम ने कहा है कि तकनीकी कर्मचारियों द्वारा भटिण्डा/संगरूर जिलों में बड़े पैमाने पर घटिया चावल स्वीकार नहीं किया गया था। भटिण्डा और संगरूर जिलों में चावल की वसूल की गयी मात्रा और अस्वीकृति की सीमा से बाहर घोषित की गयी मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	वसूल की गयी चावल की मात्रा लाख टन में		अस्वीकृति की सीमा से बाहर घोषित चावल की मात्रा टन में	
जिला	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
भटिण्डा	4.62	5.27	5848 (1.26 प्रतिशत)	19159 (3.6 प्रतिशत)
संगरूर	11.27	12.40	11294 (1 प्रतिशत)	42362 (3.41 प्रतिशत)

निरीक्षण के दौरान विभिन्न दस्तों द्वारा अस्वीकृति की सीमा से बाहर के स्टाक की कुछ मात्रा का पता लगाया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने उन 197 मामलों के संबंध में पहले से कारंवाइ शुरू कर दी है, जहां भटिण्डा और संगरूर में विभिन्न निरीक्षण दस्तों द्वारा अस्वीकृति की सीमा से बाहर के स्टाक का पता लगाया गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिला प्रबंधक, संगरूर/भटिण्डा सहित प्रथम श्रेणी के पांच अधिकारियों के विरुद्ध पहले ही कारंवाई शुरू कर दी गयी है।

यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न पग उठाए गए हैं कि स्टाक अर्थात् गेहूं, धान और चावल की वसूली विनिर्दिष्टियों के अनुरूप ही की जाए:-

(i) गुणवत्ता से संबंधित जांच करने के लिए मंडियों/डिपुओं में भारतीय खाद्य निगम के जिला/क्षेत्रीय/आंचलिक/मुख्यालय तथा मंत्रालय से दस्ते नियुक्त किये जाते हैं,

(ii) घटिया स्टाक की खरीदारी का पता चलने के मामले में चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, और

(iii) संबंधित राज्य सरकारों को अच्छी गुणवत्ता के स्टाक की खरीदारी करने के लिए मंडियों में विद्युत क्लीनर, मंडियों में पक्के यार्ड आदि सहित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई है।

प्रतियोगिता आयोग

3904. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतियोगिता आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतियोगिता आयोग की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार की इस आयोग का आधार विस्तृत करने की कोई योजना है;

(घ) क्या इस आयोग में गैर-सरकारी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सदस्यों और अन्य नियुक्त किए गए लोगों के कार्यकाल का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार ने "प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002" अधिनियमित किया है जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना का प्रावधान है। सरकार ने चूंकि आयोग के अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति की घोषणा कर दी है।

(ख) सीसीआई के मुख्य कार्य प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल असर डालने वाली प्रथाओं को रोकना और बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना और इसे बनाए रखना है।

(ग) और (घ) अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम दो तथा अधिक से अधिक दस सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए योग्यताएं भी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में दी गई हैं तथा आयोग में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ङ) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पदों की शर्तें निर्धारित करती है। पद का कार्यकाल पांच वर्ष है। अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष तथा किसी अन्य सदस्य के लिए 65 वर्ष है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण माफी संबंधी लाभ

3905. **श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट संबंधी घोषणा और इस बारे में लिए गए निर्णय से देश में लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को कुछ राज्यों के किसानों और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें मिली हैं कि उक्त लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों से शिकायतें मिली हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

3906. **श्री विष्णुपद राय:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसानों द्वारा उत्पादित 12 हजार मीट्रिक टन चावल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा किस तारीख से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत किसानों से चावल की खरीद शुरू करने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का आगामी खरीफ विपणन मौसम 2003-2004 से विकेंद्रीकृत वसूली योजना के अधीन चावल की वसूली शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अन्तर्देशीय यात्रा कर का भुगतान न किया जाना

3907. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई विमानन कंपनियां सरकार को समय से अन्तर्देशीय हवाई यात्रा का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चूककर्ता विमानन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा आज की तिथि तक उन पर अलग-अलग कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने विमानन कंपनियों द्वारा उक्त कर का समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) जो विमानन कंपनियां इस समय हवाई उड़ानों का प्रचालन शुरू कर रही हैं, वे सरकार को नियमित रूप से अपने अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर का भुगतान कर रही हैं। कुछ कंपनियां, जो कई वायुयानों का प्रचालन करती हैं और अपनी कर-देयता का सही आकलन कर पाने में सक्षम नहीं हैं, शुरू में अनंतिम आधार पर कर का भुगतान कर देती हैं और बाद में पूरे विवरण प्राप्त हो जाने के उपरान्त कुल सही धनराशि का आकलन किया जाता है तथा वापसी अथवा अतिरिक्त जमा के माध्यम से उसे समायोजित कर लिया जाता है।

जो विमानन कंपनियां इस समय हवाई उड़ानों का प्रचालन कर रही हैं, उनके पास कोई अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर बकाया नहीं है। बकाया राशि केवल ऐसे कुछ विमानन कंपनियों के पास लंबित है जिन्होंने हवाई उड़ानों का प्रचालन अब बंद कर दिया है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

(22.7.2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विमान कंपनी का नाम	बकाया देय राशियां (करोड़ रु. में) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	ब्याज	जुर्माना	योग
1.	मैसर्स राज एविएशन प्रा. लि.	0.47	0.96	0.15	1.58
2.	मैसर्स कान्टीनैन्टल एविएशन प्रा. लि.	0.75	1.64	0	2.39
3.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	2.53	6.49	0.26	9.29
4.	मैसर्स मोदी लुफ्त लिमिटेड (अब मैसर्स रायल एयरवेज लि. द्वारा अधिगृहीत)	0	0	14.32	14.32
5.	मैसर्स यू.पी. एयरवेज	0.68	0.88	0.54	2.10
6.	मैसर्स वी. आई. एफ. एयरवेज लिमिटेड	0.21	0.32	0.15	0.68
7.	मैसर्स स्काई लाइन एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स	4.07	6.26	9.52	19.85
8.	मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयर लाइन	1.82	2.58	2.40	6.80
9.	मैसर्स एयर एशियाटिक लिमिटेड	0.58	1.41	0.18	2.17
10.	मैसर्स गुजरात एयरवेज	0.57	1.44	0	2.01
11.	मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज	0.60	1.16	0.18	1.94
	योग	12.28	23.14	27.70	63.13

सरकार द्वारा अन्तर्देशीय विदेश यात्रा कर के भुगतान को मासिक रिटर्न की छानबीन के द्वारा मानीटर किया जाता है ताकि हवाई कंपनियों द्वारा समय पर कर के भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके। किसी कंपनी द्वारा भुगतान में विलंब अथवा चूक किए जाने की स्थिति में उसे 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और अर्थदंड, जो कि भुगतान न किए गए कर के 20% से कम नहीं होता है और वह बकाये कर की राशि के तीन गुने तक जा सकता है, का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा, गिरफ्तारी अथवा कंपनी के वायुयान को उड़ान भरने से रोकने के लिए भी कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं। प्रावधानों को और सख्त बनाने के लिए सरकार को वित्त अधिनियम, 2003 के जरिये हाल ही में अपराधियों को गिरफ्तार करने और अभियोग चलाने की शक्तियां हासिल हो गई हैं।

पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3908. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में पटसन का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में मेस्टा सहित कुल पटसन उत्पादन प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की 110 लाख गांठ था?

(ख) सरकार कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कच्ची पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान असम की कच्ची पटसन की टीडी-5 श्रेणी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 रु. प्रति क्विंटल था। वर्ष 1996-97 से 2003-2004 तक के पटसन वर्षों के लिए असम की टीडी-5 श्रेणी की पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

असम की टीडी-5 श्रेणी की पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

पटसन वर्ष (जुलाई-जून)	मूल्य (रु./क्विंटल)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
1996-97	510	20
1997-98	570	60
1998-99	650	80
1999-2000	750	100
2000-2001	785	35
2001-2002	810	25
2002-2003	850	40
2003-2004	860	10

(ग) और (घ) सरकार वर्ष-दर-वर्ष हमेशा पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर घोषित कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का ब्यौरा उपर्युक्त तालिका के कालम (3) में दिया गया है।

[अनुवाद]

बैंकों के निदेशक

3909. श्री अनन्त नायक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार संसद सदस्यों, राज्य विधायिकाओं के सदस्यों और शेयर दलालों के वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक बनने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के इस कदम के पीछे क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सरकार ने बैंकिंग उद्योग के हाल ही के अनुभव के आधार पर शेयर दलालों के वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों में निदेशक बनने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने हेतु पहले ही, 13.8.2003 को, बैंककारी विनियमन (संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2003 लोक सभा में पेश किया जा चुका है।

कोली समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

3910. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में मिलते-जुलते कोली नाम वाले सभी 42 समुदायों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को शामिल करने की सिफाशि की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां। कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में मिलते-जुलते कोली नाम वाले 39 समुदायों की सिफारिश की है।

(ख) कोली समुदाय के विस्तृत नाम नीचे दिए गए हैं:-

(1) गंगामाता (2) गंगाकुला (3) गोरीमाता (4) अम्बिगा (5) कब्बालिगा (6) कब्बेर (7) कब्बेरा (8) कार्वी (9) भोयी (10) भांई (11) बोयी (12) थोरेया (13) गब्बित (14) गोअबित (15) दावत (16) गंगामक्कलु (17) गंगापुता (18) अम्बिग (19) बेस्था (20) कोली (21) काराकंथरा (22) कारीकांथरा (23) मीनागारा (24) खारिया (25) सिवियार (26) पारिवारा (27) बुंडा बस्थर (28) महादेवा कोली (29) तलवाड़ा (30) माछला, कहार (31) मेगावीरा (32) सुन्नगर (33) बारकी (34) बेस्थर (35) सूर्यवंशी कोली (36) जलगर (37) माची गबित (38) गापित (39) दालिजा।

(ग) से (ङ) इस प्रस्ताव पर प्रयोजनार्थ निर्धारित, अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

निर्यात कोटा

3911. श्री रामदास आठवले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने हाल में संकेत दिया है कि भारत से मिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात कोटा तभी बढ़ाया जाएगा जब अमरीकी परिधान उद्योग को पारस्परिक आधार पर भारत में विपणन सुविधाएं मिलें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अनुसार मात्रा संबंधी प्रतिबंध, 1 जनवरी 2005 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिए जायेंगे और वस्त्र क्षेत्र पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमरीका सहित डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देश इस दायित्व से बाध्य हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जाली बैंक ड्राफ्ट

3912. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली बैंक ड्राफ्टों के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हो रहे घाटे संबंधी कई मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान बैंकवार और मूल्यवार हुए घाटे का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार चेकों/मांग ड्राफ्ट आदि के कपटपूर्ण संग्रहण/उगाही के मामलों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने नकली/जाली मांग ड्राफ्टों द्वारा धोखाधड़ी के अपराध के विरुद्ध सुरक्षा संबंधी सलाह देते हुए बैंकों को विस्तृत निर्देश जारी किया है। इन सुरक्षोपाय में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं कि बैंक ड्राफ्टों को सिक्योरिटी वस्तु के रूप में मानना जिसे संयुक्त अभिरक्षण में रखा जाए तथा प्रतिदिन उसका मिलान किया जाए एवं आवधिक रूप से उसका सत्यापन किया जाए, अति संवेदनशील कागज पर ड्राफ्ट को छापा जाए, मांग ड्राफ्टों को जारी करते समय प्रोटेक्टोग्राफ मशीन पिनपोइंट टाइपराइटर अथवा संरक्षी चेक राइटर का प्रयोग किया जाए, आहरण अधिकारियों के हस्ताक्षर की सावधानीपूर्वक छानबीन की जाए तथा संदेह के मामले में फैक्स/टेलेक्स/टेलीग्राम द्वारा जारी करने वाली शाखा से संपर्क किया जाए तथा जहां बड़ी राशि वाले ड्राफ्टों को नकद रूप में भुगतान किया जाता है वहां पारित करने वाले अधिकारियों द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जाए।

बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अदाकर्ता शाखा/बैंक को जारी ड्राफ्ट की प्रतिकृति प्रति को भेजने की प्रणाली को लागू करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए विद्यमान प्रणालियों/पद्धतियों की समीक्षा करें तथा पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

विवरण

अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार चेकों/मांग-पत्रों इत्यादि के कपटपूर्ण संग्रहण/उगाही के मामलों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	44	102.28
(विदेशी शाखाएं)	00	0.00
स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	02	3.36
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	05	31.27
स्टेट बैंक आफ इंदौर	03	4.25
स्टेट बैंक आफ मैसूर	00	0.00
स्टेट बैंक आफ पटियाला	00	0.00
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	01	0.47
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	00	0.00
इलाहाबाद बैंक	05	42.48
आंध्रा बैंक	00	0.00
बैंक आफ बड़ौदा	64	204.67
(विदेशी शाखाएं)	01	12.90
बैंक आफ इण्डिया	17	396.52
(विदेशी शाखाएं)	00	0.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	00	0.00
केनरा बैंक	56	138.70
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	29	137.80
कारपोरेशन बैंक	12	19.07
देना बैंक	04	21.11
इंडियन बैंक	04	4.76
इंडियन ओवरसीज बैंक	10	14.90
ओरि. बैंक आफ कामर्स	04	14.98
पंजाब नेशनल बैंक	18	84.54
पंजाब एंड सिंध बैंक	05	64.16
सिंडिकेट बैंक	31	20.19
यूनियन बैंक आफ इंडिया	08	10.87
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12	5.25
यूको बैंक	14	57.82
विजया बैंक	05	6.68

(आंकड़े अनन्तिम)

[अनुवाद]

सी.डब्ल्यू.सी. प्राप्तियों को डीमैट में बदलना

3913. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम ने हाल में भंडारण प्राप्तियों को डीमैट में बदलने का निर्णय किया है जैसाकि प्रतिभूतियों के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में स्थापित किए गए कमाडिटिज एक्सचेंज में डीमैट फार्म में भंडारण प्राप्तियों का कारोबार करने की अनुमति होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी. डब्ल्यू. सी. ने भंडारण प्राप्तियों के डीमैट के लिये नेशनल सेक्यूरीटिज डिपाजिटरीज लिमिटेड के साथ समझौता किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार भंडारण प्राप्तियों के डीमैट फार्म को परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अंतर्गत लाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) केन्द्रीय भंडारण निगम ने अब तक भंडागार रसीदों को डीमैट रूप में परिवर्तन करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों का निरीक्षण

3914. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 35 के अंतर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का सांविधिक निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड की जानकारी में आई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाबार्ड द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 2000-02 के दौरान उसने अनियमितताएं पाई थीं जिनमें से मुख्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं:

1. खराब वसूली संबंधी कार्य के परिणामस्वरूप अत्यधिक बकाया एवं अनुपयोज्य आस्तियां होना।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को यथा लागू) के विभिन्न उपबंधों जैसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) मानदंडों (धारा 18 और 24) आदि के साथ-साथ धारा 11 (1) अर्थात कम से कम 1 लाख रु. की चुकता शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधि के वास्तविक अथवा विनिमय मूल्य को बनाए रखने का गैर-अनुपालन।

3. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित "आय पहचान एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंडों" का गैर-अनुपालन।

4. अपर्याप्त आंतरिक जांच एवं नियंत्रण, अंतर शाखा लेखों का मिलान न होना एवं लेखा बहियों के आवधिक संतुलन का अभाव, कार्य प्रबंधन में व्यावसायिकता की कमी, सरकारी प्रतिभूतियों में कारबार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंडों का पालन न किया जाना, उच्चतर वित्त अभिकरणों के प्रति की गई चूकें, त्रुटिपूर्ण ऋण नीति एवं प्रक्रियाएं, न्यूनतम योगदान, एक्सपोजर मानदंडों जैसे मानदंडों के अनुरक्षण में चूकें, आदि।

(ग) मुख्य अनियमितताओं की सूचना बैंक को निरीक्षण के उपरांत दी गई थी और इसके बाद इनका अनुवर्तन अनुपालन रिपोर्ट मांगने की स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी बैंक के निदेशक मंडल/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ मुख्य निष्कर्षों तथा इनके सुधार के लिए बैंक की ओर से अपेक्षित प्रयासों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक करता है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सहित बैंक के मुख्य कार्यपालक को निरीक्षण के निष्कर्षों के मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए भी अग्रेषित की जाती है जिसके बाद एक विशेष टिप्पणी भेजी जाती है जिसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जाता है जिनमें राज्य सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई अपेक्षित होती है। वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर निर्धारित विवरणियों के माध्यम से कार्यस्थल निरीक्षण के बाद स्थलेतर निगरानी की जाती है। नाबार्ड जब भी अपेक्षित होता है, बैंकों को पूर्व चेतावनी संकेत भी जारी करता है।

[हिन्दी]

निर्यात संबंधी आंकड़े

3915. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में प्रत्येक राज्य द्वारा किये जा रहे आयात और निर्यात संबंधी आंकड़े नहीं रख रही है

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने निर्यातोन्मुखी इकाइयों को दी जा रही आर्थिक सुविधाओं के मूल्यांकन हेतु तंत्र का भी विकास नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस तरह के ब्यौरे न रखने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार देश में प्रत्येक राज्य द्वारा किये जा रहे आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा रखती है।

(ख) जी नहीं, निर्यातोन्मुखी इकाइयों को दिये जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन के परिमाणन के लिये तंत्र मौजूद है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.आई.एफ.आर. के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम

3916. श्री अजय चक्रवर्तीः
श्री जी.एस. बसवराजः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास किन रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मामले भेजे गए हैं; और

(ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा इनमें से प्रत्येक उपक्रम के बारे में क्या निर्णय किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों एवं 30 जून, 2003 तक के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (केन्द्रीय एवं राज्य) एवं उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों एवं 30 जून, 2003 तक के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (केन्द्रीय एवं राज्य) एवं उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जिस वर्ष उसके नाम को बाईफर को भेजा गया	स्थिति
1.	ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड	2000	जांचाधीन
2.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	2000	-तदैव-
3.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	2001	रख-रखाव योग्य न होने के कारण रद्द
4.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि.	2001	जांचाधीन
5.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	2002	रख-रखाव योग्य न होने के कारण रद्द
6.	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लि.	2002	-तदैव-
7.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	2002	-तदैव-
8.	बिक्को लावरी लिमिटेड	2002	-तदैव-
9.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	2002	जांचाधीन
10.	एन्ड्रे यूल एंड कंपनी लिमिटेड	2002	-तदैव-

राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड (यू.पी.)	2000	रख-रखाव योग्य न होने के कारण रद्द
2.	अपट्रान पावरट्रोनिक लिमिटेड (यू.पी.)	2000	जांचाधीन
3.	देवगिरि टेक्सटाइल मिल्स लि. (महाराष्ट्र)	2001	रख-रखाव योग्य न होने के कारण रद्द
4.	त्रावणकोर-कोचिन केमिकल्स लि. (केरल)	2002	-तदैव-
5.	केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव. कार. लि. (केरल)	2002	-तदैव-
6.	गुजरात कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोनिक्स लि. (गुजरात)	2002	सीका, 1985 की धारा 20(1) के तहत समापन हेतु सिफारिश
7.	गोवा आटो एसेसरिज लि. (गोवा)	2002	जांचाधीन
8.	तमिलनाडु सिमेंट्स कारपोरेशन लि. (तमिलनाडु)	2002	-तदैव-
9.	कमलेश्वर टेक्सटाइल्स मिल्स लि. (महाराष्ट्र)	2002	-तदैव-
10.	एनपी एचएमपीसी लि. (पंजाब)	2002	-तदैव-
11.	केल्ट्रान क्रिस्टल लिमिटेड (केरल)	2003	-तदैव-
12.	वेस्टर्न महाराष्ट्र डेव. कारपोरेशन लिमिटेड (महाराष्ट्र)	2003	-तदैव-
13.	महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (महाराष्ट्र)	2003	-तदैव-

[हिन्दी]

अलआईसी में दावा न की गई धनराशि

3917. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न शाखाओं में दावा न की गई कुल कितनी धनराशि पड़ी हुई है; और

(ख) एलआईसी का इस राशि को किस तरीके से उपयोग करने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2003 तक की स्थिति के अनुसार पालिसीधारकों की दावा न की गई निवल राशि 101.39 करोड़ रु. थी।

(ख) एलआईसी ने सूचित किया है कि किसी भी दावे को 5 वर्ष की अवधि के लिए उनके विवरणों में बकाया-स्थिति में रखा जाता है? जब निपटान की कोई संभावना नहीं रहती और दावेदार के साथ संपर्क नहीं किया जा सकता तो दावा न की गई राशि को राजस्व खाते में वापस जमा कर दिया जाता है। लेकिन जब भी दावा कर दिया जाता है तो निपटान के लिए यह धनराशि उपलब्ध रहती है। विलम्बित दावों के संबंध में देनदारियों को पूरा करने के बाद, बकाया दावा राशि को जीवन निधि खाते में जमा करा दिया जाता है जिस पर निगम के समस्त पालिसीधारकों का सामूहिक स्वामित्व है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को अतिरिक्त धनराशि

3918. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से इसकी विकासात्मक परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) 2002-2003 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने आने वाले वर्षों में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 3000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निर्बाध अनुदान पैकेज हेतु अनुरोध किया था। राज्यों को गैर-योजना अनुदान सामान्यतया वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जारी किया जाता है और गैर-योजना अनुदान के लिए नई प्रणाली आरंभ करना ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं होगा। राज्यों के विकासात्मक परिव्यय के वित्तपोषण के लिए योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके वार्षिक योजनाओं के लिए व्यवस्था की जाती है। तदनुसार, तमिलनाडु की वार्षिक योजना 2003-04 के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु 3057.80 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

संगमरमर आयात नीति

3919. श्री राम विलास पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्बल प्रोसेसर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दादर और नागर हवेली ने संगमरमर के आयात संबंधी नीति में विसंगतियों को दूर करने हेतु सरकार को अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त एसोसिएशन ने यह अभ्यावेदन किस तारीख को दिया;

(ग) सरकार द्वारा एसोसिएशन के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर यदि कोई निर्णय लिया गया हो तो क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) बाकी मांगों पर निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) जी हां। एसोसिएशन ने कई बार अभ्यावेदन दिए हैं। अंतिम अभ्यावेदन 16.4.2003 को प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदनों पर विधिवत् विचार करने तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने के बाद यह तय किया गया है कि अपरिष्कृत संगमरमर के आयातों के संबंध में लागू प्रतिबंधों को जारी रखा जाए।

विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता

3920. श्री प्रबोध पण्डा:
डा. बलिराम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं हेतु आबंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश द्वारा धनराशि की मांग

3921. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राज्य में अनेक चालू योजनाओं हेतु मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों अर्थात् 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वास्तव में कितनी राशि आबंटित की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की सीमा में आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए भारत सरकार से 9833.17 करोड़ रुपए की धनराशि की वित्तीय सहायता/समायोजन की मांग की है। योजना आयोग ने राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके राज्य की वार्षिक योजना और वार्षिक

योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी है। राज्य को गैर-योजना अनुदान ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए हैं।

(ख) विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए राज्य की अनुमोदित वार्षिक योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को आबंटित वास्तविक धनराशि और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अंतरण निम्नवत हैं:-

(करोड़ रुपए में)

मद	2001-02	2002-03
राज्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता	5299.53	6021.60
ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अंतरण	4545.55	4721.92

लघु उद्यमियों को "सिडबी" की सहायता

3922. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान "सिडबी" द्वारा देश में विभिन्न लघु उद्यमियों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ख) स्वीकृत कुल ऋण में से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को वर्षवार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या उपर्युक्त राज्यों के लघु उद्यमियों द्वारा किये जा रहे आवेदनों में या तो जानबूझकर देरी की गई अथवा विभिन्न दलीलों के आधार पर उन्हें ऋण नहीं दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का "सिडबी" द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों से इस प्रकार का भेदभाव करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न लघु उद्यमियों को संस्वीकृत एवं संवितरित ऋण की राशि नीचे दी गई है;

(करोड़ रु.)

वर्ष	मंजूर राशि	संवितरित राशि
2000-01	10821	6441
2001-02	9026	5919
2002-03	10903	6789

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए कुल ऋणों में से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को प्रदान किए गए ऋणों की राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रु.)

राज्य	2000-01		2001-02		2002-03	
	मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण
पश्चिम बंगाल	366.97	171.00	296.98	190.42	290.38	160.03
बिहार	47.82	29.65	33.77	29.19	34.28	21.82
उड़ीसा	213.85	164.44	132.99	91.76	62.59	55.96
अरुणाचल प्रदेश	1.67	1.67	2.13	2.13	-	-
असम	34.62	20.16	23.35	19.36	9.21	6.35
मणिपुर	6.39	7.27	1.52	1.52	-	-
मेघालय	7.52	5.43	2.94	4.72	3.70	2.50
मिजोरम	1.90	1.51	1.04	0.81	-	-
नागालैंड	3.80	2.82	2.53	2.47	-	-
त्रिपुरा	7.85	6.50	1.43	1.27	8.78	5.17

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में जालसाजी

3923. श्री बीर सिंह महतो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए जालसाजी का ब्यौरा देने हेतु प्रणाली स्थापित करना और उनके द्वारा निवेश हो रहे उतार-चढ़ाव के प्रति एक कोष बनाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एल. मित्रा समिति ने भी इस संबंध में सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक 1.00 करोड़ रु. और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के अलग-अलग मामलों की सूचना अपने केन्द्रीय कार्यालय को तुरंत देते हैं। 1.00 लाख रु. और इससे अधिक तथा 1.00 करोड़ रु. तक की धोखाधड़ियों की सूचना उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को दी जाती है और 1 लाख रु. से कम की राशि की धोखाधड़ियों की सूचना उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर समेकित रूप से दी जाती है। धोखाधड़ियों की कम्प्यूटरीकृत रिपोर्टिंग के लिए धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रणाली से संबंधित साफ्टवेयर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को भेजा गया है।

भविष्य में ब्याज दर के वातावरण में किसी संभावित प्रत्यावर्तन से सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षित निधि का निर्माण करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) का निर्माण करें। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को 5 वर्षों की अवधि के अन्दर एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में अपने निवेशों के न्यूनतम 5% के आईएफआर का निर्माण करना अपेक्षित है। आईएफआर, सामान्य प्रावधानों और हानि संबंधी आरक्षित निधियों के साथ-साथ, कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन श्रेणी-II पूंजी के रूप में माने जाने के लिए पात्र है। बैंकों द्वारा किए गए अनुरोधों की समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया था कि यद्यपि आईएफआर श्रेणी-II के रूप में माने जाने के लिए पात्र होगा, तथापि यह कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगा। तथापि, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए आईएफआर सहित श्रेणी-II पूंजी की गणना श्रेणी-I की कुल पूंजी के अधिकतम 100% तक की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्व बैंक सहायता

3924. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा भारत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) सरकार का विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का किन क्षेत्रों में उपयोग करने का विचार है; और

(ग) ऋण पुन:अदायगी की क्या शर्तें हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष (जुलाई 2003 तक) के लिए सड़कों, खाद्य और औषधि क्षमता निर्माण तथा ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन संबंधी क्षेत्रों के लिए 514.59 मिलियन अमरीकी डालर राशि के ऋण/उधार स्वीकृत किए हैं।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से मिलने वाले ऋण परिवर्तनीय विस्तार (बीएसएल) के आधार पर उपलब्ध होते हैं जिनकी वापसी अदायगी की अवधि, 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष की होती है। परिवर्तनीय ब्याज की वर्तमान दर 1.55% है। अनुमोदित राशि पर 1% की दर से प्रारंभिक शुल्क (फ्रंट एंड फी) तथा असंवितरित ऋण राशि पर 0.25% की दर से निवल वचनबद्धता प्रभार भी देय होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से मिलने वाले ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि, 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित, 35 वर्ष होती है। इन पर 0.75% की दर से सेवा प्रभार अदा करना होता है लेकिन इन पर (वर्तमान में) कोई ब्याज अथवा वचनबद्धता प्रभार नहीं लगता।

जर्मनी के साथ व्यापार समझौता

3925. श्री सुबोध राय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने जर्मनी के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते किन क्षेत्रों में किए गए हैं; और

(ग) द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुधारने और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जर्मनी को हमारे मुख्य निर्यातों में इंजीनियरिंग मदें, वस्त्र, औषधि, भेपज, रसायन, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, रत्न एवं आभूषण शामिल हैं।

जर्मनी से हमारे मुख्य आयातों में मशीनरी, रसायन एवं भेषज, लौह एवं इस्पात, यर्थाथमापी यंत्र, आटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रानिक मदें शामिल हैं।

(ग) द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सुधारने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार का संवर्धन करने के लिए किए गए उपायों में द्विपक्षीय संयुक्त आयोग के माध्यम से सरकारी स्तर पर नियमित वार्ताएं करना, व्यापारी स्तर पर प्रत्यक्ष संपर्कों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना, व्यापार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में भागीदारी करना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

एन टी सी की लाभ कमाने वाली मिलें

3926. श्री रामसिंह राठवा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही वस्त्र मिलों को लाभ कमाने वाली मिलों में बदलने हेतु कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 से लेकर 2002 के अंत तक कितनी रुग्ण मिलों को लाभ कमाने वाली मिलों में बदला गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्लाल)]: (क) बीआईएफआर ने सरकार के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2002 में एनटीसी के समस्त आठ रुग्ण निगमों के लिए पुनर्स्थापना की स्वीकृति दी है जिसमें गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद करना और अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार करना शामिल है। सरकार इन योजनाओं को अर्थक्षम बनाने के लिए पूंजी का पुनर्निर्माण करके 5,500 करोड़ रु. मूल्य का त्याग करने/रियायतें देने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) बीआईएफआर ने वर्ष 2002 में ही पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति दी है और इसकी कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2002-03 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए है। पुनरुद्धार के लिए निर्धारित मिलों का सर्वांगीण सुधार, पुनर्स्थार्पनाओं के कार्यान्वयन के बाद ही होने की आशा है।

(ग) बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापना योजनाएं मुख्यतः एनटीसी की बेशी भूमि और परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से स्व-वित्तपोषित होंगी। तथापि, सरकार इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है जिसमें वर्ष 2002-03 के दौरान मजदूरियों/वेतन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए 350.47 करोड़ रु. जारी करने के अतिरिक्त एनटीसी बांड द्वारा 1250 करोड़ रु. एकत्रित करने के लिए गारंटी देना शामिल है।

[हिन्दी]

सलाहकारों की सेवाएं

3927. श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विदेश स्थित उद्योगों का अध्ययन करने हेतु सलाहकारों की सेवायें ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) निर्यात संवर्धन

सरकार का सतत प्रयास होने के कारण पण्य वस्तुओं के निर्यातों का संवर्धन करने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-(कोलन) निर्यात क्षेत्र के लिये आवश्यक अनुसंधान अध्ययन आरम्भ करना, महत्वपूर्ण गंतव्यों और उत्पादों के संबंध में बाजार अनुसंधान करना आदि। सरकार द्वारा किये गये आंतरिक अनुसंधान करने के अलावा ऐसे अनुसंधान अध्ययन करने के लिये परामर्शदाताओं की सेवाएं समय-समय पर ली जाती हैं।

महिला बैंक शाखाएं

3928. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को महिलाओं हेतु विशेष शाखाएं खोलने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उक्त अनुदेश का अनुसरण नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनुदेशों को बिना और विलम्ब किये लागू कराने हेतु कुछ ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 07.06.2001 को सभी अग्रणी बैंकों को यह परामर्श दिया था कि वे उन जिलों में, जहां उनका अग्रणी उत्तरदायित्व है, संभावित केन्द्रों की पहचान करें और विशिष्ट महिला शाखाएं खोलें।

(ख) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों ने महिला शाखाएं खोली हैं। अनन्य रूप से महिला उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान शाखाओं को परिवर्तित किया है:

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5
इलाहाबाद बैंक	1
इंडियन ओवरसीज बैंक	1
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
विजया बैंक	1

सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक विशिष्ट महिला शाखाएं खोलने की व्यवहार्यताओं का पता लगा रहे हैं। तथापि, इनमें से कई बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं में महिला कक्षों की स्थापना पहले ही कर दी है।

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3929. **श्री पवन सिंह घाटोवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग में समूह ख, ग और घ के कितने कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हुई;

(ख) क्या मृतक के आश्रित बच्चों अथवा परिवार के अन्य सदस्यों ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु, आवेदन किया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(घ) इनमें से कितने आवेदनकर्त्ताओं को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया; और

(ङ) अन्य लोगों को नियुक्ति से वंचित करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समूह ख, ग और घ में आयकर विभाग के 667 कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हई, 587 आश्रित परिवार के सदस्यों ने अनुकम्पा नियुक्तियों के लिए आवेदन किए और 63 नियुक्तियां की गई।

(ङ) मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्तियों के लिए मना नहीं किया गया है। कोटे के अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक नियुक्तियां की गई, जो कि सीधी भरती के लिए रिक्तियों का 5 प्रतिशत है।

एशियाई देशों को निर्यात

3930. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 में अन्य एशियाई देशों को भारतीय निर्यात में 42.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 में अन्य एशियाई देशों को निर्यात हेतु क्या पर्याप्त लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में एशियाई देशों को भारतीय निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान अन्य एशियाई देशों से हुई आयात की स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) एशियाई देशों को भारतीय निर्यातों, जिनका भारत के कुल निर्यातों में 41.68 प्रतिशत का हिस्सा है, में 2001-02 की तुलना में 2002-03 में डालर के अनुसार 32.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) पण्य वस्तुओं के लिए निर्यात वृद्धि का लक्ष्य समग्र रूप से वर्ष 2003-04 के लिए 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ग) एशियाई देशों को मुख्य क्षेत्रों में से अधिकतर के निर्यात सकारात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित करते हैं। कुछ मुख्य मदों, जिनमें वर्ष 2002-03 के दौरान कुछ एशियाई देशों को भारतीय निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है, में यार्न तथा उसके बुने हुए वस्त्रों सहित कपास, बुने हुए हुए परिधान, समुद्री उत्पाद तथा मशीनें शामिल हैं।

(घ) जनवरी 2002 में घोषित की गयी मध्यावधि निर्यात कार्यनीति, 2002-07 में शामिल नीतियों के आधार पर केन्द्रीय बजट, 2003-04 और एक्जिम नीति, 2003-04 के जरिए अनेक कार्यक्रम/स्कीमें आरंभ की गयी हैं। एक्जिम नीति 2003-04 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों (ई ओ यू) को सुदृढ़ करने आदि के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीम को सुदृढ़ किया गया है। अधिकतर एशियाई देशों को निर्यातों में वृद्धि करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप एशियाई देशों को निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा 2001-02 में 37.37 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 41.68 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) एशियाई देशों से वस्तुओं के कुल आयात में 2001-02 की तुलना में 15.49 प्रतिशत की वृद्धि 2002-03 में होकर 16476.42 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

स्व-रोजगार योजनाएं

3931. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण देने संबंधी प्रावधान को लागू करने की निगरानी करने हेतु गठित समितियों ने ऋणों की मंजूरी/वितरण में विद्यमान प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयातकों/निर्यातकों द्वारा कम बीजक बनाना

3932. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:
श्री कमलनाथ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने अनेक निर्यातकों/आयातकों और व्यक्तियों पर "कोफेपोसा" के अन्तर्गत कम बीजक आयात/निर्यात बनाने पर अर्थदण्ड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी धोखाधड़ी को रोकने हेतु अपने नियमों और कानूनों को सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान "कोफेपोसा" के अन्तर्गत सात व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था। इस अधिनियम के तहत कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया जाता है। वित्त अधिनियम, 2003 के द्वारा सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के विभिन्न प्रावधानों, विशेषकर धारा 113, 114, 135 और 136 को पहले ही सशक्त बना दिया है।

जनजातीय क्षेत्रों की पहचान

3933. श्री चिंतामन वनगा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय क्षेत्रों की पहचान की है/उन्हें अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के विकास हेतु कोई विशेष योजनाएं लागू की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी राशि आबंटित की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान की है/उन्हें अधिसूचित किया है। अधिसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति इस मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध-5 में दी गई है जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और पिछले तीन वर्षों (2000-01, 2001-02 और 2002-03) के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे भी उल्लिखित वर्ष 2002-2003 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध-6 से 21, 23, 24, 26 और 29 के विवरण में दिए गए हैं।

तम्बाकू उत्पादकों हेतु चिकित्सा बीमा योजना

3934. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों के लिये चिकित्सा बीमा योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) तम्बाकू बोर्ड ने 31.3.2002 से 31.3.2003 के दौरान पंजीकृत फल्यू क्यार्ड वर्जीनिया तम्बाकू उपजकर्ताओं की एक बीमा कंपनी से चिकित्सा दावा प्राप्त करने में मदद की थी। इस बीमा पालिसी में उपजकर्ता, उसकी पत्नी, दो बच्चे तथा 60 साल से कम आयु के माता-पिता शामिल थे। इस स्कीम को बीमा प्रीमीयम में बहुत अधिक वृद्धि होने तथा फ्लोटर सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2003-2004 में जारी नहीं रखा जा सका।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि

3935. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से लिए ऋण की पुनर्अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जून, 2003 के अंत तक इन घरानों के प्रति कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ग) वे कौन-कौन से औद्योगिक घराने हैं जिनके विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंकों ने कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त कार्यवाही के माध्यम से कितने ऋण की वसूली हुई/वसूली होने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कताई मिलें

3936. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से राजस्थान में राज्यवार और स्थानवार अलग-अलग कितनी कताई और कम्पोजिट मिलें हैं;

(ख) देश में सहकारी/सरकारी/निजी क्षेत्र में इस समय कितनी मिलें कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के पिछड़े जिलों में ऐसी मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार कताई व संयुक्त क्षेत्र की मिलों की कुल संख्या 1872 है जिनमें से 54 राजस्थान में हैं जिसकी स्थान-वार सूची संलग्न विवरण I पर दी गई है। राज्य-वार सूची विवरण II पर है।

(ख) सहकारिता/सरकारी/निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रही मिलों की संख्या निम्नलिखित है:

प्रबंधन	मिलों की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र	95
सहकारी क्षेत्र	100
निजी क्षेत्र	1173
कुल	1368

(ग) और (घ) सरकार देश में मिलों की स्थापना नहीं करती हैं। इस संबंध में सरकार की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है। सरकार कताई व संयुक्त मिलों सहित वस्त्र मिलों के विकास के लिए विविध योजनाओं तथा नीतियों के माध्यम से प्रेरक वातावरण तैयार करती है।

विवरण I

राजस्थान राज्य में स्थान-वार वस्त्र मिलों की सूची

क्र.सं.	अवस्थिति का नाम	कताई मिलें	संयुक्त मिलें	कुल मिलें
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	3	2	5
2.	अलवर	10	1	11
3.	बांसवाड़ा	1	1	2
4.	भीलवाड़ा	12	3	15
5.	डुंगरपुर	2	0	2
6.	हनुमानगढ़	1	0	1
7.	जयपुर	3	0	3
8.	झालावाड़	1	0	1
9.	जोधपुर	1	0	1
10.	पाली	1	0	1
11.	सीकर	1	0	1
12.	सिरोही	2	0	2
13.	श्री गंगानगर	1	1	2
14.	उदयपुर	6	0	6
15.	टोंक	0	1	1
	कुल	45	9	54

विवरण II

कताई व संयुक्त क्षेत्र की मिलें [सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर-एसएसआई)]

(30.06.2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कताई मिलें	संयुक्त मिलें	कुल मिलें
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	96	2	98
2.	असम	6	2	8
3.	बिहार	7	1	8
4.	छत्तीसगढ़	1	1	2
5.	दिल्ली	0	1	1
6.	गोआ	1	0	1
7.	गुजरात	60	89	149
8.	हरियाणा	78	2	80
9.	हिमाचल प्रदेश	16	0	16
10.	जम्मू व कश्मीर	2	0	2
11.	झारखण्ड	1	0	1
12.	कर्नाटक	49	10	59
13.	केरल	34	4	38
14.	मध्य प्रदेश	40	18	58

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	131	78	209
16.	मणिपुर	1	0	1
17.	उड़ीसा	16	1	17
18.	पंजाब	75	3	78
19.	राजस्थान	45	9	54
20.	तमिलनाडु	837	20	857
21.	उत्तर प्रदेश	58	16	74
22.	उत्तरांचल	5	0	5
23.	पं. बंगाल	24	15	39
	संघ राज्य क्षेत्र			
24.	दादर नगर हवेली	3	2	5
25.	दमन व द्वीव	1	0	1
26.	पांडिचेरी	9	2	11
	कुल योग	1596	276	1872

विकास केन्द्रों के संसाधन का उपयोग

3937. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास केन्द्रों जैसी अवसंरचना योजनाओं को सीमित सफलता मिली है जिसके फलस्वरूप संसाधन का ईष्टतम उपयोग नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो अपने आरम्भ से लेकर देश में सभी विकास केन्द्रों के संसाधन उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से कभी कोई प्रभावी अध्ययन करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में बनाये गये विकास केन्द्रों का कार्य निष्पादन कैसा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना ने पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है। अनुमोदित किये गये 71 विकास केन्द्रों में से 68 विकास केन्द्रों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। अब तक विभिन्न विकास केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 427.49 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। 19 विकास केन्द्रों को पूरी केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गई है। 44 विकास केन्द्रों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। इन विकास केन्द्रों में अब तक 987 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है। अब तक 9386.76 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। इन विकास केन्द्रों में 31,416 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किये गये हैं। देश में सभी विकास केन्द्रों की, इनकी शुरूआत से, संसाधन उपयोग संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) उन राज्यों से जहां विकास केन्द्रों को पूरी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो गई है, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने को कहा गया है। अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार विकास केन्द्रों की स्थापना से निश्चित रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक तथा औद्योगिक अवसंरचना में सुधार हुआ है।

(ङ) प्रत्येक राज्य में विकास केन्द्रों का कार्य निष्पादन विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	केन्द्र द्वारा जारी की गयी राशि	राज्य और इसके अभिकरणों द्वारा जारी की गई राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	200.00	179.81	379.81
2.	खम्माम (खम्माम)*	50.00	–	–

1	2	3	4	5
3.	चांचिली (विजयनगरम)	551.00	521.34	1072.34
4.	अंगोले (प्रकासम)	760.00	737.67	1414.39
	अरुणाचल प्रदेश			
5.	निकलॉग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	468.00	137.50	352.09
	असम			
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	700.00	152.11	402.03
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	750.00	192.05	491.93
	बिहार			
8.	बेगुसराय (भागलपुर)	500.00	697.75	943.87
9.	भागलपुर (भागलपुर)	50.00	392.77	458.40
10.	छपरा (छपरा)	50.00	90.00	9.70
11.	दरभंगा (दरभंगा)	50.00	-	-
12.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	50.00	90.00	9.73
	छत्तीसगढ़			
13.	बोराई (दुर्ग)	893.00	1330.60	2223.60
14.	सिलतारा (रायपुर)	1000.00	1753.84	2753.84
	गोवा			
15.	इलेक्ट्रानिक सिटी (वर्ना प्लेट्यू)	824.00	1234.31	2058.31
	गुजरात			
16.	गांधी धाम (कच्छ)	785.00	500.00	665.04
17.	पालनपुर (बनासकांठा)	350.00	500.00	473.00
18.	वागरा (भरूच)	1000.00	3940.25	4940.25
	हरियाणा			
19.	बावल (रेवाड़ी)	1000.00	7722.62	8722.62
20.	साहा (अम्बाला)	850.00	953.02	1353.02
	हिमाचल प्रदेश			
21.	कांगड़ा (कांगड़ा)	603.00	387.63	603.55
जम्मू और कश्मीर				
22.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	425.00	256.92	681.92
23.	साम्बा (जम्मू)	1000.00	851.98	1851.98
झारखण्ड				
24.	हजारीबाग (हजारीबाग)	200.00	241.19	57.10

1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
25.	धारवाड़ (धारवाड़)	1000.00	5165.00	6164.98
26.	रायचूर (रायचूर)	1000.00	1916.69	2716.69
27.	हसन (हसन)	1000.00	6319.52	7319.52
	केरल			
28.	कन्नूर-कांजिकोड (कन्नूर-कोजिकोड)	1000.00	2558.37	3291.68
29.	अलपुज्झा-मालापुरम (अलपुज्झा-मालापुरम)	1000.00	3004.37	3162.83
	मध्य प्रदेश			
30.	चैनपुरा (गुना)	250.00	260.00	527.70
31.	घिगेंगी (भिन्ड)	1000.00	3223.41	4223.41
32.	खेड़ा (धार)	1000.00	1161.63	2163.00
33.	मनलापुर (रायसेन)	635.00	636.87	1142.91
	महाराष्ट्र			
34.	अकोला (अकोला)	1000.00	1232.00	2231.21
35.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	815.00	777.12	1471.53
36.	धूले (धूले)	580.00	746.69	1262.67
37.	नानदेड़ (नानदेड़)	910.00	976.03	1794.18
38.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	440.00	124.76	564.76
	मणिपुर			
39.	लामलंई-नाफंट (इम्फाल)	150.00	126.59	8.56
	मेघालय			
40.	मेंदीपथर (ईस्ट गारो हिल्स)	50.00	-	-
	मिजोरम			
41.	लौंगमाल (एजल)	480.00	160.44	640.44
	नागालैण्ड			
42.	गणेशनगर (कोहिमा)	1500.00	460.25	1960.25
	उड़ीसा			
43.	छतरपुर (गंजम)	50.00	90.84	58.57

1	2	3	4	5
44.	कलिंगनगर-डुबुरी (कटक)	840.00	1839.22	2679.22
45.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	200.00	124.07	324.07
46.	केसिंगा (कालाहांडी)	125.00	37.02	128.89
	पांडिचेरी			
47.	पोलागाम करायकल (करायकल)	650.00	685.00	1171.28
	पंजाब			
48.	भटिन्डा (भटिन्डा)	1000.00	982.74	1982.74
49.	पठानकोट (गुरदासपुर)	1000.00	500.00	1246.42
	राजस्थान			
50.	आबू रोड (सिरोही)	1000.00	2153.11	3153.11
51.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	300.00	311.80	611.80
52.	खाड़ा (बीकानेर)	620.00	489.93	1109.93
53.	धौलपुर (धौलपुर)	1000.00	206.96	1206.94
54.	झालावाड़ (झालावाड़)	300.00	176.85	476.85
	तमिलनाडु			
55.	इरोड (पेरियार)	1000.00	9902.47	7902.47
56.	ओरागादम (कांच्चिपुरम)	800.00	296.74	1096.74
57.	तिरूनेलवेली गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)	930.00	1500.00	969.41
	त्रिपुरा			
58.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा-पश्चिमी)	1070.00	58.49	725.19
	उत्तर प्रदेश			
59.	बिजौली (झांसी)	593.00	365.12	958.12
60.	जमौर (शाहजहांपुर)	315.00	155.18	470.18
61.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	850.00	1108.14	1958.14
62.	डिबियापुर (औरेया)	150.00	75.00	223.64
63.	खुर्जा (बुलंदशहर)	420.00	285.00	587.28
64.	सथारिया (जौनपुर)	767.00	439.91	1006.91

1	2	3	4	5
65.	महजनवा (गोरखपुर)	1000.00	1553.27	2553.27
	पश्चिम बंगाल			
66.	चोंलपुर (बीरभूम)	200.00	100.00	153.50
67.	जलपाईगुड़ी (जलपाई गुड़ी)	200.00	100.00	157.50
68.	मालदा (मालदा)	400.00	274.25	384.00
	कुल	42699.00	75524.21	105861.01

*आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर खम्माम स्थित विकास केन्द्र के स्थल को जेडकेरला (जिला-महबूबनगर) स्थानांतरित करने के संबंधी प्रस्ताव को हाल ही स्वीकार कर लिया गया है।

*[illegible] पदमपुर (उत्तरांचल) को अन्तिम रूप से जारी की गई राशि: 50 लाख रुपये

*[illegible] पदमपुर (उत्तरांचल) सहित जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता की राशि : 42699 लाख रुपये + 50 लाख रुपये = 42749 लाख रुपये

विवरण II

विकास केन्द्रों का कार्यनिष्पादन

[illegible]	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	अनुमोदन की तिथि	अधिग्रहित भूमि	विकसित किए गए प्लाट/शेड	आवंटित किए गए प्लाट/शेड	स्थापित की गई इकाइयों की संख्या	इकाइयों द्वारा निवेश की गई पूंजी	सृजित किये गये रोजगार
	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश (बी)							
	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	30.3.92	712.52 एकड़	231/12	133/10	36	1570.08	938
2.	खम्माम (खम्माम)	23.7.92	–	–	–	–	–	–
	बोब्बिली (विजयनगरम)	30.3.92	1239.33 एकड़	408/–	1/–	–	–	–
4.	ओंगोले (प्रकासम)	30.3.92	1320.44 एकड़	615/–	4/–	–	–	–
	अरुणाचल प्रदेश							
5.	निकलाग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	08.04.97	582.15 एकड़	–	–	–	–	–
	असम (ए)							
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	31.10.97	1672 बीघा	–	–	–	–	–
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	08.04.97	1500 बीघा	–	–	–	–	–
	बिहार (बी)							
8.	बेगुसराय (बेगुसराय)	03.05.95	392.141 एकड़	–	–	–	–	–
9.	भागलपुर (भागलपुर)	30.9.96	424.25 एकड़	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	छपरा (छपरा)	30.9.96	-	-	-	-	-	-
11.	दरभंगा (दरभंगा)	13.2.98	-	-	-	-	-	-
12.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	30.09.96	-	-	-	-	-	-
	छत्तीसगढ़ (ए)							
13.	बोराई (दुर्ग)	27.03.91	436.84 हैक्टेयर	323/35	55/26	36	11563	1404
14.	सिलतारा (रायपुर)	1103.92	1259.286 हैक्टेयर	151/10	32/10	19	63394.00	1731
	गोवा (ए)							
15.	इलेक्ट्रानिक सिटी (वर्ना प्लेट्यू)	12.02.93	291781 वर्ग मीटर	398/-	319/-	82	31163.67	7723
	गुजरात (ए)							
16.	गांधीधाम (कच्छ)	23.07.92	131 हैक्टेयर	387/-	-	-	-	-
17.	पालनपुर (बनासकांठा)	23.07.92	75 हैक्टेयर	136/-	-	-	-	-
18.	वागरा (भरूच)	23.07.92	200 हैक्टेयर	300/-	-	-	-	-
	हरियाणा (ए)							
19.	बावल (रेवाड़ी)	31.03.92	1212 एकड़	556/-	208/-	25	100000.00	400
20.	साहा (अम्बाला)	31.10.97	301 एकड़ 5 कनाल	916/-	125/-	-	-	-
	हिमाचल प्रदेश (ए)							
21.	कांगड़ा (कांगड़ा)	20.02.97	196-69-62 हैक्टेयर	311/30	114/30	51	1499.00	574
	जम्मू और कश्मीर (ए)							
22.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	11.12.97	5167 कनाल 02 मारला	12/-	6/-	-	-	-
23.	साम्बा (जम्मू)	27.01.92	1742 कनाल	241/-	33/-	-	-	-
	झारखण्ड (सी)							
24.	हजारीबाग (हजारीबाग)	03.05.95	525.34 एकड़	-	-	-	-	-
	कर्नाटक (ए)							
25.	धारवाड़ (धारवाड़)	27.01.92	2205 एकड़	2205 एकड़	1333 एकड़	88	72400	573
26.	रायचूर (रायचूर)	27.01.92	1000 एकड़	430 एकड़	3	-	-	-
27.	हसन (हसन)	27.01.92	1825 एकड़	1825 एकड़	514 एकड़	75	435300	2023
	केरल (ए)							
28.	कन्नूर-कोजिकोड (कन्नूर-कोंजिकोड)	28.02.94	572 एकड़	88/-	37/-	3	2057	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	अलपुज्झा-मालापुरम (अलपुज्झा-मालापुरम)	28.02.94	523 एकड़	55 एकड़/ 7 एकड़/-	7 एकड़/-	-	600	100
	मध्य प्रदेश (ए)							
30.	चैनपुरा (गुना)	27.03.91	334.81 हैक्टेयर	400 हैक्टे/-	180 हैक्टे/-	-	-	-
31.	घिरोंगी (भिन्ड)	27.03.91	716 हैक्टेयर	441.032 हैक्टेयर/-	143.987 हैक्टेयर/-	42	121778.25	7296
32.	खंड़ा (धार)	27.03.91	240.770 हैक्टेयर	98/-	11/-	6	66252.64	1755
33.	मतलापुर (रायसेन)	23.03.93	321.190 हैक्टेयर	-	-	-	-	-
	महाराष्ट्र (बी)							
34.	अकोला (अकोला)	30.392	625.05 है.	286/-	216/-	45	8337	510
35.	चन्द्रपर (चन्द्रपुर)	30.03.92	623.49 हैक्टेयर	150/-	1/-	-	-	-
36.	धूले (धूले)	30.03.92	707 हैक्टेयर	60	3	-	-	-
37.	नानदंड़ (नानदंड़)	11.12.97	645.81 हैक्टेयर	188/-	7	1	415.00	52
38.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	30.03.92	-	-	-	-	-	-
	मणिपुर (सी)							
39.	लामलंई-नाफंट (इम्फाल)	02.03.98	-	-	-	-	-	-
	मेघालय (सी)							
40.	मंदीपथर (ईस्ट गारो हिल्स)	24.10.97	-	-	-	-	-	-
	मिजोरम (सी)							
41.	लॉगमाल (एजल)	24.10.97	311 एकड़	30/6	-	-	-	-
	नागालैण्ड (सी)							
42.	गणेशनगर (कोहिमा)	12.02.98	1000 एकड़	23-/	-	-	-	-
	उड़ीसा (सी)							
43.	छतरपुर (गंजम)	12.02.97	-	-	-	-	-	-
44.	कलिंगनगर-डुबुरी (कटक)	12.02.97	1500 एकड़	-	-	-	-	-
45.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	12.02.98	102 एकड़	-	-	-	-	-
46.	केसिंगा (कालाहांडी)	09.02.99	126.72 एकड़	2/-	2/-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पांडिचेरी (सी)							
47.	पोलागाम करायकल (करायकल)	31.10.97	592 एकड़	74/	74/	–	–	–
	पंजाब (ए)							
48.	भटिन्डा (भटिन्डा)	27.03.91	389.79 एकड़	401/17	198/–	17	–	–
49.	पठानकोट (गुरदासपुर)	06.01.92	409.86 एकड़	432/205	187/–	0	–	–
	राजस्थान (ए)							
50.	आबू रोड (सिरोही)	31.03.92	914.00 एकड़	294/–	71/–	27	1000.00	300
51.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	18.12.97	1159 बीघा	4/–	4/–	–	–	–
52.	खाड़ा (बीकानेर)	31.03.92	1162 बीघा 21 बीसवा	461/–	235/–	75	948	680
53.	धौलपुर (धौलपुर)	23.03.93	332.22 एकड़	211	104/–	53	1500.00	240
54.	झालावाड़ (झालावाड़)	23.07.92	438 एकड़	238	118/–	78	900.00	450
	तमिलनाडु (ए)							
55	इरोड (पेरियार)	23.07.92	2450.07 एकड़	64/–	64/–	20	4761.86	1006
56.	आंरागादम (कांच्चिपुरम)	12.05.99	1260 एकड़	–	–	–	–	–
57	तिरूनेलवेली गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)	30.03.92	2032.00 एकड़	2/–	2/–	–	–	–
	त्रिपुरा (ए)							
58.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा-पश्चिमी)	07.11.97	242 एकड़	41/–	16/–	2	–	–
	उत्तर प्रदेश (ए)							
59.	बिजौली (झांसी)	23.03.93	309.64 एकड़	441/–	318/–	–	–	–
60.	जमौर (शाहजहांपुर)	17.02.93	147 एकड़	43/–	40/–	–	–	–
61.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	17.02.93	408 एकड़	247/–	2/–	–	–	–
62.	डिब्रियापुर (औरेया)	03.03.98	–	–	–	–	–	–
63.	खुर्जा (बुलंदशहर)	23.03.93	1200.84 एकड़	–	–	–	–	–
64.	सथारिया (जौनपुर)	17.20.93	508.45 एकड़	465/–	337/–	86	3954.50	1402
65.	सहजनवा (गोरखपुर)	16.02.93	525.27 एकड़	1298/30	999/25	89	5065.55	1941
	पश्चिम बंगाल (बी)							
66.	बोलपुर (बीरभूम)	20.02.97	50 एकड़	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	जलपाई गुड़ी (जलपाई गुड़ी)	20.02.97	105 एकड़	–	–	–	–	–
68.	मालदा (मालदा)	20.02.97	164 एकड़	135/-	124/-	31	4216.00	52
	कुल					987	938675.55	31416

(i) श्रेणी 'क' राज्यों को दर्शाता है जहां कार्यशील/कुल विकास केन्द्र का प्रतिशत 66 प्रतिशत और इससे अधिक है।

(ii) श्रेणी 'ख' राज्यों को दर्शाता है जहां कार्यशील/कुल विकास केन्द्र का प्रतिशत 33 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच है।

(iii) श्रेणी 'ग' राज्यों को दर्शाता है जहां कार्यशील/कुल विकास केन्द्र का प्रतिशत 33 प्रतिशत से कम है।

स्रोत : राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

कनाडा में विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन

3938. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कनाडा में हाल ही में सम्पन्न हुए विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन का कार्य सूची क्या थी;

(ख) भारत और चीन जैसे अन्य एशियाई देश सम्मेलन में अपना मत किस हद तक प्रस्तुत कर पाए; और

(ग) उक्त सम्मेलन के परिणाम से भारत को व्यापार की मात्रा बढ़ाने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) डब्ल्यू टी ओ के मुद्दों के बारे में एक अनौपचारिक लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक कनाड़ा द्वारा मोन्ट्रियल में 28-30 जुलाई, 2003 को आयोजित की गई थी ताकि दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा के हिस्से के रूप में दोहा में अपनाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं की वर्तमान स्थिति पर चुनिंदा देशों के व्यापार मंत्रियों के बीच विचारों का आदान प्रदान किया जा सके और अवरोधों को दूर करने के लिए कार्यनीतियों का पता लगाया जा सके। डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक और डब्ल्यू टी ओ की महापरिषद के अध्यक्ष के अतिरिक्त भारत सहित डब्ल्यू टी ओ के 25 सदस्यों को कनाडा द्वारा इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। भारत सहित सभी मौजूद सदस्यों ने दो कार्यक्रम द्वारा शामिल सभी मुद्दों पर अपनी जानी पहचानी स्थिति को दोहराया। हालांकि इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था फिर भी इससे सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे की स्थिति का मूल्यांकन करने और समझने में मदद मिली थी।

मलिमथ समिति

3939. श्री सुनील खां: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति मलिमथ समिति (एरियर्स कमेटी) ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को लागू करने हेतु कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) मलिमथ समिति (बकाया मामला समिति) नामक एक समिति ने न्यायपालिका में लंबित मामलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वर्ष 1989-90 के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी। तथापि, कुछ समय पूर्व, सरकार द्वारा, देश की दांडिक न्याय प्रणाली के संबंध में विचार करने और उसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति डा. वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता के अधीन एक समिति गठित की गई थी। समिति ने तारीख 21 अप्रैल, 2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के विभिन्न उपबंधों के संशोधन के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अवकाशों में कमी करने, मामलों का शीघ्र और प्रभावी विचारण उपलब्ध कराने की दृष्टि से विचारण की प्रक्रिया

में परिवर्तन करने, गंभीर अपराधों वाले मामलों में भाग लेने और पर्याप्त प्रतिकर के संबंध में पीड़ित व्यक्ति के अधिकार के लिए उपबंध करने, साक्षियों के संरक्षण, बकाया मामले उन्मूलन स्कीम, महिलाओं के प्रति अपराधों पर रोक लगाने के उपायों, अंतरराज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए केंद्रीय विधान का अधिनियमन करने, अपराध जगत के अपराधियों के विचारण के लिए फेडेरल न्यायालयों की स्थापना करने, अधिकाधिक अपराधों को शमनीय बनाने और संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों के बीच के भेदों को समाप्त करने के संबंध में सुझाव दिए हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि दंड विधि और दांडिक प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसुची की समवर्ती सूची में हैं, अतः, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना अपेक्षित होगा। इन सिफारिशों को लागू किए जाने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

अमेरिका और रूस के साथ व्यापार समझौता

3940. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अमेरिका और रूस के साथ किन-किन व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस समझौतों के फलस्वरूप भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) क्या सरकार इन देशों के साथ कुछ और समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा अमरीका और रूस के साथ किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) व्यापार को बढ़ाने का सरकार का प्रयास एक दीर्घकालीन और सतत प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी संरचना, जैव प्रौद्योगिकी और सेवाओं सहित आर्थिक क्षेत्रों की एक बड़ी श्रृंखला में व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा निवेश अवसरों को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन

3941. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ने दस नई शाखाएं खोलने का निर्णय भी लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कारपोरेशन ने सीमित कार्यक्षेत्र वाले देशों की सूची को कितना कम किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए), जो बीमा उद्योग को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ने बैंकों को दिनांक 16 अक्तूबर 2002 को जारी विनियमों के अंतर्गत एक जीवन बीमा और एक गैर जीवन बीमा कंपनी के लिए कार्पोरेट एजेंट बनने की अनुमति दी है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ई सी जी सी) जो आई आर डी ए के पास एक गैर जीवन बीमाकर्ता के रूप में पंजीकृत है, ने निर्यातकों के लिए अपने बीमा उत्पादों के विपणन के लिए दिनांक 4.8.2003 को कार्पोरेशन बैंक के साथ पहले कार्पोरेट एजेंट करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) ई सी जी सी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, नोएडा, विशाखापत्तनम, मंगलोर, गुण्टूर, विजयवाड़ा, अलीगढ़, तूतीकोरिन, एवं करूर जैसे केन्द्रों में सेटेलाइट शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। राजकोट, जोधपुर, चंडीगढ़, नोएडा एवं विशाखापत्तनम में उक्त शाखाओं को अक्तूबर, 2003 तक खोला जाना है और शेष शाखाओं के मार्च 2004 तक खोले जाने की आशा है।

(ङ) ई सी जी सी ने देशों की संख्या को 33 से 54 तक के प्रतिबंध कवर के अंतर्गत कम कर दिया है।

हथकरघा बुनकरों को सूती धागा

3942. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों को राज्य हथकरघा विकास निगम के माध्यम से राज सहायता प्राप्त दरों पर सूती धागा उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान बुनकरों को राज्यवार और विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी राज सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बुनकरों द्वारा राज सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध कराए गए सूती धागे के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय में मिल गेट कीमत योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), भारत सरकार का एक उपक्रम, हथकरघा बुनकरों एवं उनके संगठनों को मिल गेट कीमत पर अपेक्षित सभी प्रकार के धागे की आपूर्ति का प्रबंध करता है। मिल गेट के हथकरघा एजेंसियों के गोदामों तक धागे के परिवहन संबंधी व्यय को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा एजेंसियों और बाद में उसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को प्रतिपूर्ति किया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान क्रमशः विभिन्न राज्यों की हथकरघा एजेंसियों को 211.91 लाख रुपये तथा 55.39 लाख रुपये की राशि प्रतिपूर्ति की है। प्रतिपूर्ति संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान प्रतिपूर्ति संबंधी कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2003 से हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना और 1.3.2002 से 31.3.2003 तक की अवधि के लिए ऐसे प्रतिपूर्ति संबंधी प्रबंध को अनुमोदित किया है।

इस प्रबंध के अनुसार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने विभिन्न राज्यों के हथकरघा बुनकरों/हथकरघा एजेंसियों को वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान क्रमशः 890.00 लाख रुपये तथा 24190.00 लाख रुपये की लागत का धागा आपूर्ति किया और इस अवधि के लिए 82.67 लाख रुपये तथा 2225.80 लाख रुपये का लाभ दिलाया। हथकरघा एजेंसियों को दिलाए गए लाभ का राज्यवार, वर्ष-वार ब्यौरा सलग्न विवरण II में दिया गया है।

उपर्युक्त प्रबंध के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य एजेंसियों द्वारा की गई आपूर्ति हेतु राज्य सरकारों को निम्नलिखित अवमुक्तियां भी की गई:

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवमुक्त राशि (रुपये लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.07
2.	केरल	6.66
3.	पश्चिम बंगाल	5.33

(ग) से (ङ) उपर्युक्त योजना/प्रबंध के अंतर्गत प्रदान की गई राज सहायता के दुरुपयोग के संबंध में विगत 2 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

विवरण I

वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान मिल गेट कीमत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा की गई परिवहन प्रभार की राज्य-वार/वर्ष-वार प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.	राज्य/संघ	के दौरान की गई प्रतिपूर्ति	
सं.	राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.36	8.52
2.	असम	1.49	8.52
3.	बिहार	4.41	2.14
4.	छत्तीसगढ़	0.43	1.36
5.	गुजरात	0.05	-
6.	हरियाणा	4.39	2.66
7.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.04
8.	कर्नाटक	21.98	14.63

1	2	3	4
9.	केरल	30.68	–
10.	मध्य प्रदेश	3.82	0.37
11.	महाराष्ट्र	0.99	0.10
12.	मणिपुर	0.07	–
13.	मेघालय	0.17	–
14.	मिजोरम	0.37	–
15.	उड़ीसा	0.77	–
16.	पंजाब	0.11	0.04
17.	पांडिचेरी	1.48	–
18.	राजस्थान	0.25	–
19.	सिक्किम	0.01	–
20.	तमिलनाडु	98.62	19.76
21.	त्रिपुरा	7.41	–
22.	उत्तर प्रदेश	9.45	5.77
23.	प. बंगाल	14.57	–
	कुल	211.91	55.39

विवरण II

वर्ष 2001-2002 तथा 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा की गई सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी लाभ के राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हथकरघा एजेंसियों को दिलाए गए सेनवेट संबंधी लाभ	
		2001-02	2002-03
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	101.15
2.	छत्तीसगढ़	1.52	12.61
3.	गुजरात	–	1.18
4.	मध्य प्रदेश	0.56	12.99
5.	महाराष्ट्र	–	0.87
6.	कर्नाटक	0.51	36.17
7.	केरल	8.67	221.58
8.	उड़ीसा	0.25	3.95
9.	पांडिचेरी	1.42	12.01
10.	तमिलनाडु	65.39	1812.51
11.	त्रिपुरा	–	6.50
12.	प. बंगाल	0.30	4.28
	कुल	82.67	2225.80

[हिन्दी]

बिहार को विश्व बैंक की सहायता

3943. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान और आज तक साक्षरता, आंगनवाड़ी, कल्याण और विकास कार्यों हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बिहार के स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कितनी ब्याज दर पर धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) उक्त सहायता किन शर्तों पर प्राप्त की गई है;

(घ) बिहार सरकार द्वारा उक्त धनराशि से कौन से कार्य शुरू किए गए हैं; और

(ङ) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क), (घ) और (ङ) केवल बिहार के ही लिए विश्व बैंक की सहायता से राज्य क्षेत्र की कोई परियोजनाएं/स्कीमें नहीं चलाई जा रही हैं। तथापि, साक्षरता, आंगनवाड़ी, कल्याण और विकास कार्य के क्षेत्र संबंधी केन्द्रीय तथा राज्य स्तर की और ऐसी कई बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं जो बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित की जा रही हैं

जैसे कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना III, महिला एवं बाल विकास परियोजना, टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना III, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना इत्यादि।

बिहार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की तथा बहुराज्यीय परियोजनाओं/स्कीमों में शामिल निर्माण-कार्यों में राज्य के विभिन्न जिलों में प्राथमिक विद्यालयों की इमारतें/कमरे, आंगनवाड़ी केन्द्र, राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार इत्यादि शामिल है।

इन निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा विशिष्ट परियोजना/स्कीम के पूरा होने की तारीख से जुड़ी होती है।

(ख) और (ग) भारत सरकार को विश्व बैंक आईबीआरडी सहायता परिवर्तनीय विस्तार ऋण (वीएसएल) के रूप में मिलती है जिसकी वर्तमान ब्याज दर 1.55% है तथा इसकी वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 20 वर्ष की होती है। भारत सरकार को मिलने वाले विश्व बैंक आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता लेकिन इस पर 0.75% की दर से सेवा शुल्क प्रभारित किया जाता है तथा इसकी वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 35 वर्ष की होती है।

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए, राज्य सरकार को धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधी मानक शर्तों पर जारी की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए, धनराशि परियोजनाओं/स्कीमों की विशिष्ट शर्तों के अनुसार जारी की जाती है।

चीनी भंडार

3944. डा. बलिराम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी का विशाल भंडार पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की चीनी मिलों में पड़े चीनी के समग्र भंडार को जारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक राज्य के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) 15 जुलाई, 2003 को स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के पास 28.23 लाख टन (अनंतिम) चीनी का स्टाक था जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख को 33.26 लाख टन चीनी का स्टाक था।

(ग) और (घ) चीनी मिलों (उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों सहित) को गैर-लेवी चीनी की निर्मुक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, चीनी के उत्पादन, स्टाक, आवश्यकता, गुड़ तथा खण्डसारी जैसे अन्य वैकल्पिक मीठा कारकों की उपलब्धता और मूल्य में प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर की जाती है।

[अनुवाद]

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3945. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार को सावधान किया है कि यदि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का बढ़ाना जारी रहा तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं अस्थिर हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) विश्व बैंक मिशन ने वित्तीय क्षेत्र विकास परियोजना के तहत अक्तूबर, 2001 में छह सहभागी बैंकों नामत: इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं सिंडिकेट बैंक के कार्यानिष्पादन की अंतिम समीक्षा की थी। मिशन के दिनांक 17.4.2002 की अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि विद्यमान अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के पोर्टफोलियों को क्लीयर करने के प्रयासों के बावजूद एनपीए का स्तर उच्च रहा क्योंकि उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्रों में कुछ अंश तक गिरावट के रूख के कारण नए एन पीए बन गए हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बड़ा एक्सपोजर है। मिशन को इस बात की चिंता थी कि विकास ऋण गुणवत्ता के बल पर हुआ है तथा जिससे और एनपीए बन सकते हैं। विश्व बैंक मिशन की टिप्पणियां केवल सरकारी क्षेत्र के छह बैंकों तक सीमित थीं।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने देयराशियों की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बैंकों द्वारा

वसूली नीति तैयार और कार्यान्वित करने, सिविल न्यायालयों में मुकदमें दायर करने, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पास मामले दायर करने, निपटान सलाहकार समितियों, लोक अदालतों के माध्यम से समझौते द्वारा निपटान करने और विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे विभिन्न उपाय करने का परामर्श दिया है। बैंकों को उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना देने के लिए ऋण सूचना ब्यूरों की स्थापना भी की गई है। आतंरिक एवं बाह्य कारकों की वजह से कठिनाइयों का सामना करने वाली अर्थक्षम संस्थाओं के कार्पोरेट ऋणों के पुनर्गठन हेतु पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना भी शुरू की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ''आस्ति पुनर्गठन कंपनी'' (इंडिया लि.) नामक एक कंपनी निगमित की गई है। चूक के मामलों में प्रतिभूतियों के मोचन-निषेध एवं प्रवर्तन को सहज बनाने के लिए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' अधिनियमित किया गया है ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपनी देयराशियों की वसूली करने में सक्षम हो सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहुत पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के समझौते द्वारा निपटान के लिए 29 जनवरी, 2003 को संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्ग-निर्देशों में 10,000 करोड़ रुपए और इससे कम के बकाया शेष वाले सभी क्षेत्रों के, चाहे उनके कार्य का स्वरूप जो भी हो, वे सभी एनपीए शामिल होंगे, जो 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध या हानि वाले हो गए हैं।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

3946. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु राज्य के संसाधन अनुमानों पर विचार करने के दौरान 1610 करोड़ रुपए के संरचनात्मक समायोजन ऋण को संस्वीकृत करने हेतु विश्व बैंक से सिफारिश करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल) प्राप्त करने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इस एसएएल की राशि, किस्तें तथा सुधार-सूची, कार्यक्रम के पूरा होने पर निर्भर करेंगी। राज्य के संसाधन-अनुमानों में एसएएल संसाधनों को शामिल किया जाना, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व बैंक की तरफ से ऐसे संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उत्पाद शुल्क लाभ का प्रतिदाय

3947. श्री जे.एस. बराड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नीति के भूतलक्षी संशोधन के कारण तंबाकू कंपनियों से उनको हुए उत्पाद शुल्क लाभ का प्रतिदाय करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तंबाकू कंपनियों ने नीति के भूतलक्षी प्रभाव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विनिर्मित तंबाकू उत्पादों सहित विनिर्दिष्ट उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वापसी द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों को वित्त अधिनियम, 2003 (सं. 2003 का 32) की धारा 154 के तहत भूतलक्षी प्रभाव से वापस ले लिये गये हैं। इस संशोधन के फलस्वरूप तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं से 20412.62 लाख रुपये की धनराशि की मांग की गई है।

(ग) और (घ) वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 154 की वैधता और संशोधन से उद्भूत होने वाले बकायों की वसूली के लिए प्रारंभ की कार्रवाई को माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बकायों की वसूली के लिए अन्तःकालीन स्थगन प्रदान किया है और उक्त मामला अन्तिम निर्णय के लिए माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित है।

ऋण वसूली प्राधिकरण

3948. प्रो. आई.जी. सनदी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ऋण वसूली प्राधिकरण के कार्यकरण की इसके खराब कार्य-निष्पादन के कारण बैंक संघों द्वारा आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस ऋण वसूली प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों को निपटाया गया है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान निजी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित मामलों की कुल संख्या अलग-अलग कितनी है और ऋण वसूली प्राधिकरण द्वारा कितनी धनराशि का समाधान किया गया है;

(घ) क्या ऋण वसूली प्राधिकरण, कोयम्बटूर ने राजकोष की कीमत पर सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित वसूलियों की तुलना में ऋणों की वसूली में केवल निजी बैंकों की सहायता की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ऋण वसूली प्राधिकरण, कोयम्बटूर द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उसने डी आर टी कोयम्बटूर के कार्यकरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ख) ऋण वसूली अधिकरण प्राधिकरण (डीआरटी) कोयम्बटूर 22.3.2003 को स्थापित किया गया था। अधिकरण ने 22.03.2002 से 13.8.2003 तक की अवधि के दौरान 302 मामलों को निपटाया है।

(ग) डी आर टी कोयम्बटूर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1.8.2002 से 13.08.2003 तक की अवधि में निपटाए गए मामलों की कुल संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि निम्नानुसार है:

	निपटाए गए मामले	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	189	32.18
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	75	17.13

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जीवन बीमा शुरू करना

3949. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंजाब नेशनल बैंक के अमरीका की वित्त कंपनी के साथ जीवन बीमा शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब नेशनल बैंक के पास अपने म्युच्यअल फंड को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने अमेरिका में स्थित प्रिंसिपल फाइनेंसियल ग्रुप के साथ पेंशन एवं जीवन-बीमा कंपनी तथा इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के बीच बीमा संयुक्त उद्यम गठित करने संबंधी प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मांगा है। कंपनियों की प्रस्तावित शेयर पूंजी क्रमशः 110 करोड़ रु. और 5 करोड़ रु. है। पंजाब नैशनल बैंक के अतिरिक्त विजया बैंक और मैसर्स बर्जर पेंन्ट्स इंडिया लि. संयुक्त उद्यम में भागीदारी करेंगे।

(ग) से (ङ) पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी) अपने म्युचुअल फंड योजनाओं को प्रस्तावित प्रिंसिपल पी एन बी आस्ति प्रबंधन कंपनी में अंतरित करने पर विचार कर रहा है जो कि संयुक्त उद्यम क्रम से विशेषज्ञतापूर्ण कार्य है और विश्व स्तरीय संस्थाओं के साथ भागीदारी से दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होगी।

खली का निर्यात

3950. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई मिलियन टन खली का निर्यात कर दिया जाता है जिससे हमारे पशुधन इससे वंचित हो रहे हैं और उनकी उत्पादकता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा मवेशी के मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या खली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) खली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने से संबंधित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त

हुए हैं। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष के तुलना में वर्ष 2002-03 में खली के निर्यात में काफी गिरावट आई है जिससे घरेलू मांग के मजबूत होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा निर्यात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। यह तथ्य कि निर्यात हो रहे हैं, का तात्पर्य पशुधन को वंचित करना और उनकी उत्पादकता में घाटा होना नहीं है।

(ग) निर्यात का अनिवार्यता तात्पर्य यह है कि किसानों को अधिक उत्पादन और अधिक आय प्रदान करने वाले बड़े बाजार सुलभ कराना है। अत: खली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जातियों को शामिल किया जाना

3951. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कतिपय जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन जातियों के लोगों की जनसंख्या कितनी है और इन लोगों की रिहायशें कहां-कहां हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार ने 59 समुदायों को केरल की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने/निकालने/संशोधन आदि करने की सिफारिश की है। जनसंख्या के आंकड़े मात्र अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों से संबंध में ही उपलब्ध हैं चूंकि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए समुदायों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है; उनकी जनसंख्या और आवासीय आंकड़े संकलित नहीं हैं।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश, 2002 के अंतर्गत केरल के 33 समुदायों को पहले ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर दिया गया है। केरल सरकार की शेष सिफारिश में ऐसे मामलों में निर्णय लेने की अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई हो रही है।

केरल में न्यायालयों का आधुनिकीकरण

3952. श्री टी. गोविन्दन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य के विभिन्न न्यायालयों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) संघीय सरकार को, केरल सरकार से 3.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर केरल उच्च न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण और 23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अधीनस्थ न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आयकर दाता

3953. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दिनांक 31.3.2001, 31.3.2002 और 31.3.2003 की तिथि के अनुसार आयकर विभाग की पंजिका के अनुसार कितने आयकर दाता थे;

(ख) क्या निर्धारितियों द्वारा जमा की गई सभी विवरणियों को प्रक्रमित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने निधारितयों की विवरणियों की जांच की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क)

आयकर निर्धारितियों की संख्या

(लाखों में)

31.3.2001 को	:	248.00
31.3.2002 को	:	300.02
31.3.2003 को	:	331.49

(ख) जी, नहीं, कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई समस्त विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में प्राप्त प्रतिशतता निम्नानुसार है:

विवरणियों का संसाधन

वित्त वर्ष	कार्यभार	निपटान	प्राप्त प्रतिशतता
2000-2001	32394959	19151549	59.12%
2001-2002	35607628	20532518	57.66%
2002-2003	38845118	35007785	90.12%

(ग) *विवरणियों की संवीक्षा*

वित्त वर्ष	कार्यभार	निपटान
2000-2001	333414	231952
2001-2002	210422	132805
2002-2003	331182	143326

बल्क ड्रग्स यूनिटों को ऋण

3954. डा. चरणदास महंत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को जारी जी.एस.आर. संख्या 894 के अंतर्गत अधिसूचना में दी गई सूची एम. हेतु दायित्वों की पूर्ति के लिए बैंक बल्क ड्रग्स यूनिटों के आधुनिकीकरण और उनके उन्नयन हेतु ऋण नहीं दे रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे ऋणों के अभाव में लघु उद्योग क्षेत्र में बल्क ड्रग्स उद्योग में से लगभग आधे उद्योग बंद हो जाएंगे और निर्यात में गिरावट आयेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को बंद होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को जारी जी एस आर संख्या 894 के तहत अधिसूचना में दी गई सूची "एम" का बल्क ड्रग्स यूनिटों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण से कुछ भी लेना-देना नहीं है जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान अच्छी विनिर्माण प्रथाओं की जीएमपी की अपेक्षाओं के उन्नयन हेतु समय-समय पर अद्यतन करता है। इस उद्देश्य के लिए, सिडबी की प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निधि योजना के तहत उपर्युक्त आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है। ऋण संबंधी पूंजी सब्सिडी योजना अन्य संबंद्ध योजना है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करके आई एस ओ 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन ईकाईयों को सिडबी आवश्यकता आधारित सहायता भी देती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास लघु उद्योग क्षेत्र में बल्क ड्रग्स यूनिट को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित आंकड़े नहीं होते हैं।

केरल में रबड़ पार्क

3955. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल के पथनापुरम में एक नया रबड़ पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस रबड़ पार्क के लिए कुल कितनी भूमि और धन की आवश्यकता है;

(ग) रबड़ पार्क के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इरापुरम रबड़ पार्क को चालू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) ईरापुरम रबड़ पार्क परियोजना के चरण 1 के विकास संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए है रबड़ उद्योग स्थापित करने के लिए 17 उद्यमियों को भूमि भी आबंटित कर दी गई है। लेकिन परियोजना को सरकारी तौर पर चालू नहीं किया गया है।

बीमा नियामक प्रणाली

3956. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईआरडीए बीमा कंपनियों और सरकार के बीच धन के उपयोग और शुल्क प्रभार के संबंध में विवाद उभर कर सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आईआरडीए का व्यय और निवेश कितना रहा है;

(घ) क्या सरकार ने वचन दिया था कि उपलब्ध और नियामकों द्वारा संग्रहित धनराशि को सरकारी प्राधिकरण में जमा किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आईआरडीए का वर्तमान रवैया क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आईआरडीए द्वारा प्रस्तुत विवरण अनुबंध दिया गया है।

(घ) और (ङ) कानूनी राय के लिए इस मामले को विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आईआरडीए द्वारा किए गये खर्च और निवेश

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2002-03	वर्ष 2001-02	वर्ष 2000-01
	व्यय			
1.	अध्यक्ष तथा सदस्यों को अदायगी	1,984,536	2,385,908	1,388,813
2.	कर्मचारी सदस्यों को अदायगी तथा उनके लिए प्रावधान	15,316,110	6,036.219	728,403
3.	स्थापना संबंधी खर्च	31,103,638	21,574,846	13,326,883
4.	किराया	6,837,332	8,673,118	24,300,032
5.	मूल्यह्रास	2,576,292	1,111,270	697,332
6.	परिसम्पत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते संबंधी हानि	6,544	0	0
7.	संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	37,900	229,485	0
8.	विकास संबंधी व्यय	100,000,000	0	0
9.	संवर्धन संबंधी व्यय	131,833,504	0	0
10.	अन्य व्यय	961,268	40,390	0
	निवेश			
	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	579,253,210	574,227,908	204,766,622

चीनी विकास कोष

3957. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी विकास कोष गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष के गठन का उद्देश्य क्या है और धनराशि किन-किन स्रोतों से सृजित की जाती है;

(ग) चीनी निर्माताओं को धनराशि संवितरण करने के क्या मानदंड/नियम हैं;

(घ) क्या सरकार को चीनी मिलों द्वारा प्रदत्त सांविधिक न्यूनतम मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच के अन्तराल को पाटने के लिए हाल में 609 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने हेतु एस.डी.एफ. नियमों के उल्लंघन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) चीनी उद्योग के विकास के लिए और उससे संबंधित/प्रासंगिक मामलों के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने हेतु चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अधीन 1982 में चीनी विकास निधि का सृजन किया गया था। लागू उत्पाद शुल्क की राशि के समतुल्य और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन एकत्र की गई राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित एकत्रण

लागत घटाकर शेष राशि और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई कोई राशि इसमें जोड़कर आई राशि संसद द्वारा कानून के जरिये विधिवत् विनियोजन करने के बाद इस निधि में जमा की जाती है।

(ग) निधि से वितरित करने के लिए नियम/मानदंड चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि इस संबंध में कुछ अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं लेकिन फिलहाल चीनी विकास निधि से ऐसी सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आयकर संग्रहण हेतु लक्ष्य

3958. श्री तूफानी सरोजः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराचंल में आयकर की वसूली हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त राज्यों में आयकर की वसूली के सम्बंध में भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002, और 2002-2003 के दौरान आयकर की वसूली के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर लिया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) इन राज्यों के बारे में चालू वित्त वर्ष के दौरान आयकर की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:

निगम कर	:	5536 करोड़ रुपए
आयकर	:	2183 करोड़ रुपए
योग	:	7719 करोड़ रुपए

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के राज्यों में आयकर की वसूली के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष		लक्ष्य	वसूली	लक्ष्य की उपलब्धि (%)
*2000-01	निगमकर	3608	4333.65	
	आयकर	1664	1548.82	
	योग	5272	5882.47	110%
2001-02	निगमकर	5245	4036.67	
	आयकर	1975	1527.90	
	योग	7220	5564.57	70%
2002-03	निगमकर	5380	4971.95	
	आयकर	2096	1734.05	
	योग	7476	6706.00	89%

*उत्तरांचल के अलग से आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि उत्तरांचल राज्य वर्ष 2001-2002 में ही बना था।

[अनुवाद]

घरेलू बाजार में अवैध बिक्री

3959. श्री रामजी मांझीः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निर्यातक निर्यात हेतु निर्धारित चीनी और अन्य खाद्य वस्तुओं को घरेलू बाजार में ला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर निर्यातकवार क्या कार्रवाई की गई हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) पूणे, औरंगाबाद तथा नागपुर जोनों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय के अनुसार, 14 निर्यातकों ने निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी को घरेलू बाजार में बेचा है। अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 9 के उल्लंघन के लिए इन निर्यातकों के नाम सक्षम प्राधिकारी को उचित कार्रवाई करने हेतु भेज दिए गए हैं।

2002-2003 में, निर्यात के लिए अभिप्रेत चावल को घरेलू बाजार में बेचने का एक मामला भी सूचित किया गया था।

विवरण

निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी को घरेलू बाजार में बेचने/निर्यात का प्रमाण न देने वाले निर्यातकों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्यातक का नाम	बेची गई मात्रा/ निर्यात का प्रमाण नहीं दिया गया (मी. टन में)
1.	मैसर्स शिवनाथराय हरनारायण (इंडिया) लि., नई दिल्ली	64,605.8
2.	मैसर्स नीलसन ओवरसीज प्रा. लि., नई दिल्ली	4,750.0
3.	मैसर्स जय जगदीश शुगर्स, मुंबई	16,482.2
4.	मैसर्स योगी एक्सपोर्ट्स, अहमदाबाद	7,500.0
5.	मैसर्स अशोक एक्सपोटर, अहमदाबाद	7,269.7
6.	मैसर्स गोल्ड मोल्ड एंड ज्यूलरी (आई) प्रा. लि., मुंबई	160.0
7.	मैसर्स शिवा मार्केटिंग, मुंबई	1,231.5
8.	मैसर्स स्टैण्डर्ड इन्वेस्टमेंट, मुंबई	2,496.0
9.	मैसर्स सी.एम. मेहता अंड कं., अहमदाबाद	260.0
10.	मैसर्स एस.आर. मार्केटिंग, अहमदाबाद	1,276.0
11.	मैसर्स रीगल इम्पेक्स, मुंबई	2,695.0
12.	मैसर्स लेवगा इंटरनेशनल, मुंबई	80.0
13.	मैसर्स लक्ष्मीरथ सेल्स एजेंसी, अहमदाबाद	3,033.0
14.	मैसर्स साई एग्रो इंटरनेशनल, मुंबई	5000.0

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

3960. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिटीजन चार्टर के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में शिकायत निवारक अधिकारी की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में डी जी एस एंड डी कार्यालय और अन्यों से संबंधित प्राप्त परिवाद शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) डी जी एस एंड डी द्वारा मंत्रालय के शिकायत निवारक अधिकारी के माध्यम से प्राप्त परिवादों/शिकायतों के समाधान में कितना समय लगाया गया है; और

(घ) निपटान न की गई शिकायतें कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अपनाए गए नागरिक चार्टर के अन्तर्गत कार्यालयों अर्थात् डी जी एस एण्ड डी और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) में उनके संबंधित शिकायत अधिकारियों के अधीन कार्यरत शिकायत निवारण कक्ष में कर्मचारी शिकायत अधिकारी पदनामित किया गया है। ठेकेदारों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक आपूर्ति विभाग के कार्यालय में क्रमश: जनसंपर्क अधिकारी और उपलेखा नियंत्रक पदनामित अधिकारी हैं।

(ख) पिछले तीन कलेण्डर वर्षों और चालू कलेण्डर वर्ष के दौरान वाणिज्य विभाग, डी जी एस एण्ड डी, डी जी एफ टी और मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय, आपूर्ति विभाग से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या			
	वाणिज्य विभाग	डीजीएस एण्ड डी (पारस्परिक सम्पर्क के जरिए निपटान के पश्चात्)	डीजी एफटी	मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय आपूर्ति प्रभाग
2000	5	3	95	11
2001	8	7	113	1
2002	34	3	53	3
2003 (जुलाई, 2003 तक)	25	-	32	1
लंबित शिकायतें	8	शून्य	30	2

(ग) और (घ) डी जी एस एण्ड डी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्य रूप से निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए काम करता है। निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारस्परिक संपर्क के जरिए जिन शिकायतों का निपटान नहीं होता उनको डी जी एस एण्ड डी में शिकायत निवारण कक्ष द्वारा अभिलेखबद्ध किया जाता है और उनका निपटान समयबद्ध ढंग से किया जाता है। डी जी एस एण्ड डी ने सूचित किया है कि अधिकांश मामलों का निपटान 3 महीनों के भीतर किया गया था। कुछेक शिकायतों में बहुएजेंसियों/प्रयोक्ता परिपूरक सूचना के शामिल होने की वजह से थोड़ा अधिक समय लग गया था। इस समय डी जी एस एण्ड डी में कोई शिकायत लंबित नहीं है। तथापि मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय, आपूर्ति प्रभाग में निम्नलिखित 2 शिकायतें लंबित हैं।

* 17 जून, 2003 को श्री डी. के शुक्ला, उप निदेशक (सेवानिवृत्त) से प्राप्त शिकायत जो पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के एक तिहाई भाग को बहाल रखते हुए, पेंशन भुगतान आदेश में संशोधन किए जाने के बारे में है।

* 12 सितम्बर, 2002 को श्री जी.एस. गोपालरमन से प्राप्त शिकायत जो पुराने अभिलेखों एवं समायोजनों के अभाव में लेखाओं के विभागीकरण जो 1976 में हुआ था, के पूर्व वर्ष 1962-63 से संबंधित सामान्य भविष्य निधि (जी पी एफ) के बकाया भुगतान के बारे में है।

बांग्लादेश के साथ व्यापार समझौता

3961. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग (जे ई सी) की ढाका में 14-15 जुलाई, 2003 को हुई छठी बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार के संबंध में वार्ताएं शुरू करने के लिए दोनों वाणिज्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल अक्तूबर, 2003 के मध्य तक ढाका में बैठक करेगा।

[हिन्दी]

आदिवासियों का विकास

3962. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अति पिछड़े हमीरपुर और महोबा जिलों में आदिवासियों के विकास हेतु योजनाएं बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। तथापि, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अति पिछड़े हमीरपुर और महोबा जिलों में जनजातियों के विकास के लिए विशेष रूप से योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल विद्युत वित्त निगम

3963. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने एस.एल.आर. बांडों को जारी करने की अनुमति सहित केरल विद्युत वित्त निगम लिमिटेड को केन्द्र सरकार की अनुमोदित बाजार उधारी कार्यक्रम सूची में शामिल करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल विद्युत वित्त निगम को अनुमोदित सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया। राज्य गारंटीशुदा संस्थाओं के संबंध में आवंटनों को अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम से बाहर रखने संबंधी निर्णय को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

निजी वित्तीय संस्थाएं

3964. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न महानगरों, विशेषकर दिल्ली में सावधि जमा पर 30 प्रतिशत और 24 प्रतिशत ब्याज दरों से संबंधी निजी वित्तीय संस्थाओं के विज्ञापनों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर को किसी भी सरकारी एजेन्सी ने अनुमोदित किया है?

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो लघु निवेशकों को ऐसी ब्याज दरों के लालच तथा शोषण से बचाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी ललचाने वाली योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में कार्यरत ऐसी गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जारी किया गया कोई विज्ञापन नहीं देखा है, जो सावधि जमाराशियों पर 30 प्रतिशत और 24 प्रतिशत ब्याज दर दे रही हों।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जुटाई गई सार्वजनिक जमाराशियों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज की दर समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन है, जो वर्तमान में 11 प्रतिशत है।

(घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों द्वारा किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक को जमाराशि पर ब्याज की दर सहित गैर-बैंकिंग बीमा कंपनियों द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया था कि वे आम जनता से जमाराशियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन/प्रस्तुत किए गए विवरण के पाठ के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें ताकि कंपनियां अपने कार्यकरण के बारे में उचित सूचना दें और विज्ञापन/विवरण में अवास्तविक दावे न करें।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को शिक्षित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था ताकि भावी जमाकर्ताओं का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया जा सके:

- उनके पास धन जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत है।
- इस मामले में भावी जमाकर्ता की सहायता करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत/अस्वीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.आर.बी.आई.ओ.आर.जी.इन पर प्रदर्शित की जाती है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी विवरणी या विज्ञापन में यह बताना अनिवार्य है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास रखी गई जमराशियां न तो बीमित हैं और न ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटीशुदा हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ

3965. श्री राम टहल चौधरी:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अर्जित किए जा रहे लाभ के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार को ऐसे आंकड़ों के अभाव के कारण प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने राजस्व का घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। ऐसे आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे आंकड़े आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध हैं जिनके पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विवरणी अथवा लेखा परीक्षित खातों को दायर करती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लाभों के डाटाबेस की अनुपलब्धता के कारण किसी राजस्व क्षति की कोई सूचना नहीं है।

(घ) इस समय ऐसे डाटा बेस के सृजन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

औद्योगिक पार्कों हेतु सहायता

3966. श्री निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों को देश में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में आज तक विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में विकास केन्द्रों को विकसित करने के लिए, केन्द्र सरकार इक्विटी के रूप में प्रति विकास केन्द्र 10 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के विकास केन्द्रों के मामले में 15 करोड़ रुपए) का योगदान देती है। परियोजना के कार्यान्वयन में दर्ज की जाने वाली प्रगति के आधार पर केन्द्रीय सहायता की राशि जारी की जाती है।

विकास केन्द्रों के लिए सहायता के अलावा, राज्यों को निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना के तहत भी सहायता उपलब्ध कराई गई थी। 13.03.2002 से इस योजना को ''राज्यों को निर्यात की ढांचागत सुविधाओं और संबद्ध कार्यकलापों हेतु सहायता (एएसआईडीई)'' योजना में मिला दिया गया है। ए.एस.आई.डी.ई. योजना के तहत राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं, जिनका उपयोग राज्य स्तर की निर्यात संवर्धन समितियों के अनुमोदन से ई.पी.आई.पी. के पूंजीगत परिव्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क सेंटर की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये का आरंभिक धन (सीड मनी) भी उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के तहत 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इनके अलावा, औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अनुसार देश में किसी औद्योगिक पार्क को विकसित कर रहे, विकसित और परिचालित कर रहे अथवा परिचालित व रख-रखाव कर रहे उपक्रम के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 क के तहत आयकर लाभ भी उपलब्ध है।

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)				
		2001-2002			2002-2003	
		विकास केन्द्र	एसटीपीआई	ईपीआईपी	विकास केन्द्र	एसटीपीआई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	100	110	150
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	320	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	900	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	300	200	50
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	50	शून्य	100	शून्य
6.	गुजरात	235	शून्य	शून्य	300	शून्य
7.	हरियाणा	200	शून्य	शून्य	450	50
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	50	शून्य	153	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	50	शून्य	शून्य	275	50
10.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	250	50
11.	महाराष्ट्र	240	100	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	180	शून्य
13.	नागालैंड	255	शून्य	500	शून्य	शून्य
14.	उड़ीसा	675	50	शून्य	240	शून्य
15.	पाण्डिचेरी	100	शून्य	शून्य	250	शून्य
16.	राजस्थान	शून्य	शून्य	70	850	50
17.	तमिलनाडु	600	150	शून्य	शून्य	शून्य
18.	त्रिपुरा	270	50	300	500	शून्य
19.	उत्तर प्रदेश	1025	200	435	250	50
20.	पश्चिम बंगाल	350	50	61	300	100
21.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50
22.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50
23.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	200	शून्य	50
24.	मेघालय	शून्य	50	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पंजाब	शून्य	50	234	शून्य	शून्य
	योग	4000	800	2200	5628	700

2003-2004 के दौरान, अब तक किसी भी राज्य/केन्द्र शासित राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

तम्बाकू उत्पादों से राजस्व

3967. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से संग्रहित राजस्व बजट के आंकड़ों से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों में से प्रत्येक से कितना उत्पाद शुल्क संग्रहित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल संग्रहित उत्पाद शुल्क में से तम्बाकू पर कुल कितना उत्पाद शुल्क संग्रहित किया गया है;

(घ) क्या विपदा के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए नेशनल कालामिटी कांटिनेंट ड्यूटी को राज्यों में वितरित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय बजट में एन.सी.सी.डी. की शुरूआत से तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) केवल वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए वस्तु-वार बजटीय अनुमान उपलब्ध हैं। इसके बाद, वस्तु-वार बजटीय अनुमान नहीं तैयार किए गए हैं। वर्ष 2000-01 में तम्बाकू उत्पादों से वसूली किया गया वास्तविक उत्पाद शुल्क उक्त वर्ष के बजट अनुमानों से कम था।

(ख) वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमान और वर्ष 2000-01 के लिए वसूल किया गया वास्तविक उत्पाद शुल्क विवरण "I" के अनुसार है।

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों की कुल उत्पाद शुल्क वसूलियों में से तम्बाकू उत्पादों से वसूल किये गये उत्पाद शुल्क का हिस्सा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल उत्पाद शुल्क	तंबाकू उत्पादों से उत्पाद शुल्क	हिस्सा
2000-01	68636.00	6113.00	8.91%
2001-02	72418.68	6443.71	8.90%
2002-03	81976.48	6321.3	7.71%

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण "II" के अनुसार हैं।

विवरण I

क्रम सं.	वस्तु	वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2000-01 के लिए वसूल किया गया वास्तविक उत्पाद शुल्क
1.	सिगरेट और तम्बाकू एवं तम्बाकू के बदले में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के सिगार	6507.12	5181.00
2.	बीड़ी	357.89	272.00
3.	कड़ा मसाला, किमाम आदि सहित चबाए जाने वाले तंबाकू	672.14	425.00
4.	अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी वस्तुएं	155.34	153.00
5.	कुल योग	7692.49	6031.00

विवरण II

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई सहायता (करोड़ रुपये में)			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	30.44	59.94	64.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	-	12.78	-
3.	बिहार	29.67	-	-	-
4.	छत्तीसगढ़	40.00	42.88	100.68	26.83
5.	गुजरात	585.00	994.37	23.29	5.15
6.	जम्मू-कश्मीर	-	23.20	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-	2.20
8.	हिमाचल प्रदेश	8.29	61.48	14.05	0.30
9.	कर्नाटक	-	-	196.88	10.77
10.	मध्य प्रदेश	35.00	22.72	183.34	23.88
11.	महाराष्ट्र	-	-	20.00	-
12.	मणिपुर	-	-	7.07	-
13.	मेघालय	1.0	-	-	-
14.	उड़ीसा	35.00	114.62	21.84	-
15.	राजस्थान	85.00	78.97	434.08	477.41
16.	तमिलनाडु	-	-	215.99	116.10
17.	उत्तर प्रदेश	-	-	310.06	0.98
18.	पश्चिम बंगाल	103.25	-	-	-
	कुल योग	924.21	1368.68	1600.00	727.66

ऐपरल पार्क

3968. **श्री कोलूर बसवनागौड:**
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास प्रत्येक राज्य में ऐपरल पार्कों की स्थापना से संबंधित कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) इन प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन सभी प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) राज्य सरकार के ऐसे अपैरल पार्क योजना प्रस्ताव, जो निर्यात के लिए अपैरल पार्क परियोजनओं के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, अपैरल पार्क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत गठित परियोजना के अनुमोदन समिति (पी ए सी) के समक्ष रखे

जाते हैं। परियोजना अनुमोदन समिति (पी ए सी) इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठकें करती है। समिति ने अब तक बीस प्रस्तावों पर विचार किया है और ट्रोनिका सिटी और कानपुर (उ.प्र.), सूरत (गुजरात), तिरूवनंतपुरम (केरल), विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), बैंगलोर (कर्नाटक) और तिरूपुर व कांचीपुरम (तमिलनाडु) में अपैरल पार्क स्थापित करने के 9 परियोजना प्रस्तावों का सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया है। परियोजना अनुमोदन समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि बेल्लारी (कर्नाटक) और कुप्पम (आन्ध्र प्रदेश) में अपैरल पार्कों की स्थापना करने के लिए परियोजना प्रस्तावों पर बैंगलोर और विशाखापट्टनम के संबंधित राज्यों में स्वीकृति अपैरल पार्क परियोजनाओं को चलाने में प्राप्त हुई सफलता का मूल्यांकन करने के पश्चात बाद में उपयुक्त स्तर पर विचार किया जाए। समिति ने इन्दौर, जबलपुर, घिरोंगी (मध्य प्रदेश), कोलकाता अथवा हावड़ा (पश्चिम बंगाल), गन्नौर (हरियाणा), सोलन (हिमाचल प्रदेश) और भागलपुर (बिहार), खेड़ा (मध्य प्रदेश) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) में अपैरल पार्कों की स्थापना करने के लिए भी नौ परियोजना प्रस्तावों पर भी विचार किया था लेकिन उन्हें स्वीकृत करने के लिए प्रति सहमत नहीं हुई क्योंकि वे योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थीं।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क अधिकारियों पर छापे

3969. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और आयकर विभाग के कई अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त छापों में प्रत्येक उक्त अधिकारी के घरों में बरामद नकदी और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंक आफ महाराष्ट्र में अनियमितताएं

3970. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेश मंडल द्वारा 11 मई, 2002 को बम्बई में पारित प्रस्ताव के अंतर्गत बैंक में कुछ ऋण संबंधी प्रस्तावों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं का अध्ययन करने और तीन माह में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए वर्कमैन निदेशक की अध्यक्षता वाली उप-समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। बैंक आफ महाराष्ट्र की दिनांक 11 मई, 2002 को हुई बोर्ड बैठक में पारित संकल्प के अनुसार कुछ उधार खातों में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए बोर्ड की एक उप-समिति गठित की गई, जो अपनी रिपोर्ट 4 महीनें में प्रस्तुत करेगी। पुन: बोर्ड ने इस समय-सीमा को अगस्त, 2003 के अंत तक के लिए और आगे बढ़ा दिया था। इस उप-समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

3971. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले सम्भावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवर्तनों के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सरकार ने अभी हाल में कंपनी अधिनियम में और संशोधन करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया है। इस विधेयक को पहले ही दिनांक 07.05.2003 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है।

रूस के साथ हस्ताक्षरित संयुक्त आर्थिक घोषणा

3972. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के मध्य गत दिसम्बर में रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित संयुक्त आर्थिक घोषणा को लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) प्रधान मंत्री और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति द्वारा दिसम्बर, 2002 में हस्ताक्षरित भारत और रूसी परिसंघ के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने और बढ़ाने संबंधी संयुक्त घोषणा में आर्थिक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में सहयोग के मूल सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ये दस्तावेज सिद्धांत स्वरूप में हैं और इसमें दोनों पक्षों के लिए किसी प्रकार की बाध्यता तथा दायित्व शामिल नहीं हैं। ये सिद्धांत संयुक्त घोषणा में उल्लिखित क्षेत्रों में भारत और रूसी परिसंघ के बीच सहयोग का आधार तैयार करते हैं। विभिन्न आर्थिक और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में सहयोग एक निरंतर चलने वाला मामला है। इसलिए घोषणा को कार्यान्वित न किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

चीनी मिलों के विरूद्ध कार्यवाही

3973. श्रीमती प्रभा राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की कुछ चीनी मिलों तथा निर्यात घरानों ने निर्यात हेतु निर्मित चीनी को घरेलू बाजार में भेजकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें ऐसा कार्य करना पड़ा; और

(ग) ऐसी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) पुणे, औरंगाबाद तथा कानपुर जोनों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा-शुल्क आयुक्त के कार्यालय के अनुसार, 14 निर्यातकों, जिन्होंने 21 चीनी मिलों से चीनी प्राप्त की थी, ने निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी को घरेलू बाजार में बेचा है। अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी चीनी (नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 9 के उल्लंघन के लिए इन निर्यातकों/चीनी मिलों के नाम सक्षम प्राधिकारी को उचित कार्रवाई करने हेतु भेज दिए गए हैं।

विवरण

निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी को घरेलू बाजार में बेचने/निर्यात का प्रमाण न देने वाली चीनी मिलों/निर्यातकों का ब्यौरा

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	निर्यातक का नाम	बेची गई मात्रा/निर्यात का प्रमाण नहीं दिया गया (मी.टन में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स ध्यानेश्वर एस.एस. के लि., भेंडे	(i) मैसर्स शिवनाथराय हरनारायण (इंडिया) लि.	1900.0
		(ii) मैसर्स स्टैण्डर्ड इन्वेस्टमेंट्स	2496.0
		(iii) मैसर्स सी.एम.मेहता एंड कं.	260.0
			जोड़ 4656.0

1	2	3	4
2.	मैसर्स श्री शंकर एस.एस. के. लि., सदाशिवनगर	मैसर्स शिवनाथराय हरनारायण (इंडिया) लि.	6492.9
3.	श्री शंकर महर्षि शंकरराव मोहिते पाटील एस.एस.के.लि., अकलुज	मैसर्स शिवनाथराय हरनारायण (इंडिया) लि.	26995.6
4.	मैसर्स गांधींगलाज तालुक एस.एस. के. लि., गांधींगलाज	मैसर्स शिवनाथराय हरनारायण (इंडिया) लि.)	15445.0
5.	मैसर्स कृष्णा एस.एस.के. लि., कराड	मैसर्स शिवनाथराय हरनारायण (इंडिया) लि.	13772.3
6.	मैसर्स श्री केदारेश्वर एस.एस.के. लि., शिवगांव	मैसर्स नीलसन ओवरसीज प्रा.लि.	4750.0
7.	मैसर्स अगस्ती एस.एस.के. लि., अकोले, अगस्ती नगर	मैसर्स जय जगदीश शुगर	1845.0
8.	मैसर्स निफाड एस.एस.के. लि., निफाड	मैसर्स जय जगदीश शुगर	9216.7
	मैसर्स वसंतराव दादा पाटील एस.एस.के. लि., विथंवाडी	मैसर्स जय जगदीश शुगर	5420.5
10.	मैसर्स संत एकनाथ एस.एस.के. लि., पैथान	मैसर्स योगी एक्सपोर्ट्स	2500.0
11.	मैसर्स पूर्णा एस.एस.के. लि., बासमथनगर	(i) मैसर्स योगी एक्सपोर्ट्स (ii) मैसर्स अशोक एक्सपोटर	5000.0 5000.0
			जोड़ 10000.0
12.	मैसर्स हुतात्मा जयवंतराव पाटील एस.एस.के. लि., सूर्यनगर	मैसर्स अशोक एक्सपोटर	2269.6
13.	मैसर्स सहयाद्री एस.एस.के. लि., सहयाद्री	मैसर्स गोल्ड मोल्ड एंड ज्यूलरी (आई) प्रा.लि.	160.0
14.	मैसर्स संत दामाजी एस.एस.के. लि., मगलवेधा	मैसर्स गोल्ड मोल्ड एंड ज्यूलरी (आई) प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं
15.	मैसर्स डोंगाराय सागरेश्वर एस.एस.के. लि., रायगांव	मैसर्स शिवा मार्केटिंग	1231.5
16.	मैसर्स शेतकारी एस.एस.के. लि., किल्लारी	मैसर्स एस.आर. मार्केटिंग	776.0
17.	मैसर्स मुला एस.एस.के. लि., सोनई	मैसर्स एस.आर. मार्केटिंग	500.0

1	2	3	4
18.	मैसर्स तेरना एस.एस.के. लि., तेरनानगर	मैसर्स रीगल इम्पेक्स	2695.0
19.	मैसर्स दौलत एस.एस.के. लि., हलकरनी	मैसर्स लेवगा इंटरनेशनल	80.0
20.	मैसर्स गंगापुर एस.एस.के. लि.,	मैसर्स लक्ष्मीरथ सेल्स एजेंसी	3033.0
21.	मैसर्स भोगावती एस.एस.के. लि., इरले, वैराग	मैसर्स साई एग्रो इंटरनेशनल	5000.0

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

3974. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था;

(ख) उक्त राशि से वर्षवार कितनी आय अर्जित की गई;

(ग) उक्त धनराशि को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है; और

(घ) उक्त धनराशि के स्रोत क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) मार्च, 2000, मार्च, 2001, मार्च, 2002 और मार्च, 2003 के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार क्रमशः 38.0 बिलियन, 42.3 बिलियन, 54.1 बिलियन और 75.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 (जुलाई-जून) के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण डालर के रूप में क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत थे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में विहित उपबंधों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है और सुरक्षा, नकदी और अभिलाभ के परिभाषित उद्देश्यों के भीतर प्रारक्षित भंडार का प्रबंधन करता है। भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का निवेश अमरीकी डालर, यूरो, पाऊंड स्टर्लिंग और जापानी येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनीय मुद्राओं वाले बहु-मुद्रा पोर्टफोलियों में किया जाता है। कानून मोटे तौर पर अन्य सेंट्रल बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास जमा करने, विदेशी वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने, सार्वभौम/सार्वभौम गारंटीशुदा देयता वाले ऋण लिखतों (10 वर्षों से अनधिक अवशिष्ट परिपक्वता सहित), बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित अन्य लिखतों/संस्थानो में जमा करने की अनुमति देता है।

(घ) किसी देश के भुगतान-संतुलन में चालू और पूंजी लेखा शामिल होता है। अगर चालू और पूंजी लेखे का समग्र शेष अधिशेष होता है तो इससे देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में वृद्धि होती है। भारत में वर्ष 1996-1997 से भुगतान संतुलन में समग्र अधिशेष रहा है। वास्तव में, वर्ष 2001-2002 से चालू लेखे और पूंजी लेखे दोनों ने अधिशेष दर्ज किया है।

[अनुवाद]

विदेश में अध्ययन हेतु सुविधाएं

3975. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में डिग्री हेतु अध्ययन करने अथवा विशेषज्ञ की चिकित्सा सलाह प्राप्त करने हेतु योजना बनाने वाले के लिए हाल ही में सुविधाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्प्रवास करने वाले अथवा विदेशों में रोजगार हासिल करने वालों के लिए विप्रेषण सीमा में भी वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्राधिकृत डीलर अब किसी समर्थक दस्तावेज के लिए आग्रह किए बिना, व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा, जिसमें लेन-देन संबंधी मूल ब्यौरे भी शामिल हों तथा आवेदन पत्र फार्म ए-2 में प्रस्तुत किया गया हो, के आधार पर (1) विदेश में रोजगार, (2) प्रवास तथा (3) विदेश में शिक्षा, इनमें से प्रत्येक वर्ष, के लिए 100,000 अमरीकी डालर तक की राशि जारी कर सकते हैं। विदेश में चिकित्सीय उपचार के लिए, भारत/विदेश के किसी अस्पताल/डाक्टर से किसी अनुमान के लिए आग्रह किए बिना, प्राधिकृत डीलरों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करने की सीमा, जो पहले 50,000 अमरीकी डालर थी, को भी बढ़ा कर अब 100,000 अमरीकी डालर कर दिया गया है।

राय बहादुर डागा मिल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिल

3976. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के हिंगनघाट में स्थित आर.बी. बंसीलाल अबीरचंद कताई और बुनाई मिल (आर बी बी ए) को राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) द्वारा चलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिल के आधुनिकीकरण की जरूरत है और इसके आधुनिकीकरण हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या इन मिलों ने अपने कर्मचारियों और कामगारों को वी आर एस की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापना योजना के अनुसार आधुनिकीकरण-योजना की लागत लगभग 12.21 करोड़ रु. है। इन निधियों की व्यवस्था, बेशी परिसम्पत्तियों की बिक्री से की जानी है। महाराष्ट्र में एनटीसी की अधिकतर बेसी परिसम्पत्तियों की बिक्री, बृहन्मुंबई नगर निगम के अनुमोदन के लिए लंबित है। इसकी शीघ्र स्वीकृति के लिए मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चूंकि यह मिल पुनरूद्धार के लिए निर्धारित की गई है, इसलिए वीआरएस योजना के लाभ इस मिल को नहीं दिए गए हैं।

चीनी के निर्यात हेतु राजसहायता

3977. श्री मानसिंह पटेल:
श्री शिवाजी माने:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से विभिन्न राज्यों से चीनी का निर्यात संभव बनाने हेतु निर्यात राजसहायता का पर्याप्त स्तर प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में चीनी उद्योग के महानिदेशालय से एक रिपोर्ट मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर प्रतिक्रिया हेतु कितना समय लगने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता देने संबंधी नीति अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं:

(i) चीनी के निर्यात के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं;

(ii) जो फैक्ट्रियां चीनी का निर्यात कर रही हैं, उन्हें निर्यातित चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट की अनुमति दी गई है;

(iii) चीनी का निर्यात करने वाला चीनी फैक्ट्रियों के मुक्त बिक्री के स्टाक में निर्यात की तारीख से 18 महीने के अंत में समायोजन किया जा रहा है;

(iv) चीनी के निर्यात के संबंध में निर्यात की पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत पर 4% की दर से शुल्क पात्रता पासबुक लाभ की अनुमति दी गई है;

(v) 21 जून, 2002 से चीनी फैक्ट्रियों को चीनी की निर्यात खेपों पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर हुए खर्च के प्रतिपूर्ति दावें की अनुमति दी गई है;

(vi) 14 फरवरी, 2003 से चीनी फैक्ट्रियों को चीनी की निर्यात खेपों पर 350/- रुपये प्रति टन की दर से समुद्री भाड़ा खर्च को निष्प्रभावी करने की अनुमति दी गई है।

खनिजों का निर्यात

3978. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिजों के निर्यात हेतु नियत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ राज्यों से खनिजों के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा खनिजों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) कौन से देशों ने भारत से खनिजों को आयात करने में रुचि दिखाई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक लक्ष्य और कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन अमेरिकी डालर)

वर्ष	लक्ष्य	(कार्य निष्पादन)
1997-98	1250	1278
1998-99	1252	1118
1999-2000	912	1170
2000-01	1204	1417
2001-02	1543	1536
जोड़	6161	6519

(स्रोत डीजीसीआईएंडएस एवं एम एम टी सी)

(ग) और (घ) निर्यात एवं आयात के आंकड़ों का संग्रह राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अत: राज्यवार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) खनिजों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

- ग्रेनाइट को अभिज्ञात किया गया है और बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और खान एवं वित्त मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके ग्रेनाइट के निर्बाध निर्यात के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

- खान मंत्रालय ग्रेनाइट क्षेत्र में पट्टा/रायल्टी/डैड-रेंट आदि के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए संपूर्ण देश में एक समान नीति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लघु खनिज विनियम एवं विकास नियमावली में संशोधनों को अधिसूचित किया है।

- एम एम टी॰सी लिमि. जो उच्चग्रेड लौह अयस्क के निर्यात के लिए निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम है ने तब से जापानी तथा दक्षिण कोरियाई इस्पात मिलों के साथ दीर्घकालिक करारों का नवीकरण किया है और चीन के इस्पात मिलों के साथ भी इसी प्रकार के दीर्घकालिक करार किए हैं।

- निजी निर्यातक जिनके पास खानें हैं को मजबूत प्रतिस्पर्धा करने के लिए उच्च ग्रेड के लौह अयस्क को निर्यात करने की तब अनुमति है जब घरेलू मांग से फालतू माल उपलब्ध हो।

- वाणिज्य विभाग विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों एवं विदेशी प्रचार में सहभागिता के लिए सभी उत्पादों को बाजार विकास सहायता (एम डी ए) प्रदान करता है।

(च) खनिज निर्यात के परंपरागत बाजारों अर्थात जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, हांगकांग, ताइवान के अलावा हाल में चीन, पाकिस्तान एवं मध्य पूर्व के देशों ने भारत से खनिज आयात के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है।

एलआईसी और जीआईसी की इक्विटी

3979. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एलआईसी और जीआईसी में सरकार की कितनी इक्विटी है और सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभांश प्राप्त हुआ है और उन्होंने कितने आयकर का भुगतान किया; और

(ख) सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों की उपस्थिति में इन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को और मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, सरकार की इक्विटी एलआईसी में 5 करोड़ रुपए तथा जीआईसी में 215 करोड़ रुपए है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एलआईसी तथा जीआईसी दोनों द्वारा अदा किये गये लाभांश तथा आय कर का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

एलआईसी

वर्ष	अदा किया गया लाभांश (करोड़ रुपए)	अदा किया गया आय कर (करोड़ रुपए)
1999-2000	316.65	758.62
2000-2001	380.66	709.65
2001-2002	433.25	668.17

जीआईसी

वर्ष	अदा किया गया लाभांश (करोड़ रुपए)	अदा किया गया आय कर (करोड़ रुपए)
1999-2000	64.50	142.76
2000-2001	43.00	110.31
2001-2002	43.00	85.79

(ख) निजी बीमा कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों/निगमों द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य के साथ-साथ, ग्राहकों को बेहतर संतुष्टि प्रदान करना, नये उत्पादों का विकास, विपणन के वैकल्पिक माध्यम तैयार करना, सूचना प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा इनके प्रयोग को बढ़ाना शामिल है।

हथकरघा उद्योग द्वारा निर्यात

3980. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग के विकास और संवर्धन हेतु चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं निर्यात को बढ़ावा देने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत परिणाम प्राप्त न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त ऋण और बाजार सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा बुनकरों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो कलेण्डर वर्षों में आज तक कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय देश में हथकरघा उद्योग का विकास करने और उसका संवर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है। इन योजनाओं में से एक हथकरघा के निर्यात से संबंधित है। देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 में एक योजना अर्थात् "निर्यात योग्य उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन की योजना" (डीईपीएम) शुरू की थी। यह योजना 9वीं योजना के अंत तक चलती रही। यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित रूप में और संशोधित नाम वाली "हथकरघा निर्यात योजना" के रूप में चल रही है। हालांकि, हथकरघा निर्यात योजना सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं/उपायों में से केवल एक है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/प्रोत्साहनों के मिश्रित प्रभाव से पिछले वर्ष अर्थात् 2002-03 (फरवरी, 2003 तक) सूती हथकरघा वस्त्रों और परिधानों का निर्यात 2400.76 करोड़ रुपये का था जो विगत वर्ष की सदृश अवधि के दौरान हुए निर्यात आंकड़ों की तुलना में रुपये के मायने में 26.70 प्रतिशत तथा अमेरिकन डालर के मायने में 24.43 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2002-03 के लिए हथकरघा निर्यात संबंधी निश्चित किए गए 550 मिलियन अमेरिकन डालर के लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुमान है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों और शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों की अधिप्रापण एवं विपणन गतिविधियों हेतु वित्त पोषित करने के लिए पुनर्वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाती है। हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी), वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों तथा राज्य हथकरघा/वस्त्र विभाग के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें करता रहा है ताकि हथकरघा क्षेत्र को ऋण सुविधा की सुगमता की समीक्षा की जा सके और उपयुक्त उपाय सुझाए जा सकें।

बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत अल्पकालिक ऋण सीमा का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	स्वीकृत ऋण सीमा (रुपये करोड़ में)
2000-01	रुपये 686.28
2001-02	रुपये 680.23
2002-03	रुपये 550.94

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रहे विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत देश में हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा एक्सपो/विशेष हथकरघा एक्सपो, जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार 1.4.2000 से दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के विपणन प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत हथकरघा संगठनों को वित्तीय सहायता भी मुहैया करती रही है। इस प्रोत्साहन का उद्देश्य हथकरघा एजेंसियों को इस योग्य बनाना है कि वे इस धनराशि को उन गतिविधियों के लिए उपयोग करके हथकरघा उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता का सामना कर सकें जो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकें और हथकरघा सामान के समग्र विक्रय को बढ़ा सकें।

(ङ) और (च) वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय द्वारा केवल वार्षिक आधार पर निर्यात लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। वर्ष 2002-03 के लिए 550 मिलियन अमिरकन डालर का लक्ष्य सूती हथकरघा वस्त्रों एवं परिधानों के लिए निश्चित किया गया था और फरवरी, 2003 तक उपलब्ध वर्ष 2002-03 के लिए निर्यात आंकड़ों के अनुसार उपलब्ध वास्तविक निर्यात 2400.76 करोड़ रुपये का है जो उक्त वर्ष के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की उत्तरार्ध अवधि के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा अभी निर्यात आंकड़े उपलब्ध कराए जाने हैं।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण की अदायगी

3981. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2002 के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को कितने ऋण की अदायगी की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष यानी 2003 में भी इन संस्थाओं को ऋण की अदायगी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितने ऋण की अदायगी इन संस्थाओं को की जाएगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सरकार द्वारा वर्ष 2002 के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को वापस अदा की गई राशि निम्नानुसार थी:

विश्व बैंक	:	1,043 मिलियन अमरीकी डालर
एशियाई विकास बैंक	:	148 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) और (ग) वर्ष 2003 (जनवरी-जून) के दौरान सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को 1604 मिलियन अमरीकी डालर और 1347 मिलियन अमरीकी डालर के परिपक्वता पूर्व भुगतान सहित क्रमश: 2118 मिलियन अमरीकी डालर और 1376 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वापस अदा की है। सरकार विदेशी ऋण देयताओं के प्रबंधन तथा विदेशी ऋण पोर्टफोलियो के अपेक्षाकृत उच्च लागत वाले घटक को सकारात्मक रूप से परिसमाप्त करने के लिए एक सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण नीति अपना रही है।

[अनुवाद]

आयकर संबंधी कार्यों को बाहर से कराना

3982. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयकर विभाग के टी डी एस चालान प्रक्रिया सूचना आंकड़े एकत्र कराना विवरणियों इत्यादि की प्रक्रिया संबंधी कार्यों को बाहर से कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह बाहर से कार्य कराने के कारण कितने कर्मचारी अतिरिक्त हो जाएंगे; और

(घ) इस तरह बाहर से कार्य कराने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने आयकर विभाग के कतिपय गैर-प्रमुख कार्य-कलापों को बाहर से कराने का निर्णय लिया है। एक राष्ट्रीय कर सूचना नेटवर्क (टिन) स्थापित

करने का निर्णय लिया गया है जो विभाग की ओर से सभी टी डी एस विवरणियों और अन्य सूचना संबंधी विवरणियों को डिजिटाइजेशन के लिए प्राप्त करेगा। कर सूचना नेटवर्क बैंकों से करों की वसूली के बारे में आन लाइन सूचना भी प्राप्त करेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां-कहीं आय की विवरणियों को डाटा एंट्री के कार्य भार का प्रबंध उपलब्ध जन-शक्ति से कराना सम्भव न हो, वहां यह कार्य बाहर से करवा लिया जाए।

(ग) किसी कर्मचारी को सरप्लस नहीं किया जाएगा।

(घ) आयकर विभाग के गैर-प्रमुख कार्य-कलापों को बाहर से कराने का निर्णय केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था ताकि विभागीय जन-शक्ति का इस्तेमाल विभाग के प्रमुख कार्यों में इष्टतम रूप से किया जा सके।

सहकारी बैंकों को राज्य की गारंटी

3983. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य सरकारों को सहकारी बैंकों को कोई नई गारंटी जारी न करने के निर्देश देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को सहकारी बैंकों को बैंक गारंटी जारी न करने हेतु जारी किए जाने वाले निर्देशों के संबंध में राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अप्रवासी भारतीय जमा योजना

3984. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीय जमा योजना के संबंध में कोई सीमा तय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा जमा पर इस सीमा का क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) रिजर्व बैंक ने अधिकृत डीलरों द्वारा अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों की स्वीकृति के संबंध में कोई सीमा निश्चित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण वितरण

3985. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मंदी के कारण कुछ वित्तीय संस्थाओं यथा आई डी बी आई, आई सी आई सी आई, आई एफ सी आई और आई आई बी आई द्वारा गत वित्त वर्ष में संचित ऋण वितरण 22.4 प्रतिशत गिरकर 17878 करोड़ रुपए रह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वित्तीय संस्थाओं में 2000-01 से ऋण वितरण में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), आई एफ सी आई लिमिटेड एवं भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक द्वारा संवितरित ऋणों की मात्रा में गिरावट आई है। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस आई डी बी आई) एवं भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के मामले में गत तीन वर्षों के दौरान संवितरणों में वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार आई सी आई सी आई बैंक के अग्रिमों में पिछले वर्ष (2001-2002) की तुलना में 11.72% की वृद्धि दर्ज हुई।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं (आई डी बी आई, आई एफ सी आई लिमिटेड, एस आई डी बी आई, एक्जिम बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, (आई आई बी आई) एवं

आई सी आई सी आई बैंक) के संवितरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

संस्था का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
आई डी बी आई	17474	11151	3924
आई एफ सी आई लि.	2144.65	1078.75	1792.81
एक्जिम बैंक	1896.4	3452.9	5320.3
सिडबी	6441	5919	6789
आई सी आई सी आई बैंक*	31665	20555	-
आई आई बी आई	644.20	283	51.52

*आई सी आई सी आई बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निगमित एक बैंकिंग कंपनी है। तथा भूतपूर्व आई सी आई सी आई लि. एक वित्तीय संस्था का 3.5.2002 को आई सी आई सी आई बैंक के साथ विलय हो चुका है, जिसके विलय की नियत तारीख 30 मार्च, 2002 रखी गई है। अत: भूतपूर्व आई सी आई सी आई से संबंधित आंकड़े 31.12.2001 तक के ही दिए गए हैं।

(ग) विकास वित्त संस्थाओं (डी एफ आई) के परिचालन संबंधी कार्य निष्पादन पर सामान्यत: हाल ही के वर्षों में विभिन्न कारकों के कारण दबाव पड़ा है। निवेश की धीमी गति के साथ-साथ कारबार की मंदी के रूख तथा मंद पूंजी बाजार स्थिति से पारम्परिक उद्योगों से सहायता की मांग में गिरावट आई है तथा नई सहायता के लिए आवेदन का कम प्रवाह रहा है जब कि इक्विटी पूंजी की कमी के कारण विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है। इन कारकों के कारण डी एफ आई की वार्षिक मंजूरियों एवं संवितरणों के स्तर में भी गिरावट आई है।

(घ) सरकार ने अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति में सुधार करने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के सुदृढ़ीकरण, कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर), तंत्र लागू करने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसआरएफएस) के अधिनियम तथा आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ए आर सी) के गठन के माध्यम से विभिन्न सामर्थ्यकारी उपाय शुरू किए थे। आई सी आई सी आई का आई सी आई सी आई बैंक के साथ विलय हो चुका है तथा उसे बचत एवं चालू जमाराशियों के रूप में निम्नतर लागत उधार का लाभ मिलेगा। जहां तक आई डी बी आई का संबंध है इसे निगमित करने तथा इसे बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अधीन समझौता निपटानों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए विवेकाधिकार रहित एवं अभेदमूलक तंत्र अपनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को परिपत्र भी जारी किए हैं। जिससे आशा की जाती है कि अशोध्य कर्जों का निपटान होगा। सामान्यत: स्थूल आर्थिक पहलों एवं अवसंरचना पर दबाव से आशा की जाती है कि निवेश में सुधार होगा।

गरीबों के लिए आरक्षण

3986. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महान्यायवादी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऊंची जातियों के गरीबों को आरक्षण देने के संबंध में संविधान में संशोधन किया जाए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस संबंध में कोई कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) विद्वान महान्यायवादी ने यह राय दी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सांविधानिक संशोधन के द्वारा ही अनुज्ञेय किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं के लिए अमरीकी सहायता

3987. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) कुल परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को पूरा किया गया है; और

(ग) आज तक कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में उल्लिखित सभी परियोजनाओं पर आज की तारीख के अनुसार कार्य चल रहा है।

विवरण

संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोषीय वर्ष 2000-2003 के लिए भारत को अमरीकी आर्थिक सहायता

(हजार डालर में)

परियोजना संख्या	परियोजना का शीर्षक	वित्त वर्ष 2000	वित्त वर्ष 2001	वित्त वर्ष 2002	वित्त वर्ष 2003 (अक्तूबर 2002 से 21 अगस्त 2003 तक)	टिप्पणियां
	2	3	4	5	6	7
(क) द्विपक्षीय सहायता						
386-0496	वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी/सीआरएच के विकास के लिए कार्यक्रम	2,900	0	3,395	2,000	राज्य विशिष्ट-भिन्न
386-0515	तकनीकी सहायता तथा समर्थन परियोजना	1,000	0	2,000	0	राज्य विशिष्ट-भीन्न
386-0525	एड्स की रोकथाम और नियंत्रण	2,100	693	2,000	700	तमिलनाडु के लिए
386-0527	परिवार नियोजन सेवाओं में नवीनीकरण	9,670	0	3,500	4,880	उ.प्र., उत्तरांचल और झारखंड के लिए
386-0530	पर्यावरणीय सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में व्यापार	1,499	0	3,000	0	राज्य विशिष्ट-भिन्न
386-0531	वित्त संस्थाओं का सुधार और विस्तार	4,700	8,794	7,078	0	राज्य विशिष्ट-भिन्न
386-0534	ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण रोकथाम परियोजना	1,000	3,800	4,000	0	राज्य विशिष्ट-भिन्न
386-0542	ऊर्जा संरक्षण और वाणिज्यिकीकरण	6,400	2,500	3,000	11,350	राज्य विशिष्ट-भिन्न
386-0544	निवारण	0	2,300	1,000	0	महाराष्ट्र के लिए
386-0545	राज्य राजकोषीय प्रबंधन सुधार	-	0	1,030	3,000	उत्तरांचल, झारखंड के लिए
	उप-जोड़- द्विपक्षीय सहायता	29,269	18,087	30,003	21,930	
(ख) बहुपक्षीय सहायता						
	परिवार नियोजन सेवाओं में नवीकरण के लिए तकनीकी सहायता (पूरक द्विपक्षीय परियोजना संख्या 386-0527)	6,930	12,260	8,650	0	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और झारखंड के लिए
	विनाश प्रबंधन सहायता-यूएनडीपी (पूरक द्विपक्षीय परियोजना संख्या 366-0546 हस्ताक्षर के लिए आर्थिक कार्य विभाग के पास)	0	0	0	1,500	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तरांचल के लिए
	दक्षिण एशिया क्षेत्रीय उपक्रम/ऊर्जा	7,843	13,906	9,043	1,030	राज्य विशिष्ट भिन्न
	उप-जोड़: बहुपक्षीय सहायता	14,773	26,166	17,693	2,530	

1	2	3	4	5	6	7
(ग) खाद्य सहायता						
	सीएआरई और सीआरएस*	96,859	82,180	71,651	28,374	
	जोड़	140,901	126,347	119,347	52,834	

टिप्पणी:

अमरीकी राजकोष वर्ष 1 अक्तूबर को आरंभ होकर 30 सितम्बर को समाप्त होता है। (उदाहरण के लिए अमरीकी वित्तीय वर्ष 2000 पहली अक्तूबर, 1999 को आरंभ होकर 30 सितम्बर, 2000 को समाप्त हुआ)

*वित्त वर्ष 2003 का स्तर अक्तूबर, 2002 से जून 2003 तक है।

सीएआरई कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य है।

सीआरएस कार्यक्रम वाले राज्य:

दक्षिण क्षेत्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।

पूर्वी क्षेत्र-अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

उत्तरी क्षेत्र- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल

पश्चिमी क्षेत्र- गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं का विस्तार

3988. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का प्रस्ताव अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का 40 अन्य देशों में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस.बी.आई. ने 40 अन्य देशों में ऐसी उपस्थिति की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ग) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एस.बी.आई. की विस्तार परियोजना में कितनी लागत आएगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को वर्तमान के 28 देशों से बढ़ाकर मार्च, 2005 तक 35 देशों में करने का विचार करता है। भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त देशों में अपनी उपस्थिति विस्तार की आवश्यकता का विधिवत् मूल्यांकन किया है तथा यह विस्तार प्रत्येक केन्द्र के लिए विस्तृत अर्थक्षम अध्ययन पर आधारित होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न केन्द्रों पर शाखा की स्थापना में अंतर्ग्रस्त लागत संबंधित देशों में प्रचलित विनियामक आवश्यकता एवं लागत इत्यादि पर निर्भर होगा।

वस्त्र निर्यात की समिति

3989. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 50 बिलियन डालर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वस्त्र क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में वस्त्र समिति मुम्बई द्वारा तैयार की गई प्रारूप रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने से वस्त्र क्षेत्र को कितना लाभ होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं।

(ख) वस्त्र समिति ने ऐसी किसी रिपोर्ट का प्रारूप नहीं बनाया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग

3990. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई डिक्रियां, निर्णय या पारित आदेश अंग्रेजी भाषा में होंगे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदि के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के उपयोग को, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से प्राधिकृत किया जा सकेगा।

अभी तक चार राज्यों अर्थात्, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां तथा साथ ही निर्णयों, डिक्रियों आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत करने का मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष लंबित है।

इस समय सरकार किसी अन्य उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रियों से समय-समय पर प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

3991. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विधि/संविधान में संशोधन करने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निर्देशों पर राजनीतिक दलों के मत का पता लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उद्यमियों को आई.डी.बी.आई. की सहायता

3992. श्री सईदुज्जमा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के उद्यमियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान स्वीकृत आवेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त राज्यों के उद्यमियों को आई.डी.बी.आई. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दो राज्यों के संबंध में अगले वित्त वर्ष के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुसार, वित्तीय वर्षों 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या, संस्वीकृत आवेदनों की संख्या, संस्वीकृत एवं संवितरित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
प्राप्त आवेदन की सं.	70	46	31	23	9	7
संस्वीकृत आवेदन की सं.	44	34	15	15	5	6
संस्वीकृत राशि	587	2733	219	1165	37	937
संवितरित राशि	599	2688	197	1162	67	954

जहां तक आई.डी.बी.आई. द्वारा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उद्यमियों को उपर्युक्त अवधि के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के एकक-वार ब्यौरे का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वसनीयता व गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुरूप, बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग संघटकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं जा सकती।

(घ) आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि किसी राज्य को दी जाने वाली सहायता परियोजनाओं हेतु प्राप्त हुए अर्थक्षम एवं समर्थनपात्र आवेदनों पर निर्भर करती है, चाहे उनका स्थान कोई भी हो।

कॉफी की खपत

3993. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने कॉफी की घरेलू खपत में बढ़ोत्तरी के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड ने सहकारी समितियों यथा जी सी एम एम एफ (अमूल) की साझेदारी में कोमार्क (सी ओ एम ए आर के) द्वारा कॉफी के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए पहल की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके पश्चात् कॉफी की बिक्री में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए, कॉफी बोर्ड ने शहरी भारत में बाजार अनुसंधान अध्ययन किया है और इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर बोर्ड द्वारा काफी की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

- प्रमुख राष्ट्रीय उत्सवों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना।
- विश्व स्तरीय प्रचार संवर्धन सामग्री तैयार करना।
- देशभर में काफी उत्सवों का आयोजन करना।
- बोर्ड की संवर्धनात्मक इकाइयों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अनुकूल काफी बनाने वाली मशीनों/पर्कोलेटरों की बिक्री करना।
- जन संपर्क अभियानों के माध्यम से संवर्धन हेतु कारगर व्यापक प्रयास करना।
- काफी मिश्रण तैयार करने के लिए बोर्ड में उच्च तकनीक वाली रोस्टिंग तथा पैकेजिंग की सुविधा स्थापित करना आकर्षक वैक्यूम पैक्ड पाउचों में उसकी पैकेजिंग करना तथा बोर्ड की संवर्धानात्मक इकाइयों के माध्यम से बिक्री करना और उत्पादक सहकारी समितियों/सहायता संघों को सुविधा प्रदान करना।
- काफी बिक्री मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना।
- अलग-अलग स्थानों पर काफी शास्त्र पाठ्यक्रम आयोजित करके काफी की रोस्टिंग तथा ब्रूइंग संबंधी सघन प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ग) से (ङ) भारत सरकार/काफी बोर्ड ने घरेलू बाजार में काफी का विपणन करने के लिए गुजरात कोआपरेटिव मिल्क

मार्किटिंग फेडरेशन (जी सी एम एम एफ) तथा इंडियन काफी मार्किटिंग कोआपरेटिव लि. को मार्क के बीच पारस्परिक सहयोग हेतु इन दोनों संगठनों के बीच पारस्परिक और इंडियन काफी मार्किटिंग कोआपरेटिव लि. के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम को इन संगठनों द्वारा अभी अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

वैश्विक निवेश सम्मेलन

3994. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में गुजरात में किसी नए वित्तीय निवेश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां केन्द्र सरकार निवेश करने की योजना बना रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में मिलों का आधुनिकीकरण

3995. श्री राजो सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में आज की तिथि के अनुसार कार्यरत सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में सूती और कृत्रिम धागों की मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी है और गत दो वर्षों के दौरान इन मिलों का वास्तविक उत्पादन वर्ष-वार कितना है; और

(ग) इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र की एक संयुक्त मिल, मैसर्स बक्सर सैंट्रल जेल, बिहार राज्य में चल रही एकमात्र सूची/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिल (गैर-एसएसई) है।

(ख) मैसर्स बक्सर सैंट्रल जेल की संस्थापित क्षमता 5200 तकए तथा 60 करघों की है। उपर्युक्त मिल के एक जेल होने की वजह से उसमें नियमित उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप नहीं होते हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान उपर्युक्त मिल ने 13,589 मीटर फैब्रिक का उत्पादन किया। जहां तक वर्ष 2001-2002 का संबंध में मिल ने शून्य उत्पादन की विवरणी दी है।

(ग) बिहार राज्य में स्थित मिलों सहित उद्योग के प्रौद्योगिकी स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने 1.4.1999 से 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक के लिए वस्त्र व पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है। हालांकि, बिहार राज्य में स्थित किसी भी सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र एकक ने टीयूएफएस के अंतर्गत ऋण नहीं लिया है।

बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

3996. डा. बलिराम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में वास्तव में कालीन बुनाई प्रशिक्षण देने वाले कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या कितनी है और स्थल-वार ये किस तिथि से प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी और इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकार को कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों को पन्द्रह दिनों या उससे अधिक समय के बाद बन्द किए जाने और प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति नहीं दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में कोई कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र वास्तव में प्रशिक्षण नहीं दे रहा है।

(ख) कालीन बुनाई में प्रशिक्षण, विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से दिया जाता है।

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिए गये हैं। तथापि, वेतन एवं स्थापना आदि पर व्यय किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर व्यय की गई कुल धनराशि निम्न प्रकार से है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	व्यय		कुल
		योजना	गैर-योजना	
1.	2000-2001	495.78	174.14	669.92
2.	2001-2002	530.30	146.54	676.84
3.	2002-2003	542.06	185.13	727.19

अन्य संगठनों अर्थात् विभिन्न राज्य निगमों/शीर्ष संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए संगठनों को, कालीन बुनाई में प्रशिक्षण देने के लिए, सहायता मुहैया करायी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को रिलीज की गई धनराशि निम्न प्रकार से है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	धनराशि
1.	2000-2001	45.04
2.	2001-2002	42.81
3.	2002-2003	12.68
	कुल	100.53

कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों पर होने वाला समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, अत: राज्य सरकार के हिस्से का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निवेश उतार-चढ़ाव कोष

3997. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को बैंकिंग कार्यकरण में अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए एक निवेश उतार-चढ़ाव कोष (इन्वेस्टमेंट फलक्चूएशन रिजर्वस) बनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो निवेश उतार-चढ़ाव कोष में क्या दुहराव संलिप्त है;

(ग) क्या इस कोष से सभी बैंकों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा;

(घ) क्या बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर आर बी आई की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेशों की बिक्री से हुई आय के आंशिक भाग को निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि (आई एफ आर) खाते में अंतरित करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक आय का उपयोग करने के लिए अधिक विवेकपूर्ण नीति अपनाते हैं और अप्रत्याशित घटनाक्रमों की वजह से भविष्य में ब्याज दर के वातावरण में किसी संभावित प्रत्यावर्तन से सुरक्षा हेतु पर्याप्त आरक्षित निधि का निर्माण करते हैं। इसमें कोई पुनरावृत्ति अंतर्ग्रस्त नहीं है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों पर बहुत अधिक बोझ न पड़े, बैंकों को पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम 5 प्रतिशत निवेश पोर्टफोलियो का आई एफ आर प्राप्त करना अपेक्षित है और वे अपने पोर्टफोलियो के आकार और गठन के आधार पर 10 प्रतिशत पोर्टफोलियों तक उच्चतर प्रतिशतता वाले आई एफ आर का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) आई बी ए और एफ आई एम एम डी ए सहित कई बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन दिये थे, जिसमें उन्होंने आई एफ आर को श्रेणी I का स्तर प्रदान करने या विकल्प के तौर पर श्रेणी II के अंतर्गत आई एफ आर को जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की वर्तमान अधिकतम सीमा से प्राप्त करने का अनुरोध किया था। बैंकों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों

की जांच की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2003-04 की मौद्रिक एवं ऋण नीति में यह घोषणा की गई थी कि यद्यपि आई एफ आर को श्रेणी II की पूंजी के रूप में माना जाएगा, तथापि यह कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

'सीगैट' में लम्बित मामले

3998. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996-97 की तुलना में वर्ष 2002-2003 के अंत में 'सीगैट' के समक्ष लम्बित मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि 1996-97 में कम मामले दर्ज होते थे और उनका निपटान बहुत शीघ्र होता था;

(ख) यदि हां, तो मामलों के लम्बित रहने में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 'सीगैट' पर व्यय में शत-प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है जबकि मामलों की निपटान दर घटकर 36 प्रतिशत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अधिकरण की दो पीठों को दिल्ली से स्थानान्तरित करने और मुंबई स्थित मौजूदा पीठों के लिए भी नए स्थान को किराए पर लेने के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि हुई। व्यय में वृद्धि के अन्य कारण मुख्य रूप से कागज की खपत, घरेलू यात्रा तथा कम्प्यूटरीकरण आदि थे।

(ङ) आर्थिक क्षेत्राधिकार में बढ़ोत्तरी, विभिन्न शहरों में सर्किट पीठों के गठन, तीन पीठों को दिल्ली से मुंबई और बंगलौर में स्थानांतरित करने, अधिकरण में सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने जैसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

गैर मलबेरी रेशम का उत्पादन

3999. श्री परसुराम माझी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में गैर मलबेरी रेशम के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या संभावनाएं तलाशी गयी हैं;

(ग) क्या उक्त तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय या विदेशी सहायता दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) जी हां। उड़ीसा में गैर-शहतूत रेशम (तसर और एरी रेशम) के विकास के लिए संभावना है। वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान उड़ीसा में गैर-शहतूत रेशम के विकास के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना नामतः उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का क्रियान्वयन रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास के लिए उड़ीसा सहित राज्यों के सहयोग से कर रहा है। यह योजना खाद्य पादप कृषि से लेकर शहतूत, तसर, एरी और मूगा रेशम से संबंधित उत्पादों के विपणन, प्रौद्योगिकी समावेशन, निवेश सृजन, उत्पादकता उन्नयन और रोजगार सृजन तक के क्रियाकलापों में अंशधारकों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत 106.96 लाख रु. की राशि उड़ीसा राज्य सरकार को 2000-01 से 2002-03 के दौरान जारी की गई है जिसमें गैर-शहतूत क्षेत्र के लिए 24.26 लाख रु. की राशि शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-शहतूत रेशम के विकास के लिए उड़ीसा में क्रियान्वित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के ब्यौरे अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से 2001 से 2006 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए 2.60 करोड़ रु. की लागत से सिमलीपाल जैव-मंडल मयूरभंज जिला, उड़ीसा में जंगली माडल तसर पारि-प्रजातियों का संरक्षण नामक एक परियोजना शुरू की है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य उड़ीसा राज्य

के सिमलीपाल जैव-मंडल में मौजूदा माडल और बोगाई पारि तसर् रेशम कीट प्रजाति आबादी का संरक्षण करना और संरक्षित आबादी से कोये की अनवरत उपज प्राप्त करना है।

* केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अनुसंधान व विकास, विस्तार, प्रशिक्षण, रेशम कीट बीज और कोया पश्चात् क्रियाकलापों के संबंध में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित इकाइयों की स्थापना की है-

(1) बारिपदा में क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र

(2) बांगरीपोशी में अनुसंधान विस्तार केन्द्र

(3) नौरंगपुर, सुंदरगढ़, पालाहारा और बारिपदा में मूल बीज गुणन व प्रशिक्षण केन्द्र (बीएसएमटीसी)

(4) कटक में प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र (डीसीटीएससी)

* गैर-शहतूत रेशम के विकास के लिए बाह्य रूप से सहायता प्रदत्त एक परियोजना 1999-2000 से 2002-2003 की अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए 1.36 करोड़ रु. सहित 42.48 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से देश सहयोग ढांचा-1 के फाइबर और हस्तशिल्प कार्यक्रम के अंतर्गत यूएनडीपी की सहायता से उड़ीसा सहित दस गैर-शहतूत रेशम उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित की गई है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	वर्ष	वास्तविक प्रगति		के.रे.बो. द्वारा
			इकाई	मात्रा	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	उन्नत रीलिंग कताई उपकरणों के उन्नयन और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता	2000-01	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	0.08
2.	तसर के लिए फसल बीमा सहायता	2000-01	रोगमुक्त अंडे लाख में	1.84	1.00
3.	तसर के लिए फसल बीमा सहायता	2001-02	रोगमुक्त अंडे लाख में	2.55	1.46
4.	तसर के लिए बीज गुणन आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए सहायता	2001-02	शून्य	2	2.98
5.	तसर के लिए गुणवत्ता से संबद्ध कोया खरीदारी प्रणाली की स्थापना के लिए सहायता	2001-02	मात्रा नहीं किए जाने योग्य (एनक्यू)	एनक्यू	10.00
6.	व्यवस्थित तसर वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए तसर बीज पालकों को सहायता	2002-03	हैक्टेयर	15	0.15
7.	चौकी बागान के विकास के लिए तसर वाणिज्यिक पालकों को सहायता	2002-03	पालक	40	0.12
8.	तसर बीज गुणन आधारभूत संरचना का उन्नयन	2002-03	शून्य	1	1.25
9.	तसर बीज पालकों को उपकरण सहायता	2002-03	बीज पालक	12	0.32

1	2	3	4	5	6
10.	निजी तसर अन्न भंडारकों को सहायता	2002-03	अन्य भंडारक	5	1.25
11.	रीयरिंग उपकरण खरीदने के लिए तसर वाणिज्यिक पालकों को सहायता	2002-03	पालक	30	1.35
12.	तसर के लिए फसल बीमा सहायता	2002-03	रोगमुक्त अंडे लाख में	1.66	0.93
13.	उन्नत रीलिंग कताई उपकरणों के उन्नयन और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता	2002-03	रीलिंग कताई	114 57	- 0.68
14.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों सहित एरी खाद्य पादप की वृद्धि	2002-03	पालक	10	0.19
15.	एरी फार्म-सह-अन्न भंडारों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता	2002-03	एरी फार्म सह भंडार	1	2.50
	कुल				24.26

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा प्राप्त शिकायतें

4000. **श्री मोहन रावले:**

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त सहित प्राधिकारियों को आयकर विभाग के कुछ आयुक्तों और मुख्य आयुक्तों की भ्रष्ट गतिविधियां के विषय में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद कुछ मुख्य आयुक्त न केवल संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं बल्कि वे कुछ महानगरों यथा मुम्बई में विभाग के प्रमुख हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं: और

(ङ) इस प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने पर विचार किया जा रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 2003 में मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों के रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध क्रमशः 4 और 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनका प्रारंभिक सत्यापन/जांच की जा रही है।

(ग) जब तक कि शिकायत में लगाए गए आरोप विभागीय सतर्कता अभिकरण द्वारा आगे जांच किए जाने पर साबित नहीं हो जाते, कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाती।

(घ) सतर्कता नियमावली में परिकल्पित प्रक्रिया में यह निहित है कि कोई शिकायत प्राप्त हो जाने के पश्चात् रिकार्डों के संदर्भ में उसकी जांच की जाती है और मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी सलाह के लिए भेज दिया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में एक नई स्थानांतरण नीति तैयार की है जिसमें पदों को "संवेदनशील और गैर-संवेदनशील" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता कार्रवाइयां प्रारम्भ करने की सिफारिश की है तो उसे किसी संवेदनशील पद अथवा श्रेणी-क स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा।

गैर निष्पादनकारी आस्तियों का समझौता निपटान

4001. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए तक की गैर निष्पादनकारी आस्तियों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बकाया गैर निष्पादनकारी आस्तियों की एकमुश्त निपटान योजना की अवधि भी बढ़ायी गयी है;

(घ) 3 मार्च, 2003 की तिथि के अनुसार बैंकवार उन चूककर्त्ताओं की संख्या कितनी है जिन्होंने समझौता निपटान योजना में रुचि दिखायी है; और

(ङ) 31 मार्च, 2003 की तिथि के अनुसार योजना के अंतर्गत बैंकवार वसूली गयी कुल राशि कितनी है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल बकाया गैर निष्पादनकारी आस्तियों का यह कुल कितना प्रतिशत है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए तक की अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के एक बारगी निपटान (ओ टी एस) हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं। दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण I में दी गई है।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवल एन पी ए, ओ टी एस योजना के तहत निपटान के पात्र एन पी ए खातों की संख्या, प्राप्त हुए आवेदनों और वसूली गई राशि संबंधी बैंकवार ब्यौरे विवरण II में दिये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल निवल एन पी ए की तुलना में 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार ओ टी एस योजना के तहत की गई वसूलियों की प्रतिशतता 0.57% है।

विवरण I

तार: बैंकचालन, मुंबई	**भारतीय रिजर्व बैंक**	टेलीफोन नं.
फैक्स सं.	केन्द्रीय कार्यालय	22189131-39
0091-22-22183785, 22188770	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग	पोस्ट बाक्स सं./
ई-मेल का पता 2/	केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र	6089
<rbidboco@bom3.vsnl.net.in>	कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005	कार्पोरेट ई-मेल/
		<cgmincdbod@rbi.org.in>

संदर्भ: बैंपविवि. सं. बीपी बीसी. 65/21.04.117/2002-03

29 जनवरी
09 माघ 1924 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

कृपया 27 जुलाई, 2000 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 11/21.01.040/99-00 देखें, जिसमें 5.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त योजना के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की समीक्षा से यह पता लगा है कि इस तंत्र के माध्यम से अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रगति सामान्य रही है। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि ऋणकर्त्ताओं को अपनी देय बकाया राशि के निपटान के लिए आगे आने का एक और अवसर प्रदान किया जाये। इसलिए अब नये दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं जो निर्धारित मूल्य की उच्चतम सीमा से कम की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए सरल, अविवेकपूर्ण और अभेदमूलक तंत्र प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को इन दिशा-निर्देशों को एकसमान रूप से कार्यान्वित करना चाहिए, ताकि निर्धारित समय के भीतर अनर्जक आस्तियों के स्टाक से प्राप्य राशियों की अधिकतम वसूली की जा सके।

3. संशोधित दिशा-निर्देशों में लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित अनर्जक आस्तियां (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) शामिल होंगी। तथापि, दिशा-निर्देशों में जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे। बैंकों को जानबूझकर चूक, कपट और धांधली के मामलों का पता लगाना चाहिए और उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, 27 जुलाई 2000 के हमारे परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्राप्त राशियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं:

(अ) 10.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

(1) व्याप्ति

(क) संशोधित दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्रों की, चाहे उनके कारोबार का स्वरूप भी क्यों न हो, ऐसी सभी अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी, जो 31 मार्च, 2000 को संदिग्ध या हानिवाली हो गयी हैं और निर्दिष्ट तारीख को जिनकी बकाया जमाराशि 10.00 करोड़ रुपये और उससे कम हो।

(ख) दिशा-निर्देशों में ऐसी अनर्जक आस्तियां भी शामिल होंगी, जिन्हें 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली श्रेणी में आ गयी हों।

(ग) इन दिशा-निर्देशों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा शुरू की गयी कार्रवाई के मामले तथा न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामले भी शामिल होंगे, बशर्ते न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति डिक्री प्राप्त की गयी हो।

(घ) जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे।

(ङ) ऋणकर्त्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 को कारोबार समाप्त होने की होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जांच कार्य 31 अक्तूबर 2003 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(2) निपटान फार्मूला-राशि और निर्दिष्ट तारीख

(क) 31 मार्च, 2000 को संदिग्ध या हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियां

31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वसूल की जाने वाली न्यूनतम राशि, प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को खाते में बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते को वर्गीकृत किये जाने की तारीख को बकाया राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का, यथास्थिति, 100 प्रतिशत होगी।

(ख) 31 मार्च, 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत ऐसी अनर्जक आस्तियां जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली बन गयी हों

31 मार्च, 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत जो अनर्जक आस्तियां बाद में संदिग्ध या हानि वाली बन गयी हों, उनके संदर्भ में वसूल की जाने वाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख को विद्यमान राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का यथास्थिति, 100 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2000 से अंतिम भुगतान की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज।

(3) अदायगी

उपर्युक्त दोनों ही मामलों में समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि अधिमानतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्त्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए और 75 प्रतिशत की शेष राशि, समझौते की तारीख से अंतिम अदायगी की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज सहित एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में वसूल की जानी चाहिए।

(4) मंजूर करने वाले प्राधिकारी

समझौते द्वारा निपटान तथा बाद में माफी या छूट या बट्टे खाते डालने की मंजूरी के संबंध में निर्णय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

(5) भेदभाव रहित व्यवहार

बैंकों को चाहिए कि वे बिना किसी भेदभाव के संशोधित योजना के अंतर्गत आने वाली सभी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें और संबंधित अधिकारी द्वारा निपटान की प्रगति और ब्यौरों की मासिक रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी तथा अपने केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि पात्र चूककर्त्ता ऋणकर्त्ताओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी बकाया देय राशियों के एक बार में निपटान के अवसर का लाभ उठाने के लिए व्यापक प्रचार करें और 28 फरवरी 2003 तक नोटिस दें। विभिन्न माध्यमों से इन दिशा-निर्देशों के पर्याप्त प्रचार को अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(6) बोर्ड को रिपोर्ट देना

बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट हर तिमाही में निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति हमें भी भेजी जाये।

(आ) 10.00 करोड़ रुपये से अधिक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

जैसा कि हमारे 27 जुलाई, 2000 के पहले के परिपत्र में पहले ही सूचित किया गया है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना चाहिए और निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी ऋण वसूली नीति के भाग के रूप में इस परिपत्र के अंतर्गत आने वाली अनर्जक आस्तियों के एक बार में निपटान के संबंध में नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए।

4. व्यतिक्रम केवल निदेशक बोर्ड द्वारा

किसी ऋणकर्त्ता के लिए निपटान संबंधी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में कोई व्यतिक्रम या इनसे हटकर कार्रवाई का प्रस्ताव हो तो वह केवल निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

ह-/

(सी.आर. मुरलीधरन)

मुख्य महाप्रबंधक

तार: बैंकचालन, मुंबई
फैक्स सं.
0091-22-22183785, 22188770
ई-मेल का पता 2/
<rbidboco@bom3.vsnl.net.in>

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005

टेलीफोन नं.
22189131-39
पोस्ट बाक्स सं./
6089
कार्पोरेट ई-मेल/
<cgmincdbod@rbi.org.in>

संदर्भ: बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 108/21.04.117/2002-03

23 मई, 2003
2 ज्येष्ठ 1925 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

कृपया आप 29 जनवरी, 2003 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 65/21.04.117/2002-2003 देखें, जिसमें 10.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3(अ) (1) (ङ) के अनुसार ऋणकर्त्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 को कारोबार की समाप्ति तक थी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया 31 अक्तूबर, 2003 तक पूरी की जानी थी।

2. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों ने यह अनुरोध किया है कि इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए समय-सीमा बढ़ा दी जाये। उपर्युक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि एकबारगी समझौता योजना (ओ टी एस) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2003 कर दी जाये और आवेदनपत्रों की जांच प्रक्रिया की तारीख 31 अक्तूबर, 2003 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2003 कर दी जाये।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

ह-/

(डा. एन. कृष्णमोहन

महाप्रबंधक

विवरण II

31 मार्च, 2003 के स्थिति के अनुसार निवल एन पी ए, ओ टी एस योजना के तहत निपटान के योग्य एन पी ए खातों की संख्या, प्राप्त हुए आवेदन व वसूली गई राशि संबंधी बैंक-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

बैंक	निवल एन पी ए	निपटान योग्य खातों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन	वसूली गई राशि	
				खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
भारतीय स्टेट बैंक	6183.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	281.79	154447	287	258	0.51
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	315.39	25483	723	696	1.24
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	137.84	59749	30	7	0.07
स्टेट बैंक आफ मैसूर	272.90	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
स्टेट बैंक आफ पटियाला	160.85	12893	417	155	2.16
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	163.96	26706	139	107	1.13
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	280.00	63644	274	150	2.78
इलाहाबाद बैंक	886.98	123478	14568	9576	38.42
आन्ध्रा बैंक	206.27	198067	169	123	1.11
बैंक आफ बड़ौदा	1700.28	230241	396	392	1.29
बैंक आफ इंडिया	2382.00	684888	9592	7347	9.50
बैंक आफ महाराष्ट्र	459.14	58745	190	91	0.79
केनरा बैंक	1453.88	142460	36	22	0.13

1	2	3	4	5	6
सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1562.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कारपोरेशन बैंक	198.39	25641	132	75	067
देना बैंक	997.28	21435	214	129	230
इंडियन बैंक	754.95	83878	1670	718	45.69
इंडियन ओवरसीज बैंक	912.21	59953	2289	2078	3.87
ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	225.28	31434	103	60	0.12
पंजाब नेशनल बैंक	1526.91	215056	2083	1699	6.56
पंजाब एंड सिंध बैंक	639.47	36623	500	187	1.79
सिंडीकेट बैंक	700.00	117945	275	240	1.51
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1253.43	194562	108	108	4.75
यूको बैंक	697.14	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	406.06	221763	5933	3832	10.45
विजया बैंक	205.81	47882	537	156	2.20

जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

4002. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों का भेषज उद्योग विश्व व्यापार संगठन पर दबाव डाल रहा है कि अल्प विकसित देशों की जन स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए पेटेंट औषध की आपूर्ति की अतिरिक्त क्षमता के इस्तेमाल के लिए भारत और ब्राजील को अनुमति न दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) ट्रिप्स करार एवं लोक स्वास्थ्य के संबंध में दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को अंगीकृत दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र के पैराग्राफ 6 में टिप्स करार के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रभावपूर्ण प्रयोग के संबंध में भेषज क्षेत्र में अपर्याप्य या कोई विनिर्माण क्षमता न रखने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के समक्ष आने वाली समस्याओं को स्वीकार किया है और ट्रिप्स परिषद को उनके शीघ्रता से वर्ष 2002 के अंत तक समाधान करने का अधिदेश दिया गया है। इस समाधान के मद्देनजर ट्रिप्स परिषद के अध्यक्ष ने दिनांक 16 दिसम्बर को एक मसौदा अधित्याग निर्णय का प्रस्ताव किया था परन्तु इस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई क्योंकि अमरीका ने इस मसौदा अधित्याग निर्णय के अन्तर्गत रोगों की कवरेज प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया था। इस पर सहमति नहीं हो पाई। तब से अमरीका कवरेज को सीमित करने पर जोर नहीं दे रहा है अपितु उत्पादित औषधि के विपथन की रोकथाम के लिए ट्रिप्स परिषद द्वारा कुछेक अवरोधों की मांग कर रहा है। अमरीका ने डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशाक द्वारा नामित किए जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक निकाय का भी सुझाव दिया है। जो किसी देश के इस दावे की समीक्षा करेगा कि उसके पास किसी विशेष पेटेंट उत्पाद के लिए विनिर्माण सुविधाएं नहीं है। भारत ने कहा कि उसे 16 दिसम्बर 2002 के मसौदे के कार्य क्षेत्र से अलग की कोई भी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। इस मसले पर सर्वसम्मति बनाने के लिए ट्रिप्स परिषद के अध्यक्ष द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम

4003. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में 7 मार्च, 2003 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2462 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी हां। अधिकांश उच्च न्यायालयों से जानकारी एकत्रित कर ली गई है।

(ख) और (ग) एक विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन लंबित मामलों की संख्या	ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष न्यायालय
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	0	कोई विशेष न्यायालय नहीं
2.	आन्ध्र प्रदेश	294	22 विशेष चल न्यायालय
3.	बम्बई	392	कोई विशेष न्यायालय नहीं
4.	कलकत्ता	0	कोई विशेष न्यायालय नहीं
5.	दिल्ली	21	कोई विशेष न्यायालय नहीं
6.	गुवाहाटी	उपलब्ध नहीं	कोई विशेष न्यायालय नहीं
7.	गुजरात	12	कोई विशेष न्यायालय नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	13	कोई विशेष न्यायालय नहीं
9.	जम्मू-कश्मीर	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
10.	कर्नाटक	428	कोई विशेष न्यायालय नहीं
11.	केरल	2	कोई विशेष न्यायालय नहीं
12.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
13.	मद्रास	1997	3 से 4 जिलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय गठित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
14.	उड़ीसा	3956	सैशन न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों को विशेष न्यायालयों के रूप में घोषित किया गया है। तथापि, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को निरसित कर दिया गया है।
15.	पटना	188	कोई विशेष न्यायालय नहीं

1	2	3	4
16.	पंजाब और हरियाणा	138	कोई विशेष न्यायालय नहीं
17.	राजस्थान	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
18.	सिक्किम	0	कोई विशेष न्यायालय नहीं
19.	छत्तीसगढ़	3	कोई विशेष न्यायालय नहीं
20.	झारखंड	0	उपलब्ध नहीं
21.	उत्तरांचल	1	कोई विशेष न्यायालय नहीं

टिप्पण: उड़ीसा और मद्रास उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन लंबित मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। उनमें विशेष न्यायालयों का गठन करने के संबंध में स्थिति को ऊपर स्पष्ट किया गया है।

महिला प्रधान एजेन्ट्स

4004. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बचत योजनाओं को प्रोत्साहित देने से उनको प्राप्त अल्प आय पर कर लगाए जाने के संबंध में महिला प्रधान एजेन्टों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) कर नीति में संशोधन करने के बारे में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच बजट प्रक्रिया के समय की जाती है और सरकार को वित्त विधेयक में प्रस्तावों के रूप में दर्शाया जाता है।

जनजातीय भूमि पर रबड़ की खेती

4005. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने केरल की जनजातीय भूमि पर रबड़ की खेती की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने हेक्टेयर जनजातीय भूमि को रबड़ की खेती के अंतर्गत लाया गया है और इससे कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत जनजातीय लोगों को लाभ हेतु रबड़ बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) 1205.96 हेक्टेयर जनजातीय भूमि को रबड़ की खेती के अंतर्गत लाया गया है तथा इससे 3306 जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं।

(ग) रबड़ बोर्ड द्वारा जनजातीय लोगों के लाभार्थ रबड़ विकास स्कीम तथा जनजातीय उपयोजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। रबड़ बगान विकास स्कीम के तहत जनजातीय उत्पादकों को नवरोपण के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ मुफ्त तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। जनजातीय उपयोजना स्कीम के तहत जनजातीय लोगों को रबड़ की खेती के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कारगर मानीटरिंग के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि में केरल की राज्य सरकार के सहयोग से अलग से एक परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना के अपरिपक्वता चरण में जनजातीय लाभानुभोगी बगान में मजदूरी अर्जक के रूप में कार्य करते हैं और जब बगान टैपिंग चरण पर पहुंच जाता है तब उक्त बगान को एक रबड़ उत्पादक सोसाईटी का गठन करने और एक टेलेक्स संग्रहण केन्द्र/प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना करने के बाद जनजातीय लोगों को वापस सौंप दिया जाता है।

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का निपटान

4006. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 करोड़ रुपए तक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के एक मुश्त निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के क्या दिशानिर्देश हैं; और

(ख) उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया और 10 करोड़ रुपए से कम की गैर निष्पादनकारी आस्तियों के निपटान के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कितना न्यूनतम ब्याज लिया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) 10 करोड़ रुपए तक की अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के एक-बारगी निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में है।

(ख) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों के तहत 502 मामलों का निपटान किया गया है और बैंक द्वारा निपटान राशि पर प्रभारित न्यूनतम ब्याज दर पर प्राथमिक उधार दर (योजना के अनुसार) है जो इस समय में 11.5% है।

विवरण

तार: बैंकचालन, मुंबई	**भारतीय रिजर्व बैंक**	टेलीफोन नं.
फैक्स सं.	केन्द्रीय कार्यालय	22189131-39
0091-22-22183785, 22188770	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग	पोस्ट बाक्स सं./
ई-मेल का पता 2/	केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र	6089
<rbidboco@bom3.vsnl.net.in>	कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005	कार्पोरेट ई-मेल/
		<cgmincdbod@rbi.org.in>

संदर्भ: बैंपविवि. सं. बीपी बीसी. 65/21.04.117/2002-03

29 जनवरी
09 माघ 1924 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

कृपया 27 जुलाई, 2000 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 11/21.01.040/99-00 देखें, जिसमें 5.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त योजना के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की समीक्षा से यह पता लगा है कि इस तंत्र के माध्यम से अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रगति सामान्य रही है। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि ऋणकर्त्ताओं को अपनी देय बकाया राशि के निपटान के लिए आगे आने का एक और अवसर प्रदान किया जाये। इसलिए अब नये दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं जो निर्धारित मूल्य की उच्चतम सीमा से कम की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए सरल, अविवेकपूर्ण और अभेदमूलक तंत्र प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को इन दिशा-निर्देशों को एकसमान रूप से कार्यान्वित करना चाहिए, ताकि निर्धारित समय के भीतर अनर्जक आस्तियों के स्टाक से प्राप्य राशियों की अधिकतम वसूली की जा सके।

3. संशोधित दिशा-निर्देशों में लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित अनर्जक आस्तियां (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) शामिल होंगी। तथापि, दिशा-निर्देशों में जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे। बैंकों को जानबूझकर चूक, कपट और धांधली के मामलों का पता लगाना चाहिए और उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, 27 जुलाई 2000 के हमारे परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्राप्त राशियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं:

(अ) 10.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

(1) व्याप्ति

(क) संशोधित दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्रों की, चाहे उनके कारोबार का स्वरूप भी क्यों न हो, ऐसी सभी अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी, जो 31 मार्च, 2000 को संदिग्ध या हानिवाली हो गयी हैं और निर्दिष्ट तारीख को जिनकी बकाया जमाराशि 10.00 करोड़ रुपये और उससे कम हो।

(ख) दिशा-निर्देशों में ऐसी अनर्जक आस्तियां भी शामिल होंगी, जिन्हें 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली श्रेणी में आ गयी हों।

(ग) इन दिशा-निर्देशों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा शुरू की गयी कार्रवाई के मामले तथा न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामले भी शामिल होंगे, बशर्ते न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति डिक्री प्राप्त की गयी हो।

(घ) जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे।

(ङ) ऋणकर्त्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 को कारोबार समाप्त होने की होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जांच कार्य 31 अक्तूबर 2003 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(2) निपटान फार्मूला-राशि और निर्दिष्ट तारीख

(क) 31 मार्च, 2000 को संदिग्ध या हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियां

31 मार्च, 2000 को संदिग्ध या हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देशों के अतंर्गत वसूल की जाने वाली न्यूनतम राशि, प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को खाते में बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते को वर्गीकृत किये जाने की तारीख को बकाया राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का, यथास्थिति, 100 प्रतिशत होगी।

(ख) 31 मार्च, 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत ऐसी अनर्जक आस्तियां जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली बन गयी हों

31 मार्च, 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत जो अनर्जक आस्तियां बाद में संदिग्ध या हानि वाली बन गयी हों, उनके संदर्भ में वसूल की जाने वाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख को विद्यमान राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का यथास्थिति, 100 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल, 2000 से अंतिम भुगतान की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज।

(3) अदायगी

उपर्युक्त दोनों ही मामलों में समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि अधिमानतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए और 75 प्रतिशत की शेष राशि, समझौते की तारीख से अंतिम अदायगी की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज सहित एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में वसूल की जानी चाहिए।

(4) मंजूर करने वाले प्राधिकारी

समझौते द्वारा निपटान तथा बाद में माफी या छूट या बट्टे खाते डालने की मंजूरी के संबंध में निर्णय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

(5) भेदभाव रहित व्यवहार

बैंकों को चाहिए कि वे बिना किसी भेदभाव के संशोधित योजना के अंतर्गत आने वाली सभी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें और संबंधित अधिकारी द्वारा निपटान की प्रगति और ब्यौरों की मासिक रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी तथा अपने केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि पात्र चूककर्त्ता ऋणकर्त्ताओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी बकाया देय राशियों के एक बार में निपटान के अवसर का लाभ उठाने के लिए व्यापक प्रचार करें और 28 फरवरी 2003 तक नोटिस दें। विभिन्न माध्यमों से इन दिशा-निर्देशों के पर्याप्त प्रचार को अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(6) बोर्ड को रिपोर्ट देना

बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट हर तिमाही में निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति हमें भी भेजी जाये।

(आ) 10.00 करोड़ रुपये से अधिक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

जैसा कि हमारे 27 जुलाई, 2000 के पहले के परिपत्र में पहले ही सूचित किया गया है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना चाहिए और निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी ऋण वसूली नीति के भाग के रूप में इस परिपत्र के अंतर्गत आने वाली अनर्जक आस्तियों के एक बार में निपटान के संबंध में नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए।

4. व्यतिक्रम केवल निदेशक बोर्ड द्वारा

किसी ऋणकर्ता के लिए निपटान संबंधी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में कोई व्यतिक्रम या इनसे हटकर कार्रवाई का प्रस्ताव हो तो वह केवल निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय
ह-/
(सी.आर. मुरलीधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

तार: बैंकचालन, मुंबई
फैक्स सं.
0091-22-22183785, 22188770
ई-मेल का पता 2/
<rbidbocо@bom3.vsnl.net.in>

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005

टेलीफोन नं.
22189131-39
पोस्ट बाक्स सं./
8089
कार्पोरेट ई-मेल/
<cgmincdbod@rbi.org.in>

संदर्भ: बैंपविवि. सं. बोपी. बीसी. 108/21.04.117/2002-03

23 मइ, 2003
2 ज्येष्ठ 1925 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

कृपया आप 29 जनवरी, 2003 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 65/21.04.117/2002-2003 देखें, जिसमें 10.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3(अ) (1) (ङ) के अनुसार ऋणकर्त्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 को कारोबार की समाप्ति तक थी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया 31 अक्तूबर, 2003 तक पूरी की जानी थी।

2. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों ने यह अनुरोध किया है कि इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए समय-सीमा बढ़ा दी जाये। उपर्युक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि एकबारगी समझौता योजना (ओ टी एस) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2003 कर दी जाये और आवेदनपत्रों की जांच प्रक्रिया की तारीख 31 अक्तूबर, 2003 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2003 कर दी जाये।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय
ह-/
(डा. एन. कृष्णमोहन)
महाप्रबंधक

एनआईसीएल का कार्यनिष्पादन

4007. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकत्ता की नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए 3165 करोड़ रुपए की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 1.4.2003 से 31.7.2003 तक की पहले चार माह की अवधि के दौरान कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय वर्ष 2003 की तदनुरूप अवधि के दौरान हुई 980.52 करोड़ रु. की आय की तुलना में 1126.97 करोड़ रु. थी जो कि 14.94% की वृद्धि दर्शाती है।

भारतीय खाद्य निगम में नियुक्तियां

4008. **श्री रामजी माझी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा मई 1986 में निर्णय लिया गया था कि किसी व्यक्ति को किसी भी अधिकारी द्वारा कार्यालय या डिपो में नैमित्तिक/दैनिक/अंशकालिक आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नियम की अनदेखी का मामला सामने आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम ने मई, 1986 में यह निर्णय लिया था कि वह अपने कार्यालयों/डिपुओं में 2.5.1986 से नैमित्तिक/दैनिक/पार्ट-टाइम आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा। तथापि, उक्त निर्णय से अलग हटते हुए 2.5.1986 के बाद भारतीय खाद्य निगम के कुछ कार्यालयों में कुछ दैनिक आधार के/पार्ट-टाइम श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। 1986-87 से 1999-2000 के वर्षों के दौरान इन श्रमिकों को 48.15 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मजदूरी के रूप में दी गई थी।

इन नैमित्तिक श्रमिकों को स्वीपरों, वाटरमैनों, चौकीदारों आदि के कार्य में लगाया गया था। इन नैमित्तिक श्रमिकों में कुछ ने न्यायालयों /औद्योगिक ट्रिब्यूनलों से अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया था और न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों द्वारा उनके मामलों का निपटान किये जाने तक उन्होंने काम करना जारी रखा।

दैनिक आधार के/नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार भारतीय पाए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

अप्रवासी भारतीयों से धनराशि

4009. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना की अनुसूची 6 और 7 की शर्त (ii) और (vii) से छूट देने का अनुरोध किया है ताकि केरल विद्युत वित्त निगम लिमिटेड अप्रवासी भारतीयों से धनराशि जुटा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। राज्य वित्तीय निगमों की कमजोर वित्तीय स्थिति और निर्गमकर्ता कंपनियों द्वारा वहन किए जाने वाले अंतर्निहित विनियम जोखिम के दृष्टिगत राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि केरल विद्युत वित्त निगम लिमिटेड को अनिवासी भारतीय निधियां जुटाने की अनुमति न दी जाए।

विदेश में उच्च शिक्षा हेतु अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन

4010. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विदेश भेजे गए विद्यार्थियों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के चयन हेतु वर्तमान नियम क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को चयन के लिए कोई विज्ञापन और प्रोत्साहन योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा था। इस समय यह योजना अस्तित्व में नहीं है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 तक छात्रों का चयन किया गया। अब तक किए गए चयन में से चालू वर्ष के दौरान कुल 5 छात्रों को विदेश भेजा गया।

देश का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
संयुक्त राज्य अमेरिका	शून्य	1	शून्य	1
ब्रिटेन	शून्य	1	2	शून्य
कुल	शून्य	2	2	1

(ग) इस समय यह योजना मौजूद नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4011. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तनों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध विशेषतः विदेशी राजनयिकों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) (i) असबाब की जांच और वैयक्तिक तलाशी के बारे में, जून, 2003 में यूरोपियन आयोग शिष्टमंडल के फर्स्ट काऊंसलर के पति/पत्नी से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

मामले में पूछताछ से पता चला है कि एयरलाईन द्वारा यात्री के असबाब को सीमाशुल्क द्वारा जांच के लिए एक तरफ रख दिया गया था। तथापि, यात्री द्वारा एक राजनयिक के पति/पत्नी के रूप में अपने स्तर की घोषणा करने पर न कोई वैयक्तिक तलाशी ली गई और न ही असबाब को जांचा गया।

(ii) सीमा शुल्क काऊंटर पर लम्बी पंक्ति और एक पर्यवेक्षक महिला के अनुचित व्यवहार के बारे में भारत में लक्ज़मबर्ग के दूत से अप्रैल, 2003 में ई-मेल द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई।

पूछताछ से पता चला है कि घटना की तारीख को सीमाशुल्क काऊंटर पर कोई महिला सीमाशुल्क पर्यवेक्षक के पद पर तैनात नहीं थी।

(ग) राजनयिकों और उनके परिवार के राजनयिक स्तर प्राप्त सदस्य सीमाशुल्क द्वारा निवारात्मक जांच के अधीन नहीं है। राजनयिकों के साथ व्यवहार करने के तरीके के बारे में अधिकारियों को हिदायत दी जा रही है। उनको उपयुक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का आचरण अस्वीकार्य पाया गया, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम की कम्प्यूटरीकरण परियोजना

4012. **श्रीमती निवेदिता माने:**
डा. चरणदास महंत:
श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का देश में फैले अपने सभी गोदामों के बेहतर सामग्री तालिका प्रबंधन हेतु नेटवर्किंग की कम्प्यूटरीकरण परियोजना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूर्ण होगी और इसकी लागत कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रबंधन प्रणाली के अपग्रेडेशन का मुख्य उद्देश्य एक आनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करना है जो किसी भी दत्त समय में किसी डिपु की स्टाक स्थिति की जानकारी देगा। सूचना/आंकड़ा एकत्र करने की मौजूदा प्रणाली में अधिक समय लगता है और यह मंहगी है। डिपो के स्तर और इससे आगे कम्प्यूटरीकरण की शुरूआत होने से, प्रासंगिक आंकड़ों की शुद्धता में सुधार आएगा, तेजी से विश्लेषण में सहायता मिलेगी और समय पर रिपोर्ट. आदि मिल सकेगी। इससे प्रबंधन को सही और समुचित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना से वित्तीय बचत होगी और संगठन के विभिन्न स्तरों पर प्रचालनात्मक कुशलता बेहतर होगी।

परियोजना 2003-2004 से प्रारंभ होगी और 3 चरणों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें निगम के नई दिल्ली स्थिति मुख्यालय सहित सभी डिपुओं, जिला कार्यालयों क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों को कवर किया जाएगा। प्रथम चरण में, नोड तथा विन्यासों की समुचित संख्या के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों आंचलिक कार्यालयों और भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के अतिरिक्त 87 जिलों और 45 डिपुओं को कवर किया जाएगा।

(ग) परियोजना को 2005-06 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना के लिए 97.66 करोड़ रुपये का अनंतिम बजट आवंटन किया गया है।

निर्मित उत्पादों पर सीमा शुल्क

4013. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य देशों से निर्मित उत्पादों पर सीमा शुल्क कम करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विश्व व्यापार संगठन की आगे क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) गैर-कृषि उत्पादों पर शुल्क कटौती, जिन्हें आमतौर पर औद्योगिक मदें भी कहा जाता है, डब्ल्यू टी ओ के दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा द्वारा वार्ताओं के लिए अधिदेशित एक विषय है। इस चरण में वास्तविक टैरिफ वार्ताओं के तौर-तरीकों के अंतिम निर्धारण के लिए बातचीत की जा रही है। भारत सहित कई डब्ल्यू टी ओ सदस्यों ने वार्ताओं के तौर तरीके संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

लिखित एवं मौखिक सभी प्रस्तावों पर बाजार पहुंच संबंधी वार्ताकारी समूह के अध्यक्ष विचार किया गया है जिन्होंने स्वयं सदस्यों द्वारा बातचीत के तौर-तरीके के तत्वों तथा उन पर संभावित करारों का मसौदा तैयार किया है। अध्यक्ष के प्रस्ताव पर वर्तमान में डब्ल्यू टी ओ में विचार किया जा रहा है।

चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रस्ताव

4014. श्री के.पी. सिंह देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को भारत में निवेश करने हेतु चीन से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावों पर उनके गुणदोष व क्षेत्रक मार्गनिर्देशों सहित विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के आधार पर विचार किया जाता है। अनुमोदनों के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक 'एसआईए न्यूजलैटर' में प्रकाशित किए जाते हैं जिसका संसदीय पुस्तकालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में व्यापक रूप से परिचालन किया जाता है। यह सूचना वेबसाईट (http://finmin.nic.in) पर भी दर्ज है।

जूट पैकेजिंक आदेश

4015. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू जूट उद्योग के प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार को अपनी समस्याओं के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जूट उद्योग ने सरकार से अंतर्निहित अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुरोध किया गया है कि वह खाद्यानों और चीनी हेतु जूट पैकेजिंग के बाध्यकारी आदेश में छूट देने के मामले में उनकी मदद करें क्योंकि इससे काफी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने संबंधित निर्णय की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। सरकार को पटसन उद्योग के कर्मचारी संघ और नियोक्ताओं दोनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारियों की मांगें मुख्य रूप से मजदूरी, डी ए, बोनस आदि में वृद्धि और भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि की लंबित बकाया राशि के भुगतान के संबंध में है जबकि नियोक्ताओं की मांगें भिन्न है यथा-बिजली, आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं, आसान कर्ज, लागत संबंधी कारकों में कमी आदि की व्यवस्था करना।

(ग) से (च) जी हां। सरकार ने पहले दिनांक 12 जुलाई, 2002 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत क्रमिक रूप से कम करने का प्रावधान है। उक्त अधिसूचना को भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने याचिका को खारिज कर दिया। बाद में, भारतीय पटसन मिल संघ ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए तथा दिनांक 12.7.2002 की अधिसूचना को निरस्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता की खंडपीठ के समक्ष दो अपील याचिकाएं को दायर की। माननीय खंडपीठ ने दिनांक 27.6.2003 के अपने निर्णय में आईजेएमए की याचिकाओं को अनुमति दी है। सरकार ने खंडपीठ के इस निर्णय को चुनौती देते हुए दिनांक 13.8.2003 को एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस बीच खंडपीठ ने निर्णय के अनुपालन में, सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर दिनांक 12.7.2002 के आदेश को रद्द कर दिया है।

राज्य वित्त

4016. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य वित्त संबंधी क्राइसिल रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों का संयुक्त रूप से कुल ऋण 31 मार्च, 2002 के 5,89,200 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 12,00,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है तथा वार्षिक ऋण सेवा भार एन्युअल डेट सर्विसिंग आब्लीगेशन (ऋण और गारंटियां) 2002-03 के 25,600 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007 में 63,500 करोड़ रुपए हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्राइसिल द्वारा इसके लिए क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वर्ष 2002 में राज्य का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 26 प्रतिशत से अधिक था;

(ङ) यदि हां, तो ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऋण लेने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। क्राइसिल का पुर्वानुमान इस धारणा पर आधारित है कि (1) अगले चार वर्षों के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां निम्न दर पर ही बढ़ेंगी (2) राजस्व व्यय तथा प्रत्याभूति स्तरों की निम्न बढ़ोत्तरी दर तथा (3) यह प्रत्याशा कि 2002-03 की तुलना में राज्य वर्ष 2006-07 तक अपने शेष ऋणों को 5 प्रतिशत की अधिक दर से चुकाएंगे।

(ग) राज्य सरकारों के बढ़ते हुए ऋण तथा राज्य की राजकोषीय स्थिति पर होने वाले असर ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, तथा राज्य वित्त मंत्रियों की बैठक में और उसके बाद 2002 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी इस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

(घ) 'राज्य वित्त 2002-03 के बजटों का एक अध्ययन' विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2002 के अंत तक राज्यों की बकाया देयताएं सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की 25.7 प्रतिशत पर अनुमानित है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाप्रकाशित बकाया देयताओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(च) भारत सरकार ने ऋण विनिमय की एक ऐसी स्कीम तैयार की है जिसमें वर्ष 2004-05 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य कम ब्याज वाली लघु बचत तथा खुले बाजार ऋणों के माध्यम से 13 प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज दर पर भारत सरकार से पहले के लिए हुए ऋणों की समयपूर्व अदायगी कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसके अलावा राज्यों में 2004-05 तक के लिए मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम का एक ढांचा तैयार किया है, जिसे राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है। राज्य-वार राजकोषीय सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य ऋण को वहनीय स्तर तक लाना है। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋणों को सुसाध्य बनाने के लिए उन्हें भी राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) के दायरे में लाने के अनुदेश जारी किए हैं।

विवरण

मार्च, 2003 के अंत तक (बजट आकलन) का बकाया देनदारियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	कुल ऋण
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	50,638
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,205
3.	असम	13,252
4.	बिहार*	44,649
5.	गोवा	3,060
6.	गुजरात	46,689
7.	हरियाणा	17,526
8.	हिमाचल प्रदेश	11,101
9.	जम्मू और कश्मीर	10,590
10.	कर्नाटक	32,597
11.	केरल	30,008
12.	मध्य प्रदेश*	34,099
13.	महाराष्ट्र	61,324
14.	मणिपुर	2,065
15.	मेघालय	1,538
16.	मिजोरम	1,488
17.	नागालैंड	2,526
18.	उड़ीसा	29,207
19.	पंजाब	37,950
20.	राजस्थान	40,890
21.	सिक्किम	834
22.	तमिलनाडु	40,947
23.	त्रिपुरा	3,330
24.	उत्तर प्रदेश*	87,106
25.	पश्चिम बंगाल	68,111

* बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की देनदारियों में नवगठित राज्य क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल की देनदारियां भी शामिल हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पूंजी सहायता

4017. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रायोजक बैंकों के साथ जुड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार द्वारा अभी तक कितनी पूंजी सहायता दी गयी है;

(ख) क्या सरकार ने उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी सहायता देने का निर्णय लिया है जिन्हें अभी तक कोई पूंजी सहायता नहीं मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए अब तक 1094.21 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की है। प्रायोजक बैंकों ने भी 35 प्रतिशत का अपना समानुपातिक हिस्सा जारी कर दिया है। 344.98 करोड़ रुपए (प्रायोजक बैंकों के 142.05 करोड़ रुपए के समानुपातिक हिस्से सहित) की कुल राशि प्रायोजक बैंकों के

पास शेयर पूंजी जमाराशि खाते में पड़ी है, क्योंकि सात राज्य सरकारों ने 15% का अपना समानुपातिक हिस्सा जारी नहीं किया है।

(ख) और (ग) 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान नहीं की गई है जिनमें से दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पहले ही धारणीय अर्थक्षमता प्राप्त कर ली है। बजटीय बाध्यताओं के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुधरे हुए वित्तीय कार्यनिष्पादन को देखते हुए, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निकट भविष्य में अपने पांवों पर खड़े हो पाएंगे।

कपास/मानव निर्मित फाइबर मिल

4018. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी/सहकारी/निजी क्षेत्र में कार्यरत कपास/मानव निर्मित फाइबर मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्थापित अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मिलों ने अपनी स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी पूरी स्थापित क्षमताओं का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार देश में कपास/मानव/निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-लघु उद्योग) की संख्या नीचे दी गई है-

क्र.सं.	क्षेत्र	मिलों की संख्या
1.	सार्वजनिक	191
2.	सहकारी	159
3.	निजी	1522
	कुल	1872

स्रोत: वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र मिलों द्वारा संस्थापित क्षमता के ब्यौरे (वर्ष-वार) नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	संस्थापित क्षमता	इकाई	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02
1.	तकुए (ल.उ. + गैर-ल.उ.)	सं. मि. में	35.39	36.67	37.08	37.91	38.33
2.	रोटर्स (ल.उ. + गैर-ल.उ.)	सं. लाख में	3.39	4.34	4.44	4.54	4.80
3.	करघे (संगठित क्षेत्र)	सं. लाख में	1.40	1.40	1.40	1.40	1.41

स्रोत: वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

(ग) ये मिलें यार्न और फैब्रिक्स का उत्पादन उसकी मांग के अनुसार करने के लिए अपनी संस्थापित क्षमता का उपयोग कर रही हैं। यार्न और फैब्रिक्स की किसी प्रकार की कमी की सूचना देश के किसी भाग से प्राप्त नहीं हो रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़े हुए विकास और उससे संस्थापित क्षमताओं का बढ़े हुए उपयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- एक विकासोन्मुख राजकोषीय शुल्क ढांचा, जिसमें प्रमुख रूप से भेदभाव रहित राजकोषीय नीति, कर संरचना का विस्तार और उत्पाद शुल्क की समग्र कमी तथा संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला में केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर श्रृंखला की स्थापना शामिल हैं।
- उद्योग को उन नियंत्रणों और प्रतिबंधों से मुक्त करना जो अब आवश्यक नहीं समझे गए हैं, अर्थात बुने हुए परिधान क्षेत्र का अनारक्षण और निटिंग व निट-बियर क्षेत्र के निवेश पर सीमा बढ़ाना और हैंक यार्न दायित्व योजना की समीक्षा।
- व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण में निवेशों को, मुख्य रूप से आवश्यकता-आधारित, प्रयोक्ता अनुकूल संशोधन कर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के माध्यम से, सुकर बनाना।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी

4019. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार की उन गैर-बैंकिंग कंपनियों की संख्या कितनी है जो समाज के वित्तीय रूप से कमजोर तबके के साथ मिलकर जमा योजनाओं को चला रही है;

(ग) ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जो उनके साथ मिलकर आवर्ती जमा योजनाओं को चला रही हैं तथा जिनके द्वारा इन आवर्ती जमाओं की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आवास निर्माण हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन कंपनियों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त करना बाध्यकारी है;

(ङ) क्या इन कंपनियों के दिवालिया होने की स्थिति में कमजोर तबके के लोगों को अपने खून-पसीने से कमाए हुए धन को खोने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने आज की तारीख तक 13880 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इनमें से सिर्फ 725 कंपनियों को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/रखने की अनुमति दे दी है।

(ख) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे कंपनियां 12 महीने से 60 महीने के बीच की अवधि वाली सावधि जमाराशि योजनाओं का परिचालन कर रही हैं जिन्हें जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। ये वित्तीय रूप से समाज के कमजोर वर्गों के सहयोग वाली आवर्ती योजना नहीं है। तथापि, दो पंजीकृत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां मुख्य रूप से आवर्ती जमा खातों के रूप में जमाराशियां स्वीकार कर रही हैं।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि आवास वित्त कंपनियों में से सिर्फ एक ही आवर्ती जमा योजना का परिचालन कर रही है जो बचत अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने पर आवासीय उद्देश्यों के लिए आसान/सुलभ सावधि ऋण प्रदान करता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि सार्वजनिक जमाराशियां आरक्षित प्रकृति की हैं और कंपनी तथा जमाकर्ताओं के बीच हुए करारों से कवर किए जाते हैं। तथापि, अपनी जमाराशियों की सर्विसिंग में एचएफसी की किसी खामी के मामले में जमाकर्ता कानून के अधीन उपलब्ध विभिन्न मंचों से राहत के लिए सम्पर्क कर सकता है।

(च) व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसका लक्ष्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सुदृढ़ एवं स्वस्थ ढंग से कार्य करती हैं। विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, निवल आस्तियों का कम से कम 20% का आरक्षित निधि में अंतरण और भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न चूकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करता है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 पेश किया है। इस विधेयक को स्थायी वित्त समिति के पास भेजा गया था जिसने 30 जून, 2003 को माननीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट सरकार के परीक्षाधीन है।

[अनुवाद]

लम्बित बीमा मामले

4020. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में विभिन्न बीमा कंपनियों के पास 10 लाख से अधिक दावे लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 2003 के अनुसार लम्बित मामलों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से उन मामलों की संख्या कितनी है जो तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं तथा ऐसे मामलों के निपटान में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इनमें से कितने लम्बित मामले तमिलनाडु के हैं;

(ङ) क्या सरकार मामलों के निपटान में हो रहे अत्यधिक विलम्ब हेतु बीमा कंपनियों को दंडित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मॉरीशस समझौता

4021. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोहरे कराधान से परिहार संबंधी मारीशस के साथ हुआ भारत का समझौता अभी भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक मारीशस के ओसीबी (ओवरसीज कारपोरेट बाडीज) से आने वाली उन निधियों पर निगरानी रख रहा है जिन्हें भारतीय सर्राफा बाजार में शेयर बाजार के कार्यकरण को अस्थिर बनाने में शामिल होने की सूचना है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मारीशस के ऐसे औद्योगिक निकायों के पास 100.00 अमरीकी डालर से भी कम चुकता पूंजी है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे विदेशी औद्योगिक निकाय (ओसीबी) नियमित आधार पर अपने निवेश की गई गुना अधिक धनराशि स्वदेश भेजने में सक्षम होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 29 नवम्बर, 2001 से भारत में पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी कारपोरेट निकायों को नए क्रय करने से निषिद्ध किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक पोर्टफोलियो निवेश योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार अनिवासी भारतीयों/विदेशी कारपोरेट निकायों (यथा-प्रयोज्य 10 प्रतिशत अथवा 24 प्रतिशत) द्वारा समग्र निवेश की सकल उच्चतम सीमा का अनुवीक्षण कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत एनआरआई/ओसीबी द्वारा भारतीय कंपनियों में किए गए निवल निवेशों के बारे में आंकड़ों का अनुरक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास मारिशस से 100.00 अमरीकी डालर से कम की चुकता पूंजी वाले ओसीबी के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, अगस्त, 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रतिमान अध्ययन में 471 ओसीबी में से 99 ओसीबी की चुकता पूंजी 100 अमरीकी डालर या उससे कम थी और 40 ओसीबी की चुकता पूंजी 1 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओसीबी के बारे में देश-वार अंतर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

चाय बोर्ड के कार्यालय

4022. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लातिन अमरीका के देशों में चाय बोर्ड के कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लातिन अमरीका के देशों में भारतीय चाय की मांग की काफी संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या चाय बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु कोई कार्य किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2002-03 के दौरान लातिन अमरीका के देशों द्वारा चाय का कुल कितना आयात किया गया है; और

(छ) लातिन अमरीका के देशों को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) लेटिन अमरीकी देश भारतीय चाय के लिए प्रमुख बाजार नहीं हैं क्योंकि अजेन्टीना इस क्षेत्र में चाय का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वर्ष 2002 में लेटिन अमरीकी देशों द्वारा कुल 18.63 मिलि. किग्रा चाय का आयात किया गया था जिसमें से भारत का केवल 0.06 मिलि. किग्रा हिस्सा बनता है। शिपिंग दूरी का ध्यान में रखते हुए जो कि भारतीय चाय को आर्थिक रूप से अकार्यक्षम बना देती है और इस बाजार में भारतीय निर्यातकों द्वारा दिलचस्पी न दर्शाने के कारण लेटिन अमरीकी क्षेत्र में चाय बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर संवर्द्धनात्मक कार्यकलाप नहीं किए गए हैं।

वस्त्र निर्यातोन्मुख इकाइयां

4023. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में स्थापित वस्त्र निर्यातोन्मुख इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कुछ इकाइयों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इन इकाइयों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इनका अस्तित्व बना रहे और उद्योग में अन्य वैश्विक इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में कार्यात्मक निर्यातोन्मुख इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1.	सान्ताक्रुज विशेष आर्थिक क्षेत्र (महाराष्ट्र गोवा, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली)	52	72	99
2.	मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र (तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र, माहे व यमन को छोड़कर)	85	85	86
3.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़)	95	110	128
4.	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (गुजरात)	85	108	123
5.	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और माहे)	51	67	62
6.	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार झारखंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश)	18	24	34
7.	विशाखापत्तमन विशेष आर्थिक क्षेत्र (आंध्र प्रदेश और यमन)	22	16	17
	कुल	408	482	549

(ख) और (ग) निर्यातोन्मुख इकाइयों के समक्ष आ रही कुछ समस्याओं में शामिल हैं- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में अपशिष्ट का निपटान माने गए निर्यातों के लिए रियायती डी टी ए सुविधा का विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और डी टी ए इकाइयों के कुछेक प्रावधानों को ई ओ यू पर लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी, अनेक राज्यों द्वारा उपकर/शुल्क की वसूली इत्यादि। इन समस्याओं का उपयुक्त स्तर पर निपटान किया जा रहा है। अन्य वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इन एककों को पूंजीगत सामान, कच्चे माल और उपभोज्य सामान का शुल्क मुक्त आयात, रियायती डी टी ए बिक्रियां कर लाभ की अनुमति है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सम विकास योजना

4024. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सम विकास योजना हेतु निधियां उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए आबंटित वर्ष-वार बजट क्या है; और

(ग) इस योजना का लाभ उठाने वाले राज्यों तथा इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के लिए बजट प्रावधान क्रमश: 2500 करोड़ रुपए तथा 1450 करोड़ रुपए किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना में से केवल बिहार तथा उड़ीसा को निधियां जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदाम

4025. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में स्थित भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के कार्यालयों और गोदामों के स्थान क्या हैं तथा गोदामों की कुल क्षमता क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संगठनों द्वारा गुजरात में गोदामों के निर्माण हेतु किए गए वास्तविक निवेशों तथा गोदामों की बढ़ायी गयी क्षमता का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के कार्यान्वयन की गति धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) भारतीय खाद्य निगम का अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है और बड़ौदा, राजकोट, साबरमती और कांडला में 4 जिला कार्यालय हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम का अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है। गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गुजरात राज्य में पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजित की गयी भंडारण क्षमता और वहन किया गया खर्च नीचे दिया गया है:-

वर्ष/केन्द्र का नाम	शामिल की गयी क्षमता (आंकड़े टन में)	वहन किया गया खर्च (लाख रुपये में)
2000-01		
राजकोट	-	81.63
2001-02		
राजकोट (राजकोट)	10,000	93.74
2002-03		
राजकोट	-	9.00
2003-04		
गोधरा	10,000 (लक्ष्य)	100.00 (लक्ष्य)

गुजरात राज्य में पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा सृजित की गयी भंडारण क्षमता और वहन किया गया खर्च नीचे दिया गया है:-

वर्ष/केन्द्र का नाम	शामिल की गयी क्षमता (आंकड़े टन में)	वहन किया गया खर्च (लाख रुपये में)
2000-01		
पिपावाव पत्तन	12,500	186.46
कराचिया	9,028	
2001-02		
पिपावाव पत्तन	25,000	92.60
2002-03		
कांडला-2	9,000	87.46 (अनंतिम)
2003-04		
कांडला सी.एफ.एस	87,280	2770 (बजट अनुमान)
कांडला-2	9,000	
कांडला-3	27,000	
पिपावाव	5,000	

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30.6.2003 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों (अपने/किराये के/ढके हुए और कैप) के स्थलों के ब्यौरे

ढके हुए गोदाम

(आंकड़े हजार टन में)

केन्द्र का नाम	क्षमता
1	2
भड़ूच	8.20
नादियाड	5.00
वादांद	–
आनंद	4.00
भोमैया	30.00
गोधरा	23.96
बड़ौदा	14.25
छानी	11.10
रानौली	5.00
दशरथ	6.50
करचिया	0.01
वलसाड़	10.00
सूरत	8.80
भाव नगर	20.00
जामनगर	30.00
राजकोट	–
वांकानेर	10.00
घाटनाथेश्वर	20.00
पी. पारा	0.70
वधवान (एस. नगर)	10.00
थानगढ़	44.88
वेरावल	5.20
साबरमती	101.62
ट्रांगड	–
वीरमगाम	35.00
पालमपुर	30.48
अदलाज	106.25
मेहसाना	11.12
गांधीधाम	50.00
कांडला	93.36
जोड़	695.43

कैप (कवर औक प्लिंथ) (अपने और किराये के)

(आंकड़े हजार टन में)

केन्द्र का नाम	क्षमता
बड़ौता	2.00
गोधरा	1.83
भोमैया	25.00
करचिया	0.60
वधवान (एस. नगर)	4.80
वीरमगाम	15.12
साबरमती	3.00
जोड़	52.35

30.06.2003 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध केन्द्र-वार भंडारण क्षमता (अपनी/किराये की) के ब्यौरे

(आंकड़े हजार टन में)

केन्द्र का नाम	क्षमता
1	2
अदालाज-सी.एस.एफ.	38.916
अहमदाबाद-I	29.193

1	2
अहमदाबाद-II	1.939
आनन्द	4.820
अंकलेश्वर	1.160
बड़ौदा आई.सी.डी.	20.457
बड़ौदा-I	16.650
बड़ौदा-II	1.100
भावनगर	14.250
हजीरा	43.040
ईशानपुर	8.235
जामनगर	19.700
कांडला सी.एफ.एस.	44.300
कांडला-I	5.000
कांडला-II	18.000
मुंद्रा	3.500
नादियाड़	20.365
पीपावाव पोर्ट	50.000
राजकोट आई.सी.डी.	20.681
राजकोट-I	12.500
राजकोट-II	12.500
रानोली-I	8.567
रानोली-II (दाशरा)	7.479
रानोली-III (कराग)	31.528
सूरत-I	15.867
सूरत-II	5.950
अम्बरगांव	4.205
वादोद	12.500
वापी आई.सी.डी.	20.656
सकल जोड़	493.058

[हिन्दी]

गोदामों के लिए निधियां

4026. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के तहत राज्य में गोदामों के निर्माण हेतु निधियों की मांग करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक के पास कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा अनुमोदित गोदामों का निर्माण राज्य के किन जगहों पर किया जाएगा; और

(ग) शेष प्रस्तावित गोदामों हेतु निधियों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की लेखापरीक्षा

4027. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि वे अपनी विदेश स्थित शाखाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त करें;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा विदेशों में लेखापरीक्षा का कार्य किए जाने पर प्रतिबंध लगाया है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय लेखापरीक्षा फर्मों से लेखापरीक्षा न करवाने के लिए कहने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातियों हेतु कल्याण प्रस्ताव

4028. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातियों के कल्याण संबंधी प्रस्ताव काफी संख्या में सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि हेतु अनेक उपयोग प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कल्याण योजनाओं को चलाने हेतु राज्यों को उपलब्ध करायी गई कुल निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) लंबित प्रस्तावों के निपटान तथा यह सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं कि राज्य सरकारें उपयोग प्रमाण-पत्र समय पर जमा करें?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। जनजातियों के कल्याण के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति और उनकी मंजूरी एक चालू प्रक्रिया है। इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर कार्रवाई और उनकी मंजूरी तभी होती है जब वे सम्बद्ध योजनाओं की पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं और निधियां भी उपलब्ध हों। पिछले 2 वर्षों के दौरान यह मंत्रालय, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध लगभग पूरी निधियों का उपयोग कर रहा है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की, इसके निर्मुक्त होने के 18 महीने के अंदर प्राप्ति करनी होती है। राज्य सरकारें आम तौर पर इस अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रही हैं। तथापि मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के बाद की जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे वर्ष 2002-2003 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध-6 में 21, 23, 24, 26 और 29 के विवरण में दिए गए हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(च) जैसाकि ऊपर कहा गया है, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर कार्रवाई और उनकी मंजूरी तभी होती है जब वे सम्बद्ध योजनाओं की पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं और निधियां भी उपलब्ध हों। मंत्रालय, समय-समय पर राज्य सरकारों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है और जनजातीय कल्याण विभाग के राज्य सचिवों के साथ समय-समय पर होने वाली बैठकों के माध्यम से उन पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर दबाव डालता है। फील्ड में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी, राज्य सरकारों का भी दौरा करते हैं।

कच्चे हीरों की खेप

4029. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यी सीमा शुल्क विभाग/डी.आर.आई. ने हाल में मुम्बई के निकट 113 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के कच्चे हीरे की खेप को रोका है जिसकी काफी कम कीमत लगायी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 335 किलोग्राम से भी अधिक मूल्य के कच्चे हीरे के आयात में शामिल आयातक की कार्य-प्रणाली की कोई जांच शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पार्टियों की पहचान कर ली है जिन्हें इन आयातित कच्चे हीरों को बेचा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित किसी भी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय ने आयातित कच्चे हीरों की खेप को नहीं रोका है जिसकी काफी कम कीमत लगायी गयी है।

ताजा फलों/मेवों का निर्यात

4030. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश के द्वारा ताजा फलों/मेवों के निर्यात के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) सरकार द्वारा ताजा फलों और मेवों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ताजा फलों और मेवों के उत्पादकों को प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजे फलों तथा सूखे फलों के निर्यातों का कुल मूल्य निम्नानुसार है:

अवधि	निर्यातों का कुल मूल्य (करोड़ रुपए)
2000-01	2737.72
2001-02	2485.34
2002-03 (अप्रैल से फरवरी)	2605.05

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(ख) ताजे फलों और सूखे फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-विदेश में महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, भंडारण तथा परिवहन के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने तथा प्रतीक्षा अवधि को बढ़ाने के लिए विविध क्रिया कलापों वाले पैक हाउसिज की स्थापना करना, मध्यपूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यात करने के लिए रीफर कंटेनरों द्वारा ढुलाई तथा फलों व सब्जियों के निर्यात का संवर्धन करने हेतु विभिन्न योजना स्कीमों के तहत निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत विभिन्न निर्यातकों को दी गई कुल सब्सिडी निम्नानुसार है:

अवधि	कुल सब्सिडी (लाख रुपए)
2000-01	646.21
2001-02	1011.70
2002-03	878.56

(स्रोत : एपीडा)

कताई मिलों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4031. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन मिल के कामगारों हेतु चल रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में गुजरात और महाराष्ट्र के कताई कामगार सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), बंद करने के लिए निर्धारित एनटीसी की गैर-अर्थक्षम मिलों के लिए लागू की गई है जो कि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

4032. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र इकाइयों को गत कुछ महीनों के दौरान अपनी परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के अंतर्गत ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को ऋण देने के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(घ) उक्त आबंटन वस्त्र उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किस सीमा तक पर्याप्त है; और

(ङ) आज तक इस योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को कुल कितना ऋण दिया गया और वित्तीय संस्थाओं के पास ऋण हेतु कितने आबंटन लंबित हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी नहीं, वाणिज्यिक बैंकों सहित

सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थानों (पी एल आई)/प्रमुख अभिकरणों (एन ए), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करते हैं और ऋण स्वीकृत करते हैं, द्वारा दी गई जून, 2003 को समाप्त तिमाही की सूचना के अनुसार, प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या तथा वितरित की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रु. करोड़ में)

माह	प्राप्त आवेदनों की संख्या	परियोजना की कुल लागत	स्वीकृत		वितरित	
			आवेदनों की संख्या	राशि	आवेदनों की संख्या	राशि
अप्रैल, 2003	30	418.61	33	126.87	27	93.80
मई, 2003	63	115.36	66	27.64	65	80.56
जून, 2003	65	125.86	65	29.75	69	34.16

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक इस योजना के तहत उद्योग को अपने संसाधनों से ऋण देते हैं। इस योजना के तहत लिए गए ऋण के लिए सरकारी निधि 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति तक सीमित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रु. का बजट आवंटन है जो प्रमुख अभिकरणों और अन्य सहयोजित पी.एल.आई. की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ङ) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार, टी यू एफ योजना के अंतर्गत 2250 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी परियोजना-लागत 16462 करोड़ रु. है तथा इसके लिए 9419 करोड़ रुपए के ऋण की आवश्यकता है। 6164 करोड़ रु. की ऋण राशि वाले 1989 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। 1646 आवेदनों के संबंध में 4552 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए हैं। स्वीकृत किए गए और धनराशि का भुगतान किए गए मामलों के संबंध में परियोजना लागत क्रमश: 12865 करोड़ रु. तथा 10943 करोड़ रु. है। 123 आवेदन (138 अस्वीकृत मामलों को छोड़कर) एन ए/पी एल आई के पास लम्बित हैं।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

4033. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारीतय स्टेट बैंक ने अपने वित्तीय उत्पादों को बेचने के उद्देश्य से कुछ शाखाओं को "सुपर ब्रांचेज" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने जीवन बीमा म्युचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड जैसे उत्पादों को भी बेचने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि शुल्क आधारित आय को संवर्धित करने तथा अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की कई शाखाएं क्रेडिट कार्ड, जीवन बीमा एवं म्युचुअल फंड जैसे उत्पादों को बेचेगी।

एसबीआई कार्ड एवं पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड उद्यम पहले से ही अपनी शाखाओं के माध्यम से एसबीआई कार्ड को बेचते रहते हैं। लगभग 350 से 400 शाखाओं की पहचान की गई है, जिनके माध्यम से ग्राहकों को बीमा एवं म्युचुअल फंड जैसे उत्पादों को भी बेचा जाएगा।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने आगे सूचित किया है कि ऐसे उत्पादों को बेचने के दो मुख्य कारण ये हैं:-

(i) अपने ग्राहकों को बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग से संबंधित वित्तीय उत्पादों एवं निवेश समाधान की पूरी रेंज उपलब्ध कराना।

(ii) कम होती जा रही ब्याज आय को ध्यान में रखते हुए अपनी शुल्क आय को संवर्धित करना।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पादों के लिए परिवहन सहायता

4034. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी उत्पाद और समुद्र द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य तथा जो केरल के लिए कृषि निर्यात जोन के अंतर्गत शामिल है तथा कृषि उत्पाद और आर्थिक विकास प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में सम्मिलित है, को परिवहन सहायता हेतु पात्र मदों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) केरल राज्य में स्थापित कृषि निर्यात जोन (ए ई जेड) के अंतर्गत परिवहन सहायता के लिए वर्तमान स्कीम में समुद्री भाड़ा सहायता के लिए पात्र उत्पाद केला तथा प्रसंस्कृत अनन्नास है। अन्य सजातीय सब्जियां जैसे करेला, चिचिण्डा, सहजनफली, कसावा, लोबिया आदि जिनके लिए केरल में ए ई जेड की शुरूआत की गई है, को पात्र मदों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) दसवीं योजना स्कीम के अंतर्गत परिवहन सहायता की स्कीम को भाड़ा लागत या गैर टैरिफ बाधाओं के कारण निर्यातकों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए कुछेक कृषि उत्पादों के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्तमान स्कीम की अप्रैल-जून, 2004 में अध्ययन के माध्यम से समीक्षा किए जाने की संभावना है।

एफआईपीबी और एफआईआईए का नवीकरण

4035. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड और विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण का नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाल फीताशाही और परेशानियों को दूर करने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने अधिक विदेशी प्रत्येक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए एक उदार, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति पहले ही लागू कर दी है जहां छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकतर कार्यकलाप 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वत: मार्ग के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह बढ़ाने के लिए अनेक पहलें भी की हैं जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विदेशी निवेशकों और विभिन्न अनुमोदित एजेंसियों के बीच एक सूत्रीय अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करने के लिए एसआईए के अंतर्गत विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण का गठन शामिल है।

काली मिर्च का आयात

4036. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मसाला निर्यातकों ने अन्य देशों के मूल की काली मिर्च आयात की है और उसे मालाबार गोल्ड-I की गुणवत्ता वाली काली मिर्च के रूप में पुन: निर्यात किया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या फ्रांसीसी प्राधिकारियों ने भारत से लाल मिर्चों की खेप को मर्सेइलस में दिया था जोकि विश्लेषण के अध्यधीन थी और उसमें कार्सिनोजेनिक रेड डाई सूडान-1 पाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय पत्तनों पर भारतीय उत्पाद को जहाज में चढ़ाने से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) दो निर्यातकों ने काली मिर्च के आयात के संबंध में अपने निर्यात दायित्व को पूरा करते हुए शुल्क मुक्त आयातित काली मिर्च का मालाबार गार्बल्ड (एम जी-1) और तेलीचेरी गार्बल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड (टी जी ई बी) के रूप में ग्रेडिंग करते हुए, जो भारत में उगाई जाने वाली काली मिर्च पर लागू होने वाले ग्रेड नाम हैं, पुन: निर्यात किया था। मसाला बोर्ड ने दोनों संबंधित निर्यातकों का मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र अब स्थगित कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि मसालों के निर्यात खेपों की जांच अनिवार्य नहीं है, तथापि आयातक देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ अपनी खेपों की जांच करवाने तथा उन्हें प्रमाणित करवाने के इच्छुक निर्यातक मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चेनी

4037. श्री राजो सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु लेवी चीनी की राज्य-वार वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या लेवी चीनी की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के आधार पर, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लेवी चीनी की आवश्यकता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आवंटन तदनुसार किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा (1.2.2001 से)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी कोटा (मी. टन में)	वार्षिक त्यौहार कोटा (मी. टन में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9690	7614
2.	अंडमान और निकोबार	389	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	834	94
4.	असम	18337	2896
5.	बिहार	20516	10078
6.	झारखंड	6948	-
7.	चंडीगढ़	62	112
8.	दादर और नगर हवेली	48	14
9.	दिल्ली	2610	2316
10.	गोवा	120	150
11.	दमन और दीव	11	12
12.	गुजरात	5841	4878
13.	हरियाणा	2485	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	4698	608
15.	जम्मू और कश्मीर	6962	868
16.	कर्नाटक	8636	5350
17.	केरल	4103	3600
18.	लक्षद्वीप	115	22
19.	मध्य प्रदेश	12441	7536
20.	छत्तीसगढ़	4512	-
21.	महाराष्ट्र	16792	9014
22.	मणिपुर	1763	208
23.	मेघालय	1704	200
24.	मिजोरम	666	78
25.	नागालैंड	1179	128
26.	उड़ीसा	8707	3730
27.	पांडिचेरी	243	88
28.	पंजाब	1385	2392
29.	राजस्थान	7342	5092
30.	सिक्किम	391	50

1	2	3	4
31.	तमिलनाडु	10820	6790
32.	त्रिपुरा	2647	302
33.	उत्तर प्रदेश	33013	15936
34.	उत्तरांचल	6033	-
35.	पश्चिम बंगाल	14087	7796
	जोड़	216130	99950

[अनुवाद]

पूंजी बाजार विकास हेतु योजना

4038. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार विकास के संबंध में शेष विश्व के लिए वर्ष 2003-2004 हेतु भारत को एक स्थान दिलाने के लिए रणनीतिक कार्य योजना (एसएपी) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रस्तावित सुधारों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के क्षेत्राधिकार वाले सभी सात बाजारों में लागू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसएपी में कोरपोरेट गवर्नेन्स पर कितना ध्यान केन्द्रित करता है; और

(ङ) भारत के शेयर बाजारों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) यह रणनीति कार्य योजना निम्नानुसार बंटे प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए अभिकल्पित है (क) ढांचागत मुद्दे, (ख) प्रणालीगत मुद्दे, (ग) प्रचालनात्मक मुद्दे और इसमें विभिन्न संघटकों अर्थात् निवेशकों, बाजार मध्यवर्तियों और विनियामक को शामिल किया गया है। इसका मूल विषय है "भारत-विश्व के लिए एक बेंचमार्क"। इसका उद्देश्य हमारे प्रतिभूति बाजार का उन्नयन करना और निवेशक संरक्षा को बढ़ाना तथा अन्य प्रतिभूति बाजारों के लिए मानक स्थापित करना है।

(ग) सेबी ने प्रतिभूति बाजारों में उनकी परम्पराओं का पता लगाने तथा इन बाजारों के साथ हमारी स्थिति की तुलना करने के लिए सात क्षेत्राधिकारों का अध्ययन किया है। यह योजना भारत में प्रतिभूति बाजारों में कार्यान्वयन के लिए आशयित है परंतु उद्देश्य अन्य बाजारों के लिए मानक स्थापित करना है।

(घ) रणनीतिक कार्य योजना (एसएपी) में मध्यवर्तियों और सूचीबद्ध कंपनियों के कार्पोरेट गवर्नेंस को शामिल किया गया है और यह सूचीयन शर्तों जैसे विनियामक साधनों का प्रयोग करने का सुझाव देती है और संविधियों में संशोधनों जैसे सांविधिक साधनों के प्रयोग का नहीं।

(ङ) रणनीतिक कार्य योजना में निगरानी के सुदृढ़ीकरण, निरीक्षणों, बाजार-व्यापी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, दलालों के समेकन, स्टाक एक्सचेंजों द्वारा निवेशकों व दलालों द्वारा मध्यवर्तियों के लिए वर्धित प्रकटीकरण, निकासी और निपटान निगमों के संबंध में वर्धित मानकों के माध्यम से वर्धित जोखिम प्रबंधन का प्रस्ताव किया गया है।

बकाया कर

4039. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया कर भुगतान वाले 3358 मामलों पर 15,090 करोड़ रु. की बकाया मांग पर कार्यवाही रोक दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिसंबर, 2002 से जुलाई, 2003 तक कितनी वसूली की गई;

(ग) वर्तमान में कुल कितनी बकाया राशि है;

(घ) विभिन्न अपीलीय निकायों में कितने मामले लंबित हैं और इनमें कुल कितनी राशि शामिल है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए अथवा किए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.सी.ए.आई. का कार्यकरण

4040. **श्री कोडीकुनील सुरेश:**
श्री राममोहन गाड्डे:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग को इंस्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) के कार्यकरण में इसकी परिषद् के सदस्यों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) इस तरह की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, परिषद् के एक सदस्य ने आईसीएआई के अध्यक्ष को कुछ कथित अनियमितताएं बताते हुए पत्र लिखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

4041. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋणों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋणों में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आस्ति प्रबंधन कंपनी का विलय

4042. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नैशनल बैंक (पी एन बी) का एक नई कंपनी में विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो नई कंपनी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजाब नैशनल बैंक का उस कंपनी में भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मण्डल ने पी एन बी असैट मैनेजमेंट कंपनी (पी एन बी ए एम सी) का पंजाब नैशनल बैंक (पी एन बी) के साथ विलय अनुमोदित कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए अलग से किसी नई कंपनी की स्थापना नहीं की जा रही है। तथापि, बैंक अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं को प्रिंसिपल-पी एन बी असैट मैनेजमेंट कंपनी, जो पी एन बी की 30% ईक्विटी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी हो जाएगी, को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

कर के दायरे का विस्तार

4043. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेवा प्रदाताओं को भारी क्रय बिलों के मामले में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य कर के दायरे का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सही व्यक्तियों की रक्षा करना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) वित्त अधिनियम, 2003 ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 285 खक जोड़ी है जिसमें

यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर निर्धारिती, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई विनिर्धारित वित्तीय लेन-देन करता है, उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय लेन-देनों के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त धारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से लागू होगी।

(ख) और (ग) वार्षिक सूचना विवरणी का फार्मेट और वित्तीय लेन-देनों के विवरण अभी विनिर्धारित किए जाने हैं।

सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय

4044. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी तुलना अन्य एशियाई देशों के साथ कैसे की जाती है;

(घ) क्या सामाजिक क्षेत्र पर हमारा सरकारी व्यय काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जैसाकि विवरण I में दर्शाया गया है, नौवीं योजना अवधि 1997-2002 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर केन्द्रीय सरकार के आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है।

(ग) चयनित एशियाई देशों में प्रमुख सामाजिक क्षेत्रकों पर केन्द्रीय सरकार का व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विवरण II में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) सामाजिक न्याय के साथ विकास, वर्ष 1951 से भारतीय आयोजना का एक मूल उद्देश्य रहा है। निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन के कार्यक्रम दशकों से चल रहे हैं जिनका केन्द्र बिन्दू लक्षित समूहों के रूप में समुदाय के निर्धन, कमजोर और असहाय वर्ग रहे हैं। वर्तमान आर्थिक सुधार भी मानव हित के लिए हैं। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर केन्द्र सरकार का कुल व्यय वर्ष 1997-98 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 8.5 प्रतिशत हो गया है। वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार का सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 1997-98 में 1.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 1.3 प्रतिशत हो गया है।

विवरण I

सामाजिक सेवाओं पर आयोजना व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सामाजिक सेवा	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1.	शिक्षा, कला और संस्कृति	3502	4268	4692	5175	5977
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2579	3213	4106	4322	4737
3.	जलापूर्ति, आवास आदि	3086	3819	4196	4653	5530
4.	सूचना और प्रसारण	82	84	182	251	248
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	715	906	941	959	1119
6.	श्रम और श्रम कल्याण	46	67	82	95	119
7.	सामाजिक कल्याण और पोषाहार	1570	2020	2251	2409	2624
	जोड़	11580	14377	16450	17865	203354

अधिनियम, 2002 द्वारा यथा अंतर्विष्ट सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 (ग) की उपधारा 11 में यथा-उपबंधित तलाशी और जब्ती के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

4048. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा राज्य-वार कितनी औद्योगिक इकाइयां बंद की गईं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. के पास रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए व्यापक नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, (एस.आई.सी.ए.) 1985 की धारा 20(1) के तहत समापन के लिए संस्तुत औद्योगिक इकाईयों की राज्य-वार संख्या से संबंधित ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार बी आई एफ आर के पास पुनरुज्जीवन के लिए लंबित पड़े रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(ग) बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत मामलों के पुनरुज्जीवन अथवा अन्यथा के लिए प्रस्तावों का निर्णय इसके द्वारा संबंधित पार्टियों की सुनवाई के पश्चात् एस आई सी ए, 1985 के उपबंधों के अनुसरण में लिया जाता है।

(घ) और (ङ) एस आई सी ए के परिचालन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने अपीलीय अधिकरण एवं उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलों के अनुपालनार्थ 2002 में कंपनी संशोधन अधिनियम में संशोधन किया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन सी एल टी) का गठन किया जा सके, जो कंपनी विधि बोर्ड एवं बी आई एफ आर की विद्यमान शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार प्रयोग करेगा। एस आई सी ए, 1985 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक वर्तमान में लोक सभा में विचारार्थ लंबित है।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और 30 जून, 2003 तक की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, (सी आई सी ए) 1985 की धारा 20(1) के तहत बन्द करने हेतु संस्तुत औद्योगिक इकाईयों की राज्य-वार संख्या संबंधी ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000	2001	2002	2003 (30 जून)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	17	18	10	03
बिहार	01	02	07	00
गोवा	01	00	00	00
दादरा एवं नगर हवेली	00	01	00	00
गुजरात	17	11	11	11
चण्डीगढ़	00	00	02	00

1	2	3	4	5
हरियाणा	09	03	06	00
हिमाचल प्रदेश	04	02	01	00
जम्मू एवं कश्मीर	00	00	01	00
झारखंड	00	00	00	00
केरल	01	04	07	00
कर्नाटक	11	06	10	05
मध्य प्रदेश	10	11	08	02
महाराष्ट्र	21	25	20	17
मणिपुर	00	00	00	00
मेघालय	00	00	02	00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली	06	02	08	07
उड़ीसा	04	05	06	05
पांडिचेरी	00	00	00	00
पंजाब	10	06	05	03
राजस्थान	11	01	04	05
तमिलनाडु	12	19	08	18
उत्तर प्रदेश	09	06	07	05
उत्तरांचल	01	00	00	00
पश्चिम बंगाल	07	10	17	08
असम	00	00	02	01
कुल	152	132	142	90

विवरण II

30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के समय पुनरुज्जीवन हेतु लम्बित औद्योगिक इकाईयों के मामलों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	बी आई एफ आर के समक्ष पुनरुज्जीवन हेतु लम्बित मामलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	134
बिहार	20
गोवा	13
दादरा एवं नगर हवेली	05
गुजरात	168
चण्डीगढ़	06
हरियाणा	43
हिमाचल प्रदेश	07
जम्मू एवं कश्मीर	01

1	2
झारखंड	00
केरल	38
कर्नाटक	85
मध्य प्रदेश	88
महाराष्ट्र	416
मणिपुर	00
मेघालय	02
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली	153
उड़ीसा	19
नागालैण्ड	02
पांडिचेरी	05
पंजाब	96
राजस्थान	65
तमिलनाडु	210
उत्तर प्रदेश	107
उत्तरांचल	15
पश्चिम बंगाल	125
असम	07
कुल	1830*

*इसमें 247 रुग्ण उद्योगों के मामले शामिल हैं जहां बोर्ड द्वारा संस्वीकृत पुनर्वास योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

रेशम का आयात

4049. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयात किए गए रेशम की मात्रा और कीमत का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेशम के आयात से घरेलू रेशम उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू रेशम को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू रेशम उत्पादकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य में [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयातित रेशम की मात्रा और मूल्य के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 में जिन कीमतों पर चीन की अपरिष्कृत रेशम का आयात किया गया, उसका घरेलू रेशम उत्पादकों और रीलरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ग) घरेलू रेशम उद्योग के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान व विकास के लिए, खाद्य पादप कृषि के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने, रेशम कीट पालन, रोग प्रबंधन, रीलिंग, कताई, बुनाई आदि के लिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उद्यम विकास, जागरूकता पैदा करने, आदि के लिए केंद्र और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। दसवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के लिए 450 करोड़ रु. का बढ़ा हुआ परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- अनुसंधान और विकास द्वारा ऐसे उन्नत संकर जाति के रेशम कीटों और द्विफसलीय प्रजनन का विकास किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन करने में सक्षम हों। साथ ही ऐसे विकास से कम लागत की ऐसी रीलिंग और कताई मशीनों का भी उत्पादन किया गया है जिनसे कुटीर उद्योग की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है।
- घरेलू रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ लागू दर से 5% बिंदु कम पर वस्त्र क्षेत्र के साथ ही रेशम क्षेत्र के लिए भी ऋण उपलब्ध है।

(घ) घरेलू रेशम उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है:-

- केंद्रीय रूप से प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभभोगियों को वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- केंद्रीय रेशम बोर्ड कच्चा माल बैंक का संचालन करता है और प्राथमिक किसानों को उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए राज्य विपणन एजेंसियों को मार्जिन धनराशि का ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख बाजारों में कर्नाटक राज्य विपणन बोर्ड जैसी राज्य सरकार की एजेंसियां बाजार में अपनी उपस्थिति से स्थिरक की भूमिका निभाती है।
- भारत सरकार ने सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 10.7.2003 की अधिसूचना संख्या 106/2003 द्वारा 2 जनवरी, 2003 से मूल रूप में चीन जनवादी गणराज्य से निकलने वाली, अथवा निर्यात की जाने वाली 2ए ग्रेड और उससे कम ग्रेड की शहतूती अपरिष्कृत रेशम के लिए, 27.97 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. और आयातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम (धागे के रूप में) के उतराई मूल्य के बीच के अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगा कर बाजार को स्थिर बनाए रखने का वातावरण बनाया है।

विवरण

भारत में अपरिष्कृत रेशम का देश-वार आयात

क्रमांक	देश	1997-98			1998-99			1999-2000		
		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	
		(मिलियन टन)	करोड़ रु.	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन टन)	करोड़ रु.	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन टन)	करोड़ रु.	(मिलियन अमरीकी डालर)
1.	चीन जनवादी गणराज्य	1795	169.33	45.56	2203	203.27	48.28	4581	378.42	87.29
2.	चीन ताइपी (ताइवान)	61	5.36	1.44	94	7.86	1.87	24	1.93	0.45
3.	ब्राजील	71	7.77	2.09	170	17.37	4.13	107	9.67	2.23
4.	कोरिया गणराज्य	45	3.48	0.94	102	8.10	1.92	46	3.46	0.80
5.	हांगकांग	180	14.92	4.01	144	13.19	3.13	202	14.68	3.39
6.	स्विटजरलैंड	-	-	-	-	-	-	2	0.17	0.04
7.	उजबेकिस्तान	62	4.57	1.23	21	1.41	0.33	11	0.78	0.18
8.	यूएमए	8	0.50	0.13	12	1.15	0.27	18	1.46	0.34
9.	सिंगापुर	31	2.95	0.79	28	2.74	0.65	4	0.37	0.09
10.	रूस	21	1.70	0.46	5	0.45	0.11	3	0.27	0.06
	अन्य	72	7.75	2.09	45	3.82	0.91	20	1.53	0.35
	कुल	2348	218.33	58.74	2824	259.36	61.61	5018	412.74	95.21

क्रमांक	देश	2000-01			2001-02			2002-03(अ)		
		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	
		(मिलियन टन)	करोड़ रु.	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन टन)	करोड़ रु.	(मिलियन अमरीकी डालर)	(मिलियन टन)	करोड़ रु.	(मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	चीन जनवादी गणराज्य	4333	438.18	95.92	6317	584.13	122.61	7048	503.63	104.08
2.	चीन ताइपी (ताइवान)	144	14.59	3.19	64	6.67	1.40	70	5.34	1.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ब्राजील	23	2.28	0.50	63	6.82	1.43	148	7.69	1.59
4.	कोरिया गणराज्य	28	2.63	0.58	13	1.31	0.27	16	1.11	0.23
5.	हांगकांग	105	9.42	2.06	28	2.59	0.54	5	0.26	0.05
6.	स्विटजरलैंड	1	0.10	0.02	79	7.22	1.52	1498	109.77	22.68
7.	उजबेकिस्तान	3	0.36	0.08	117	7.84	1.65	32	2.00	0.41
8.	यूएसए	17	1.55	0.34	3	0.31	0.07	4	0.35	0.07
9.	सिंगापुर	3	0.34	0.07	1	0.07	0.01	104	0.23	0.05
10.	रूस	1	0.04	0.01	3	0.21	0.04	-	-	-
	अन्य	55	5.65	1.24	120	7.56	1.59	62	2.75	0.57
	कुल	4713	475.14	104.01	6808	624.73	131.14	8987	633.13	130.84

अ: अनंतिम

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता।

एमएम: 12.08.2003

अपराह्न 12.19 बजे

शीतल पेय (साफ्ट ड्रिंक्स) आदि में सुरक्षा मानक संबंधी संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल एक मुद्दे के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति के संबंध में एक प्रश्न आया था और मैंने विनिर्णय दिया था कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाएगी।

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

"कि निम्नलिखित के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे-10 लोक सभा से और 5 राज्य सभा से:

(एक) क्या शीतल पेयों में कीटनाशक अवशिष्टों के बारे में सेंटर आफ साइंस एण्ड इनवायरनमेंट (सीएसई) के हाल ही के निष्कर्ष सही है या नहीं।

(दो) शीतल पेयों, फल के रस और अन्य पेयों जिनमें पानी मुख्य अवयव है, के लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने के लिए मानदण्डों का सुझाव देना।

कि समिति में लोक सभा में निम्नलिखित 10 सदस्य इसके सदस्य होंगे:-

(1) श्री शरद पवार

(2) श्री अनंत कुमार

(3) डा. (श्रीमती) सुधा यादव

(4) श्री रमेश चेन्नितला

(5) श्री अवतार सिंह भडाना

(6) श्री के. येरननायडू

(7) श्री ई. अहमद

(8) डा. रंजीत कुमार पांजा

(9) श्री अखिलेश यादव

(10) श्री अनिल बसु

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नामनिर्दिष्ट करेगा।

कि समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से अपना कार्य करना शुरू करेगी।

कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी।

कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के प्रारम्भ होने तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी।

कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के प्रक्रिया नियम लागू होंगे।

कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से भिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि निम्नलिखित के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे–10 लोक सभा से और 5 राज्य सभा से:

(एक) क्या शीतल पेयों में कीटनाशक अवशिष्टों के बारे में सेंटर आफ साइंस एण्ड एनवायरनमेंट (सीएसई) के हाल ही के निष्कर्ष सही है या नहीं।

(दो) शीतल पेयों, फल के रस और अन्य पेयों जिनमें पानी मुख्य अवयव है, के लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने के लिए मानदण्डों का सुझाव देना।

कि समिति में लोक सभा में निम्नलिखित 10 सदस्य इसके सदस्य होंगे:–

(1) श्री शरद पवार

(2) श्री अनंत कुमार

(3) डा. (श्रीमती) सुधा यादव

(4) श्री रमेश चेन्नितला

(5) श्री अवतार सिंह भडाना

(6) श्री के. येरननायडू

(7) श्री ई. अहमद

(8) डा. रंजीत कुमार पांजा

(9) श्री अखिलेश यादव

(10) श्री अनिल बसु

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नामनिर्दिष्ट करेगा।

कि समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से अपना कार्य करना शुरू करेगी।

कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी।

कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के प्रारम्भ होने तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी।

कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के प्रक्रिया नियम लागू होंगे।

कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से भिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत उत्पादक कंपनी (सामान्य रिजर्व्स) नियम, 2003 जो 7 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 641(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8001/2003]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 559(अ) एस.काम./सुगरकेन जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 2002-2003 के चीनी सीजन के लिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित करने से संबंधित आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8002/2003]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 2003 जो 5 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8003/2003]

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. बल्लभभाई कथीरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8004/2003]

(3) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8005/2003]

(5) (एक) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8006/2003]

(7) (एक) नगालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नगालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8007/2003]

(9) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8008/2003]

(11) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8009/2003]

(13) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8010/2003]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं:-

(1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2003 जो 2 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(1)/2001-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2003 जो 2 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(1)/2001-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 2 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(2)/2001-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल-7/25(2)/2001-सीईआरसी जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 के पश्चात् और 6 माह की अवधि के लिए बिल प्रभारों को जारी रखना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8011/2003]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 871(अ) जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी जिले में रालेक्स पेपर मिल्स लिमिटेड, 4-96, चिन्तापारू,

पालाकोल मंडल को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8012/2003]

(2) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट नियम, 2003, जो 2 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 493(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8013/2003]

(3) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत महानियंत्रक, पेटेंट्स डिजाइन्स एण्ड ट्रेड मार्क्स के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8030/2003]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र श्री ना. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी (2002-2003 के उत्पादन हेतु मूल्य निर्धारण) आदेश, 2003 जो 10 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8014/2003]

(2) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि पत्र जो 22 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 344(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8015/2003]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 625(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 23/2002-सी.शु. में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8016/2003]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 325(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एनटी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 326(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 44/2002-के.उ.शु. (एनटी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 491(अ) जो 17 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001-के.उ.शु. (एनटी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 616(अ) जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 43/2000-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 617(अ) जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 63/1995-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 618(अ) जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 560(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में किए गए संशोधनों को 15 अगस्त, 2003 से प्रभावी बनाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 575(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय घरेलू टैरिफ क्षेत्र की किसी इकाई द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादित और विनिर्मित एवं विशेष आर्थिक जोन में आपूर्ति किए गए उत्पाद शुल्क माल पर उदग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 576(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 318(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 46/2001-के.उ.शु. (एनटी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल को हटाना) (संशोधन) नियम, 2003 जो 17 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 347(अ) जो 22 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के.उ.शु. (एनटी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2003 जो 23 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ) प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 535(अ) जो 10 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या 117/94-सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 561(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 अगस्त, 2003 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करना है जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में अध्याय 10क अंत:स्थापित किया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 562(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 563(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 564(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'फाल्टा' विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 565(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'सीप्ज' विशेष आर्थिक जोन, मुम्बई को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 566(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 567(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नोएडा विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 568(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 569(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सूरत विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) विशेष आर्थिक जोन नियम, 2003 जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 570(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(बारह) विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रियाएं) विनियम, 2003 जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 572(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन की इकाई द्वारा देशी संयंत्र और मशीनरी में देशी एरंड तेल के बीजों से विनिर्मित एरंड तेल केक पर उदग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 573(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन की इकाई द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचे गए माल को उस पर उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 574(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 626(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीतापुर विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 627(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दौर विशेष आर्थिक जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 631(अ) जो 4 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 46/2003-सी.शु. (एनटी) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(उन्नीस) का.आ. 473(अ) जो 25 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 474(अ) जो 25 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात

के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 841(अ) जो 24 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ नार्वे की क्रोनर मुद्रा की विनिमय दर को कम करके संशोधित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 842(अ) जो 24 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ नार्वे की क्रोनर मुद्रा की विनिमय दर को कम करके संशोधित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 862(अ) जो 28 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. 863(अ) जो 28 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 622(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 623(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रासायनिक शस्त्र कन्वेंशन के अंतर्गत रासायनिक शस्त्र प्रतिषेध संगठन द्वारा आयात किए गए उपकरण उपयोज्य नमूनों को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 624(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 49/96-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वापसी (संशोधन) नियम, 2003 जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वापसी (संशोधन) (संख्या 2) नियम, 2003 जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 230(अ) जो 21 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित 5 अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 277(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात एवं आयात नीति के शुल्क मुक्त हकदारिता क्रेडिट प्रमाणपत्र के अंतर्गत भारत में आयातित माल पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल, अतिरिक्त और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 278(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात एवं आयात नीति के शुल्क मुक्त हकदारिता क्रेडिट प्रमाणपत्र के अंतर्गत भारत में आयातित अतिरिक्त सामानों, कार्यालय उपकरणों एवं फर्नीचर, व्यावसायिक उपकरणों एवं उपभोज्य पदार्थों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल, अतिरिक्त और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 279(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट माल को

मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक सीमा शुल्क और उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण, अतिरिक्त और विशेष सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि. 280(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात और आयात नीति के वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं को वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस पर भारत में आयातित सामग्री को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 281(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 437(अ) जो 27 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि. 515(अ) जो 25 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा.का.नि. 538(अ) जो 10 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 32/97-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा.का.नि. 551(अ) जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सीमा शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियम, 2003 जो 23 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 844(अ) जो 24 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आय कर विवरणियों की इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतीकरण स्कीम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 856(अ) में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आय कर (11वां संशोधन) नियम, 2003 जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 877(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आय कर (12वां संशोधन) नियम, 2003 जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 878(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आय कर (13वां संशोधन) नियम, 2003 जो 31 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आय कर (14वां संशोधन) नियम, 2003 जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 886(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं टर्नओवर) दूसरा संशोधन नियम, 2003 जो 23 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 536(अ) जो 10 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 17/2002-सेवा कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 11 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सामान्य बीमा कारबार के संबंध में सामान्य बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा पालिसी धारक को प्रदान की गयी कराधेय सेवा को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2003 जो 23 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक आफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/1539 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2003 जो 17 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 223 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002 जो 24 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ:पी:आईआर: आरएस: 1843 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कारपोरेशन बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी:आईआर: ओएसआर एमेंडमेंट: 47:03-04 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2003 जो 28 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/ओएसआर/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 3 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2003 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8017/2003]

(8) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 19 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/25/कार्मिक/आईआर/471 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) झाबुआधार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 26 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पब./पर्स.एडमिन./21/1019 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/23/01/कार्मिक/5828 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि-पत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 26 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या एचओ/23/01 कार्मिक में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 18 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/20/स्टाफ/321/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स./135/01-02 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पर्वतीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या लेखा/307 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 29 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/पर्सोनल/927/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2002 जो 5 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी-21/2151 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 21 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स्टाफ जनरा-727/2002-2003 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2003 जो 6 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./पर्स./00075/2003-2004 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 12 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर/1278 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) द का बैंक नोंगकिंगडोंगरि खासी जैंतिया (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 29 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23/पर्स./73 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8018/2003]

(9) उपर्युक्त (8) की मद संख्या (एक से आठ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं का प्रतिषेध) विनियम, 2003 जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 816(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8019/2003]

(11) 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदनः-

(एक) अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला

(दो) वैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपाड़ा

(तीन) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर

(चार) बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक, पाटन

(पांच) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर

(छह) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़

(सात) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना

(आठ) ढेंकनाल ग्राम्य बैंक, ढेंकनाल

(नौ) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद

(दस) गोलकुंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(ग्यारह) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

(बारह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

(तेरह) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार

(चौदह) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग

(पन्द्रह) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी

(सोलह) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

(सत्रह) निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगौन

(अठारह) पंचमहल वड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा

(उन्नीस) पुरी ग्राम्य बैंक, पुरी

(बीस) सागर ग्रामीण बैंक, कोलकाता

(इक्कीस) सर्यू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी

(बाईस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम

(तेईस) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(चौबीस) वराड़ ग्रामीण बैंक, कुंटा

(पच्चीस) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8020/2003]

(12) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की 33वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8021/2003]

(13) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8022/2003]

(14) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (स्कीमों, आस्तियों, निवेश, पदावधि, शुल्क, भत्तों का प्रबंधन और सलाहकारों की नियुक्ति की शर्तें तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 2003, जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 854(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8023/2003]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 465(अ) जो 24 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर अम्बाला-कालका रोड पर डेरा बस्सी के निकट उपयोगकर्त्ताओं से पथकर के संग्रहण के बारे में है।

(दो) का.आ. 837(अ) जो 23 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 805(अ) जो 16 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में चांदीखोले से पारादीप तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क और 5 पर भूमि अर्जित करने के लिए तहसीलदार, दर्पण, जिला जयपुर को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 753(अ) जो 3 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194(अ) में संशोधन करना है।

(पांच) का.आ. 834(अ) जो 23 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़ बाईपास) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 835(अ) जो 23 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-मनोर टोलवे परियोजना) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2003 जो 23 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8024/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष जी, मैं डा. संजय पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं--

(1) (एक) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8025/2003]

(3) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8026/2003]

(5) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8027/2003]

(7) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 2003, जो 29 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफसं. 9-2/2001/ एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8028/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी की ओर से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628(अ) जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8029/2003]

अपराह्न 12.23 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(i) **"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 19 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"**

(ii) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में लोक सभा द्वारा 8 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 को बिना किसी संशोधन के पारित किया है।''

(iii) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में लोक सभा द्वारा 8 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया है।''

(iv) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(v) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 21 अगस्त, 2003 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(vi) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 2003 को, जिसे लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।''

(vii) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे) संख्यांक-4 विधेयक, 2003 को, जिसे लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।''

अपराह्न 12.25 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): मैं चालू सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की चौतीसवीं से छत्तीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण को सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.25½ बजे

याचिका समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपट्नम): मैं याचिका संबंधी समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.26 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

पैंतालीसवां से इक्यानवेवां प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) ''पेट्रोलियम उत्पादों में समानान्तर विपणन'' के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(2) ''सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की विपणन योजनाएं तथा उनका कार्यान्वयन'' के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(3) ''ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और वितरण'' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के 23वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(4) ''कीटनाशकों का उत्पादन और उपलब्धता'' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 37वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(5) ''डीलर चयन बोर्डों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन में सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन न किया जाना'' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 38वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(6) ''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 को अनुदानों की मांगें'' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2003) के 39वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(7) ''रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसयान और पेट्रोरसायन विभाग) की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगें'' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2003) के 40वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.27 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष जी, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको)' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के 9वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की वर्ष 2001-02 की अनुदानों की मांगों' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के 13वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(3) 'औषधों/भेषजों का मूल्य निर्धारण और उनकी उपलब्धता' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 15वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(4) 'तेल और गैस का उत्पादन' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 21वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(5) 'डीलरों चयन बोर्डों (डीएसबी) के दिशानिर्देशों का मूल्यांकन' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 22वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(6) 'इंडियन फार्मर्स फटिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको)' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 24वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकारी द्वारा

की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(7) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग' की अनुदानों की मांगें (2002-2003)' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002: के 25वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिपारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(8) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2002-2003)' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 27वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण;

(9) 'पेट्रोलियम और पेट्रोरसायन क्षेत्र में विनिवेश' के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2002) के 28वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.28 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

127वां से 129वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरी): मैं, उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नौवहन उद्योग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सहमति ज्ञापन कार्य निष्पादन के संबंध में 127वां प्रतिवेदन;

(2) भारत सरकार (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) द्वारा यथाघोषित आटो नीति के उपबंधों और संभावनाओं के संबंध में 128वां प्रतिवेदन; और

(3) दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र (लघु उद्योग मंत्रालय) के लिए ऋण प्रवाह के संबंध में 129वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो तो अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद 'शून्य काल' संबंधी अनुरोध लिए जा सकते हैं।

किंतु इससे पहले, माननीय गृहमंत्री अब नियम 193 के अधीन चर्चा का उत्तर देंगे। अत: अब हम इस पर विचार कर सकते हैं।

अपराह्न 12.29 बजे

नियम 1993 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार-*जारी*

[हिन्दी]

उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सदन में क्षमा याचना करना चाहूंगा कि कल रात्रि को शाम के कार्यक्रम के बाद मैं यहां पर उपस्थित नहीं था। मेरे सहयोगी उपस्थित थे, जिन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि बहुत देर तक इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चलती रही।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): रात के एक बजे तक चर्चा चली।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं जानता हूं। मैं इसके लिए राम विलास पासवान जी को, बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस अति महत्वपूर्ण गम्भीर विषय पर आग्रहपूर्वक यहां चर्चा कराई। चाहे एक-दो बार यह चर्चा स्थगित हो चुकी थी, आरम्भ में ही हो जाती तो ज्यादा लोग इसको सुन सकते और भाग ले सकते। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सहयोगी जो प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय के विषयों को देखते हैं, वे यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने इस पर अपना योगदान भी दिया। उनको स्वयं को जो जानकारी थी,

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

क्योंकि चर्चा का विषय है, वह है दलितों पर अत्याचार, इसलिए यह काम स्वाभाविक रूप से गृह मंत्रालय के सुपुर्द किया गया, क्योंकि सब प्रकार के अत्याचार, सब प्रकार के अपराध गृह मंत्रालय की परिधि में आते हैं। अन्यथा समाज में खासकर दलितों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिलता रहे, इस बात की प्रमुख जवाबदारी जिस विभाग की है, उन्होंने कुछ अपने विचार इसमें रखे भी हैं।

मैं समझता हूं कि प्रवीण राष्ट्रपाल जी, जो यहां बैठे हैं, उनका मैंने भाषण सुना था। उनका क्षोभ मेरी समझ में आता था। उन्होंने मन का गुस्सा अगर किसी बात पर प्रकट किया, वह भी मेरी समझ में आता था। उन्होंने इस बात पल बल दिया कि इसमें किसी सरकार का या किसी पार्टी को दोष देने का प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि यह समस्या बहुत पुरानी है। शताब्दियों से चली आ रही है। लेकिन उस समस्या का जितनी मात्रा में हम हल निकाल पाए हैं, वह महात्मा गांधी जैसे, डा. अम्बेडकर जैसे उन्होंने एक-दो नाम और लिए, जैसे ज्योति बा फुले और विवेकानंद जी। मैं समझता हूं अनेक नाम लिए जा सकते हैं। मैं मानता हूं आज इतने सालों के बाद, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, संविधान बन जाने के बाद और कानून बन जाने के बाद भी हम इस समस्या का पूरी तरह से हल नहीं निकाल पाए हैं। मुझे लगता है कि एक कारण है, यह जो समानता का, समरसता का अभियान सामाजिक स्तर पर जितना पहले चलता था, वह कुछ क्षीण हो गया है। अब सामाजिक स्तर पर आंदोलन के रूप में पहले चलता था, जिसके कारण उन्होंने अस्पृश्यता का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक प्रकार से अस्पृश्यता को जस्टिफाई किया। उन्होंने जो वाक्य कहे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पता नहीं वह किसका उल्लेख कर रहे थे। लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव है धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कभी-कभी ऐसी बात कर जाते हैं। हमारे यहां बहुत समय से ऐसे लोग रहे हैं, जो धर्म को श्रेष्ठ स्थान देते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं। लेकिन उन्होंने एक बार कहा कि भगवान यदि अस्पृश्यता को सहते हों तो मैं उसको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। गांधी जी के तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। उत्तर भारत में इसी तरह से एक बहुत प्रभावी व्यक्ति हुए, स्वामी दयानन्द जी। उन्होंने न केवल प्रवचन दिए, आग्रहपूर्वक कहा और लाखों लोगों के जीवन को बदला। लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया इस बात से कि वह अस्पृश्यता के बारे में कभी सोच नहीं सकते। वह इतना बड़ा अपराध है कि वह उसको स्वीकार करें। एक समय था, हमने भी देखा कि सामने से कोई आ जाए तो स्नान करना जरूरी माना जाता था कि स्नान करो। मुझे स्वयं को याद है कि मैंने राजनैतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रेरणा और शिक्षा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से ली। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे केरल में गये और केरल में जो शौचालय साफ करने के लिए आता था उसको कहा गया कि बाहर एक क्रास कील पर लटका हुआ है, वह क्रास तुम गले में डाल लो, फिर मेरे घर में प्रवेश करो और शौचालय साफ करो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का विचार जिस हिंदू समाज में होगा, वहां पर वह शौचालय साफ करने वाला व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैं एक दिन में पांच मिनट के लिए इस क्रास को गले में डालूं, इसके बजाए जीवन भर ही क्यों न इसे गले में डाल लूं। यह सोचना अस्वाभाविक नहीं होगा। यह बात मैंने पंडित दीनदायल उपाध्याय जी से सुनी।

जिस प्रांत में मेरा बचपन बीता, उसमें सिखों का या स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का या फिर आरएसएस का प्रभाव था। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): माननीय आडवाणी जी, आरएसएस की इसमें कोई भूमिका नहीं रही। यह मैसेज आप अपने कार्यकर्त्ताओं को भी दीजिए। धर्म-परिवर्तन के पीछे क्या-क्या कारण रहे हैं यह मैसेज आप अपने कार्यकर्त्ताओं को भी दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि सन् 1934 में महात्मा जी, वर्धा के पास, आरएसएस के शिविर में गये थे। उन्होंने वहां पर जो कुछ देखा, उससे वह बहुत प्रभावित हुए। स्वयं मैं 17 सितम्बर 1947 को सिंध से जब आया था तो गांधी जी ने एक हरिजन बस्ती में जाकर आरएसएस की एक शाखा को संबोधित किया और 1934 के अपने अनुभव का उल्लेख किया और कहा कि मैं जिन बातों से स्वयंसेवकों से प्रभावित हुआ, उनमें एक उनका अनुशासन, दूसरा उनका छुआछूत से मुक्त होने का भाव है। यह बात 'हिंदुस्तान टाइम्स' के 17 सितम्बर, 1947 के अखबार में है। मेरा सौभाग्य है कि ये प्रभाव मेरे मन पर भी रहे। मैं राजस्थान में जब राजनीति में था तो एक स्टेज पर भारतीय जनसंघ और रामराज्य परिषद के बीच में विलय की बात आई और वह इसलिए टूटी क्योंकि रामराज्य परिषद् ने कहा कि यह भारतीय जनसंघ के लोग, संघ के स्वयंसेवक होने के कारण कुत्ते की रह एक थाली में भोजन करते हैं और वे अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करते। हमने कहा कि नहीं करते। ठीक है, मर्जर नहीं होगा। आप संघ की और कोई आलोचना करें तो मैं सुन लूंगा लेकिन कम से कम छुआछूत के मामले में, जाति-भेद के मामले में ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आपने स्वामी दयानंद जी की बात जो कही है उससे मैं सहमत हूं लेकिन जहां तक भारतीय जनसंघ

की बात है तो आप 1947 के भारतीय जनसंघ के मैनिफैस्टों को देखिये। छुआछूत मिटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं आपको दोष नहीं देता हूं। अपने अज्ञान के कारण आप सहमत नहीं हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हो सकता है कि आरएसएस के पास ही सारा ज्ञान हो।

अध्यक्ष महोदय: विषयांतर मुझे नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार छुआछूत दूर करने के लिए क्या कर रही है?

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यहां विषयांतर हो रहा है। ये लोग विषयांतर न करें तो अच्छा रहेगा।

महोदय, आपकी मारफत उपप्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि वे विषयान्तर हो रहे हैं। विषयान्तर न हों, तो कृपा होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित उत्पीड़न पर सरकार क्या सार्थक कार्यवाही कर रही है, इस पर सीमित रहें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कल जो सदन में चर्चा हुई है, जो सुझाव दिए गए हैं, उसके बारे में बतायें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उत्तर सुनिए। रामदास जी, महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): जब पाकिस्तान, कराची से आप भारत आए थे, उस समय यहां इन लोगों को पानी ऊपर से दिया जाता था। हमें इसका अनुभव है। इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने का संकल्प हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (वाराणसी): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अनधिकृत रूप से आठवले जी क्यों खड़े हो जाते हैं*...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: जैसे आप की तरफ से प्रभुनाथ सिंह जी खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय, जहां तक अत्याचारों का सवाल है, प्रमुख रूप से, स्वाभाविक रूप से यह जबावदेही प्रत्येक राज्य की है कि उस प्रदेश में अपराध न हों, उस प्रदेश में कमजोर वर्गों पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो कमजोर वर्गों में दलित सबसे प्रमुख हैं। इसीलिए केन्द्र सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि समय-समय पर सभी राज्यों को इस मामले में सलाह देती रहे और निर्देश देती रहे तथा किसी बात की जानकारी मिले, तो उसके बारे में जानकारी और प्राप्त करे और उसको कहे कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हमारे यहां से लगातार प्रदेशों को इस मामले में सलाह दी जाती रही है कि जो एट्रोसीटीज-प्रोन-एरियाज हैं उनको छांटे और उन क्षेत्रों की विशेष रूप से चिन्ता करें कि कहां-कहां दलितों पर अत्याचार की प्रवृत्ति अधिक है। उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों का न्यायालयों द्वारा जल्दी निपटारा हो और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनायें। स्पेशल कोर्ट्स इस बात की चिन्ता करने के लिए बनाये कि शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स पर क्या अत्याचार होते हैं। मैं सदन को इतनी जानकारी दे सकता हूं कि पिछलों दिनों में इस प्रकार के स्पेशल सैल 17 राज्यों और एक यूनियन टैरेटरी में गठित हुए हैं। इस प्रकार 137 स्पेशल कोर्ट्स इस काम के लिए दस प्रदेशों ने बनाए हैं। कुछ स्टेट्स हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है और अगर वहां स्पेशल कोर्ट्स बनाए भी गए हैं, तो भी उन राज्यों ने तय किया है कि जितने भी इस प्रकार के अपराध हैं, जो जनजातियों के खिलाफ होते हैं, वे सैशन कोर्ट्स के अन्तर्गत काम करेंगी। इसी प्रकार से एट्रोसीटीज-प्रोन-एरियाज 12 राज्यों ने तय किए हैं और केन्द्र को सूचित किया है कि हमने इस-इस प्रकार के केन्द्रों और क्षेत्रों को चुना है, जिनको हम एट्रोसीटीज-प्रोन-एरियाज मानते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: वे 12 राज्य कौन से हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: वे 12 राज्य हैं- आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है क्योंकि वहां एक भी केस रजिस्टर नहीं होने देते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: बंगाल में यह घटना नहीं घटती है। वहां हरिजनों को जमीनें दी जाती हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसे करेंगे तो जीरो आवर और कालिंग अटैंशन नहीं होगा। आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, कल राम विलास जो ने मंदिरों की चर्चा की और कहा कि डीडीए ने राम कृष्ण पुरम में गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़ा। उन्होंने चंडीगढ़ और तुगलकाबाद के मंदिरों का भी जिक्र किया। मैंने सोचा कि डीडीए अनआथोराइज्ड कनस्ट्रक्शन को तोड़ती रहती है, उस क्रम में यह कार्रवाई हुई होगी लेकिन जब उन्होंने कहा कि ऐसे अनआथोराइज्ड मंदिर कई थे लेकिन उन्होंने चुन कर गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ा, तब मुझे लगा कि यह बहुत गलत बात हुई है। मैंने इस बारे में पूछताछ की। हमारे जो मंत्री अरबन डैवलपमैंट विभाग को संभाल रहे हैं, उन्होंने ऐसी बात सुन कर स्वयं इस बारे में राम विलास जी से चर्चा की और जानकारी देने की कोशिश की। उनके पास चंडीगढ़ की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि मैं चंडीगढ़ की जानकारी लेकर दूंगा। मुझे अरबन डैवलपमैंट विभाग ने बताया कि कुल मिला कर पिछले साल ऐसे 29 रीलिजियस प्लेसेंज जो अनआथोराइज्ड थे, उनके ऊपर एक्शन लिया गया। मैंने उनसे राम कृष्ण पुरम के गुरु रविदास मन्दिर के बारे में भी बात की। उन्होंने मुझे कहा कि उस मंदिर को छुआ नहीं गया लेकिन मंदिर के साथ-साथ कुछ ऐसे इलाके और कंस्ट्रक्शन थी जो अनआथोराइज्ड थी, जहां स्क्वैटर्स थे, जिन्हें छुआ गया। मैं इसकी और जानकारी लूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे यह जरूर कहा कि गुरु रविदास के मंदिर को नहीं छुआ गया। उन्होंने मुझे यह भी जानकारी दी कि उसकी शिकायत वहीं की पुरानी कमेटी ने आग्रहपूर्वक की थी कि वहां इस प्रकार के एनक्रोचर्स और स्क्वैटर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो लेकिन यह बात सदन में उठायी गई है मैं उसके बारे में और जानकारी लूंगा। मैं ऐसा जरूर समझता हूं कि अनआथोराइज्ड कनस्ट्रक्शन के बारे में डीडीए जैसी बाडी स्वाभाविक रूप से चिंतित हो सकती है लेकिन छांट करके अगर बाकी किसी मंदिर या गुरुद्वारे को या किसी और को जो अनआथोराइज्ड हैं, वे नहीं छूते हैं, केवल रविदास मंदिर को छूते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि हमारे यहां दो कारण इस समस्या के बने हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सामाजिक स्तर पर जिस प्रकार की समानता और समरसता का आन्दोलन पहले चलता था और जिस में केवल राजनीतिक लोग नहीं, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के नेता भी इस काम में लगे होते थे, वह अब क्षीण हो गई है। दूसरा कारण यह है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग नेतृत्व करते हैं, वे नेतृत्व राजनीति में करते हों, वे नेतृत्व शिक्षा में करते हों और वे नेतृत्व ब्यूरोक्रेसी में करते हों, उनके मन में दलितों के लिए जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, वह बहुत बार प्रकट होता है, उनके कारण भी कई अन्याय, हत्याएं और ऐसी ज्यादतियां होती हैं। हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके कारण हम सामाजिक समरसता भी तोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें अगर हम कानून और संविधान को ठीक से कार्यान्वित नहीं करेंगे, उस पर सफलता नहीं मिलेगी जिसके कारण देश की दुनिया में बदनामी होती है। मैंने जून महीने में नेशनल ज्यौग्राफिक मैगजीन देखी थी। यह एक बहुत ही औब्जैक्टिव मैगजीन मानी जाती है। इस मैगजीन के कई पृष्ठों में एक लेख लिखा था कि भारत में दलितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। यह लम्बा-चौड़ा लेख था। इसी नेशनल ज्यौग्राफिक मैगजीन में एक और लेख था जिसमें इस बात का बखान किया गया था कि अमरीका में काले लोगों को पिछली शताब्दियों में कैसे न्याय दिया गया, उन्हें गोरे लोगों के समक्ष लाया गया है जबकि हम सब जानते हैं कि वहां समस्या कितनी विकट है। हमारे देश में यह समस्या है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते और हम उसे स्वीकार करते हैं। इस सदन में रात के 12 बजे के बाद हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार की तरफ से कानून होते हुये भी हम उस समस्या पर पूरी तरह काबू नहीं पा सके लेकिन दुनिया में इस कारण से हमारे देश की बदनामी हो, यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है। इस समस्या को दूर करने के लिये हमें इस बात की पूरी चिन्ता करनी पड़ेगी कि हम पूर्वाग्रह-मुक्त ब्यूरोक्रेसी बनायें, अपने को बनायें, सारे समाज में शिक्षा का क्षेत्र है जिसका हम नेतृत्व करते हैं, उसे बनायें। धर्म के नाम पर अस्पृश्यता, छूआछुत या जाति-पाति को संरक्षण दिया जाता है, उसे हम सर्वथा पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, हम धन्यवाद करते हैं कि कल रात जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, पार्टी-पौलिटिक्स से ऊपर उठकर अपनी बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि यदि पौलिसी रंदा के समान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह बरनी के समान नहीं होनी चाहिये। मेरे ख्याल से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात की कम जानकारी है। श्री खंडूड़ी साहब यहां बैठे हुये हैं जो मन्दिर मामला डील करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कारण चाहे जो हों, कोई पैसा देकर मन्दिर नहीं बनाया, न जमीन खरीदकर बनाया। आज आर.के. पुरम् में 35 मन्दिर हैं। केवल एक ही मन्दिर को क्यों तोड़ा गया? हर मन्दिर के पास जमीन है, लंगर है। सारे मन्दिरों को छोड़कर एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया। श्री बंसल जी चंडीगढ़ से हैं। उनके यहां 7 मन्दिर हैं। हरि मन्दिर, गुरुद्वारा, चर्च पास-पास हैं लेकिन किसी को नहीं छुआ गया। केवल रविदास

मन्दिर को छुआ गया। यदि दूसरे मन्दिर को छुयेंगे तो साम्प्रदायिक दंगा हो सकता है। लेकिन गरीब का मन्दिर है। तुगलकाबाद के तीन किलोमीटर क्षेत्र में संत रविदास के नाम से एक मार्ग का नाम भी है। बाबू जगजीवन राम जी 1959 में वहां गये थे। मैं यह नहीं कहता कि आपकी सरकार के समय का मामला है। सरकार तो सरकार ही है। इसलिए आप कानून की तकनीकियों में न जायें, अतिक्रमण के नाम पर न जायें। माननीय उप प्रधान मंत्री जी जानते हैं कि 12, तुगलक रोड पर चौधरी साहब रहते थे। श्री शरद यादव 1977 में वहां गये थे। पहले वहां कुछ नहीं था। एक आदमी ने पत्थर डाल दिया और बाद में विशाल भवन बन गया। क्या कोई तोड़ सकता है, नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता।

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आप जानते हैं कि आज संसद का अंतिम दिन है। आप बैठिये।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: अध्यक्ष जी, श्री पासवान जी ने जो कहा है *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: हमने मंत्री जी को धन्यवाद किया क्योंकि जिस तत्परता से इन्होंने हम सब को बुलाया और संबंधित आफिसर को बुलाकर मामले को गम्भीरता से लिया। मेरा खंडूड़ी जी से आग्रह है कि वे मानवीय स्तर पर इसे लेने का काम करें, इसको टैक्नैक्लिटी या लीगैलिटी में न जायें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, हमारे पास समय बहुत कम है। आप प्लीज बैठिये।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज से 15 दिन पहले स्वास्थ्य और पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने कहा था क्योंकि पी.जी.आई. उनके तहत है उन्होंने कहा था कि जहां तक चंडीगढ़ का ताल्लुक है, वह इस बात की जांच करके संसद को बतायेंगे। आज सत्र का आखिरी दिन है। 15 दिन में भी नहीं बताया गया, जबकि यह मसला सीधे उनके अंडर आता है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: यह मांगते रह गये और इन्हें रिपोर्ट भी नहीं दी गई। *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमने जानकारी हासिल की है। जो मंदिर वहां बन रहा था, वह नया मंदिर बन रहा था। रामविलास जी उसे तोड़ा नहीं गया है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वहां भवन बने हुए थे, मेरे पास फोटो है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को उत्तर पूरा नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा। मुझे मंत्री जी का उत्तर सुनने दीजिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: वह अंडर कंस्ट्रक्शन था, हमें बताया गया था और उसके चारों तरफ जो और चीजें थी, उन्हें हटाया गया है। आपके जाने के बाद और हमारे पता करने के बाद कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: कार्रवाई क्या रोकी, वह खत्म हो गया *...(व्यवधान)* आप मान रहे थे कि गिरा दिया फिर आज कैसे इनकार कर रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आडवाणी जी और खंडूड़ी जी इस समस्या का व्यावहारिक हल निकालिये। 45 सालों से वे रविदास मंदिर पर काबिज हैं। इससे क्या संदेश जाता है, इससे यही संदेश जाता है कि आर.के. पुरम् में 37 मंदिर हैं, इससे इस भावना को बल मिलता है कि जब लोग यह मानकर चलते हैं कि हमारा ही मंदिर उजाड़ा गया है, हमें ही यहां से हटाया गया है, क्योंकि हम कमजोर वर्ग के लोगों का मंदिर है। मैं इसके तकनीकी और कानून पक्ष में नहीं जाना चाहता। आडवाणी जी मेरी प्रार्थना है कि आप इसका व्यावहारिक हल निकालिये। जो तिकड़मबाज और असरदार लोग हैं, वे किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लें और जो 45 सालों से उस जगह पर रह रहे हैं, उनके मंदिर को आप हटा दें, यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। आप बहुत ज्यादा तकनीकी पक्ष में मत जाइये। जितना आप इसके तकनीकी पक्ष में जायेंगे उतनी ही उलझन बढ़ेगी। आप इसका व्यावहारिक हल निकालिये।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: कानून में सब लोग बराबर होने चाहिए। कोई सशक्त है, कोई कमजोर है, इसके आधार पर भेदभाव होता है तो उसका मतलब है कि कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए इम्पलीमैन्टेशन ठीक हो, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। एक सवाल पूछा गया *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: होम मिनिस्टर अपने स्तर से देखें। यदि होम मिनिस्टर आर्डर देकर तोड़ देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तब तक के लिए रोक लगा दीजिए कि इस बीच में कोई अब डेस्ट्रक्शन का काम न करे। इसमें आपका आदेश हमें मान्य होगा और

[अनुवाद]

आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सर, इसमें कानूनी शर्तें पूरी करें और आसान शर्तों पर उन्हें कब्जा दिलवायें। लाग-लपेट की बातों से कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बार-बार प्रश्न पूछने का मौका दिया इसका यह मतलब नहीं है कि आप मंत्री जी का उत्तर नहीं सुनेंगे और काम को आगे नहीं बढ़ाने देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आपकी बात मंत्री जी ने सुनी है। मंत्री जी ने कहा है कि इस विषय में पूरी जांच करेंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: एक सवाल श्री शिवराज जी ने पूछा है कि लक्षद्वीप में जो ट्राइबल्स हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वही प्रश्न है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं आपका भाषण समाप्त होने के बाद उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके फिर आपसे इसमें मदद चाहूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं आपको बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप सभी सवाल पूछिये। मंत्री जी कंक्लूड कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: अभी कंक्लूड कैसे करेंगे। अभी अत्याचार के विषय पर नहीं आये हैं। अभी झज्जर, बिहार और उत्तर प्रदेश पर नहीं आये हैं फिर खत्म कैसे करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमनद्वीवी द्वीप के निवासी आदिवासी हैं। भारत सरकार द्वारा जारी मूल आदेश के अनुसार, संविधान के अधीन, एक व्यक्ति जो एक द्वीप में पैदा हुआ है या रह रहा है, एक आदिवासी है। एक अधिकारी ने भारत सरकार के इस आदेश की व्याख्या की है और उसकी व्याख्या के अनुसार द्वीप के निवासियों का मुख्य भूमि पर पैदा हुआ बच्चा आदिवासी नहीं माना जाना चाहिए।

अत: यदि वह एक डाक्टर की सलाह पर किसी अस्पताल में पैदा होता है तो भी उस बच्चे को एक आदिवासी नहीं माना जाएगा। अत: भारत सरकार एक नया आदेश ला रही है और नए आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वीप के निवासियों के मुख्य भूमि पर स्थित अस्पताल में पैदा हुए बच्चे को एक आदिवासी का दर्जा देने पर विचार कर रही है। यह अच्छा आदेश है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और ऐसा इस द्वीप के निवासियों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जा रहा है।

किंतु इस आदेश से एक और कठिनाई भी उत्पन्न हो गई है। अब यदि द्वीप के निवासी मुख्य भूमि पर रह रहे हैं और एक बच्चा मुख्य भूमि पर पैदा होता है तो उसे एक आदिवासी नहीं माना जाएगा। उसे एक आदिवासी का दर्जा देने के लिए महिला को द्वीप जाना पड़ेगा और बच्चे को जन्म देना होगा और तभी उस बच्चे को एक आदिवासी का दर्जा मिल सकेगा। इससे मुश्किल भी पैदा होती है।

हमारे माननीय उपाध्यक्ष भी उन द्वीप समूहों के हैं और विपक्ष की नेता ने प्रधान मंत्री को एक सुझाव देते हुए पत्र लिखा था। कोई व्यक्ति जो मुख्य भूमि पर रह रहा है और जो मूलत: उस द्वीप का है, यदि उसका बच्चा मुख्य भूमि पर पैदा हुआ है और यदि वह बच्चा किसी चिकित्सा अधिकारी, एक डाक्टर की सलाह पर पैदा नहीं हुआ है अपितु उस मुख्य भूमि पर काम भी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है और कुछ काम कर रहा है तथा उस द्वीप के निवासियों के पैदा हुए ऐसे बच्चे को एक आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो सारी कठिनाईयां दूर हो सकती है। अत: मैंने सोचा कि हम चर्चा के दौरान यह सुझाव दे सकते हैं ताकि माननीय गृप मंत्री से एक प्रमाणिक उत्तर मिल जाए। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उन द्वीपों पर रहने वाले हमारे भाईयों और बहनों को वे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो इस क्षेत्र के आदिवासियों को दिए गए हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: श्री शिवराज पाटील ने लक्षद्वीप से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मामला उठाया है। किंतु आप यह जानते हैं कि आज लगों का वर्गीकरण जिसमें आदिवासी अथवा अनुसूचित जातियां शामिल हैं, राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न है और प्राय: ऐसा होता है कि एक राज्य में अनुसूचित जाति कहा जाने वाला एक समुदाय दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति नहीं होता है अथवा एक राज्य में अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे राज्य में ओबीसी बन जाता है। ऐसा होता है।

गत वर्ष, जब मैं लक्षद्वीप गया तो मैंने पाया कि उनकी यह समस्या है कि यदि कोचीन या एर्नाकुलम के अस्पताल में एक बच्चा पैदा होता है तो उसे आदिवासी नहीं माना जाता है। मैं यह मानता हूं कि इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा अनेक वर्षों से हो रहा है। मैं मानता हूं कि इसे ठीक किया जाना चाहिए। अत: इस बारे में कार्यवाही की गई। फिर दुबारा यह बताया गया कि यद्यपि यह एक स्वागत योग्य कदम है तथापि

इससे कई समस्यायें उत्पन्न होंगी। जब आपकी पर्ची आई तो मैं यह पूछ रहा था कि क्या विधि मंत्री अभी भी यहां उपस्थित हैं अथवा नहीं। यदि वे यहां होते तो निश्चित रूप से मैं उनसे परामर्श करता और निर्णायक उत्तर देता। अन्यथा, इस मुद्दे पर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपके द्वारा उठाई गई कठिनाईयों की जांच करूंगा। जहां तक हमारा संबंध है, हम यह देखने के लिए वचनबद्ध हैं कि कोचीन, एर्नाकुलम या त्रिवेन्द्रम में मुख्य भूमि पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा उस आधार पर अपनी आदिवासी हैसियत को न खोए।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान: वे सेवा करने वाले हैं।

[हिन्दी]

लक्षद्वीप के लोग दिल्ली में भी नौकरी करते हैं और यदि यहां बच्चा पैदा हुआ तो ट्राइबल नहीं माना जाएगा, इसकी कोई तुक नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक कानून बनाइए कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी जहां कहीं भी जाएगा, वह शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की माना जाएगा। यदि आप इस प्रकार का संशोधन ले आते हैं तो सारी समस्या सुलझ जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो गया है।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने इसीलिए अपना उत्तर देने से पहले कठिनाई का भी उल्लेख किया कि अब तक कि प्रैक्टिस है कि अलग-अलग स्टेट्स में शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की लिस्टें अलग-अलग हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर अगर कोई शैड्यूल्ड ट्राइब है, तो वह सारे हिन्दुस्तान में शैड्यूल्ड ट्राइब माना जाए। वह प्रैक्टिस नहीं है। उसकी अपनी कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन आपने जो बात कही है, उसकी ओर ध्यान देकर, जो भी समुचित होगा, सरकार उसका समाधान करेगी।

श्री राम विलास पासवान: झज्जर के बारे में बताइए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया है कि उसका यहां काफी उल्लेख हुआ है।

श्री राम विलास पासवान: एक भी मंत्री ने इस विषय पर बात नहीं की है। यहां इस बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। डा. सत्यनारायण जटिया जी ने कहा कि मेरा वैलफेयर का काम है। मेरा यह काम नहीं है। हम इस प्रश्न को रोज उठा रहे हैं और कोई मंत्री जवाब नहीं दे रहा है। कल उन्होंने कह दिया कि

[अनुवाद]

यह गृह मंत्री का काम है और उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, रोजाना झज्जर के प्रकरण की चर्चा कर दी जाती है! ऐसा कुछ नहीं है, जैसा सदस्य कह रहे हैं। इस प्रकरण के बारे में महोदय आपके सामने सारी चर्चा सदन में हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने किसी को इस बारे में बोलने की इजाजत नहीं दी है। मैं केवल मंत्री जी का जवाब सुनना चाहता हूं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: महोदय, इसकी जांच एक डिवीजनल कमिश्नर के स्तर के अधिकारी द्वारा की जा चुकी है। वह अधिकारी भी दलित जाति के ही हैं जिन्होंने इसकी जांच की है। जांच प्रतिवेदन को ज्यों का त्यों सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी चर्चा यहां की जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: राम विलास जी, आपको इस बात की जानकारी है कि अनेक ऐसे सवाल हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार, खासकर के जिनका संबंध अपराध से होता है, हम चाहते हुए भी सदन को जानकारी वही देंगे, जो हमें राज्य सरकार की ओर से दी गई होती है। उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में यही बात लाना चाहता हूं कि जो जानकारी वे सदन को दे रहे हैं, वह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर नहीं है। कालिंग अटेंशन के जवाब में आपने राज्य सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के आधार पर सदन में कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सदन को यह बतला दीजिए की पांच दलितों की हत्या हुई है, इस प्रकरण में कोई आदमी, कोई अफसर या कोई कलप्रिट आज की तारीख में जेल में है कि नहीं?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: हो सकता है, कोई बेल पर चला गया हो।

श्री अजय सिंह चौटाला (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में कई लोगों को जेल हुई है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अजय सिंह चौटाला से यह बात नहीं सुनना चाहता हूं। इस बारे में होम मिनिस्टर बताएं कि क्या कोई आज की तारीख में जेल में है, यदि हैं, तो कौन-कौन हैं?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 अगस्त, 2003 को हमें हरियाणा सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

श्री नरेन्द्र सिंह सहित नायब तहसीलदार और 13 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया गया और बाद में झज्जर के डीएसपी के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया गया। इनमें से प्रत्येक को स्थायी प्रभाव से दो भावी वेतनवृद्धियों को रोकने की बड़ी सजाएं दी गयी हैं। डीएसपी, एक नायब तहसीलदार, और एक हैड कांस्टेबल के विरुद्ध जांच प्रक्रियाधीन है।

श्री राम विलास पासवान: जेल में कोई नहीं है। सर, पांच आदमी मारे गए हैं। एक भी आदमी जेल में नहीं है। आप होम मिनिस्टर हैं। आपकी जवाबदेही है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, पांच दलित मारे गए हैं और केवल दो इन्क्रीमेंट रोके गए हैं। क्या यह मेरे पनिश्मेंट है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। मैं आपकी बात नहीं, बल्कि मंत्री जी को सुनना चाहता हूं। कृपया आप बैठिए।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह घटना हुई थी उस समय झज्जर में डी.सी. दलित था, एस.डी.एम. दलित वर्ग से था और एस.पी. भी दलित जाति का था। जो अफसर थे, उन्होंने कोई गोलियां नहीं चलाईं, लेकिन फिर भी जांच की गई और जो दोषी पाए गए, उन्हें सजा दी गई।

अध्यक्ष महोदय: इन्दौरा जी, आप बैठिए। रामदास आठवले जी, आप भी बैठिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: बहुदेव आचार्य जी, आपको तो जानकारी है, पश्चिम बंगाल की सरकार पर अपराधों के संबंध में कितने आरोप लगते रहे थे, लेकिन कभी हमने अपनी जानकारी नहीं दी, मुझे जो जानकारी थी, वह मैंने कभी नहीं दी। मैंने सदन में आकर वही जवाब दिया जो पश्चिमी बंगाल सरकार ने दिया। मैं स्वयं मर्यादा का पालन करता हूं। इसलिए मुझे आई.बी. की रिपोर्ट क्या मिलती है, वह जानकारी भी मैंने कभी सदन में नहीं दी। सिर्फ वही जानकारी दी, जो पश्चिमी बंगाल सरकार ने हमें दी।

[अनुवाद]

और यह पश्चिम बंगाल सरकार पर लागू होता है और यह हरियाणा सरकार पर भी लागू होता है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): क्या आप पुलिस अधिकारियों को दी गयी सजा से संतुष्ट हैं?

[हिन्दी]

पांच दलितों की हत्या हुई है और केवल दो इन्क्रीमेंट रोके गए हैं। क्या आप इस पनिश्मेंट से सैटिस्फाइड हैं?

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आप बैठिए। मैं आपको बाद में बोलने का समय दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपके प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपके प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन में यह क्या चल रहा है?

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): **प्रश्न यह है कि पांच दलितों की हत्या करने वालों को पर्याप्त सजा नहीं दी गयी है। किसी सरकारी अधिकारी की दो वेतनवृद्धियां रोकना मात्र पर्याप्त नहीं है। किसी व्यक्ति की हत्या के लिए सजा सजा-ए-मौत अर्थात् फांसी**

पर लटकाना है। यहां पांच दलितों की हत्या की गयी है लेकिन कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय अधिनियम अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति अधिनियम के विरुद्ध अत्याचार निरोधक, अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लगता है सभा मंत्री से उत्तर नहीं चाहती। यह एक विशेष व्यवस्था की गयी थी कि माननीय मंत्री सभा को उत्तर देंगे। यदि सदस्य माननीय मंत्री की बात नहीं सुनना चाहते तो वह अपना भाषण समाप्त कर देंगे। उन्हें बोलने दीजिए। आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों प्रदान नहीं करते?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: ये संविधान और संसदीय व्यवहार की सीमाएं हैं। यह हमेशा से सामान्य परिपाटी रहा है कि

[हिन्दी]

अगर किसी स्टेट के ला एंड आर्डर से संबधित कोई सवाल है तो हम वहां से जानकारी प्राप्त करके, जो जानकारी स्टेट देता है उसे हम ज्यों की त्यों देते हैं, चाहे बिहार की सरकार, पश्चिम बंगाल या हरियाणा की सरकार हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान: यह हरियाणा का सवाल नहीं है।

[हिन्दी]

चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एससी, एसटी पर जुल्म एवं अत्याचार हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी या चौटाल जी की सरकार हो, आपकी जवाबदेही है कि आप एससी, एसटी को प्रोटेक्शन दीजिए और उसकी रिपोर्ट मंगवाइए, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह सिर्फ हरियाणा का प्रश्न नहीं है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: जवाबदेही हमारी है और केवल मात्र दलित के लिए ही नहीं, अगर कहीं पर, किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उसके साथ हमारी जवाबदेही होती है। आंतरिक सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है।

आज संविधान में हमारे ऊपर जो जवाबदारी है, उसके अनुरूप सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार कहें, उन पर मर्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों के बीच में जो सीमा, लक्ष्मण रेखा बांधी गई है, उसका हमें पालन करना है। महोदय, एक स्टेज ऐसी भी आई जब स्टेट गवर्नमेंट ने आपत्ति की कि आप अपने अधिकार यहां क्यों भेज रहे हैं, आप मत भेजिए, इस प्रकार आपत्ति करने वाले लोग भी थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी यही कोशिश रही है कि कहीं पर अगर मुझे लगता है, ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैं पहली बार एससी के मामले में उप प्रधानमंत्री जी को सदन में इतना कमजोर देख रहा हूं। इतना निराश मत होइए। हैल्पलैस मत होइए।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं दयनीयता की बात नहीं कर रहा हूं। वास्तव में, डी.जी.पी. की सभी बैठकों में, मुख्य सचिवों और यहां तक कि गृह मंत्रियों की बैठकों में कई बार, केन्द्र सरकार को सीमित करने के मुद्दे को उठाया गया। इन सीमाओं के कारण, यद्यपि केन्द्र सरकार कुछ मुद्दों पर कार्यवाही करेगी लेकिन इसको वर्तमान संविधान के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: आप पोटा लगाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: हमें पोटा का भी अधिकार नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, इस तरह ये बीच-बीच में खड़े होकर बोलेंगे तो कैसे जवाब पूरा होगा। ये बार-बार खड़े हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम विलास पासवान जी, आप मंत्री जी से जवाब चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं तो मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे। यह कोई प्रश्न-काल नहीं है कि आप प्रश्न पूछेंगे। कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब आप अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठिए। मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए और आप जो चाहते हैं वह उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको यहां पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री जी से मेरी अनुमति के बिना पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए कहा है। वह केवल अध्यक्षपीठ की अनुमति से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मुझे सूचित किया गया है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और सुनवाई हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इसमें जितने दलित लोग मारे गए हैं, उन सब के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए दिए गए हैं और जो कमीशन आफ इंक्वायरी बनाई गई थी, उसकी जितनी रिकोमेंडेशंस हैं वह हरियाणा सरकार ने स्वीकार की हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: महोदय, यह बार-बार प्रश्न पूछेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनका प्रश्न पूछने का अधिकार है, क्योंकि इन्होंने प्रश्न रेज किया है, लेकिन मैंने इन्हें वार्निंग दी है कि बार-बार प्रश्न नहीं पूछेंगे। मंत्री जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आप बैठिए, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठिए। इन्दौरा जी, आप बैठिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मुझे और कुछ नहीं कहना है, सिवाए इसके कि कुल मिला कर कल जैसे बहस हुई, हम अगर इन दो बातों का इलाज करने में समर्थ हों कि समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में जो नेतृत्व किए हुए हैं, उन्हें पूर्वाग्रह मुक्त होकर छुआछूत के खिलाफ अपने को कमिट करना चाहिए। जो दलित हैं, जिस प्रकार से गांधी जी ने कहा, मैं कोई बात सही या गलत कह रहा हूं, इसका निर्णय इस आधार पर हो कि जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति तुम्हारे सामने कल्पना में आ सकें, उनके ऊपर इसका क्या असर होगा। यह जो टचस्टोन उन्होंने दिया था, उसे जितनी मात्रा में हम लोग अपना सकें, उतनी मात्रा में हम इस समस्या का भी हल निकाल सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, दो ध्यानाकर्षण नोटिस हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसके ऊपर प्रश्न नहीं होते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री ने यह अनुरोध किया है कि आई.डी.बी.आई. विधेयक पर आज विचार किया जाए। यदि आप सभी सहमत हों, हम दोपहर के भोजन को छोड़कर आई.डी.बी.आई. विधेयक और सभा के अन्य कार्यों पर विचार कर सकते हैं। यदि आप सहमत नहीं होते, तो मैं यह महसूस करता हूं कि मैं दोपहर के भोजन के घंटे को जारी रखूंगा। मध्याह्न भोजन के पश्चात्, हम मिलकर ध्यानाकर्षण नोटिसों पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): 'शून्य काल' का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि समय होगा तो हम 'शून्य काल' को ध्यानाकर्षण नोटिसों के बाद आरंभ करेंगे।

मैं अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए सभा को स्थगित करता हूं।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेगी। श्री राम विलास पासवान।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): मैं नोटिस दे चुका हूं। कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर बोलने के लिए कृपया मुझे कम-से-कम एक मिनट का समय दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह 'शून्य काल' नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा)**: महोदय, चूंकि यह इस सत्र का अंतिम दिन है, कृपया उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का एक अवसर दें ...*(व्यवधान)***

श्री जी.एस. बसवराज: महोदय, कृपया मुझे कम-से-कम आधा मिनट का समय दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसे किसी अन्य दिन के लिए छोड़ें। एक प्रक्रिया है। श्री राम विलास पासवान माननीय उप प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एस. बसवराज: यहां आपका विवेकाधिकार है। विशेष मामले के रूप में, मुझे कृपया कम-से-कम आधा मिनट दें ...*(व्यवधान)* प्रतिदिन कर्नाटक में किसान मर रहे हैं। चारा नहीं है, भोजन नहीं है और वहां कुछ नहीं है ...*(व्यवधान)* वे चावल नहीं दे रहे हैं। राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री रमेश चेन्नितला: कर्नाटक के किसान पीड़ित हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। यह कार्यसूची में होना चाहिए। यह कार्यसूची में नहीं है। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एस. बसवराज: कृपया मुझे इस विषय पर बोलने के लिए दो मिनट का समय दें ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात् कृपया मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दें।

सभापति महोदय: हम कार्य सूची का पुन: निर्धारण नहीं कर सकते। पहले ही कार्य सूची का निर्धारण हो चुका है।

श्री जी.एस. बसवराज: कम-से-कम मुझे एक मिनट का समय दें ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मैं उप प्रधान मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

''बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम।''

उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान, श्री रामचन्द्र पासवान और श्री राजेश रंजन ने बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और इस बारे में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों संबंधी मुद्दा उठाया।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि चालू मानसून के दौरान 38 में से 18 जिले अलग-अलग स्तर पर बाढ़ से प्रभावित हुए। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ के कारण 79 लोग मारे गए, 2.87 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई और 12860 मकान क्षतिग्रस्त हुए।

राज्य सरकार ने, प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलों के समाहर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी सहित प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत उपाय करने के लिए जिला प्राधिकारियों को पर्याप्त धन आबंटित किया गया है। बिहार सरकार ने बचाव और राहत अभियानों के लिए 2757 नावें तैनात की हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 32 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 185 राहत वितरण केन्द्र, 358 स्वास्थ्य केन्द्र और 151 पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 21 अगस्त तक वितरित की गई मुफ्त राहत निम्न प्रकार से है:

गेहूं	30707 क्विन्टल
बना-बनाया आहार	1940 क्विन्टल
नमक	4.62 क्विन्टल
गुड़	221.98 क्विन्टल
पोलीथीन शीट	45024 मीटर
नकद अनुदान	108.74 लाख रु.

बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत प्रदान करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों का काम है। भारत सरकार, जहां कहीं आवश्यक होता है, संभारिकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) आबंटित की जाती है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। हमारा तीन हिस्सा और उनका एक हिस्सा। गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में राज्य सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

18 अगस्त, 2003 को राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 9 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार राज्य के पास सी.आर.एफ. में 105.7654 करोड़ रुपये की शेष राशि उपलब्ध थी। केन्द्र सरकार राज्य के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और आज की तारीख तक राज्य के पास सी.आर.एफ. में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

गृह मंत्रालय बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति का लगातार प्रबोधन कर रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के लिए निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार, बिहार सरकार को, मांगी गयी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, बिहार का मामला बहुत व्यापक है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। आपने सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने इस मुद्दे को लिया है और सदन में डिस्कशन का मौका दिया है। आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ से अरबों-अरबों रुपये की तबाही होती है और हजारों लोग मरते हैं। बिहार की एक विनाशलीला यह है कि पहले जब पानी आता था तीन-चार दिनों में निकल जाता था लेकिन अब जब पानी

आता है तो काफी समय तक ठहरता है। नदी की गहराई भी कम हो गई है। इसका नतीजा है कि जो समतल एरिया है, वहां तेजी से पानी फैलने लगता है।

राष्ट्रीय सिंचाई आयोग के मुताबिक पूरे देश में 450 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है जिसमें से अकेले बिहार में 78 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल और हिमालय पर्वत की श्रृंखला से जो नदियां निकलती हैं, जिनमें कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घघरिया और बागमती हैं, ये सारी नदियां नेपाल से बिहार की ओर आती हैं और गंगा में मिल जाती हैं।

सभापति महोदय, बिहार में तटबंध का निर्माण 1953 में शुरू हुआ और अभी तक कोसी, गंडक, ब्रह्मानंद, बागमती और सोन नदी पर कुल मिलाकर 3,454 किलोमीटर तटबंध बना है, लेकिन बिहार की 78 लाख हैक्टेयर जमीन में से केवल 28.53 लाख हैक्टेयर जमीन पर सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया गया है और शेष में अभी तक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तटबंध जब बन रहा था, उस समय कहा गया था कि इससे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, सिंचाई की समुचित व्यवस्था होगी, बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग-धंधों का जाल बिछेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया।

अपराह्न 2.12 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मैं स्वयं ढाई महीने तक पैदल, नाव, ट्रेन और गाड़ी से प्रभावित इलाकों में गया था। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं था जहां मैं स्वयं नहीं गया। वहां लोगों की दुर्दशा देखने लायक थी। श्री रामचंद्र पासवान भी मेरे साथ थे, और भी साथी थे। कहीं नाव की व्यवस्था नहीं थी। वहां लोगों को हैजे की बीमारी हो गई जिसके कारण सैकड़ों लोग मर गए। लोगों के आवागमन का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। कहीं नेशनल हाईवेज कट जाते हैं। केन्द्र से मंत्री हवाई सर्वे करके चले आए, स्टेट के मंत्री हवाई सर्वे करके चले आए, लेकिन हर साल इसी तरह की तबाही होती है। हमको तीन नदी पार करके अपने घर जाना पड़ता है। हमारा घर घघरिया नदी से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है लेकिन उस 15 किलोमीटर जाने में हमें सात घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के समय लोगों का जनजीवन इतना नर्क हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके दो तरीके हैं—एक जिसमें तात्कालिक राहत कार्य होते हैं और दूसरा जिसमें परमानैंट सौल्यूशन होता है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनके परमानैंट सौल्यूशन का एक ही तरीका है कि जो नदियां नेपाल से निकलती हैं, उन सारी नदियों के ऊपर तटबंध का निर्माण किया जाए जिससे पानी को वहां रोक कर जब जरूरत पड़े, उससे हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं।

अंग्रेजों के जमाने में एक वेवल कमेटी बनी थी जिसने एक सुझाव दिया था लेकिन हमको मालूम नहीं है कि वह अब किस स्थिति में है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सिर्फ कोसी नदी का मामला ही नहीं है, कोसी का अलग मामला है, कोसी, कमला, बागमती और गंडक, जो चारों अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, जब तक नेपाल सरकार से इस बारे में समझौता नहीं होता, तब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होने वाला है। क्या नेपाल सरकार के साथ इस संबंध में कोई बातचीत हुई है या बातचीत चल रही है और यदि चल रही है तो उसकी प्रगति क्या है?

दूसरे, जहां तक सेंट्रल टीम भेजने की जो बात है, आपने कहा कि मेरे पास आंकड़े हैं, पिछले तीन साल के क्या आंकड़े हैं? एक सवाल के जवाब में आपने बतलाया है कि कितना पैसा बिहार सरकार ने मांगा और कितना एनसीसीएफ द्वारा जारी किया गया तथा कितना सीआरएफ द्वारा जारी किया गया? पिछले दो साल से एनसीसीएफ द्वारा दो साल से पैसा नहीं दिया गया और नीचे यह लिखा गया है कि कल सीआरएफ के अंतर्गत जो धन उपलब्ध था, अब एनसीसीएफ से कोई सहायता अनुमोदित नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जो फ्लड आई है, उसकी जांच के लिए क्या कोई सेंट्रल टीम गई है या नहीं गई है और पिछले तीन वर्षों में एनसीसीएफ, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फंड और कैलेमिटी रिलीफ फंड के तहत कितनी राशि बिहार सरकार को दी गई है और उसमें से कितनी खर्च हुई है?

हमारे यहां एक तरफ बाढ़ होती है, एक तरफ सुखाड़ होती है और इन दोनों के बाद एक बड़ी भारी समस्या जल जमाव की समस्या है जहां पानी सालभर जमा रहता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाखों एकड़ भूमि में हमेशा पानी भरा रहता है और पानी निकालने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरी बिहार में ही अकेले 9 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां हमेशा जल जमाव रहता है और एक लाख हैक्टेयर जमीन अकेले मुकामा में नीतीश कुमार जी का निर्वाचन क्षेत्र है वहां पानी का जमाव रहता है। कुल मिलाकर 25 लाख एकड़ जमीन है जहां जल जमाव की समस्या है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव आया है या नहीं आया है और यदि नहीं आया है तो केन्द्र सरकार अपने स्तर से कुछ कर सकती है या नहीं और यदि राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव आया है तो वह प्रस्ताव क्या है? मैं दो-तीन बिन्दुओं पर सरकार का जवाब चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* जो पहला मैम्बर होता है, उसको जवाब मिल जाता है, फिर उसके बाद ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कालिंग अटैंशन का मतलब मालूम है?

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: पहले होता था। अच्छा, ठीक है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हर मैम्बर को एक क्लेरिफिकेशन पूछने की इजाजत होती है। अभी दो और सज्जन हैं। उसके अलावा इसके अतिरिक्त, विशेष मामले के तौर पर पहले इजाजत दे दूंगा। बाधा करने के लिए आप रैस्ट्रेन कीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जैसा कि राम विलास पासवान जी ने बताया, यह बहुत ही गंभीर मामला है। बिहार के अधिकांश भागों में बाढ़ है। जहां बाढ़ नहीं भी है, वहां सुखाड़ है। इस तरह से बाढ़ और सुखाड़ से काफी लोग पीड़ित हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि पिछले तीन वर्षों में बाढ़ और सुखाड़ से कितने लोगों का नुकसान हुआ है और कितने लोग मरे हैं? जैसा कि हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा और समस्तीपुर दोनों जिलों में आता है और मेरा क्षेत्र कोसीकला और बलान कमला नदी से घिरा हुआ है जिसमें साल में से 8-9 महीना पानी रहता है। अगले साल भी बाढ़ जो आई, मेरे क्षेत्र में जितनी भी रोड थी, मकान थे, जहां कोई देख नहीं सकते हैं कि कहां पर गांव था और कहां घर था। इस तरह की समस्या आज भी हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि पुहियादर्जा का जो बांध है जो पुहियादर्जा 14 कि.मी. से जुटा हुआ है, जिसके चलते आज हमारे क्षेत्र में पानी साल भर जमा रहता है। यह मामला मैं शून्य काल में एक नहीं दो बार इस सदन में उठा चुका हूं। मैंने कहा था कि शेष 14 किलोमीटर छूटा हुआ जो भाग है, उसमें अविलम्ब बांध बांधा जाए, जिससे लाखों एकड़ जमीन जो पानी में डूबी रहती है, उसको निजात मिल सके। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है और वहां के किसानों को आप क्या राहत देना चाहते हैं? इसके अलावा वहां के लोगों को कृषि ऋण हर साल परेशान कर रहा है। एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है। एक तरफ राज्य सरकार का कहर है, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार का कहर किसानों पर ढहाया जा रहा है। इसलिए वहां के किसानों को ऋण से मुक्ति दिलानी चाहिए। मेरा जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, उसके बारे में मैंने कल भी सदन में जोरदार ढंग से मामला उठाया था। लेकिन मैंने देखा कि हमारे दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर जिस पर सरकार का अंकुश है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस चैनल में संसद समीक्षा में मेरा कहीं नाम नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें, नहीं तो मैं राजेश रंजन जी का नाम पुकारूंगा।

श्री रामचन्द्र पासवान: आप मुश्किल से हमें समय देते हैं और जब हम बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि जल्दी खत्म कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कालिंग एटेंशन का यही मतलब है कि एक स्पष्टीकरण पूछें।

श्री रामचन्द्र पासवान: मैं कहना चाहता हूं कि संसद समीक्षा को या बंद कर दिया जाए या यदि कोई सदस्य सदन में बोलता है तो उसका भी समाचार आना चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूली बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। मैं आपके संरक्षण में खड़ा हुआ हूं। यहां पर उप प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं। 56 वर्ष से नहीं, बल्कि सैंकड़ों वर्षों से बिहार के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। कई बार योजनाएं बनीं, लेकिन जब तक हाई डैम या नेशनल डैम जैसी चीज नहीं बनती या नेपाल से वार्ता करके समुचित कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उत्तरी बिहार के लोगों को बाढ़ की समस्या से निजात नहीं मिल सकती। केन्द्र सरकार को बिहार सरकार ने लिखित रूप में जो राहत देने की जानकारी दी है, उसको देखकर मुझे आश्चर्य होता है। मैं पिछले साल की अलाटमेंट की बात कहना चाहता हूं। भारत सरकार की गाइडलाइन है कि एक क्विंटल गेहूं या अनाज बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वहां कुल 25 किलो अनाज ही प्रति परिवार को दिया गया है। इसी तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि 200 रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे और इसके लिए केन्द्र सरकार ने 74 करोड़ रुपए वहां भेजे। लेकिन उसमें से केवल 14 करोड़ रुपए ही वहां पर बंटे हैं। बाकी का पैसा कहां गया, पता नहीं है। 79 लोगों के मारे जाने की बिहार सरकार ने खबर दी है, जबकि हकीकत यह है कि वहां 450 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा मात्र 300 लोगों को ही 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं,

जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि एक लाख रुपया दिया जाएगा। 300 लोगों को पैसा देने की सूचना लिखित रूप से दी है। जो आपने खाद, बीज सत्यापित करने का आग्रह किया था, अभी राम विलास पासवान जी बता रहे थे 3400 किलोमीटर रिंग बांध है, 13 साल के अंदर इस बांध की कोई मरम्मत नहीं की गई। नए बांधों का निर्माण करने की तो बात ही छोड़ दें। पिछले साल जहां बाढ़ आई थी, इस साल भी वहां आई है। इस वजह से बांधों में व्यापक रूप से क्षति हुई है और वे टूट गए हैं। अभी यहां सीतामढ़ी और सीवान की बात हो रही थी, कल मैंने मदन प्रसाद जायसवाल जी से बात की तो पता चला कि बेतिया, मोतिहारी में भी कमला-बलान, गंडक, महानंदा के अलावा कई नदियों में बाढ़ आई है। बिहार की आधी आबादी यानि चार करोड़ लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी गाइडलाइंस क्या हैं और वहां की सरकार ने क्या रिपोर्ट भेजी है। आपने 70 करोड़ रुपए के करीब वहां भेजे, लेकिन उसमें से केवल 14 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं, केवल स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं। उप प्रधान मंत्री जी, आप स्वयं पूरे देश को जानते हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हाई डैम की योजना थी, जो कई प्रधानमंत्रियों के समय से चली आ रही है, उस योजना का क्या हुआ? नेपाल से हमारा इस संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिए वहां पर बांध नहीं बने, जिसके कारण बालू और मिट्टी नहरों में आ गई और पानी का स्तर ऊपर हो गया। इस वजह से पानी पूरे एरिया में फैल गया, क्योंकि सिल्टिंग नहीं हो पाई है। इसलिए बिहार के बारे में कोई स्थाई समाधान सोचा जाए। हर साल हम लोग यहां राजनीति न करें, हर साल बाढ़ पर यहां न बोलना पड़े इसलिए हाई डैम बनाकर वहां की समस्या का समाधान किया जाए। मेरा यह कहना है कि बिहार सरकार जो राहत के बारे में असत्य प्रमाण और रिपोर्ट दे रही है, उसकी यहां से एक कमेटी द्वारा जांच कराई जाए। इसके अलावा जो किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके ऋण माफ किए जाएं। भारत सरकार कुछ उदार बने। बिहार के किसानों का ऋण माफ हो, क्योंकि किसान तो बाढ़ और सुखाड़ से मारे जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि वहां के लिए कोई स्थाई समाधान निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि कालिंग एटेंशन में नियम के अनुसार तीन सदस्यों का ही नाम है, लेकिन आज आखिरी दिन है और स्पेशल केस में मैं आपको भी मौका दे रहा हूं। आप सिर्फ स्पष्टीकरण पूछें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें भी एक प्रश्न पूछने का मौका दें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब इस पर डिबेट तो नहीं हो सकती।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विशेष तौर पर हमें इस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, गृह मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, 9 दिसम्बर, 2002 को संसद के सामने लाखों किसानों का मार्च हुआ था। इसी सवाल को लेकर चर्चा हुई थी। बिहार में छः महीने बाढ़ रहती है तो छः महीने सुखाड़ रहता है। उत्तरी बिहार की यह नियति हो गई है। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता कि राज्य सरकार से जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या राहत दी गई है और क्या सहायता हुई है। उप प्रधान मंत्री जी ने सदन को यह बात बताई है। माननीय रामविलास पासवान जी और राजेश जी ने आपको बताया कि क्या समस्या है, तो मैं समस्या पर नहीं, मैं कारण पर सवाल करना चाहता हूं। यहां पर वाटर-रिसोर्स मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि हमने 30 करोड़ रुपया स्थाई समाधान के लिए, डीपीआर बनाने के लिए, जो हाई-लेवल डैम होगा, उसके लिए दिये हैं। भारत सरकार का पत्र डीओ नं. 26-93-2002-ईआर मुझे मिला। इसमें कहा गया है कि सप्तकोसी का मामला, कोसी, बागमती, गंडक से पूरे उत्तर बिहार के 18 जिलों के साढ़े तीन करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अभी कोसी के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें आपने कहा है कि सप्तकोसी हाई लेवल डैम बहुद्देश्यीय परियोजना, सप्तकोसी स्टोरेज और डायवर्सन योजना के संबंध में संयुक्त योजना कार्यालय खोला जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है कि भारत और नेपाल के बीच अक्तूबर, 2001 में आयोजित संयुक्त विशेषज्ञ दल की चार बैठकों में सप्तकोसी हाई लेवल बहुद्देश्य परियोजना और सप्तकोसी स्टोरेज एंड डायवर्सन योजना के संबंध में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। क्या यह सही बात है कि अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय जांच कार्य शुरू करने और संयुक्त विस्तृत परियोजना शुरू करने के लिए एक संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और 7 ज्वाइंट कार्यालय नेपाल भाग में जहां वाटर इनकैचमेंट एरिया है खोलने का निर्णय हुआ था। आप कह रहे थे कि नेपाल और भारत की वार्ता क्या हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो वार्ता हुई हो उसके निर्णयों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। क्या यह बात सही है कि नेपाल के विराट नगर में डिविजनल कार्यालय चतरा, जनकपुर, बराय, कुरेल, लाहान और काठमांडु में संपर्क कार्यालय खोलने का निर्णय हुआ था। हम यह जानना चाहते हैं कि हाई लेवल डैम कोसी के संबंध में और बहुद्देश्य डैम सप्तकोसी हाई बांध और सप्तकोसी स्टोरेज और डायवर्सन का

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अध्ययन करने हेतु जो संयुक्त विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए क्या सरकार ने इस 10वीं योजना में 30 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है। यह कार्यालय कब स्थापित होगा क्योंकि 8 महीने हो गये हैं। इस कार्यालय के खुलने में विलम्ब क्यों हो रहा है। स्थाई समाधान के लिए, जेपीओ, डीपीआर बनाने के लिए जो पैसा दिया, क्या वह अब रिलीज हुआ है। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार और विशेषकर उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ से नुकसान होता रहा है। ऐसे अवसर पर हमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में विपक्ष के नेता होते थे और जो मुख्यमंत्री भी रहे, वे कहा करते थे कि जब तक भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार तीनों मिलकर इस बाढ़ समस्या का कोई निदान नहीं निकालती, तब तक बिहार की गरीबी, गारद और गुरबत मिटने वाली नहीं है। चाहे जमीन हो, खेती हो या आप सड़क बनाएं, पुल बनाएं, स्कूल बनाए, सब हर साल बर्बाद होती रहेंगी, अगर ये तीनों मिलकर कोई योजना नहीं बनाते हैं। महोदय, नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय देश है और हमारा मित्र है। नेपाल से आने वाली नदियों से बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के हिस्सों को नुकसान होता है। जिस तरह से भारत सरकार भूकम्प और तूफान से दूसरी जगह मदद करती है। हम समझते हैं कि यदि बिहार सरकार अपना सारा बजट लगा दें, तो भी बिहार सरकार के बूते की बात नहीं है कि वह इस समस्या का निदान कर दे। जब तक भारत सरकार नेपाल सरकार से कारगर ढंग से बात नहीं करेगी, स्थायी समाधान नहीं ढूंढेगी, तब तक जो क्षति होती है, उसकी भरपाई क्या भारत सरकार करना चाहती है?

दूसरी बात, गत वर्ष बिहार के मुख्य मंत्री ने सभी दलों के नेताओं के साथ प्रधान मंत्री जी से मिलने का काम किया था। हमारे मित्र, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी स्पैसिफिक कोसी नदी के बारे में प्रश्न उठा रहे थे। लेकिन उत्तर बिहार में गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक बूढ़ी गंडक, बागमती, अदवारा, कमलाबालान, फरेहा, महानन्दा, कोसी आदि ऐसा कोई भी तटबन्ध नहीं है, जो बाढ़ से क्षत-विक्षत नहीं होता है। इसलिए जब तक नेपाल सरकार से सामयिक रूप से डैम बनाने के लिए हाई-लैवल पर बात नहीं होगी, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। मैं कृषि विभाग की स्थायी समिति में भी हूं और वहां भी इस विषय पर बार-बार चर्चा होती है। उस प्रतिनिधिमंडल को प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि काठमाण्डु में इसके संबंध में सम्पर्क कार्यालय खोला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रगति हुई है? इस सदन में हम लोग बाढ़ की समस्या के सवाल को उठाते हैं और हम लोगों ने इस विषय पर सदन की कार्यवाही भी बन्द करने का भी काम किया है, लेकिन हमें कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। संयोग की बात है कि उप प्रधान मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि इस संबंध में ठोस कार्यवाही का आश्वासन बिहार की जनता को मिले। मैं श्री राम विलास पासवान जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को सदन में उठाया।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बिहार के सन्निकट है। बिहार हमारा निकटतम पड़ोसी है। इसलिए, बिहार में जो कुछ भी होता है उसका हम पर भी भारी प्रभाव पड़ता है और उसे हमें झेलना पड़ता है। महोदय, एक ओर बाढ़ की मार है तो दूसरी ओर भूमि कटाव को झेलना ही पश्चिम बंगाल की नियति है। भागीरथी नदी छोटानागपुर पठार के सम्पूर्ण जल को समेटने वाली एकमात्र निकास मार्ग है। दूसरी तरफ, फरक्का के ऐसे अतिरिक्त जल का निकास प्राय: इस मार्ग से किया जाता था। इसलिए, मुर्शिदाबाद नादिया और मालदह जिले बाढ़ और भूमि कटाव की बड़ी चपेट में हैं। यहां उप प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब गंगा नदी के मुख्य प्रवाह की प्रवृत्ति पगला और महानन्दा नदी में विलय की ओर है। इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में गंगा नदी के मुख्य प्रवाह का पगला में विलय हो जाएगा और यह फरक्का बैराज परियोजना को छोड़कर बांग्लादेश में बहने लगेगी। इस प्रकार, हमें निकट भविष्य में यह देखने को मिलेगा कि फरक्का बैराज बंजर व सूखी भूमि पर खड़ा रह जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा ही यह कहती रही है कि केन्द्र सरकार इसी राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। जब कभी हम बाढ़ और भूमि कटाव के संबंध में कुछ प्रश्न उठाते हैं तो वे हमेशा केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसके पास वांछित निधि नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव हेतु पिछले वर्ष राज्य सरकार को कितनी निधि आवंटित की थी। पद्मा और गंगा नदियों द्वारा भीषण भूमि कटाव की वजह से 4,000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है।

अब, वर्तमान में भूमि कटाव की वजह से प्रतिदिन एक के बाद एक गांव का अस्तित्व मिटता जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तथ्य को पहले ही स्वीकारा जा चुका है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ही पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों की इस चिरस्थायी समस्या के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका क्या स्पष्टीकरण है?

श्री अधीर चौधरी: मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव रखा है। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान जी और अन्य माननीय सदस्यों ने बाढ़ का विषय उठाया। यह एक बहुत अच्छा मौका है जब बिहार की पीड़ा के बारे में सभी सदस्य एक जैसी बात कह रहे हैं वरना इधर से कुछ कहा जाता था और उधर से कुछ और कहा जाता था। वहां हर साल बाढ़ आती है और यह वहां के लोगों की स्थायी पीड़ा है। इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। वहां की जन-आकांक्षा को पूरा किया जाए। रिजर्व बैंक की कुंवर सेन कमेटी इसकी जांच करने के लिए वहां गई थी। उसने जांच करके कहा कि चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से बिहार बरबाद होता है, इसलिए राज्य सरकार के बस में इस बाढ़ का समाधान नहीं है। भारत सरकार इसके स्थायी समाधान के लिए भारत-नेपाल समझौता सहित क्या कार्रवाई करेगी? आप इंटर-लिंकिंग आफ रिवर में लगे हैं। आप देश भर की नदियों को जोड़ रहे हैं। जो देश भर की नदियां होंगी, उनमें से कहां सरप्लस पानी है, कहां बाढ़ से बरबादी होती है, क्या उनका आपके पास कोई हिसाब-किताब है? सरकार को मालूम है कि बिहार में 10 लाख हेक्टेयर जमीन जल जमाव से पीड़ित है। इसे लेकर जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। उस जमीन में पानी भरा रहता है। वहां कोई फसल नहीं होती है। वहां मछली भी नहीं होती। इसके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की है? आप इस बारे में राज्य सरकार की क्या मदद करेंगे? बिहार में बाढ़ से हर साल बरबादी होती है, इनफ्रास्ट्रक्चर की बरबादी होती है, नेशनल हाईवे बरबाद होते हैं, आवागमन ठप्प हो जाता है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर के रास्ते चौपट हो जाते हैं और पुल टूट जाते हैं। जिन गरीबों के घर पानी में बह कर बरबाद हो जाते हैं, आपने उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की है? मैं ये संक्षिप्त सवाल इनसे पूछना चाहता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने हर वर्ष बिहार में बाढ़ से हो रही परेशानी के संबंध में अपनी चिन्ता जाहिर की है। यह चिन्ता पहली बार नहीं हुई है। जब भी संसद का मानसून सत्र चलता है तो बाढ़ के सीजन में हर वर्ष बिहार के सदस्य ही नहीं, दूसरे प्रान्तों जैसे बंगाल के सदस्य और इसके अलावा जहां-जहां बाढ़ आती है, वे उसे लेकर चिन्ता व्यक्त करते हैं। इसमें किस तरह की कठिनाई सामने आती है, इसका वर्णन लोगों ने किया है। उस कठिनाई की परिस्थिति में एक हास्यास्पद स्थिति यह सामने आती है कि एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, वैसी परिस्थिति में दूसरी तरफ राज्य सरकार, केन्द्र सरकार सहानूभुति के तौर पर बाढ़ की स्थिति देखने के लिए जब हैलिकाप्टर से भ्रमण करते हैं तो जब नीचे बाढ़ से पीड़ित लोग हैलिकाप्टर देखते हैं। वे लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हैलिकाप्टर में बैठे हुये नीचे के लोगों के मन की पीड़ा क्या जानें? बाढ़ से पीड़ित लोग कष्ट में हैं, वे आनन्द से हैलीकाप्टर में बैठे हुये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बाढ़ नहीं आये, इसके लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है, उसके स्थायी समाधान के लिये अभी तक जो प्लानिंग किया गया है, उसमें क्या-क्या तय किया गया है?

उपाध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि क्या नेपाल से इस संबंध में वार्ता हुई है। नारायणी नदी, जिसकी धार काफी तेज होती है, उससे कई जगह कटाव हो जाता है। बाढ़ के समय पानी बढ़ जाता है, बांध के किनारे रहने वाले लोग कट जाते हैं। इससे न केवल एक जिला बल्कि कई जिले प्रभावित रहते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, हम सवाल ही पूछ रहे हैं। केवल एक मिनट में पूछ लेते हैं। बाढ़ से लोगों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का काम होता है। ऐसी स्थिति में क्या केन्द्र सरकार बांधों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार से परामर्श कर कोई फार्मूला तय करेगी? दूसरे जो बांध टूटे हुये हैं, उनमें से पानी रिसता रहता है उनकी मरम्मती के लिये क्या बिहार सरकार ने कोई योजना केन्द्र सरकार को भेजी है या प्लानिंग कमीशन में योजना पैंडिंग है? क्या बिहार सरकार से बातचीत करके राज्य सरकार को केन्द्र सरकार पैसा मुहैय्या करायेगी? आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुये मुख्य बिन्दु की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहती हूं। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है और प्रदेश की करोड़ों रुपये की क्षति होती है। बिहार सरकार बाढ़ पीड़ित लगों की सहायता करने में सक्षम नहीं होती। जो राहत पैकेज पीड़ित लोगों को जाता है, वह उन्हें नहीं मिलता है। जैसे प्लास्टिक शीट की बात की जाये तो नियम इतना जटिल है कि लोगों को मिलता नहीं। मैं सरकार

[श्रीमती रेनु कुमारी]

से जानना चाहती हूं कि बाढ़ के स्थायी समाधान के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। प्रत्येक वर्ष बूढ़ी गंडक, कोसी से जमीन का कटाव होता है, किसानों की जमीन कटती है, उसे रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है? क्या हमारी सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करेगी। बाढ़ की स्थिति में किसानों का कर्ज माफ होना चाहिये जो नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं कि बिहार में हर वर्ष सुखाड़ होता है। उत्तर बिहार बाढ़ से पीड़ित है तो मध्य बिहार सुखाड़ से ग्रस्त रहता है। मैं उप प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उनके पास इन समस्याओं के समाधान के लिये क्या योजना है? अभी रघुवंश बाबू कह रहे थे कि हर साल 10 लाख हैक्टेयर भूमि जलप्लावित हो जाती है। बिहार पिछड़ा राज्य है, क्या सरकार बिहार की इन समस्याओं से निपटने के लिये कोई आर्थिक पैकेज जल्दी देने की कोशिश करेगी?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. नीतिश सेनगुप्ता, क्या आप अपने को इसके साथ सम्बद्ध करना भी चाहते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको स्पष्टीकरण संक्षेप में पूछना है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं संक्षेप में ही पूछूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जल जमाव और बाढ़ की यह समस्या जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हिस्से प्रभावित हो रहे हैं, जल विज्ञान व भू-विज्ञान संबंधी एक बड़ी घटना का हिस्सा है। आपको पता है कि 18वीं शताब्दी तक वास्तव में कोसी नदी ब्रह्मपुत्र में गिरती थी।

बाढ़ों के दौरान, कोसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और यह गंगा नदी में गिरने लगी। ठीक इसी प्रकार तीस्ता नदी गंगा में गिरती थी परन्तु अब ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती है। हमें भारत नेपाल और बांग्लादेश के जल-विज्ञानियों, भूविज्ञानियों और अन्य विशेषज्ञों की मदद से एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इसका स्थायी समाधान खोजा जा सके क्योंकि खंडों में समाधान खोजने से समस्या नहीं सुलझेगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों की बाढ़ की विभीषिका से प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों हैक्टेयर भूमि के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जन-धन की क्षति हो रही है। 13वीं लोक सभा में आदरणीय जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ की चर्चा का जो उत्तर दिया था, उसमें कहा था कि भारत और नेपाल का एक संयुक्त कार्य दल गठित करके नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों की बाढ़ की विभीषिका से बचने का इंतजाम किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उस संयुक्त कार्य दल का अब तक क्या परिणाम रहा है और क्या आपने कोई कार्य योजना बनाई है।

मैं एक दूसरी बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1998 में जब गोरखपुर रीजन में बड़े पैमाने पर बाढ़ की भयंकर विभीषिका आई थी तो आदरणीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गोरखपुर आये थे और उन्होंने स्वयं जनता से वायदा किया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किया जायेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनता से जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने की दिशा में क्या आपने कोई कार्य योजना बनाई है।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री राम विलास पासवान जी द्वारा लाया गया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। माननीय उप प्रधानमंत्री जी से बाढ़ की समस्या पर माननीय सदस्यों द्वारा जो क्लेरिफिकेशंस पूछे गये हैं, उनसे हम भी अपनी भावनाएं जोड़ना चाहते हैं। हमारी पीड़ा यह है कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, मुख्य रूप से वह बाढ़ प्रभावित इलाका है। नेपाल से जो कोसी नदी निकलती है, वह सबसे पहले हमारे निर्वाचन क्षेत्र सुपौल और सहरसा से गुजर कर गंगा में और फिर समुद्र में मिलती है। हम माननीय उप प्रधान मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बाढ़ की समस्या के निदान के लिए जब भी यहां चर्चा होती है तो सरकार की तरफ से बताया जाता है कि हम यह-यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो निर्णय होता है, उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ठोस योजना सरकार बनाये और बाढ़ के स्थायी निदान के लिए हाई डैम सप्तकोसी पर बने। इस दिशा में सरकार क्या कर रही और इस समस्या का निदान सरकार जल्द से जल्द कब तक करेगी? क्या इस संबंध में सरकार ने कोई ठोस निर्णय लिया है, यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार चौधरी इस मुद्दे पर बोलने वाले अंतिम माननीय सदस्य होंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं अंतिम वक्ता हूं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ-साथ श्री राम विलास पासवान जी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह गंभीर विषय आज सदन में रखा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह बाढ़ से प्रभावित इलाका है। गंगा, कोसी, कमला, महानंदा और गंडक इन सारी नदियों में आने वाली बाढ़ की त्रासदी से बिहार हर साल परेशान होता है। लेकिन सरकार द्वारा जो भी राहत दी जाती है, उसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकारी राहत का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन नदियों के कारण वहां कटाव भी हो रहा है और कटाव ने वहां लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। यदि प्रभावित लोगों को देखें तो पता चलता है कि जो कल तक अच्छी स्थिति में थे, आज वे भिखारी बनकर सड़क पर घूम रहे हैं। कटाव में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके निदान के लिए आज तक राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिये, भाषण मत कीजिए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में राज्य सरकार ने कोई निर्देश जारी किया गया है या उसके साथ बातचीत करके इसका कोई समुचित हल निकालने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। जो पैसा कटाव में निदान के लिए दिया जा रहा है, क्या उससे वहां कोई कटाव निरोधी कार्य होने की योजना है। यही मेरा प्रश्न है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: इस पर बोलने का मुझे भी मौका मिल जाता तो अच्छा होता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, यह बिहार में बाढ़ के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया समझने की कोशिश करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, बिहार के बाहर वाले माननीय सदस्य भी इस मुद्दे पर बोले हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): यह आज का पेपर है जिसमें लिखा है कि गोपालगंज और मधुबनी में रैड एलर्ट घोषित किया गया है। आज उस जगह की यह स्थिति है जहां मुख्य मंत्री का घर भी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कृपया माननीय उप प्रधानमंत्री जी की बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन आपका आभारी रहेगा कि आपने विषय की गंभीरता को पहचानकर परंपरा से हटकर भी न केवल जिन तीन माननीय सदस्यों ने इस ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी, उनको, किंतु और भी कई सदस्यों को चिन्ता प्रकट करने का अवसर दिया। उन सबका सार चिन्ता थी। अधिकांश जो सदस्य बोले, मैंने देखा कि 12 सदस्य बोले, उनमें से दो बंगाल के थे, एक उत्तर प्रदेश के थे और बाकी प्राय: बिहार के थे। असम के एक सदस्य बोलना चाहते थे, वह नहीं बोल पाए। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर कोई दो प्रांत जो प्रतिवर्ष बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वे बिहार और असम हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: पश्चिम बंगाल सहित। *...(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मुझे यह पता है। मैं सिर्फ उन राज्यों की बात कर रहा हूं जो सर्वाधिक प्रभावित हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: यह एक चिरस्थायी समस्या है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय उप प्रधानमंत्री की बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: सबका ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि बाढ़ से स्थायी मुक्ति कैसे मिले। बाढ़ के लिए राहत

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार देती है, प्रदेश सरकार भी देती है। उसके जो आंकड़े मैंने दिये हैं, वे स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश सरकार से मुझे मिले, वही मैंने दिये हैं। उनको भी चुनौती दी गई है। हमारे पप्पू जी ने कहा कि ये आंकड़े सही नहीं हैं। मुझे लगता है कि गलत नहीं होंगे—खासकर मरने वालों की संख्या। कोई ऐसा नहीं करेगा कि 300-400 लोग मर जाएं और वे केवल 79 बताएं। ऐसा नहीं होता। पिछले साल बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। मेरे पास चार सालों के जो आंकड़े दिये गये हैं, उसमें 2003 में 79 का आंकड़ा है लेकिन पिछले साल 2002 में बिहार सरकार ने बताया है कि 451 लोग मारे गए। इसलिए उसमें कहीं मतभेद हुआ होगा और आप जिनको इस साल का गिनते होंगे, वे पिछले साल के होंगे, लेकिन इसमें असत्य नहीं होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो आंकड़े प्राय: वहां से भेजे गये हैं और जो मैंने सदन के सामने रखे हैं, वे सही हैं। लेकिन यह बात सही है और इसकी चिन्ता होनी चाहिए कि इससे स्थायी मुक्ति कैसे हो।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: एक छोटी सी बात मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: राजेश रंजन जी, आप प्लीज बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी ने काफी गम्भीर प्रश्न उठाए हैं। माननीय उप प्रधान मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आंकड़ा गलत दिया है और रुपये कम दिये हैं। उसकी जांच करवा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैं पता लगवा लूंगा। आपने कहा है तो मैं जरूर उसके बारे में भी जानकारी करने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं जानता हूं कि 1974 में, आज से लगभग 30 साल पहले, एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना था, जिसने बहुत सी सिफारिशें की। उन सिफारिशों को हरेक स्टेट को भेजा गया है। यह बात सही है कि हमारी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत बाढ़ के मामले को अब तक प्रमुखता से आज भी जल संसाधन मंत्रालय देखता है, लेकिन जहां भी संकट आता है, आपदा आती है, तो आपदा निवारण कोष से मदद ली जाती है। इससे पहले भी आपदा निवारण की जितनी समस्याएं होती थीं—सूखा, बाढ़ या भूकंप, वे सब की सब हमारा कृषि मंत्रालय देखता था। लेकिन दो वर्षों में चिन्ता और विचार करके यह निर्णय हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्य स्थायी रूप से हो और इसे गृह मंत्रालय के पास रखा जाए। इसलिए पहली बार मैं बाढ़ के विषय पर उत्तर दे रहा हूं क्योंकि आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमारे यहां एक डिपार्टमेंट स्पेश्यली बनाया है और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल जब आपदा आए, तब उसका निवारण करें, उसके बजाय आपदा को एंटीसिपेट कर के एक स्थाई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका अनुभव, गुजरात को होने के कारण, वहां आए भूकम्प के बाद हुआ। हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। इसलिए भूकम्प के बाद हमें जो करना चाहिए था, वह भी हम नहीं कर सके। हमने अपने कुत्तों को सिर्फ यह प्रशिक्षण दिया था कि कहां पर गांजा है, कहां पर भांग है और कहां पर चरस है, इसकी पहचान करके हमें बताएं। हमने अपने कुत्तों को यह प्रशिक्षण नहीं दिया कि कहीं यदि कोई आदमी जीवित दब गया है, तो उसकी वे पहचान बता सकें कि यहां आदमी दबे होने की संभावना है। इसलिए हमें ऐसे कुत्ते स्विटजरलैंड से मंगाने पड़े। वे इस बात के अभ्यस्त थे कि कहां आदमी दबा पड़ा है। वहां बर्फ काफी गिरती है। बर्फ में जीवित आदमी दब जाते हैं। वहां कुत्तों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बर्फ में जाकर खोजें कि आदमी कहां-कहां दबे हैं। अब हमने भी अपने यहां कुत्तों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया है। अब हम अपने यहां डिजास्टर मैनेजमेंट बनने के कारण कई चीजें कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए जब मुझे कल काल अटेंशन की सूचना मिली, तो उसी समय मैंने अपने साथी मंत्री, जो कि जल संसाधन मंत्रालय संभालते हैं, जो इससे पहले जवाब भी देते रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप भी सदन में आइए, क्योंकि खासतौर से बिहार के संबंध में, लोग अवश्य पूछेंगे कि नेपाल से हमारी क्या बातचीत हुई है और बातचीत के आधार पर जो कार्यान्वयन होना है और आगे के बारे में हमने क्या सोचा है, उसके बारे में आप बता सकें। महोदय, यदि आपकी अनुमति हो और सदन चाहे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसके बारे में जवाब दें।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य विशेषकर श्री राम विलास पासवान ने बिहार में आई बाढ़ की समस्या तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों

ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे अन्य विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ की समस्या के मुद्दे को उठाया है। मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार व पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने इन राज्यों से आने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य को एक पत्र लिखा है जिसमें जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इन राज्यों के लोगों के कष्टों का निवारण करने हेतु उठाए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा दिया गया है। मुझे यकीन है कि इनमें से सभी ने पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया होगा। हमने इस पत्र में बाढ़ों और नदी तटों के अपरदन की वजह से होने वाली तकलीफों को कम करने हेतु अपने द्वारा उठाए कदमों का ब्यौरा दिया है।

माननीय सदस्यगण, श्री राम विलास पासवान, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री राम चन्द्र पासवान और अन्य सदस्य जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, ने सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट उपायों के बारे में जानना चाहा है और पूछा है कि इस देश में बाढ़ और सूखे की इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे ढूंढा जाएगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय उप प्रधानमंत्री तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना में अभिरूचि दिखाई है। हमारे मित्र, डा. रघुवंश प्रसाद यादव ने व्यंगात्मक ढंग से कहा कि—'आप नदियों को आपस में जोड़ने की बात सोच रहे हैं और जहां तक बिहार और अन्य भागों में बाढ़ व सूखे का प्रश्न है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं'। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री एक बार नहीं बल्कि अनेक बार कह चुके हैं तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय उप प्रधान मंत्री ने भी अनेक बार कहा है कि जब तक हमारे पास इस प्रकार की परियोजना नहीं होगी, तब तक इसके कार्यान्वयन में यूं ही वर्षों-वर्षों का समय लगता रहेगा। इसके लिए काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी, इस परियोजना के बगैर इस देश में किसी बाढ़ और सूखे की समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता है।

श्री अधीर चौधरी: यह अभी भी विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा, राज्य आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हो रहे हैं। सभी राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में कर रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: कृपया मेरी बात सुनें। आपने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, हां, उन्होंने भारत सरकार को निर्देश भी दिया है।

श्री अधीर चौधरी: परन्तु, राज्य इस पर सहमत नहीं हो रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: इसलिए, स्थायी समाधान हेतु पूरी सरकार मेरा मंत्रालय और अन्य मंत्रालय, इन योजनाओं में समन्वय स्थापित कर रही है ताकि इसका शीघ्र कार्यान्वयन हो सके और इस समस्या से निपटा जा सके।

श्री अधीर चौधरी: यह एक आदर्श कल्पना है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: आप इसे आदर्श कल्पना कह सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी जी। चर्चा के लिए एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: यदि हम इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के प्रति गंभीर हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण में गंभीर होना चाहिए और इस पहलु पर विचार करने के प्रति गंभीर होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि बहुत ही कम समय में इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। लेकिन, अन्ततः हमारे समक्ष एक मात्र यही समाधान है।

महोदय, जहां तक बिहार का संबंध है, श्री पासवान ने कई प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि मोकामा ताल के संबंध में क्या किया गया है, और मोकामा ताल, बिहार की ड्रेनेज समस्या का किस तरह समाधान कर रहे हैं? इसी प्रकार उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि सरकार ने सनकोसी, गंडक, कमला, बागमती आदि के बाढ़ नियंत्रण के संबंध में क्या उपाय किए हैं?

महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि नेपाल सरकार के साथ हमारी लगातार बातचीत जारी है क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि ये नदियां नेपाल से निकलती हैं। अतः जब तक नेपाल सरकार के साथ समन्वय अथवा कोई करार नहीं होता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन चरण सेठी: आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसी कारण कहता हूं कि आप धैर्य रखें।

श्री अर्जुन चरण सेठी: वह बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है। मेरे पास सभी ब्यौरे हैं। मैं निश्चित रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह बीच में टोका-टाकी न करें।

[अनुवाद]

एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। मुझे उस पर भी चर्चा करानी है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, मैं आपसे उन उपायों को पढ़ने की अनुमति चाहता हूं जिन्हें बिहार के बावत स्थायी समाधान के लिए किया गया है।

महोदय, उन्होंने सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सनकोसी भंडारण एवं मार्ग परिवर्तन योजना के बारे में पूछा है कि क्या नेपाल में इस बार कार्यालय खोला गया है अथवा नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

नेपाल में क्षेत्र परीक्षण के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसकी अनुमानित लागत 29.34 करोड़ रु. है, तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे पीआईबी समिति की 3 फरवरी, 2003 की बैठक में अनुमोदनार्थ रखा गया था और इसे अनुमोदन मिल गया है।

इस मंत्रालय के दिनांक 1 मार्च, 2003 के आदेश के जरिए इस योजना को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी दी गई। संयुक्त परियोजना कार्यालय में भारतीय कार्मिकों की पुन: नियुक्ति और उनके वेतन तथा भत्ते के लिए दिनांक 24 अप्रैल, 2003 और 1 जुलाई, 2003 को आदेश जारी किए गए हैं।

विराट नगर में सनकोसी और सप्तकोसी पर संयुक्त परियोजना कार्यालय और काठमांडु में सम्पर्क कार्यालय शुरू होने के दिनांक 30 माह तक अथवा डीपीआर के पूरा होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक कार्य करेगा। धारण और जनकपुर स्थित मंडल कार्यालय तथा विराटनगर, छपरा, कुरूल और लाहन में उप मंडल कार्यालय शुरू होने की तिथि से क्रमश: 24 और 18 माह तक कार्य करेंगे।

ये वे उपाय हैं जो शुरू किए गए हैं और इनसे आप यह कल्पना कर सकते हैं कि हम इन कार्यालयों को खोलने और सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना शुरू करने के लिए कितनी शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं।

क्षेत्र अन्वेषण और अध्ययन करने के लिए संयुक्त रूप से कुल 142 अधिकारियों की आवश्यकता पर सहमति हुई थी जिसमें नेपाल से 100 और भारत के 42 अधिकारी होंगे।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 1981 में तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ, 3,300 मेगावट प्रतिष्ठापित क्षमता सहित 269 मीटर ऊंचा बांध होगा और भारत तथा नेपाल दोनों को सिंचाई क्षेत्र में लाभ होगा। इस परियोजना की लागत 1981 के मूल्य आधार पर 4,074 करोड़ होने का अनुमान था जो अब 24,600 करोड़ रुपए हो गई है इसके अतिरिक्त कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना में सनकोसी मार्ग परिवर्तन योजना भी शामिल है।

सप्तकोसी संयुक्त विशेषज्ञ दल की पांचवीं बैठक 24-27 जून, 2003 को हुई थी जिसमें संयुक्त परियोजना कार्यालय अगस्त, 2003 तक खोलने पर सहमति हुई थी। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में एक करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने इन दो नदियों अर्थात् सप्तकोसी और सनकोसी के संबंध में ये विशेष उपाय किए हैं। हम कमला-बागमती के संबंध में भी इसी तरह के उपाय कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: बागमती के संबंध में क्या किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री झा, मुझे दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी मिला है जिस पर चर्चा की जानी है। आप उनकी बात क्यों सुन रहे हो?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, उनका उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सत्य है, लेकिन उन्हें उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को कम्पलीट करने दें, उसके बाद सवाल पूछें।

[अनुवाद]

श्री रघुनाथ झा: गंडक और बागमती के बारे में क्या किया है?

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद चर्चा के लिए एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: जहां तक बूढ़ी और गंडक का संबंध है, इस बारे में नेपाल के साथ बातचीत चल रही है। एक संयुक्त दल का गठन किया गया है जो चर्चा करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए शीघ्र ही नेपाल का दौरा करेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, हम जानना चाहते हैं कि यह बातचीत का सिलसिला तो लगातार चल रहा है, क्या कोई अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने दिन वार्ता के बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, वार्ता तो आजादी के बाद से चल रही है, इसका रिजल्ट निकलने की सम्भावना कितने दिन में बन सकती है।

[अनुवाद]

डा. नितिश सेनगुप्ता: पुणे में बहुत अच्छा जल-विज्ञान अनुरक्षण केन्द्र है।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सेनगुप्ता यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और इसे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में नहीं बदला जा सकता है। समय की दृष्टि से भी इसकी एक सीमा है। आज के लिए एक और ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। यह कैसे शुरू होगी। मैं आज अन्तिम दिन होने के कारण माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो जानकारियां मांगी हैं और उन मुद्दें पर आपने जो भी कार्यवाही की है, उसे लिखित में दें। अन्यथा, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आज की कार्यवाही सूची में एक और ध्यानाकर्षण सूचना है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: देश में विभिन्न राज्यों के बीच एक मत होने में महीनों नहीं वर्षों लग जाते हैं, यहां हम एक अन्य देश नेपाल से चर्चा कर रहे हैं। अत: सहमति पर पहुंचने में निश्चित ही कुछ समय लगेगा। जब देश में विभिन्न राज्यों के मध्य मतैक्य होने में समस्या होती है, अत: दूसरे देश के साथ मतैक्य होने में निश्चित तौर पर विलम्ब होगा।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है "कमला और बागमती के बारे में क्या किया है?" जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है। उनकी कुछ आशंकाएं हैं और हम अभी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। परन्तु अभी भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है।

श्री राम विलास पासवान: जल भराव के बारे में क्या किया है?

श्री अर्जुन चरण सेठी: माननीय सदस्यगण आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह विषय प्राथमिक रूप से राज्य सूची में है।

श्री राम विलास पासवान: परन्तु आप मेरे मित्र हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: मैं आपका मित्र हो सकता हूं परन्तु यह राज्य सरकार को ही इस प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। जब तक वे प्रस्ताव की पहल नहीं करते तब तक मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान: क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है?

श्री अर्जुन चरण सेठी: विशेषकर मोकामा ताल के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं मोकामा ताल में एक लाख हेक्टेयर में जलभराव की बात नहीं कर रहा हूं जो श्री नीतिश कुमार के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है किन्तु मैं नौ लाख हेक्टेयर में जलभराव की बात कर रहा हूं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: उन्होंने अभी तक कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। बिहार सरकार की ओर से हमारे पास एक ही प्रस्ताव आया है और वह प्रस्ताव मुकामा ताल के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, सदस्यों ने जो भी विवरण मांगे हैं उन्हें आप बाद में लिखित में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, वाटर लागिंग खत्म करने के लिए क्या आपके पास कोई योजना है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: मैंने पहले ही कहा है कि यह काम राज्य सरकारों का है। उन्हें प्रस्ताव के बारे में पहल करनी होती है; उन्हें आकलन करना होता है। यदि वे प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, आप माननीय सदस्यों द्वारा मांगे गए विवरण लिखित रूप में भेज सकते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। जहां तक पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में नदियों के तटों के कटाव का संबंध है, तो पटना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का कार्यालय है। वे लगातार निगरानी कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गई है?

उपाध्यक्ष महोदय: वह आपके पास लिखित सूचना भेजेंगे।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, कृपया उनसे ऐसा करने को कहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही उनसे ऐसा करने को कह चुका हूं। मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें लिखित में भेजें।

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल बिहार के बारे में है। तथापि, अनेक सदस्यों ने अन्य मुद्दे उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक सदस्यों ने नहीं, चार-पांच सदस्यों ने ही अपने मुद्दे उठाए हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, नदियों की समस्या बिहार तक ही सीमित नहीं है। यह सर्वव्याप्त मुद्दा है *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी: बेहतर है कि आप राज्य सरकार से सम्पर्क करें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राम विलास पासवान जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया है फिर आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, फुहया दरजिया के बारे में मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके बाकी प्रश्नों का जवाब लिखित में आ जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या-22,—श्री चन्द्रकांत खैरे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री खैरे जो कहेंगे उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अपराह्न 3.18 बजे

(दो) फतेजा फोरजिंग एण्ड आटो पार्ट्स कंपनी, औरंगाबाद पर बैंक की बकाया भारी राशि से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:-

> ''फतेजा फोरजिंग एण्ड आटो पार्ट्स कम्पनी, औरंगाबाद पर बैंक देयों की बकाया भारी राशि से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी शिवसेना के श्री चन्द्रकांत खैरे जी ने कालिंग अटैंशन का नोटिस दिया है, उस पर जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सम्माननीय खैरे जी हमेशा अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में सतर्क रहते हैं। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में फतेजा ग्रुप्स आफ कम्पनी की आज की स्थिति और उसका जो गलत व्यवहार है, उसके बारे में गवर्नमैंट क्या एक्शन लेना चाहती है, यह पूछा है। फतेजा ग्रुप्स आफ कम्पनी, फतेजा ब्रदर्स फोरजिंग एण्ड स्टैम्पिंग लि. एवं फतेजा फोर्जिंग एंड आटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लि. कम्पनीज दो और चार पाहियों वाली गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं। यह कम्पनी 1968 में स्थापित हुई और 1980 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के नाम से चलने लगी। शुरू में कम्पनी ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में गठित *...(व्यवधान)*

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): पार्लियामैंट इनडिवीजुअल कम्पनी डिसकस कर रही है। *...(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: ऐडमिट किया गया है तो लेना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, घोटाला हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: घोटाला हुआ है, यह सही बात है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये का गबन किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं, आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: मेरे पास करोड़ों रुपये के गबन का ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए यहां कालिंग अटैंशन ऐडमिट किया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दस मिनट बाकी हैं और मैंने अभी प्रश्न भी नहीं पूछे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछेंगे। हमने इसे इसीलिए टेक-अप किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, क्या पार्लियामैंट इन्डिवीजुअल कम्पनी को डिसकस कर सकती है? ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। आप मैम्बर नहीं मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: खैरे जी, आप अपना समय खुद बर्बाद कर रहे हैं। आप शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय कृपया उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में गठित जो बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियां हैं, उनसे उन्होंने वर्किंग कैपिटल के तौर पर कर्जा लिया। 1995-96 तक यह कम्पनी अच्छी चली, यहां तक कि उन्होंने डिवीडैंड भी दे दिया। लेकिन बाद में आर्गनाइजेसन और एक्सपैंशन के नाम पर शेयर्स के माध्यम से, प्रमोटर्स की राशि के माध्यम से और कुछ संस्थाओं के टर्नओवर के माध्यम से, यहां तक कि नान-बैंकिंग फाईनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स से ज्यादा ब्याज पर कर्जा लिया। उसी दिन से उस कम्पनी की हालत खराब होनी शुरू हो गई। ज्यादा रेट पर ब्याज, प्राईवेट फाईनैंशियल कम्पनी की बारोइंग्स में भी ज्यादा रेट देना पड़ा। मिसमैनेजमैंट होने लगा और कम्पनी लास में जाने लगी। मैंने 206.30 का जो उद्धृत किया, कम्पनी ने उस समय पूरा खर्चा किया। उसी समय दुर्भाग्य से आटोमोबाइल इंडस्ट्री में मंदी का दौर चालू था। इस सबका बुरा असर कम्पनी के ऊपर पड़ने लगा और कम्पनी 1996-97 में 167.30 करोड़ रुपये के नुकसान में चली गई। सालों से लगातार नुकसान का सिलसिला चालू रहा। 1999 में कम्पनी पूरी तरह बंद हो गई। इस कम्पनी ने 1997 में बीआईएफआर में दावा दाखिल किया और 24 मार्च, 1999 में बीआईएफआर ने कम्पनी को सिक घोषित कर दिया। ...*(व्यवधान)* व्यवस्थापन की तरफ से कम्पनी अपील में गई लेकिन अपील में उसका दावा खारिज किया गया। फिर भी अखबार में आईसीआईसीआई जो इंस्टीट्यूशन है, उनका एडवर्टाइजमेंट देकर मैनेजमेंट में बदलाव करने की सूचना दी लेकिन कोई रेस्पांस नहीं मिला, कोई आगे नहीं आया। बाद में यह कंपनी बंद तो थी। फिर मैनेजमेंट और आईसीआईसीआई दोनों मिलकर कोई अच्छा प्रस्ताव दें, वह भी बीआईएफआर ने सुझाव दिया लेकिन कोई प्रस्ताव ठीक नहीं आया और इसलिए वह कंपनी की बाइंडिंग करनी पड़ी। कंपनी के जो भी प्रमोटर्स थे, उनके ऊपर बहुत से क्रिमिनल केसेज मिस-मैनेजमेंट के नाते जो बहुत से बैंक हैं, उनका पैसा नहीं दिया, इसलिए भी क्रिमिनल केसेज, फिर उन्होंने जो चैक नहीं दिये तो उस बारे में क्रिमिनल केसेज यहां तक कि आईएफसीआई ने उनके खिलाफ दावा दाखिल किया। आईसीआईसीआई बैंक ने भी दावा दाखिल किया और बैंक आफ इंडिया की जो सिंगापुर ब्रांच है, वह सिंगापुर ब्रांच इसी कंपनी ने 12.5 मिलियन यू.एस. डालर का लोन पास करके ली थी और मशीनरी खरीद करने के लिए एलाउंस के तौर पर जो राशि ली थी, वह उन्होंने दूसरी जगह खर्च कर दी और इसलिए सीबीआई के पास बैंक आफ इंडिया ने दावा दाखिल किया। यह आज की कंपनी की स्थिति है। मैं तो जानता हूं कि खैरे जी क्या चाहते हैं कि 4500 से ऊपर वर्कर्स की उन्हें चिंता है। यहां तक कि आज तीन सालों से, चार

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल]

सालों से कंपनी बंद हुई है और उनके वर्कर्स को कोई सैलरी नहीं मिली है। उनके प्रोवीडेंट फंड का भी कुछ उनके हिसाब से अफरा-तफरी हुई है। एक बात यह भी है कि सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई है और कुछ दिनों में उसका भी परणिाम सामने आ जाएगा। आज सरकार के पास जो भी सूचना है, वह रिजर्व बैंक से ली है। धन्यवाद।

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह कालिंग अटैंशन इस समय भी आपने ली, उसके पहले बिहार के सारे मित्रों की एक बहुत बड़ी समस्या थी। ...*(व्यवधान)* सर, दस-पन्द्रह मिनट तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि उसका कारण है कि इतना बड़ा स्कैम है। हम सारे सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं और अगर अखिलेश सिंह ने एकाध बैंक के मैनेजर को बोला कि अनएम्पलाइड बच्चा है, इसको 50,000 या एक लाख रुपये का लोन दीजिए लेकिन बैंक लोन नहीं देते हैं। हम सौ बार चक्कर लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं देते हैं। मेरा सवाल यह है कि बैंक वालों ने करोड़ों रुपये लिये तो उसका कुछ तो होना चाहिए। यह कंपनी मेरे चुनाव क्षेत्र में है। 300 कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे और 2001 में यह लाक-आउट हो गई। इस कंपनी के लाक-आउट होने के बाद जो वर्कर्स का प्रोवीडेंट फंड झगड़ा चल रहा था और डिप्टी लेबर कमिश्नर के साथ भी चर्चा हो रही थी लेकिन कुछ भी पैसा मुआवजे के तौर पर या रिम्युनिरेशन के तौर पर कंपनी के कर्मचारियों को नहीं मिला और बाद में प्रोवीडेंट फंड के भी 46 लाख रुपये ड्यू होने के बाद कंपनी के लाक-आउट होने के बाद एक सील लगा दी गई कि हमारे जो ड्यूज बाकी हैं और आप डिफाल्टर हो गये हैं, इसलिए सील लगा दी लेकिन सील लगाने के पहले भी कंपनी ने ऐसी कोशिश की और 1997 में कंपनी का हालत खराब हो गई। इसमें लिखा है:

[अनुवाद]

> "1997 से इस कंपनी समूह ने संस्थाओं को धनराशि का भुगतान करने में चूक करनी शुरू की। वित्तीय कुप्रबंधन और अनुशासनहीनता,..."

[हिन्दी]

दूसरी जगह से जो पैसा लिया, वह भी नहीं दिया। इस तरह इनकी तरफ बहुत सा पैसा ड्यू है। 121 करोड़ रुपए आईडीबीआई के आउटस्टैंडिंग हैं। पी.एन.बी. जो लीड बैंक है, पता नहीं कैसे उसने इनको सारा पैसा दिलाया। फतेजा के जो मालिक हैं, लगता है वह सी.एम.डी. के रिश्तेदार होंगे। आईसीआईसीआई का 115 करोड़ रुपया, आईएफसीआई का 89 करोड़ रुपया, स्टेट बैंक का 21 करोड़ रुपया, बैंक आफ इंडिया का 54 करोड़ रुपया बाकी है। कुल मिलाकर उस पर आज भी 500 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग हैं। वहां की क्या परिस्थिति है, यह मैं बताना चाहता हूं। जब बैंक आफ इंडिया ने सीबीआई को शिकायत की, तो सीबीआई और वर्कर्स जब मालिक को ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला। वह मशीनरी को स्क्रैप बताकर बेचकर जा रहा था। उसको रोकने के लिए जब इंडस्ट्री के वर्कर्स गए, तो वह नहीं मिला। वे लोग फिर कोर्ट में गए। उसके बाद प्रोविडेंट फंड की तरफ से वहां सील लगा दी गई। लेकिन वह सील तोड़कर 100 करोड़ रुपए का स्क्रैप 35 लाख रुपए में फर्जी पेपर बनाकर सेल कर गया। अम्बिका स्क्रैप सेंटर जो पुणे की है, उसको फतेजा के मालिक ने चिट्ठी लिखी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या इस चर्चा का समय पन्द्रह मिनट तक बढ़ाने की सभा की अनुमति है?

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही के समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल पन्द्रह मिनट की आवश्यकता है। चर्चा शुरू करने के बाद हमें इस चर्चा को समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में प्रस्ताव यह आना चाहिए कि पी.एन.बी. में जो आज बिल हैं, वे नहीं आ सकते। आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए एक घंटे के लिए शून्य काल ले लें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमें भी जीरो आवर में बोलना है इसलिए सभी को थोड़ा-थोड़ा समय दें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अब गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त कोई और मद नहीं ली जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां।

अत: इस चर्चा हेतु समय पन्द्रह मिनट बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): 377 का क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद वह ले करेंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे: उसके ऊपर बैंकों का 500 करोड़ रुपया देना बाकी है। प्रोविडेंट फंड का भी 46 लाख रुपया बाकी है। इसके अलावा इम्प्लाइज के भी पैसे ड्यू हैं। उसने जो कम्पनी की मशीनरी स्क्रैप में बेची, वह 100 करोड़ रुपए की थी, जबकि उसने फर्जी पेपर बनाकर उसे केवल 35 लाख रुपए में बेच दिया। वहां की पुलिस और अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे रहे और उसे जाने दिया। जब कम्पनी का स्क्रैप बाहर जा रहा था और वहां जो प्रोविडेंट फंड की सील लगी थी, वह भी तोड़ दी गई, तब वहां के वर्कर्स उसके ट्रक के आगे लेट गए और कहा कि हमारा पैसा दो, तुम कैसे स्क्रैप ले जा रहे हो। कोर्ट के आर्डर के बावजूद वह लेकर गया और फर्जी पेपर बनाए। उस फर्जी पेपर में लिखा है,

[अनुवाद]

"उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हमने यह कवाड़, केवल तार आदि बेचे हैं। कुल कबाड़ 700 टन है।"

[हिन्दी]

इतना बड़ा स्क्रैप जो 100 करोड़ रुपए का था, उसने मात्र 35 लाख रुपए में दे दिया। फर्जी पेपर बनाकर सिग्नेचर करने वाला फतेजा मालिक का आदमी है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने आईडीबीआई का बिल पास किया है। बैंकों की कार्य प्रणाली के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर किसी पर बैंक का 25,000 रुपया बाकी है, तो वह वसूल कर लिया जाता है। बैंक से संबंधित विभाग के मंत्री हमारे दल के हैं। लेकिन मैं बैंकिंग मिनिस्ट्री पर आरोप लगाना चाहता हूं कि एक लाख रुपए लोन लेने हों तो बैंकों को 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप बैंकिंग मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं?

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। मान लीजिए कोई मिडिल क्लास का उद्योगपति है। उसकी पांच करोड़ रुपए या दस करोड़ रुपए की वर्किंग केपिटल है तो उसे आसानी से लोन नहीं मिलता। यदि कोई थ्री डिजिट में या फोर डिजिट में यानी 100 करोड़ रुपए या उससे ऊपर लोन लेना चाहे तो उसको लोन सेंक्शन हो जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर किसी बैंक को फोन करके यह कहते हैं कि यह बच्चा गरीब है, इसे लोन दे दो, तो भी वे उस बच्चे को लोन नहीं देंगे। बैंक के आफिसर्स को मालूम था कि बैंक ने पैसे देने हैं और वहां सील भी लगी हुई थी लेकिन ये जो पांचों बैंक हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं रही।

सर, मेरी मांग है कि इसी प्रकार की कई कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार के पैसे डुबा दिये, जनता के पैसे डुबा दिये। इनके ऊपर कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मिस-मैनेजमेंट हुआ और सामान गया कैसे, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करिये, सीबीआई की इंक्वायरी जितने भी मामले हैं उनमें कराइये। बैंक आफ इंडिया पर ही नहीं सारे मामलों में सीबीआई की इंक्वायरी कराइये। बैंकों के 500 करोड़ रुपये कैसे वसूल होंगे क्योंकि लेने वाले मालिक तो विदेशों में भाग गये हैं। चार-पांच वर्कर्स तो मर गये हैं और बाकी के भूख से मर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के जितने आफिसर्स दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। यह जनता का पैसा है, इस तरह से अगर होगा तो जनता में क्या संदेश जाएगा। फतेजा कंपनी के मालिकों को वापस देश में लाना चाहिए और उनसे सारे पैसे वसूल होने चाहिए। जितने भी आफिसर्स दोषी हैं उनके ऊपर सीबीआई की कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूरों को उनके सारे पैसे मिलने चाहिए, यह मेरी मांग है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: विशेष मामले के रूप में श्री शिवाजी माने को अनुमति दे रहा हूं। आज सत्र का अन्तिम दिन हैं इसलिए मैं उदारतापूर्वक काम कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): उपाध्यक्ष जी, माननीय चन्द्रकांत खैरे जी ने जो कालिंग एटेंशन दिया है वह रिकवरी के बारे में है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बैंकों का जो एनपीए है वह एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर है। यह तो एक फतेजा कंपनी है जिसकी रिकवरी के बारे में माननीय चन्द्रकांत खैरे जी ने पूछा है। लेकिन न जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनके ऊपर लाखों-करोड़ों रुपये बकाया है और जिनके लिए सरकार वन-टाइम सैटलमेंट की स्कीम लाई है। किसान जो छोटे-छोटे ऋण लेते हैं 20-25 हजार के, जब वे ऋण अदा नहीं कर पाते हैं तो उनके खेतों और मकानों की जब्ती हो जाती है लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो रिकवरी नहीं दे रहे हैं उनकी सम्पत्ति को क्या आप सील करने वाले हैं, उनके लिए कोई कानून जल्द से जल्द लाने वाले हैं। नहीं तो ये बीआईएफआर, डीआरटी, हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में तो पचासों साल बीत जाएंगे। धन्यवाद।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: उपाध्यक्ष जी, हमारे मित्र चन्द्रकांत खैरे जी और माने जी का मैं आदर करता हूं और उनकी भावना का भी मैं आदर करता हूं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि एक कंपनी 1996 तक अच्छी चल रही थी। आईडीबीआई, पंजाब

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल]

नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक आफ इंडिया, आईएफसीआई और बैंक आफ इंडिया को उद्धृत किया गया है। इन्होंने उनको कर्जा भी दिया। लेकिन एक्सपेंशन और माड्रनाइजेशन के नाम पर जो पैसा और उठाया। फिर आटोमोबाइल सैक्टर में मंदी आ गयी और कंपनी घाटे में चलती रही। ...*(व्यवधान)* जैसा मैंने पहले बताया कि उनका मिस-मैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है। घाटे के कारण वह कंपनी फिर खड़ी नहीं हो पाई। उसके खिलाफ बैंकों ने केस डाले हैं, डीआरटी में केसेज है और बैंक आफ इंडिया ने सीबीआई में भी अपना केस दर्ज किया है। मामले सब अपने आप सामने आ जाएंगे। हमारे मित्र माने जी ने जो सवाल पूछा है कि कोओपरेटिव बैंक के तहत हमारा वन टाइम सैटलमेंट किसान भाइयों के लिए पहले नहीं था लेकिन अब उन्हें भी सुविधा दी गयी है। चाहे दस हजार या पचास हजार का कर्जा हो, उसके लिए सुविधा आज है। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने रिकवरी के बारे में उठाया। पिछले सत्र में इसी सदन में स्क्रूटिनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। जो विलफुल डिफाल्टर है, उसकी प्रापर्टी मोर्टगेज की है और वह बैंक के कब्जे में है। बैंक उसको बेच सकते हैं और पैसा वसूल कर सकते हैं। इस दिशा में कदम उठाया गया है और यह सिलसिला जारी है। पिछले वर्ष सन् 2002 में 12 परसेंट एनपीए पब्लिक सैक्टर का था, जो घट कर 4.6 प्रतिशत हो गया है। इसका मतलब है कि वन-टाइम-सैटलमेंट के तहत रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है और स्क्रूटिनाइजेशन एक्ट के तहत हो रही है।

जहां तक फतेजा ग्रुप आफ कम्पनीज के प्रमोटर्स का सवाल है, उनकी प्रापर्टी को बैंक ने कब्जे में कर लिया है और उन पर क्रिमिनल केसेज भी हैं। वे कहीं भी जायें, एक दिन लाए जायेंगे। मैं आज इतना ही बता सकता हूं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, कहां से वसूल किए जायेंगे, वे लोग 500 करोड़ रुपए लेकर चले गए हैं। मैं जानता हूं कि क्या सीबीआई इन्क्वायरी सरकार कराएगी?

उपाध्यक्ष महोदय: सीबीआई इन्क्वायरी तो चल रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं कहना चाहता हूं, अन्य इन्डस्ट्रीज ऐसा न करें, इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास जो एडिशनल इन्फार्मेशन है, वह आप लिखित रूप से दे दीजिए। सरकार उसकी भी इन्क्वायरी कराएगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा के पटल पर रखा माना जाए जिनमें विशेष मामले के रूप में सदस्यों की अतिरिक्त सूची शामिल है।

अपराह्न 3.42 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) कतिपय समुद्र तटीय मार्गों और राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): गुजरात सरकार ने कतिपय तटवर्ती मार्गों और राज्य राजमार्गों का उन्नयन राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। यह मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया है।

मैं सरकार से मुद्दे के शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने का अनुरोध करती हूं।

(दो) उत्तर प्रदेश में ब्रम्हावर्त रेलवे स्टेशन को बनाए रखने और मंधना तथा बिठुर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, कानपुर महानगर में बिठूर एक पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है। बिठूर में ब्रम्हावर्त घाट पर पौराणिक ब्रम्हा जी की खुंटी है, जिसका अंत अंग्रेज सरकार भी नहीं ढूंढ पायी। मां सीता का तपस्वी स्थल बाल्मीकि आश्रम है और लव-कुश का जन्म स्थान है। बालक ध्रुव ने यहीं पर तपस्या की थी, यहां ध्रुव टीला है। महारानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे एवं नाना साहब पेशवा की कर्मस्थली है। यहां अंग्रेजों ने ब्रम्हावर्त के नाम से एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की थी। मन्धना जंक्शन से 20 कि.मी. की रेलवे लाइन बिछाई थी और तब से यह निरंतर चली आ रही है। अब रेलवे विभाग ने इस रेलवे स्टेशन को समाप्त कर दिया है। अब यहां ठेके पर रेलवे टिकट की बिक्री की जा रही है, सभी सिग्नल उखाड़ दिये गये हैं। कानपुर फर्रूखाबाद रेलवे की लाइन को बड़ी

*सभा पटल पर रखे माने गए।

लाइन में परिवर्तित करने में, मन्धना से ब्रम्हावर्त तक छोटी रेलवे लाइन को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे विभाग इस लाइन को समाप्त करना चाहता है, जिससे क्षेत्रीय निवासियों में, विशेष रूप से साधु-संतों में विशेष आक्रोश है। मेरा केन्द्र सरकार व माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि ब्रम्हावर्त रेलवे स्टेशन को यथावत कायम रखें तथा मन्धना से बिठूर तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करने के कार्यक्रम को भी सम्मिलित करें, जिससे ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक स्थल यथावत कायम रह सके।

(तीन) दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को गुजरात के पालनपुर में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली राजधानी रेल सेवा का कोई स्टापेज गुजरात में नहीं है जबकि यह रेल सेवा राजस्थान में तीन जगह पर रूकती है। उत्तर गुजरात एवं गांधी धाम के लोगों को इस रेल सेवा से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच इसके सफर का समय कम निर्धारित किया गया है जबकि यह इससे पहले पहुंच सकती है। समय का निर्धारण अधिक होने से यह गाड़ी बहुत धीमी गति से चलती है क्योंकि अपने निर्धारित समय से पहले रेलगाड़ी पहुंचे तो समय सारणी का पालन नहीं हो पाता है। इन दोनों के कारण इसको पालनपुर में दो मिनट के लिए रोका जा सकता है, जिससे गांधी धाम और उत्तर गुजरात के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-अहमदाबाद के बीच राजधानी रेल सेवा का स्टापेज पालनपुर किया जाये और इसकी समय सारणी में सुधार करके इसकी गति को तेज किया जाये।

(चार) सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस 'ए' से 'डी' तक के इंजेक्शनों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंतसिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, हैपेटाइटिस ए-बी जैसी खतरनाक व जानलेवा बीमारी हमारे देश में निरन्तर बढ़ी जा रही है जबकि विश्व के दूसरे देशों में इस बीमारी का प्रकोप घट रहा है। हमारे भारतवर्ष में लगभग 4.5 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं, जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी का इंजेक्शन खुले बाजार में ही उपलब्ध है, जिसे खरीद करके ही लगाया जा सकता। यह इंजेक्शन पोलियो की तरह ही सभी सरकारी अस्पतालों, डिस्पेन्सिरियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त में लगने चाहिए। देश के ग्रामीण व गरीब लोग इस टीका को बाजार से खरीद कर नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि इसका खर्चा गरीब लोग नहीं उठा सकते हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हैपेटाइटिस 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' जैसे इंजेक्शन पोलियो की तर्ज पर देश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाने की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने संबंधी ठोस व प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(पांच) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र धुले, महाराष्ट्र राज्य का एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नवयुवकों के रोजगर हेतु कोई विशेष साधन नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बेरोजगार नवयुवक काफी संख्या में हैं, इसलिये इस क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2002 में तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी ने धुले में स्थान उपलब्ध होने पर एक आई.टी. पार्क स्थापित किये जाने का आश्वासन दिया था। अब राज्य सरकार द्वारा आई.टी. पार्क हेतु एम.आई.डी.सी. के अंतर्गत स्थान उपलब्ध कर दिया गया है। इस क्षेत्र में आई.टी. पार्क के स्थापित होने से इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र धुले (महाराष्ट्र) में आई.टी. पार्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(छह) सूरत से देश के अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों के बीच हवाई सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री मान सिंह पटेल (मांडवी): अध्यक्ष महोदय, गुजरात का दक्षिण प्रान्त सूरत एक औद्योगिक एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र है और यहां के हीरा उद्योग और कपड़ा उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां के व्यापारी और उद्योगपति अपने कार्यों के लिए यहां के दूसरे प्रांतों को जाते हैं और दूसरे प्रांत के लोग भी सूरत शहर में आते हैं, परंतु यहां पर जो एयरपोर्ट है, उसका प्रयोग कमर्शियल रूप से नहीं हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों को बहुत ही दिक्कत हो रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूरत शहर से अन्य प्रान्तों के शहरों को हवाई जहाज सेवा शुरू की जाये।

(सात) देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में महिलाओं की जनसंख्या तेजी से घटती जा रही है। शहरी

[डा. चरण दास मंहत]

व ग्रामीण जनसंख्या पर नजर दौड़ायी जाये तो प्रति हजार पुरुषों पर मात्र आठ सौ महिलायें ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या पर गौर किया जाये तो कोरबा विकास खंड क्षेत्र में जहां पुरुषों की संख्या 61 हजार के आसपास है, वहीं महिलाओं की मात्र 59 हजार ही है। वर्ष 1971 की जनगणना में नगर पालिका निगम क्षेत्र में पुरुषों की जनसंख्या जहां 45 हजार 104 थी, वहीं महिलाओं की जनसंख्या मात्र 38 हजार 283 आंकी गयी थी। वर्ष 1981 की जनगणना में प्रति हजार पुरुषों पर 849 महिलायें पायी गयी। वर्ष 1991 की जनगणना में पुरुषों की संख्या 66 हजार 85 थी तो महिलाओं की मात्र 58 हजार 416 आंकी गयी। महिलाओं की जनसंख्या तेजी से घटने का कारण कोई प्राकृतिक नहीं, बल्कि समाज जनित कारण हैं। भ्रूण हत्या इसका एक प्रमुख कारण है। भ्रूण हत्या में चिकित्सा जगत से जुड़े लोग अर्थलाभ के कारण पूरा साथ देते हैं। मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस विषय को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाये जायें।

(आठ) आंध्र प्रदेश में बीज की आपूर्ति तथा सिंचाई सुविधाओं के बारे में किसानों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में किसान गम्भीर समस्याओं और खरीफ की फसल के बारे में गम्भीर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। पहले से लगातार तीन वर्षों से सूखे के कारण कष्ट झेल रहे किसानों को अब गुणवत्ता वाले बीजो की अनुपलब्धता और सिंचाई जल की अनिश्चितता की गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मानसून के दो माह के बावजूद कृष्णा नदी की द्रोणी अत्यधिक सूखी है जिससे 38 लाख एकड़ से अधिक विशाल कृषि क्षेत्र के किसानों को चिन्ता हो रही है। इससे राज्यों के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अस्त-व्यस्त होने और खाद्यान्न उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह स्थिति काफी हद तक अल्माटी प्रभाव और कुछ सीमा तक 99,980 वर्ष मील के कृष्णा नदी के आवाह क्षेत्र में मानसून की विफलता के कारण पैदा हुई है।

किसान, कृषि उत्पादों, जिसमें गेहूं और चावल शामिल है, के चहुंमुखी क्षीयमान मूल्यों, और अंधाधुंध आयात और बहुत कम मूल्य पर बर्मा और अन्य देशों से खाद्यान्न के पाटन, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के बावजूद विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने का खतरा हो रहा है, से भी हतप्रभ हैं।

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से आंध्र प्रदेश और आस-पास के राज्यों में समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करने हेतु यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूं कि मानक बीजों की आपूर्ति जैसी छोटी समस्याएं गंभीर रूप धारण न करें और आंध्र प्रदेश और आस-पास के क्षेत्र में किसानों को कृष्णा नदी के जल का उनका उचित हिस्सा प्राप्त हो सके।

(नौ) छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केन्द्र को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सरगुजा के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र को वित्त वर्ष 2002-03 में चालू करने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया है। जबकि जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के कलेक्टरेट में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए शासकीय मकान उपलब्ध करा दिया गया है। कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र चालू करने के संबंध में माननीय रेल मंत्री जी का पत्र भी प्राप्त हुआ है।

माननीय रेल मंत्री जी से पुन: आग्रह है कि जिला मुख्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र अतिशीघ्र जनहित में चालू कराने की कृपा किया जाये।

[अनुवाद]

(दस) महाराष्ट्र और देश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों हेतु विकास कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): देश में पांच राज्यों जिनके नाम हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में 50% से अधिक वनाच्छादन है। वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी रह रहे हैं। जो इन जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय, उन्हें दंडित किया जा रहा है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कारण स्वीकृति नहीं दी जा रही है। केन्द्र सरकार की सलाह पर इन नक्सली प्रभावित राज्यों ने केन्द्र सरकार की सलाह पर केन्द्रीय सरकार को विशेष कार्य योजनाएं सौंपी है जिसके लिए केन्द्र सरकार को 50% व्यय की हिस्सेदारी करनी थी।

केन्द्र सरकार ने अभी तक अपने हिस्से का 834 करोड़ रु. जो कि 50% है, महाराष्ट्र सरकार के लिए एक पैसा भी स्वीकृत नहीं किया है। केन्द्र सरकार भी वन भूमि पर आदिवासियों के अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाने की योजना बना रही है, जिनके पास कृषि या आवास प्रयोजनार्थ उनके अतिक्रमणाधीन वन भूमि का एक छोटा सा भी टुकड़ा है। इसके बदले उन्हें उनके अतिक्रमणाधीन भूमि जो उनके पास कम से कम 30 वर्षों से है के लिए भूमि का अस्थायी पट्टा दिया जाना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र के गढ़चिरौली और चन्द्रपुर जिले में क्रमश: 76 प्रतिशत और 56 प्रतिशत वनाच्छादन है और आदिवासियों की घनी आबादी वाले है एवं उन्हें नक्सली गतिविधियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत विकास हेतु निधि क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री से इस संबंध में हस्तक्षेप करने और संबंधित विभाग को इस मामले पर ध्यान देने हेतु निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) केरल के त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ को पुन: बहाल करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। केरल विधान सभा ने त्रिवेन्द्रम की तरह ही उसकी स्थापना के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। केरल के मुख्य मंत्री ने भी संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे का समर्थन किया था। उनसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया।

मैं केन्द्र सरकार से त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ को पुन: बहाल करने हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) हैदराबाद में 24 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2003 तक पहला अफ्रीकी-एशियाई खेल आयोजित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री चाडा सुरेश रेड्डी (हनमकोण्डा): केन्द्र सरकार 24 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2003 तक हैदराबाद में पहला अफ्रीकी एशियाई खेल आयोजित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध से सहमत है। राज्य सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.सी.) और आठ संबंधित राष्ट्रीय संघों से परामर्श कर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल आयोजित करने हेतु प्रबंध करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। खेलों के सफल आयोजन से खेलों में हमारे स्तर को सुधारने में प्रोत्साहन मिलेगा।

हैदराबाद में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय ओलम्पिक संघ ने खेलों के लिए 136 करोड़ रु. के बजट का अनुमान लगाया है और भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है। व्यय की मुख्य मदों में से एक रहन-सहन के मौजूदा आवास परिसरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए उनका उन्नयन किया जाना है जहां करीब 2000 की संख्या में आने वाले एशिया और अफ्रीका की विदेशी टीमों को ठहराया जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवास परिसर मुख्य खेल परिसर के पास ही स्थित है जो बहुत ही उपयुक्त है।

मैं, भारत सरकार से पहले अफ्रीकी एशियाई खेलों की आयोजन समिति की ओर से भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को यथाशीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इटावा और औरेया जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने और क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र के इटावा एवं औरैया जनपदों में वर्षा नहीं होने से किसानों में तबाही है, न तो धान रोपा जा सका है न ही बाजरा को। इस क्षेत्र में अकाल की समस्या से किसानों को जूझना पड़ रहा है।

अस्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इटावा एवं औरैया जनपदों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर विशेष पैकेज देने का कष्ट करें, जिससे कि जनता को राहत मिले।

(चौदह) बिहार के खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का और केले पर आधारित उद्योगों को लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के खगड़िया लोक सभा (खगड़िया-भागलपुर एवं कटिहार जिले) में वृहत पैमाने पर मक्का और केले की खेती होती है। जैसा कि अब मक्का से डीजल और पेट्रोल का सब्सिट्यूट बनाया जाता है, जिस प्रकार गन्ने से तैयार किया जाता है। केले के रेशे से भी अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्री का निर्माण होता है। पूर्वोत्तर बिहार का यह क्षेत्र अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाकर खुशहाली लायी जा सकती है।

[श्रीमती रेनु कुमारी]

अत: मैं पिछड़े खगड़िया जिला में मक्का तथा केले पर आधारित उद्योग लगाने हेतु केन्द्र सरकार से मांग करती हूं। जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन के साथ-साथ किसानों को उसके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिल सके।

(पन्द्रह) सुंदरबन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जहां 222 किलोमीटर में फैली सदा बहार नदी है, फिर भी इनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है। इन नदियों का उपयोग नौवहन के लिए किया जा सकता है। नदी के हल्दिया-रैमंगल भाग (91 किलोमीटर) को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव था प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है लेकिन इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति का इंतजार है।

सुंदरबन हमारे देश का औद्योगिक रूप से अति पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों में से एक है। यदि सुन्दरबन की सदा बहने वाली नदियों का उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है, तो इससे मछुआरों सहित स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

इसलिए, मैं सरकार से सुन्दरबन की नदियों को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित करने हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सोलह) मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला मुख्यालय जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 पर स्थित है तथा उज्जैन इन्दौर से मक्सी गुना बड़ी रेल लाइन यहां से होकर गुजरती है और यहां तथा आसपास रेलवे स्टेशन होने के कारण सैकड़ों रेलवे एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी परिवार इस क्षेत्र में रहते हैं। केन्द्रीय आयकर आदि कार्यालय भी है। इनके भी कई परिवार यहां रहते हैं। इन परिवारों के सैंकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। इस कारण शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करना आवश्यक है। मैं व जनता लम्बे समय से केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। मैं सांसद निधि से विद्यालय भवन आदि के लिए धन उपलब्ध कराने को तत्पर हूं। राज्य सरकार जिला प्रशासन भी आवश्यक सहयोग करने की सहमति पूर्व में ही दे चुका है।

अत: अनुरोध है कि शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

(सत्रह) उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए खुंदुनी से पीतापल्ली तक एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): जुड़वा शहर भुवनेश्वर और कटक में बढ़ते यातायात के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर भुवनेश्वर तक यातायात की औसत गति मात्र 30 कि.मी. प्रति घंटा है। इसके कारण ईंधन की खपत, श्रम घंटों की बर्बादी आदि के संदर्भ में भारी वार्षिक घाटा हो रहा है। इसके उपाय के रूप में कटक से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से कटक तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के एक भाग के यातायात को कटक से भुवनेश्वर तक वैकल्पिक मार्ग में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर खुंदुनी से पीतापल्ली तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर बाईपास का निर्माण किया जाता है तो भुवनेश्वर और कटक में विशेषकर जंक्शन बिंदुओं पर यातायात की भीड़भाड़ में काफी हद तक कमी आएगी।

इस्पात संयंत्र के कर्मचारी जो कि घंटीखल रेलवे स्टेशन पर आते हैं, मुंडुली बैराज के निकट केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थी और कर्मचारी तथा नंदन कानन जो कि प्रसिद्ध है जैविक उद्यान है और जो विश्व का सबसे बड़ा सफेद बाघ का प्रजनन केन्द्र है, में आने वाले पर्यटकों को इस बाईपास के निर्माण से काफी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 59 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में केन्द्र सरकार की एक संरेखण संयंत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र किया जाए।

(अठारह) केरल में समुद्र तट के किनारे सी-वाल के निर्माण के लिए आवश्यक निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): केरल को 560 किमी. लंबी तटरेखा है जिसकी 351 किमी. पहले से ही सी-वाल से रक्षित है। केरल की समुद्री कटाव से कमजोर तटरेखा को बचाने के लिए सी-वाल का निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता

मिलती रही है। हालांकि इस योजना को नब्बे के शुरूआती दशक में रोक दिया गया था।

इस वर्ष मानसून के दौरान भारी वर्षा से केरल का समुद्री तट का कटाव हो गया है। मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र तेल्लीचेरी, बडागरा, कोरोड और पय्योली में समुद्री कटाव की समस्या बहुत गंभीर है और कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केरल सरकार ने 67 किमी. नए सी-वाल के निर्माण और 267 करोड़ रु. की लागत से 56 किमी. में नया कार्य किए जाने हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव में खराब मानसून के दौरान समुद्र की स्थिति मापने के लिए उपकरण का प्रावधान शामिल है। मैं मंत्रालय से परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध करती हूं।

(उन्नीस) तमिलनाडु के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरि के अंतर्गत छः विधान सभा क्षेत्र हैं- बार्गुर, कृष्णागिरि, कावेरीपट्टनम, पालाकोड, होसूर और ताली। इन क्षेत्रों में नारियल की खेती के विशाल क्षेत्र हैं। नारियल किसानों को नारियल की फसल में कई रोगों के कारण भारी घाटा हो रहा है। किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, नारियल की गुणवत्ता और आकार में गिरावट आ रही है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित हुए नारियल किसानों की सहायता हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। नारियल व्यापार को प्रोत्साहित करने एवं इसका निर्यात बढ़ाने हेतु उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र शुरू किया जाए।

अपराह्न 3.43 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंताओं के रिक्त पदों को प्रोन्नति प्राप्त अभियंताओं से भरे जाने की मांग के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सीपीडब्ल्यूडी के प्रमोटी इंजीनियर्स का मामला हम उठाना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी इस विषय को उठाने के लिए सुबह से सदन में बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। यह जीरो आवर नहीं है, लेकिन सब्मिशन की तरह संक्षिप्त रूप में मैं आपको सुन सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जीरो आवर है?

उपाध्यक्ष महोदयः यह जीरो आवर नहीं है।

श्री अनंत गुढेः अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि नियम 377 के बाद लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदयः आपको मालूम है, जीरो आवर दोपहर के बाद नहीं होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंताओं की लगभग 350 रिक्तियां 6 वर्षों से खाली पड़ी है, प्रमोटी सहायक इंजीनियर्स को भर्ती नियम, 1996 के अनुसार भी रैग्युलर प्रमोशन नहीं दी गई, जबकि इस संबंध में सैन्ट्रल ट्रिब्युनल (कैट) चंडीगढ़ के स्पष्ट आदेश है। यह अत्यधिक गम्भीर मामला है।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 100 भर्तियां 1996 के बाद, जो रैग्युलर थे, भर दी गई, लेकिन प्रमोटी को नहीं भरा गया। उसके बाद कैट, चंडीगढ़ ने आदेश दे दिया। इस पर कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए। उच्च न्यायालय में सरकार इस केस की पैरवी नहीं कर रही है। खबर के अनुसार इसमें कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, जिसकी वजह से सरकार उच्च न्यायालय में पैरवी नहीं कर रही है। मंत्री जी सदन में उपस्थित होते, तो उनसे निवेदन करते, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करें, ताकि कम से कम इस केस की पैरवी हो जाए और बहुत सालों से जो प्रमोटी रैग्युलर नहीं हो पाए हैं, उन्हें राहत मिले। स्थिति यह है कि 350 स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सदन में इस विषय पर आश्वासन दे।

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, इनके केस की जानबूझ कर उच्चतम न्यायालय में उचित पैरवी नहीं की जा रही है। यह एक गम्भीर मामला है। उनका जानबूझ कर प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। इसे करने में विभाग को कोई दिक्कत नहीं है। ...*(व्यवधान)* एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैट का निर्णय इनके पक्ष में गया लेकिन कुछ लोग उच्च न्यायालय चले गए और वहां से स्थगन आदेश ले लिया। ...*(व्यवधान)* सरकार जानबूझकर समस्या पैदा कर रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह जीरो आवर नहीं है। मैंने केवल सबमिशन के लिए इजाजत दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस बारे में कोई निर्णय लें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को ऐसे कैसे कह सकता हूं कि वह कोई निर्णय ले।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रामजीलाल जी, मैं यहां बैठ कर ऐसे डायरैक्ट नहीं कर सकता हूं। यहां मिनिस्टर साहब बैठे हैं और वह आपकी बात नोट कर रहे हैं। मैंने मुलायम सिंह जी को सबमिशन करने का मौका दिया और वह अपनी बात कह कर चले गए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: आप संबंधित मंत्री खंडूरी साहब के पास हमारी बात पहुंचा दीजिए। वह उनसे बात कर लेंगे। ...*(व्यवधान)* आप उन तक हमारी बात पहुंचा दें। ...*(व्यवधान)* गंगवार जी, क्या आप उन्हें यह बात भी नहीं कह सकते?

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको सबमिशन करने के लिए इजाजत दी। अब आप बैठिए।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कहा है, अभी तत्काल उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। मैं इस विषय में संबंधित मंत्री को बता दूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। कल आपने इसी चेयर से हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कल की बात नींद में चली गई। आप अभी क्या बात कर रहे हैं?

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, मुझे कल भी मौका नहीं दिया गया। आज भी नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपके लीडर को मौका दिया।

अपराह्न 3.48 बजे

(दो) मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की त्वरित और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मान्यवर, वह अलग सवाल था और यह दूसरा सवाल है। प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन-दहाड़े एक युवा कवियित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड की पहले सिविल पुलिस से जांच हुई लेकिन जब यह मामला समाचार पत्रों और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उठा ...*(व्यवधान)* यह मामला सीबी सीआईडी को सौंपने के बाद सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। यह ला एंड आर्डर की बात है जो एक स्टेट सबजैक्ट है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हत्यारों को बचाने की साजिश की जा रही है। तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से राज्य का विषय है। यहां राज्य का विषय नहीं उठाया जा सकता। यह समय भी नहीं है। यह 'शून्य काल' नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है। सीबीआई की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.49 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और श्री चन्द्रनाथ सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कल की बात अभी दोहरा रहे हैं। कल चेयर पर स्पीकर साहब थे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सीनियर मैम्बर हैं। इस तरह से न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी बात को सुना है, आपके लीडर की बात को सुना है, रामजीलाल जी की बात को सुना है। सभी की बात को सुना है। उस पर मिनिस्टर साहब ने रिस्पौंस भी किया है। इसके बाद भी आप इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अगर, आपको कुछ कहना है तो आप अपनी सीट पर जाकर कहिये।

अपराह्न 3.50 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जिस युवा कवियित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या की गई, उस मामले में सी.बी.आई. द्वारा जांच चल रही है और उस जांच को प्रभावित किया जा रहा है। हम इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मधुमिता शुक्ला हत्या कांड मामले में सी.बी.आई. द्वारा जो जांच की गई है, उसका श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाये ताकि देश की जनता को पता चले कि इसमें कौन से लोग अपराधी हैं और अभियुक्त बनकर सामने आये हैं। यह गम्भीर मामला है। एक दिन नहीं, लगातार इलैक्ट्रौनिक मीडिया ने तथ्यों का खुलासा किया, जब मीडिया का दबाव पड़ा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों बैठिये, मैं रूलिंग सुना रहा हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है? आप आर्डर फौलो करके उधर नहीं आये हैं। अखिलेश जी, आपने जो मैटर यहां उठाया है, वह स्टेट सब्जैक्ट है, ला एंड आर्डर की सिचुएशन है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। सी.बी.आई. की जांच का आदेश भारत सरकार करती है। सी.बी.आई. को प्रभावित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सी.बी.आई. की इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट के मांगने पर ही होती है।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, इस संबंध में समाचार-पत्रों के माध्यम से रिपोर्ट आई है।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के मांगने पर सी.बी.आई. की जांच हो रही है।

श्री रामजीलाल सुमन: लेकिन सी.बी.आई. की जांच को प्रभावित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: इस स्टेट सब्जैक्ट को उठाने की जरूरत नहीं है। रामजीलाल सुमन जी, आप लीडर हैं, अपने आदमियों को समझाइये।

[अनुवाद]

वे इसे अपने आप भी कर सकते हैं। कृपया अब बाधा न डालें। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। कृपया मुझे सहयोग करें। यदि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, तो हम सभा स्थगित कर देते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष जी, सरकार सुनती नहीं है, सी.बी.आई. की जांच को प्रभावित किया जा रहा है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री सी.बी.आई. के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: सी.बी.आई. का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): उपाध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा कि यह स्टेट का मामला है लेकिन यह माना है कि सी.बी.आई. की जांच जा चुकी है। अगर सी.बी.आई. ने जांच की है, इस चीज को प्रमाणित करता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सी.बी.आई. की जांच मांगी जाती है। अनेक केसेज में ऐसा होता है प्रत्येक मामले पर मंत्री जवाब नहीं भी दे सकते हैं। और यह संभव भी कैसे हो सकता है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह इस बात का प्रमाण है कि सी.बी.आई. ने इसके बारे में इनवैस्टीगेशन भेजी है, वे निष्पक्ष इंक्वायरी चाहते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो इंक्वायरी की गई है, चूंकि सी.बी.आई. होम मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं है, मैं उनकी भावना संबंधित अधिकारियों और मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा ताकि वे स्टेटस रिपोर्ट की क्या पोजीशन है मालूम हो सके। लेकिन माननीय सदस्य सी.बी.आई. की इंक्वायरी रिपोर्ट पर व्हाईट पेपर की मांग कर रहे हैं, यह एक अजीब मामला है। ऐसा कभी नहीं हुआ करता कि सी.बी.आई. की इंक्वायरी पर सरकार व्हाइट पेपर दे। सरकार सी.बी.आई. की पूरी इनवैस्टीगेशन के बाद ही पूरी रिपोर्ट देगी, उस पर तभी एक्शन होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपसे कैसे निपटना है मैं जानता हूं। मैंने आपको बहुत सुन लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या मैं पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकता हूं? क्या आप नहीं सुनेंगे? आप नाराज क्यों हो रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: आप रूल कोट करें।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैंने स्पीकर साहब को एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस दिया है। स्पीकर साहब ने यहीं से उस पर रूलिंग दी थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमें मालूम है आपसे कैसे डील करना है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप नाराज मत होइये, आप मुझे सुन लीजिए। हमारा बहुत गंभीर मामला था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। हर चीज की एक सीमा होती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: आज सुबह स्पीकर साहब को हमने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)* मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस कौन से रूल के तहत प्वाइंट आफ आर्डर दे रहे हैं, रूल बुक दे दें।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल): उपाध्यक्ष महोदय, इनसे रूल पूछिये, यह परम्परा ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं आपको रूल बुक देता हूं। आज सुबह मैंने स्पीकर साहब को एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बतायें यह कौन से रूल में है। आप रूल बुक दिखाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप हाउस में नहीं रहना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। आप मुझे एक्सट्रीम स्टैप लेने के लिए मजबूर मत करिये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: आप मुझे एक मिनट के लिए सुन लें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: सर, जो सदन की कार्रवाई में आया है उसे निकाल दिया जाए।

अपराह्न 3.56 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा 19 अगस्त, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 19 अगस्त, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य पर विचार शुरू करेंगे।

प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक।

अपराह्न 3.57 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-*पुर:स्थापित*

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 356क, आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.8.2003 में प्रकाशित।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.57½ बजे

(दो) बालक श्रम उत्सादन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं देश में बालक श्रम के उत्सादन और तत्संबंधी विषयों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में बालक श्रम के उत्सादन और तत्संबंधी विषयों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 243 यघ तथा 243 यड का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.8.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.58½ बजे

(चार) रेल (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 124ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.59 बजे

(पांच) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 और 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.8.2003 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.59½ बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 275 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

(सात) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 389क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.8.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 4.00½ बजे

(आठ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 302 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): मैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.01 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 4.02 बजे

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 298क से 298ग का अंत:स्थापन)–*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 44 को लेगी। श्री जी.एम. बनातवाला बोल रहे थे। अब आप अपना अधूरा भाषण पूरा कर सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो विधेयक मैंने पेश किया है वह संक्षिप्त और सरल है जिसका संबंध वक्फ की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के गम्भीर प्रश्न से है। ये अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुए हैं और इनमें वृद्धि हो रही है। चूंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती इसलिए वक्फ की सम्पत्तियों पर और अतिक्रमण हो रहा है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, वक्फ की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण धर्म के प्रति अपराध है। ये अतिक्रमण स्वयं समाज के प्रति भी गम्भीर अपराध है क्योंकि उनसे वक्फ के कार्य करने की क्षमता और सीमा पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वक्फ धर्म, वर्ग, जाति, नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठकर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए कार्य करता है।

इन वक्फ बोर्डों का उद्देश्य धर्मार्थ होता है। वे धर्म, वर्ग, जाति अथवा नस्ल का ध्यान किए बिना समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। वे समाज के जरूरतमन्द वर्गों की सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं चाहे उनका संबंध किसी भी वर्ग, जाति अथवा नस्ल से हो। यदि उनकी सम्पत्तियों पर बिना किसी रोक-टोक के अतिक्रमण किया जाता है तो वे समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा उस सीमा तक नहीं कर सकते हैं जितनी वह कर सकते हैं। अत: वक्फ की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण करना समाज के विरुद्ध गम्भीर अपराध है।

अपराह्न 4.04 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

अतिक्रमण की सीमा के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं। किन्तु हम सब इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। यह जमीनी हकीकत है कि अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और इनमें वृद्धि हो रही है।

हमारे पास वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्टें हैं और इनमें से कुछ रिपोर्टें सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है। उन रिपोर्टों से पता चलता है कि वक्फों की दशा बहुत ही शोचनीय है। यह अतिक्रमण केवल प्राइवेट पार्टियों द्वारा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि यह अतिक्रमण केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वक्फ की जमीन और सम्पत्तियों पर वाणिज्यिक गतिविधियां हो रही है।

मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। कुछ समय पूर्व दिल्ली में एक सर्वेक्षण हुआ और हमें पता चला कि दिल्ली में लगभग 1950 वक्फ सम्पत्तियां हैं। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग पचास प्रतिशत सम्पत्तियों पर अतिक्रमण पाया गया है। हमें यह समझना

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.8.2003 में प्रकाशित।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

चाहिए कि इससे वक्फ हमारे समाज के गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम हो जाते हैं। अत: मेरा यह कहना है कि अतिक्रमण स्वयं समाज के प्रति एक गम्भीर अपराध है। महोदय, दिल्ली में यह स्थिति देखकर धक्का लगता है। दिल्ली में ही सर्वेक्षण की गई वक्फ की 1117 सम्पत्तियों में से 362 सम्पत्तियों पर केन्द्र और राज्य सरकारों ने अतिक्रमण किया हुआ है।

अब सभापति महोदय, कुछ समय पूर्व तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारों, स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए वक्फ सम्पत्तियों के अतिक्रमणों के बारे में एक फार्मूले का प्रस्ताव किया था। मैं उस फार्मूले के विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह बात रिकार्ड में है। वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्टों में उनका उल्लेख किया है। महोदय, किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सुझाए गए इस फार्मूले पर कोई सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अतिक्रमणों के प्रश्न पर ध्यान देने के लिए कुछ नहीं किया गया है। दिल्ली में ही वक्फ की तेइस सम्पत्तियां केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन हैं और उनका हस्तान्तरण दिल्ली वक्फ बोर्ड को किया जाना है। यह मामला न्यायालय में गया। स्थगन आदेश जारी किए गए और दुर्भाग्यवश एक लम्बा समय बीत चुका है और यह मामला अब भी लंबित है। न्यायालय द्वारा लगाई रोक को खारिज कराने के लिए कोई गम्भीर प्रयास भी नहीं किए गए हैं। न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले के अनुवर्तन के संबंध में सरकार पूर्णत: उदासीन है। मैं सरकार से इस मामले में ईमानदारी से प्रयास करने की अपील करता हूं।

हम इसका गम्भीरतापूर्वक अनुपालन करें और यह देखें कि न्यायालयों को यथाशीघ्र अपने निष्कर्ष और निर्णय देने के लिए तैयार किया जाए ताकि इस महत्वपूर्ण मामले को हल किया जा सके। यह बड़े दुख की बात है कि वर्ष-दर-वर्ष गुजर चुके हैं, नए स्थगन-आदेश दिए जा रहे हैं किंतु इन स्थगन आदेशों को समाप्त करने अथवा इन मामलों को निपटाने में शीघ्रता लाने और वक्फ बोर्ड को इन सम्पत्तियों का हस्तानान्तरण करने के लिए कोई सच्चे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

महोदय, वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के प्रश्न पर ध्यान देने में हम सरकारी स्थान अधिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं। वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की इस आशय की सिफारिशें हैं। कुछ रिपोर्टें सभा पटल पर रखी गई हैं। वक्फ सम्पत्तियों को खाली करने के लिए हम सरकारी स्थान अधिनियम के उपबन्ध लागू कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कर्नाटक सरकार ने अपने विधान द्वारा सरकारी स्थान अधिनियम में विस्तार करके वक्फ सम्पत्तियों को भी इसके दायरे में ले लिया है। यह आवश्यक है कि सरकार इस मामले में ध्यान दे। इस पर सरकार द्वारा सक्रिय ध्यान दिया जाना चाहिए और इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे पास वक्फ सम्पत्तियों के बारे में अतिक्रमण का प्रश्न है और वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्य सरकारें अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा पुलिस और प्रशासनिक प्राधिकारी इन अतिक्रमणों को हटाने में वक्फ बोर्ड के साथ सहयोग नहीं करती। ये साधारण अतिक्रमण नहीं हैं। जैसाकि मैं जोर देता रहा हूं कि वक्फ सम्पत्तियां जो कि समाज के लाभ के लिए है उन पर से अतिक्रमण हटाने के बारे में हमें गम्भीर होना चाहिए।

महोदय, साधारण चोरी के लिए दंड है किन्तु यहां उस भूमि की चोरी हो जाती है और वक्फ की सम्पत्तियां जो समाज की सेवा के लिए होती है, के मामले को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है। वह विधेयक जो मैंने पेश किया है, उसमें इन अतिक्रमणों के लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ दाण्डिक कार्यवाही की जानी चाहिए और इनके खिलाफ भय प्रतिकारी दंड की व्यवस्था की मांग की गई है।

सभापति महोदय: श्री बनातवाला, चोरी चल सम्पत्ति की जाती है, न कि अचल सम्पत्ति की।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किन्तु बात वही है जो मैं कहता आ रहा हूं। सभा में भी मैं इसी बात का जिक्र करता रहा हूं कि सरकार की उदासीनता खत्म होनी चाहिए। उसे इस विशेष समस्या के प्रति गंभीर होना चाहिए *क्योंकि समाज इससे जूझ रहा है।*

महोदय, समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नहीं है और हम समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकने और करने वाले सामाजिक सुरक्षा संगठनों और वक्फों को मदद करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं वित्तीय संकट की बात को समझ सकता हूं क्योंकि सरकार व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने की स्थिति में नहीं है।

फिर भी, कुछ योजनाएं हमारे पास हैं। कम-से-कम उन्हें भी मजबूती प्रदान करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वक्फ समाज की सेवा के लिए है और ये हमारे समाज के जरूरतमंद तबको की सामाजिक सुरक्षा के लिए विद्यमान है। ये धर्म, जाति या पंथ से ऊपर उठकर काम करते रहे हैं। शैक्षिक सहायता दी जा रही है। चिकित्सा सहायता पहुंचा रहा है। सभा में इनके कितने काम गिनाऊं? हमें उनकी सहायता के लिए कोशिश करनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पूरी रिपोर्ट आएगी। वह विस्तृत उपायों के बारे में अपनी सिफारिशें करेगी। किन्तु, इस बीच हम वक्फ की भूमि और उसकी सम्पत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण पर आंखे नहीं मूंद सकते हैं।

मैं हमेशा से यह कहता रहा हूं कि सरकार को इसे देखना चाहिए। यहां समस्या है कि वक्फ अधिनियम को राज्य सरकार को लागू करना होता है। मैं इस बात को समझता हूं। वक्फ अधिनियम को लागू करने के मामले में हालात बहुत की बदतर है। यह अच्छी बात है कि वक्फ के लिए हमारे पास अब संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) है और यह समस्या पर विचार करती है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। किन्तु, इस बीच सरकार को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्र सरकार को वक्फ बोर्ड को मदद के लिए आगे आना चाहिए जिससे कि वक्फ इन अतिक्रमणों को हटा सकें। मैं नहीं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई दो राय हो सकती है। वक्फ संपत्तियों पर बेरोक-टोक व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। कभी-कभी वक्फ बोर्ड के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं जिससे कि वह वक्फ भूमि और उसकी संपत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण के इस गंभीर समस्या को रोक सकें।

मेरा विधेयक बहुत ही साधारण है। इसके अध्याय में एक खंड का प्रस्ताव किया गया है जो दंड संहिता में '296(ख)' के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, अतिक्रमण के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना होगा और इसे रोकने के लिए दंड का प्रावधान करना होगा, ऐसा दंड जिसमें एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का ही प्रावधान हो।

मुझे इस बात का खेद है कि इस खंड में मैंने जो प्रावधान दिया है वह यह कि वक्फ भूमि पर अतिक्रमण एक दंडनीय अपराध है और यह दंड सिविल मामले से अलग हटकर कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें जुर्माने की सजा न हो, तो ही बेहतर होगा क्योंकि जैसाकि मैंने कहा, ऐसे गंभीर अपराध पूरे समाज के प्रति अपराध होते हैं। इसमें निश्चित रूप से कैद की सजा मिलनी चाहिए। किन्तु, फिर मैंने सोचा कि इस मामले को अदालत पर भी छोड़ा जाना चाहिए।

अदालत इसकी सच्चाई पर अपना दिमाग लगाएगी और वक्फ के न्याय तथा अन्य समस्याओं के लिए जो भी दंड आवश्यक होगा इस पर विचार करेगी और साथ ही साथ वह अन्य बातों पर भी विचार करेगी।

सभापति महोदय, जैसाकि मैंने कहा, यह विधेयक बहुत ही साधारण है। यह बहुत ही संक्षिप्त है। किन्तु यह मामला बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। हमें इस स्थिति को उठाने और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है, वैसे-वैसे वक्फ बोर्ड की भूमि और सम्पत्तियों पर जहां-तहां बेरोक-टोक अतिक्रमण होता जाता है। हम सबों को इस विशिष्ट सवाल को हल करना होगा। हम वक्फ बोर्ड का इस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग होने नहीं दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर हम बड़े-बड़े होटल देख रहे हैं, बड़ी-बड़ी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं।

दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है, जो भारत की एक बड़ी-राजधानी है और यहां ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे? पर मेरा विचार है कि मैं किसी एक मामले का उल्लेख न करूं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से दुर्भाव नहीं है। यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है जो हमारे सामने है। न्याय के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कल्याणकारी समाज के नाम पर जिसकी स्थापना करने का हमारा उद्देश्य भी है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभा इस पर सकारात्मक तरीके से विचार करे। यह विधेयक इतना साधारण है, इतना संक्षिप्त है और इतने गंभीर मामले यह है कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि इसे इस सभा के प्रत्येक पक्ष के लोगों से अनुमोदन और मंजूरी मिल जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से अनुरोध करता हूं, अनुनय-विनय करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करे और विधेयक को पारित कराने हेतु, आगे की कार्रवाई करे।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद सभापति महोदय, मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि एक कानून विशेषज्ञ अभी पीठासीन अधिकारी हैं जबकि हम लोग वक्फ अधिनियम और श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा इस सभा में बड़ी सावधानीपूर्वक, लगन और सम्यक् तरीके से पेश किए गए कतिपय प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं श्री जी.एम. बनातवाला की इच्छा और उनकी चिन्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं, किन्तु जिस तरह वे अतिक्रमण हटाए जाने और अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार लोगों से सख्ती से निपटने की बात करते हैं, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय, आप इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि सिविल प्रक्रिया में दंड अधिनियम को लाना एक खतरनाक पहल है और ऐसा कतई नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ अधिनियम जायज अधिनियम है। भारत में यह एक अलग तरह का विधेयक है। यहां किसी अतिक्रमण को किसी अन्य विधेयक के माध्यम से नहीं हटाया जाता है यह अपने आप में बहुत ही अच्छा विधेयक है और यह किसी और बात की इजाजत नहीं देता है।

[श्री अनादि साहू]

अब चूंकि यह भी एक सच्चाई है कि वक्फ की संपत्तियों का अतिक्रमण किया गया है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि वक्फ से जुड़ी संपत्तियों के अतिक्रमण के लिए मुख्य रूप से वाकिफों के उत्तराधिकारी ही जिम्मेवार हैं। यह सम्पत्ति पहले दान में दी गई है और अब यह मुस्लिम ला के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रयोजनार्थ है।

जैसाकि वे दिल्ली में 50 से 60 वक्फ सम्पत्तियों का जिक्र कर रहे थे. कई वर्षों के पश्चात् वे संपत्तियां कतिपय विशिष्ट धार्मिक कार्यों के निमित्त दी गई है। इस स्थिति में पब्लिक प्रीमिसिज एविक्शन एक्ट को लाना कतई उचित नहीं है।

यह केवल धार्मिक कार्यों से संबंधित होता है। जहां तक मैं समझता हूं, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3(ख) में इसी बात की ओर संकेत किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस्लाम में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी अपनी चल या अचल सम्पत्ति का मुस्लिम ला के अनुरूप किसी प्रयोजन के लिए स्थायी रूप से दे देना। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि वक्फ की सम्पत्ति का व्यावसायिक प्रयोग कतई उचित नहीं है।

महोदय, नास्तिक होने के कारण, मैं कभी-कभार ही पूजा स्थलों पर जाता हूं। बाध्यकारी परिस्थितियों में मैं 40 वर्षों के बाद फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह देखने गया था। मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि वहां पर उन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है जो यह कहते हैं कि उन्हें वहां रहने अथवा वहां निर्माण कार्य करने का हक है। सारा भवन अब अतिक्रमण वाला स्थल बन चुका है।

मैं पांडिचेरी में नगूर गया और मैंने देखा कि वहां वक्फ के वंशजों में आपस में विवाद चल रहा है। यह संपत्ति के एक भाग को प्राप्त करने और उसे अपने लाभ के लिए उपभोग करने का प्रश्न है। यह किसी भी समाज के लिए झगड़े की जड़ होती है अथवा ऐसे किसी मामले में भी किसी वर्ग के लिए यह झगड़े की जड़ होती है और मुस्लिम समाज इस बारे में कोई अपवाद नहीं है। लेकिन होता यह है कि जिस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों को दिया गया है अथवा उनकी वसीयत की गयी है वह तो देखने में ही नहीं आ रहा है। इन सभी बातों से कैसे निपटें? अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अतिक्रमण के लिए यह प्रतिकारी दंड देने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने की बजाय इस पर चर्चा करनी होगी।

सभापति महोदय, आप भली-भांति जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 के खंड 297 और 298 का संबंध धर्म विरुद्ध अपराधों से है। श्री बनातवाला खंड 298 का जिक्र कर रहे हैं। इसका संबंध धर्म विरुद्ध अपराधों से है। अतिक्रमण स्वयं में धर्म के विरुद्ध कोई अपराध नहीं है। यह तो मनुष्य मात्र का लालच है लेकिन इससे किसी धार्मिक आचार को ठेस नहीं पहुंचती है। मेरी राय में, खंड 298 (क) से (ग) आदि भागों को जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। श्री बनातवाला ने उद्देश्यों और कारणों का कथन बहुत सावधानी से तैयार करके इसे इस सभा में प्रस्तुत किया है जिससे प्रतीत होता है कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का अपराध धर्म संबंधी अपराध है और वह समाज के विरुद्ध अपराध है। मैं उनसे असहमत हूं। कोई भी अतिक्रमण धर्म विरुद्ध अपराध नहीं हो सकता जैसाकि भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। हां, यह सच है कि कुछ सिविल ला ऐसे हैं जहां आपराधिक कार्रवाई के संबंध में बात कही गयी है। वक्फ संपत्ति के मामले में भी, जहां अतिक्रमण हुआ है, दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सिविल ला में संविधान किया जा सकता है। मैं वक्फ अधिनियम के बारे में ही सुझाव दूंगा। इसकी चर्चा जे.पी.सी. में भी हुई है। जे.पी.सी. के सभापति श्री सिकन्दर बख्त थे, उसमें श्री लाल बिहारी तिवारी भी थे। श्री बनातवाला भी उस टीम के सदस्य थे जिन्होंने इन सभी बातों का बारीकियों का अध्ययन किया था।

मैं जो सुझाव दूंगा वह यह है। अब वक्फ अधिनियम में प्रक्रिया यह है कि यदि कोई अतिक्रमण हुआ है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जांच करायेगा और इसे हटाये जाने की दशा में वह उस अतिक्रमण को हटाने के लिए उस पर विचार करेगा, जैसा कि वक्फ अधिनियम के खंड 54 में इस बात का उल्लेख हुआ है। वह एस.डी.एम. के पास जाता है। अब, प्रश्न यह है कि यदि हमें प्रक्रिया में संशोधन करना ही है तो हमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कुछ दंडात्मक अधिकार और प्रक्रिया संबंधी अधिकार अवश्य प्रदान करने होंगे ताकि वह अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर सके। हमारे यहां बहुत अच्छे-अच्छे लोग रहे हैं। हमारे यहां सूफी संत थे। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी और उन्होंने भारत में धर्मनिरपेक्षता का उपदेश दिया और शिक्षा के उनके संगीतमय तौर-तरीके से भारत में बहुत से लेखक, आप प्रभावित हुए हैं और बहुत से लोगों ने सूफी संतों को अपनी संपत्ति वसीयत में दी। हमारे यहां बड़ी संख्या में दरगाह और कई स्थानों पर ऐसा ही इबादत खाने हैं। शिया और सुन्नी लोगों के विभिन्न वर्गों के पास में संपत्तियां हैं। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिया और सुन्नी के इस समूह में अहमदियों को शामिल नहीं किया गया है, जहां स्वयं वक्फ अधिनियम में शिया और सुन्नी की संपत्ति का जिक्र किया गया है। अब अहमदिया समूह और आ गया है और अहमदी लोग बहुत उदार लोग होते हैं। मुझे अहमदियों

द्वारा उड़िया वर्णमाला में अनुवाद सहित लिखित कुरान का ज्ञान है। यह बहुत अच्छा ग्रंथ है, और इसमें बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं लेकिन उन्हें इस वक्फ अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। अब समय भी आ गया है कि अहमदियों को भी शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि उन्हें संपत्तियां प्रदान की जा रही हैं और उन्हें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि मैं बता रहा था, खंड 54 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस वक्फ की कोई सम्पत्ति-जो वक्फ एक वसीयत है, एक न्यास है, पर अतिक्रमण किया गया है, को एस.जी.एम. के पास भेजे बिना वापस अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। अब, सी.ई.ओ. जांच करेगा और फिर यदि अतिक्रमणकर्त्ता उस स्थान को खाली नहीं करता है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता की भांति संपत्ति को खाली कराने के आदेशों के लिए सबडिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाता है। इसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता में जाने से पहले, जिसमें अतिक्रमण के संबंध में खंड भी हैं, आपराधिक दंड संहिता खंड 448 अथवा खंड 144 को कतिपय कार्रवाई के लिए स्वीकार किया जा सकता है। किंतु 298 क से ग को शामिल करना उचित नहीं है। और जैसा कि उन्होंने अपने ही विधेयक में बताया है, उन्होंने तीन वर्ष अथवा ऐसी ही यथपरितकारी दंड की मांग की है। आपराधिक दंड संहिता के अनुसार, यदि तीन वर्ष की कोई सजा होती है, तो यह संज्ञेय और गैर जमानती हो जाती है। किसी भी अतिक्रमण के लिए जब आप यह कहें कि यथपरितकारी सजा दी जानी चाहिए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी वहां वर्षों से रह रहा है चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वक्फ अथवा उनके वंशजों ने इन लोगों को वहां ठहरने की अनुमति प्रदान की हो। उसके विरुद्ध कार्रवाई करना और उसे गिरफ्तार करना और उसके विरुद्ध यथपरितकारी कार्रवाई करना, मैं समझता हूं, मेरी दृष्टि में यह बिल्कुल उचित नहीं है।

इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि हमें इस बात की दाद देनी होगी। हमें इस विधेयक को प्रस्तुत करने में श्री बनातवाला को दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इस विधेयक पर दाद देते समय, हम यथपरितकारी रूप से इसे अलग होकर कोई दंड की बात न करें, न बदलें।

महोदय, एक लेटिन कहावत है, जिसमें कहा गया है।

''सुममम जस
सम्मा इंजुरिया।''

यदि आपके बहुत अधिक कानून होंगे तो इससे संबंधित व्यक्ति को बहुत अधिक क्षति होगी। हमें लोगों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिये जहां किसी भी प्रकार की सिविल प्रक्रिया कार्रवाई के लिए, आपराधिक कार्रवाई की जाए। इसलिए महोदय, मैं यह सुझाव दूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाय और वक्फ अधिनियम के खंड 54 में उचित ढंग से संशोधन किया जाए तथा सी.ई.ओ. को अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं अथवा न्यायाधिकरण की आवश्यकता के मामले में भी ऐसा किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिक्रमण वाली सभी संपत्तियां हस्तांतरित किये जायें और अपील केवल दो बार ही हो।

मान लो, न्यायाधिकरण कुछ आदेश देता है और यदि वे अपील आदि करते रहते हैं तो मैं समझता हूं, इसमें वर्षों लग सकते हैं। अपील केवल दो बार ही होनी चाहिए। और केवल तभी अतिक्रमण वाली संपत्तियां वक्फ के लोगों को हस्तांतरित की जा सकती है। बहुत से मुस्लिम लोगों ने अपनी संपत्ति दी है। मैंने पांडिचेरी में नगूर क्षेत्र में देखा है कि मराठों का तत्कालीन सरदार जो हिन्दू था ने दरगाहों की बहुत-सी संपत्ति प्रदान की। कई स्थानों पर ऐसी संपत्ति दी गयी है। वक्फ अधिनियम में एक प्रावधान है कि संपत्ति अथवा संपत्ति के अर्थागम को धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कटक में, जहां मैं एस.पी. था और मैं वहीं से संसद सदस्य भी था, मैंने एक सुंदर छात्रावास और एक सुंदर महाविद्यालय देखा था—वह था अबुल कलाम आजाद महाविद्यालय-वह वक्फ की संपत्ति से प्राप्त संपत्ति पर तैयार किया गया है और वह सफलतापूर्वक चल रहा है। इसलिए, बहुत से कार्य किये जाने हैं। अब यह समय है कि इसमें वक्फ अधिनियम में इस संपत्ति को चलाने वाले लोगों को अवसर देने के लिए संशोधन किया जाए। मुतवल्ली भी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी सेवाओं का उचित उपयोग किया जाना चाहिए और ऐसा तभी किया जा सकता है वक्फ अधिनियम में पूर्णतया संशोधन को सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग चढ़-बढ़कर आगे आएं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): माननीय सभापति महोदय, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 298 को संशोधित करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संहिता में धारा 298(क) और 298(ख) को जोड़ने, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री बनातवाला की इस सोच पर आधारित है कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति, एक मुसलमान द्वारा समुदाय और जनता को दिए गए उपहार की समुदाय की संपत्ति के रूप में सुरक्षा की जानी चाहिए, पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अब प्रतिदिन अतिक्रमण और अनधिकार प्रवेश संबंधी कार्यकलाप हो रहे हैं चाहे वह धार्मिक संपत्ति हो सार्वजनिक सम्पत्ति या

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

व्यक्तिगत सम्पत्ति। अत: अनधिकार प्रवेश या अतिक्रमण रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरीका है। एक अमीर व्यक्ति अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अनधिकार कब्जा कर लेता है, एक बाहुबली दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा कर लेता है। वे अपने बाहुबल और धन के बल पर बच जाते हैं। गरीब आदमी को रात गुजारने और प्रकृति की मार से बचने के लिए आश्रय नहीं मिलता है। उसे इस आधार पर कानूनी रूप से हटा दिया जाता है कि अतिक्रमण जनता के लिए दुखदाई है।

हम इस सामाजिक सद्विवेक के माध्यम से सामुदायिक सम्पत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं कि सम्पत्ति समुदाय और जनता के लिए है। यदि यह भावना होगी तो चाहे वह मुसलमान की सम्पत्ति हो, हिन्दू की या ईसाई की सम्पत्ति हो, उसे बचाया जा सकेगा। आज कल जब जनता के लिए सम्पत्ति को बचाने की बात आती है तो सारे समुदाय की नैतिकता गिर जाती है किंतु, इसके साथ-साथ केवल संशोधन करने से ही लोगों को विवेकशील बनाने में सहायता नहीं मिलेगी।

अब ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में काफी सम्पत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है। हमारे जलमार्गों पर अतिक्रमण हो जाता है, हमारे पेयजल टैंकों और सिंचाई टैंकों पर भी अतिक्रमण हो जाता है। हर तरफ अतिक्रमण हो रहा है। हमें भूमि अभिलेख तैयार करने की प्रणाली के बारे में अंग्रेजों से थोड़ी जानकारी मिली है। भूमि के हर भाग का उचित रूप से सर्वेक्षण किया जाता था और ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत उसका वर्गीकरण किया जाता था। हम उस प्रणाली का अनुसरण करते हैं किंतु सर्वेक्षण करने और अभिलेखों का रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ही सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने वाले पहला व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए जनता और उस व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया गया है उसे बचाने की स्थिति में कानून नहीं है।

यह एक ऐसा विधेयक है जो धार्मिक भावनाओं को कुछ अधिक महत्व देना चाहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब कभी धर्म का तिरस्कार होगा वहां भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 295 से 298 लागू होगी। यहां पर धार्मिक पहलू पर ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं है। चाहे यह वक्फ की सम्पत्ति हो अथवा हिन्दू धर्मदाय की सम्पत्ति हो अथवा कोई धार्मिक सम्पत्ति, इसे समुदाय की सम्पत्ति और समुदाय की परिसंपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिये। यदि ऐसा होता है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने कहा है, तो राज्य सरकारों की सरकारी सम्पत्तियों की रक्षा से संबंधी कानूनों जैसे सरकारी स्थान अधिनियम को संशोधित किया जा सकता है ताकि इसी प्रकार से धार्मिक सम्पत्तियों की भी रक्षा की जा सके। सामान्यतया कानून यह कहता है कि एक मंदिर में रखी हुई मूर्ति 'मूक' है। यह मंदिर की सम्पत्ति है। मंदिर की सम्पत्ति को केवल एक न्यासी, जो कि एक आदमी है। बचा सकता है। यदि न्यासी मंदिर या भगवान को बचाने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है तो कानून इसमें सहायता नहीं कर सकता है।

अत: वक्फ की सम्पत्ति के हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को काफी सतर्क रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वहां अतिक्रमण न हो और वहां अपराधी अनधिकार प्रवेश न करें। यदि कोई अपराधी वहां अनधिकार प्रवेश करता है तो उस सम्पत्ति को बचाने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 441 और अन्य धाराओं के साथ तैयार है। अत: इरादा महत्वपूर्ण है।

जब आप भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्ययन करते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि क्या दिमाग में अपराधी कार्य संबंधी इरादा है। और दूसरी यह कि वे इस पर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा समाज और व्यक्ति जिसके पास धन, बाहुबल और अन्य शक्तियां है, उनका इरादा सम्पत्ति लेना और उसका उपभोग करना है। वे दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते किंतु वे सम्पत्ति का उपभोग करना चाहते हैं। अत: जहां पर अतिक्रमण हो चाहे वह सरकारी संपत्ति हो, धार्मिक सम्पत्ति या निजी सम्पत्ति, वहां ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जो सम्पत्ति का अतिक्रमण करने वालों का दिमाग बदल दे। अतिक्रमण करने वालों को जनता के सामने लाया जाए और यह कहा जाए कि उनके अधिकार में कटौती की जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार से दंडित किया जाएगा।

अत: अब पंजीकरण अधिनियम, सर्वेक्षण अधिनियम, व्यवस्थापन अधिनियम और सीमा अधिनियम जैसे कानून बनाये गये हैं। ये सब अधिनियम हैं। यदि वक्फ सम्पत्ति को एक वक्फ सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सर्वेक्षण संख्या दी जाती है और उसे पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है तो इन अधिनियमों को आसानी से लागू किया जा सकता है। तत्पश्चात् कानून अपना काम करेगा। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में उनके द्वारा कानून के अनुसार सम्पत्ति की रक्षा की जानी चाहिए।

यह अधिनियमिति श्री जी.एम. बनातवाला की सोच हो सकती है। किंतु, इसके साथ-साथ हमें सम्पत्ति के आधार पर धार्मिक भेदभाव पैदा नहीं करना चाहिए। इस सभा में पहले ही धार्मिक भावनाएं पैदा की जाती रही हैं। इस प्रकार की वक्फ की सम्पत्ति जिसकी वक्फ बोर्ड द्वारा समुचित देखभाल नहीं की जाती है, को अपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता और इसकी मात्र एक जन अतिक्रमण के रूप में रक्षा की जानी चाहिए। इसकी उस व्यक्ति द्वारा समुचित रूप से देखभाल की जाए जो इसका प्रभारी हो क्योंकि वक्फ अधिनियम स्वयं सम्पत्ति के हितों की रक्षा करता है।

महोदय, इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि धार्मिक तिरस्कार के परिप्रेक्ष्य में रखने की बजाय इसे सरकारी सम्पत्ति, जिसका एक सामुदायिक परिसंपत्ति के रूप में समुदाय हेतु प्रयोग किया जाता है, पर अतिक्रमण के रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय सभापति महोदय, इस प्रस्तावित विधान पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपने योग्य साथी श्री जी.एम. बनातवाला को यह संशोधन विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। किंतु मैं अपने मित्र श्री अनादि साहू से अधिक सहमत हूं। मैं श्री जी.एम. बनातवाला से वक्फ अधिनियम पर पूरी तरह से चर्चा करने हेतु एक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन लाने का भी अनुरोध करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारे देश में वक्फ की लगभग एक लाख सम्पत्तियां हैं। काफी सम्पत्तियों का प्रयोग वक्फ कार्यों से इतर कार्यों के लिए किया जा रहा है। मुसलमान और गैर-मुसलमान अपनी सम्पत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं और वक्फ बोर्ड के पास एक बार सम्पत्ति चले जाने पर वह वक्फ बोर्ड के पास उसका अस्तित्व रहने तक रहेगी। किसी के भी पास उसको कम करने, बेचने या उस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है।

अत: इसका उद्देश्य यह है। किंतु वास्तविकता इससे अलग है। प्रत्येक राज्य प्रत्येक शहर में हम यह देखते हैं कि वक्फ की सम्पत्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। संसदीय समिति इसका विस्तृत अध्ययन कर रही है और हमें आशा हैं कि हमें देश में स्थिति की पूरी तस्वीर का पता चल जाएगा। किंतु वक्फ की सम्पत्ति पर अतिक्रमण होना एक मुख्य समस्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मुख्य रूप से 'मुलवासी' अतिक्रमण कर रहे हैं और फिर वे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं जो वक्फ की सम्पत्ति को पट्टे पर या किराए पर दे रहे हैं और इसके बाद एक इलाके के बाहुबली अतिक्रमण कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनका इन सम्पत्तियों पर कब्जा है। कई बार सरकारी भवनों पर भी अतिक्रमण कर लिया जाता है जैसा कि दिल्ली की एक अध्ययन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। दिल्ली में लगभग 362 सम्पत्तियां केन्द्र या राज्य सरकारों के कब्जे में है। यदि सारे देश में अध्ययन किया जाए तो कई बातों का पता चल सकता है। यदि इस प्रकार की बात होती है तो वक्फ का उद्देश्य कम हो जाता है। यह अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है।

हमें यह देखना होगा कि वक्फ की सम्पत्ति का दुरूपयोग कैसे किया जा रहा है। सामान्यत: वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण वक्फ संपदा के नाम से ही किया जाता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इन सम्पत्तियों की देखरेख के लिए नियुक्त किए जाने वाले मुतवल्लीस राजस्व अधिकारियों के साथ ब्लाक या जिले स्तर पर सांठ-गांठ करके उक्त सम्पत्ति का वक्फ संपदा के नाम पर पंजीकरण कराने के बजाय अपने नाम से पंजीकरण करवाते हैं और वर्षों तत्संबंधी दस्तावेज अपने पास रख लेते हैं। 10 या 15 या 20 वर्षों बाद जब इन दस्तावेजों का खुलासा होता है तो पता चलता है कि अमुक सम्पत्ति किसी और की हो गई है और उसका अंतरण वक्फ से मुत्तवलि के परिवार को हो गया होता है। ऐसी सम्पत्ति को पुन: प्राप्त करने की लम्बी प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि सिविल कोर्ट ऐसे मामलों के निपटान में 10 से 20 वर्ष का समय ले लेते हैं। अभी भी अतिक्रमण करने वालों से सम्पत्ति को पुन: प्राप्त कर लेना काफी कठिन है। यह एक गम्भीर मामला है। अतक्रिमण हटाना वक्फ बोर्ड की प्रमुख समस्याओं में से एक है।

गत वर्ष वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते मेरे भी कुछ अनुभव है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से अतिक्रमित वक्फ सम्पत्ति को प्राप्त करने हेतु देश भर में विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए। यहां बहुत ही विशिष्ट उपाय किए जाने आवश्यक हैं। यदि वे ही लोग इन सम्पत्तियों पर अतिक्रमण कर लेते हैं जिन्हें, इनकी देख-रेख का कार्य सौंपा गया है, यदि सरकारी अधिकारी जिन्हें इन सम्पत्तियों को पुन: प्राप्त करने में सहायता करनी होती है, वे ही पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असफल रहते हैं और सरकार से सहायता उपलब्ध नहीं होती है तो इन्हें पुन: प्राप्त कैसे किया जाएगा? हमारे सम्मुख यह एक बड़ा प्रश्न है।

नए अधिनियम के अनुसार, विभिन्न सम्प्रदायों के संबंध में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। पूरे सर्वेक्षण के पश्चात् ही हम समझ पायेंगे कि इन एक लाख सम्पत्तियों में से कितनी वक्फ से जुड़ी, अतिक्रमित, परिवर्तित, बेची गई या किराये पर दी गई है। इन बातों का पता लगाया जा सकता है। हमें ऐसे सटीक और तत्काल सर्वेक्षण कार्य कराना चाहिए जिसे यथाशीघ्र पूरा कर लेना चाहिए, इससे हमें अतिक्रमण की समस्या को व्यापक रूप से देखा जा सकता है।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री अनादि साहू द्वारा उल्लेख किया है, मुख्य समस्या वक्फ अधिनियम में कुछ कमियां हैं। यदि किसी सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया जाता है, यदि हम इसे पुन: प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही करते है तो इसमें लम्बा समय लगता है। यदि वक्फ अधिनियम की धारा 54 में उचित रूप से संशोधन किया जाता है, और उन अतिक्रमणकर्त्ताओं को सख्त सजा दी जाती है तो तभी वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण को रोका जा सकता है।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

इसलिए, यह जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस धारा में भी उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।

तीसरा, समस्या है वक्फ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोटिस जारी करता है और यदि वह शहर में है तो तब आपको एस.डी.एम. के पास जाना होगा। लेकिन कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली में एस.डी.एम. का पद नहीं है। वहां उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। लेकिन अधिनियम में एस.डी.एम. का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बड़े शहरों में एस.डी.एम. के रूप में कौन कार्य करेगा, यदि वहां कोई एस.डी.एम. ही नहीं होगा? पुलिस आयुक्त इस तरह के कार्य को करेंगे। लेकिन पुलिस आयुक्त कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त होते हैं और उनके पास इन कार्यों हेतु समय नहीं है। इस अधिनियम में एस.डी.एम. के बजाय, इसमें कुछ उपयुक्त संशोधन हो कि कुछ कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कुछ सिटी मजिस्ट्रेट के पदों की व्यवस्था की जाए ताकि इन समस्याओं का निराकरण हो सके।

अनुभव के आधार पर हमने अपने राज्य में इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए लगभग 400 सूचनाएं जारी की हैं और वहां यह कार्य चल रहा है। मैं नहीं जानता इसमें कितना समय लगेगा लेकिन हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से इन बातों को कहते हैं। इसलिए अतिक्रमण की स्थिति के संबंध में हमें उचित तरीके अपनाने की आवश्यकता है। वक्फ अधिनियम को कुछ धाराओं में संशोधन की बहुत अधिक आवश्यकता है और इन अतिक्रमणकर्त्ताओं को भी सख्त सजा दी जानी चाहिए।

चौथा, पुलिस सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना पुलिस सहायता के यह कार्य बहुत कठिन हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड बहुत ही छोटा बोर्ड है एक छोटा सा संगठन है। उसके पास सभी राज्यों या देश भर में इस कार्य हेतु कोई तंत्र नहीं है। उन्हें पूर्णतः राज्य के तंत्र पर निर्भर रहना होता है। सामान्यतः पुलिस और सैन्य बल इसमें काफी रुचि नहीं लेते क्योंकि उनकी मनोवृत्ति ऐसी है। उनका कहना है "इसे कौन करेगा क्योंकि इनमें से अधिकतर को मुसलमानों या ऐसे ही अन्य लोगों द्वारा चलाया जाता है।" इसलिए, इस प्रकार की मनोवृत्ति वहां होती है। समय पर, पर्याप्त उचित पुलिस सहायता की कमी भी चिंता का विषय है। इसलिए, हमें पता लगाना होगा कि इसे कैसे उठाया और हल किया जाए।

पांचवां, यह कि हाल में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय से एक समस्या उत्पन्न हो गई है, इससे वक्फ कमजोर हो सकता है और इससे मुतवल्लियों को वक्फ सम्पत्ति पर व्यक्तिगत तौर पर अतिक्रमण करने या हथियाने में सहायता मिलेगी। महोदय, इसे कैसे किया जा सकता है? दो वक्फ हैं। एक लोक वक्फ है और दूसरा वक्फ अल-अल औलाद है।

वक्फ अल-अल-औलाद से तात्पर्य वक्फ के रूप में पंजीकृत होना लेकिन इसकी आय का एक भाग परिवार हेतु और एक भाग पवित्र और धमार्थ प्रयोजनों हेतु जाता है। लेकिन वक्फ अल-अल-औलाद के मामले के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने सम्पत्ति को विभाजित कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि सम्पत्ति का 75 प्रतिशत भाग 'औलाद' के लिए और इसका 25 प्रतिशत भाग पवित्र और धमार्थ प्रयोजनों के लिए। लेकिन इससे समस्याएं उत्पन्न हो गई। यदि यह निर्णय अनवरत रहा तो कोई भी वक्फ अल-अल-औलाद, वक्फ अल-अल-औलाद का कोई भी मुत्तवल्ली इस निर्णय से लाभान्वित हो जाएगा और सम्पत्ति का 75 प्रतिशत भाग उनके लाभार्थ प्रयुक्त होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस विषय पर वक्फ बोर्ड का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह गलती वक्फ अधिनियम में ही है। इसमें पवित्र और धार्मिक कार्य के संबंध में उल्लेख है लेकिन उसमें सम्पत्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वक्फ की सम्पत्तियों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। सम्पदा से प्राप्त आय को विभाजित किया जा सकता है और इसका उपयोग वक्फ के वंशजों द्वारा किया जाएगा, और इसका एक भाग का उपयोग पवित्र और धमार्थ कार्य हेतु किया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में भी संशोधन की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि वक्फ संबंधी सम्पत्ति को विभाजित किया जा रहा है। इसलिए, मैं समझता हूं कि वक्फ अधिनियम में काफी सीमाएं हैं। यदि वक्फ अधिनियम में संशोधन किया जाता है और इन कमियों को उचित रूप से ठीक किया जाता है तो तभी जाकर वक्फ सम्पत्ति का प्रबंधन उचित रूप से हो सकता है और इस वक्फ का प्रयोजन पूरा हो सकेगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं सरकार से वक्फ पर व्यापक संशोधन लाने हेतु अनुरोध करूंगा तथा इसमें इन सभी बातों को शामिल किया जाए जिनका हम यहां उल्लेख कर रहे हैं ताकि वक्फ अधिनियम अपने आप में परिपूर्ण और यह देश में वक्फ सम्पदा के प्रयोजन को पूरा कर सके।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, मैं श्री बनातवाला को देश में वक्फ सम्पत्तियों को किस तरह लूटा जा रहा है, से संबंधित मुद्दे को उठाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं श्री अनादि साहू को उनके अतिमुखर भाषण हेतु धन्यवाद दूंगा जिसमें उन्होंने इस संबंध में व्यापक विधान लाने हेतु सभा से अनुरोध किया है।

जहां तक वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मुद्दे का संबंध है, पश्चिम बंगाल जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सम्भवतः सर्वोपरि राज्यों में से एक या देश में एक मात्र ऐसा राज्य है जहां

पूर्व मुख्य मंत्री को विधान सभा में न्यायिक जांच की घोषणा करनी पड़ी थी कि वह वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में दिए गए भ्रष्टाचार की जांच करेगा। वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य के नाते, मैंने देश में कुछ स्थानों की यात्रा की है। दिल्ली वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार का पहले ही उल्लेख किया गया है। हमने कुछ स्थानों का दौरा किया और हमने पश्चिम बंगाल में वक्फ मामलों की जांच की है। श्री हन्नान मोल्लाह को संसद सदस्य होने के बावजूद भी हाल में पश्चिम बंगाल राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है।

जो हो रहा है या मुख्य मुद्दा यह है कि इसमें अतिक्रमणकर्ताओं, स्थानीय असामाजिक तत्वों, पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग और क्षेत्र के कुछ बेइमान और सिद्धान्तहीन प्रवर्तकों के बीच गम्भीर नापाक संबंध है। यह नापाक संबंध कोलकाता शहर में वक्फबोर्ड के क्षेत्राधिकार की बहुमूल्य वक्फ परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण में संलिप्त है। जैसा कि उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों में वक्फ सम्पत्तियों पर गैर-कानूनी तरीके से अतिक्रमण किया गया है। जब कभी चेयरमैन स्वीकार करता है कि पुलिस अधिकारी उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं या उचित समय पर पुलिस सहायता नहीं मिल रही है तो इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच गया है।

महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में न्यायिक जांच की घोषणा से पूर्व, न्याय सचिव श्री सेनगुप्ता-मैं अपने डा. सेनगुप्ता का जिक्र नहीं कर रहा हूं बल्कि दूसरे सेनगुप्ता का जिक्र कर रहा हूं-ने विभागीय जांच के पश्चात् उल्लेख किया था कि जहां तक वक्फ सम्पत्तियों का संबंध है उनमें भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है और उन्होंने इस संबंध में कुछ सम्पत्तियों का ब्यौरा भी दिया था। महोदय, संयुक्त संसदीय समिति इसके लिए कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है तथा वह यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस समस्या का समाधान किन तरीकों से किया जाए। यह काफी बड़ा कार्य है। अनेक वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कम से कम, यह संयुक्त संसदीय समिति यह जानने का पूरा प्रयास कर रही है कि आखिर वास्तविक समस्या कहां है।

मैं समझता हूं कि एक व्यापक विधेयक और इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा निश्चित रूप से वक्फ बोर्डों की सम्पत्तियों को बचाने में मदद करेगी। वक्फ की सम्पत्तियां मुख्य रूप से अल्लाह की सम्पत्तियां मानी जाती हैं। ये सम्पत्तियां मुख्यतया मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों के बीच वितरित की जाती हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

तथापि, जब आप इनके ब्यौरे में जाएंगे तो पाएंगे कि इन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा लूटा गया है। मैं आशा करता हूं कि मामले को काफी गम्भीरता से लिया जाएगा। बेईमान प्रमोटरों, उत्तरदायी अधिकारियों तथा पूरे मुद्दे से समुचित दृष्टिकोण के साथ निपटने हेतु पहले से ही वक्फ अधिनियम विद्यमान है।

समय-समय पर सर्वेक्षण कराने का प्रावधान है। इस संबंध में, समिति के सदस्य के रूप में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि सर्वेक्षण कराने से पहले समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने चाहिए। तथापि, राज्य समितियों अथवा वक्फ बोर्डों ने यह सुनिश्चित करने के लिए समाचार पत्रों में कभी भी पूरे विज्ञापन नहीं दिए कि आम जनता आकर अपनी बात कह सके। इसलिए, मैं समझता हूं कि यदि समय से एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो यह कुछ लाभदायक परिणाम दे सकता है।

जहां तक दंड का सवाल है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यदि दोषी व्यक्ति एक विशिष्ट समय सीमा के बाद भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त पाये जाते हैं तो उन्हें एक अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए चाहे वह दोषसिद्धि के रूप में हो अथवा अन्य रूप में। अनुकरणीय सजा का प्रावधान हमेशा समाज और सरकार के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है कि यदि इस प्रकार का कोई जघन्य अपराध किया जाता है तो ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

यद्यपि कि यह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है, इसे सरकार की ओर से पुरःस्थापित किया जा सकता है और तत्पश्चात् इस मुद्दे पर पूरी गम्भीरता के साथ चर्चा की जा सकती है।

श्री रमेश चेन्नितला: आप ये सारी बातें श्री हन्नान मोल्लाह को कहें। वह पश्चिम बंगाल में इन सब चीजों को व्यवस्थित करेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: श्री हन्नान मोल्लाह ने अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त मात्र किया है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार के स्तर का आसानी से अनुमान लगा सकता है। वह वहां के मुख्य व्यक्ति हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: यह बात सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही लागू नहीं है बल्कि पूरे देश पर भी लागू है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: मैंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि वह देश में एक मात्र राज्य है जहां विपक्ष के दबाव के कारण विधान सभा में एक न्यायिक

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

जांच का आदेश देना पड़ा है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि देश के किसी अन्य राज्य में न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया गया है। यह एक सच्चाई है और इसे नकारा नहीं जा सकता। वहां कुछ लोगों जिनमें से कुछ सत्ताधारी दल के है को हिरासत में लिया गया है। श्री हन्नान मोल्लाह को पता है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के पश्चात् जिन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है वे कौन से लोग हैं। हमारी राय, भावनाओं और दृष्टिकोण में कोई भिन्नता नहीं है। हम सभी इस मुद्दे पर एकमत हैं और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इन सम्पत्तियों को बचाया जाए और दोषी व्यक्तियों के साथ कठोरता से निपटा जाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं। वास्तव में बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर यह विधेयक लाया गया है। यह कितना दुखद प्रसंग है कि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला किसी पवित्र उद्देश्य के लिये, किसी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर, चैरिटेबल परपज के लिये, दातव्य उद्देश्य के लिये अपनी सम्पत्ति प्रदान करता है। उसी का जो रक्षक है, वह भक्षक बन जाता है और धीरे-धीरे जिस उद्देश्य के लिये दानदाता ने वक्फ वालों के लिये सम्पत्ति घोषित की, उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिये न करके उस पर कब्जा कर लेता है, उस पर अतिक्रमण कर लेता है, अनाधिकार स्वामित्व जमा लेता है। वह मुकदमेबाजी में फंसकर, उस पवित्र सम्पत्ति का दातव्य का उद्देश्य नष्ट हो जाता है।

सभापति महोदय, जैसा श्री बनातवाला ने कहा कि इंडियन पेनल कोड में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये कि वक्फ की सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने वाले लूट सके तो लूट, वक्फ की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने वाले, आधिपत्य जमाने वाले, बिना सम्पत्ति के ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये, उन्हें सजा दी जानी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा कारावास दिया जाना चाहिये, जुर्माना दिया जाना चाहिये। श्री बनातवाला ने इसके लिये भारतीय दंड व्यवस्था के अंदर संशोधन प्रस्तुत किया है कि वर्ष 1860 के एक्ट में नई धारायें 298क और 298ग जोड़ी जायें। चूंकि वक्फ की जितनी सम्पत्ति है वह वक्फ एक्ट के द्वारा शासित होती है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड इन सम्पत्तियों की देख-रेख करता है और उनका ध्यान रखता है। इसलिए सारे देश के अंदर जहां-जहां भी वक्फ की सम्पत्ति हैं, वहां उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने उसकी सम्पत्ति के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। कई लोगों ने उसमें किरायेदार रख लिये, मुतेवल्ली जिनकी जिम्मेदारी थी, जिस उद्देश्य के लिए वक्फ को सम्पत्ति प्रदान की गई है, उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग हो, लेकिन उसी ने भक्षक बनकर राजस्व अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और सम्पत्ति के माफिया गिरोह से मिलकर लाखों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति खुर्द-बुर्द कर दी। इस तरह एक प्रकार से उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे अजमेर में भी ऐसा हो रहा है। उसके बारे में भी हमें मालूम है। इसी तरह से राजस्थान के बड़े-बड़े नगरों में जहां वक्फ की बहुत सम्पत्ति है, जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद, किसी विद्यालय के लिए सम्पत्ति दी गई है या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दी गई है, धार्मिक कार्यों के लिए या किसी मदरसे के लिए दी गई है, उन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। परिणामस्वरूप कोर्ट में केस चलते हैं। लाखों रुपये केस पर खर्च किये जाते हैं। सिविल केसिज बड़े लम्बे चलते हैं। वक्फ एक्ट के अंतर्गत भी इस प्रकार का प्रावधान है कि कोई सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिए जिस उद्देश्य के लिए सम्पत्ति दी गई है, उसका उपयोग उसी के लिए होना चाहिए। सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड को स्टाफ प्रदान किया जाता है, लेकिन उसकी संख्या कम होती है, जो भली प्रकार से देखभाल नहीं कर पाता है और परिणामस्वरूप लोगों को मौका मिल जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति हो, चाहे वक्फ की सम्पत्ति हो, चाहे देवस्थान की सम्पत्ति हो, इस प्रकार की सम्पत्तियां जो दानदाताओं के द्वारा जिस पवित्र उद्देश्य के लिए दी गई है, उसी उद्देश्य के लिए उनका उपयोग हो। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की निगरानी रखे।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वक्फ की सम्पत्ति की रक्षा करने के संदर्भ में, वक्फ की देखभाल करने के संदर्भ में, वक्फ का उपयोग करने के संदर्भ में, उसकी मरम्मत करने के संदर्भ में एक काम्प्रीहैन्सिव वक्फ एक्ट आना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की सम्पत्ति का दुरुपयोग न कर सके। सांगोपांग जो मंदिरों के साथ सम्पत्ति लगी हुई है, देवस्थान के साथ में जो मकान हैं, लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। ऐसी सम्पत्ति इस्लाम के अंतर्गत जो विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्ति के द्वारा दी हुई होती है, इस्लाम मतावलंबी के द्वारा उस सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि वक्फ पवित्र, धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिए किसी सम्पत्ति को समर्पित करता है, वास्तव में वक्फ की सम्पत्ति के ऊपर अगर कोई अतिक्रमण करता है तो धार्मिक रूप से और समाज के प्रति एक प्रकार से वह अपराध है, क्योंकि उसकी सम्पत्ति का उपयोग समाज के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन वह समाज के काम न आकर कुछ व्यक्तियों की स्वार्थ पूर्ति के काम आती है और

वह स्वयं उसका दुरुपयोग करता है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति देने वाले की आत्मा को कितना कष्ट पहुंचता होगा। जिस उद्देश्य के लिए सम्पत्ति दी गई है उस उद्देश्य का कितना अहित होता होगा और समाज में जो अच्छा काम होना चाहिए, जैसे कोई चैरिटेबल अस्पताल चल रहा है, चैरिटेबल संस्था चल रही है, कोई मदरसा चल रहा है या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए उसका उपयोग हो रहा है, कोई प्याऊ चल रहा है, पीने का पानी के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है या सराय की व्यवस्था की जा रही है, लोग वहां जाकर विश्राम आदि करते हैं, लेकिन ऐसा न करके उसका दुरुपयोग होता है। परिणामस्वरूप भविष्य में लोगों में यह भावना पैदा होती है कि हम अपनी सम्पत्ति किसके लिए दें।

सभापति महोदय, मुझे एक कहानी याद आ रही है कि मानव नाम का एक ऐसा प्राणी है जिसकी गति दोनों तरफ है। आप भली प्रकार से अवगत होंगे कि नहुष नाम का एक खंडकाव्य राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। उस खंडकाव्य में एक कहानी आती है कि धरती पर रहने वाला एक राजा स्वर्ग का अधिपत्ति बन गया। उसके अधिपत्ति बनते ही स्वर्ग में रहने वाली देवियां बड़ी चिंतित होने लगीं, इंद्राणी रोने लगी। दूसरी स्त्रियों ने उसे रोते देखकर पूछा कि तुम क्यों रोती हो, तुम्हारा पति तो बड़ा सक्षम है, बड़ा बलवान है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम किसलिए विलाप कर रही हो। उस समय दूसरी देवियों ने कहा कि हम इसलिए नहीं रो रही हैं कि मनुष्य नाम का प्राणी धरती से स्वर्ग लोक में आकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है, हम इसलिए रो रही हूं कि देवता देवता रहते हैं, राक्षस राक्षस रहते हैं, लेकिन मानव कब राम बन जाए कब रावण बन जाए, कब कृष्ण बन जाए कब कंस बन जाए, कब देवता बन जाए कब शैतान बन जाए, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। इसकी गति बड़ी विचित्र है। समाज में किसी व्यक्ति ने अच्छे उद्देश्य के लिए संपत्ति दान में दी, पवित्र उद्देश्य के लिए समाज को अर्पित की कि इसका उपयोग इन उद्देश्यों के लिए किया जाए लेकिन लोग उसी संपत्ति को हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, दीवारें तोड़कर अपने मकान बना लेते हैं और अमानत में खयानत पैदा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बनातवाला जी जिस उद्देश्य के लिए यह बिल लाए हैं, वह बहुत अच्छा है। केवल इसकी धारा क, ख, ग बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके तीन साल की सजा या चार साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए और एक समग्र बिल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जेपीसी इस पर बैठी, उसने भी कुछ अभिशंसाएं की हैं। वक्फ बोर्ड के सामने भी स्टाफ वगैरह की जो समस्याएं हैं, इन सबको दूर करने के लिए कुछ ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करने का दुस्साहस न कर सके और वक्फ जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उस उद्देश्य के लिए वह काम में आए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, सर्व-प्रथम मैं इस विधान को सामने लाने हेतु अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री बनातवाला को बधाई देता हूं।

इस विधान का मुख्य उद्देश्य वक्फ की सम्पत्तियों की रक्षा करना अर्थात् वक्फ बोर्डों की सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकना है। वर्ष 1995 के वक्फ अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि:

> "वक्फ का अर्थ इस्लाम के अनुयायी व्यक्ति द्वारा किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का किसी प्रयोजनार्थ स्थायी समर्पण है, जिसे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक अथवा धर्मार्थ माना गया है और इसमें शामिल है:-
>
> प्रयोक्ता द्वारा वक्फ परन्तु ऐसा वक्फ केवल इसलिए समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि प्रयोक्ता द्वारा इसे चाहे ऐसी कितनी ही अवधि के लिए छोड़ा गया हो।"

वक्फ बोर्ड इन सम्पत्तियों का अनुरक्षण करते हैं। इन बोर्डों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत करना है। वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी चलाएंगे। इनका अस्तित्व धमार्थ प्रयोजनों के लिए होता है। वक्फ बोर्डों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वस्तुतः, शियाओं और सुन्नियों के अलग-अलग वक्फ हैं।

इस संसद ने वक्फ अधिनियम को वर्ष 1995 में अधिनियमित किया था जिस पर अब और अधिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि बदलते समय के अनुसार एक व्यापक कानून लाया जाए।

जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, श्री बनातवाला ने ठीक कहा है कि वक्फ बोर्डों को मजबूत करने की आवश्यकता है। श्री हन्नान मोल्लाह पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है और वे कतिपय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे तथा उन बाधाओं के बारे में भी उल्लेख कर रहे थे जो उनके कर्त्तव्य निर्वहन के रास्ते में आ रही है। इन सभी पहलुओं के मद्देनजर इस विधान का तत्काल पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है। श्री बंद्योपाध्याय भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। यह एक ऐसा रोग है जो हमारे जीवन में सर्वत्र फैला हुआ है।

[श्री रमेश चेन्नितला]

इस बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा की जाती है और इससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह पवित्र और धमार्थ कार्य करे। दुर्भाग्यवश, वे भी एक प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु इन भ्रष्टाचारों को रोकना होगा। देश के लगभग सभी राज्यों में वक्फ बोर्डों के नियंत्रण में काफी सम्पत्तियां हैं। परन्तु उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया है जबकि उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम जो इस योजना के वास्तविक लाभार्थी हैं, इसके लाभों से वंचित हैं। इसलिए, वक्फ बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकाधिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें समाज के वंचित वर्ग को शैक्षणिक और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए।

अनियमितताओं की अनेक शिकायतें आ रही हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली में ही-मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता-वक्फ की सम्पत्तियां लोगों को पट्टे पर दी गयी हैं। अब इस सम्पत्ति का बार-बार हस्तांतरण हो रहा है। अंततः, इसका उपयोग वे व्यक्ति कर रहे हैं जिन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यही सब घटित हो रहा है। सरकार को वक्फ बोर्ड के सम्पूर्ण संचालन का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है।

इस संबंध में कानून की कमी नहीं है। स्वयं वक्फ बोर्ड अधिनियम में बोर्ड को काफी अधिकार दिए गए हैं। धारा 32 बोर्ड को काफी अधिकार प्रदान करती है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह बोर्ड वस्तुतः हमारे देश में मुस्लिम समुदाय विशेषकर पिछड़े मुस्लिमों की सुरक्षा व कल्याण हेतु अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा उनका कार्यान्वयन करता है। आज भी केरल जैसे राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम हैं। वहां साक्षरता दर बहुत कम है। यद्यपि कि वहां शैक्षणिक संस्थाएं मौजूद है, वे समुचित शिक्षा से वंचित है। सरकारी सेवाओं में मुस्लिम कर्मियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। केरल एक ऐसा राज्य है जो मुस्लिमों को बारी-बारी से आरक्षण प्रदान कर रहा है। यद्यपि कि हमारे राज्य में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है उनकी संख्या काफी कम है। अन्य चीजों की तरह वक्फ की सम्पत्ति का भी दुरुपयोग हो रहा है।

श्री हन्नान मोल्लाह कतिपय उदाहरणों का उल्लेख कर रहे थे। वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत हस्तांतरित संपत्ति वक्फ संपत्ति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उसका उचित रूप से रख-रखाव किया जा सकता है। वर्ष 1995 के वक्फ अधिनियम की धाराएं 54, 55 और 56 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण की गई संपत्ति को कोई व्यक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन सारी बात यह है कि, इन धाराओं को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को उन व्यक्तियों को बेदखल करने का अधिकार है जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा है। धारा 55 स्पष्ट रूप से कहती है:

> ''जहां धारा 54 की उपधारा (3) के अंतर्गत आदेशित व्यक्ति आदेश के विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने में असफल रहता है, जैसी भी स्थिति हो, उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर आदेश से संबंधित भूमि, भवन, स्थान अथवा अन्य संपत्ति को खाली कराने में असफल रहता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भूमि, भवन, स्थान अथवा अन्य संपत्ति के न्याय क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के तहत अतिक्रमणकर्त्ता को बेदखल करने के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है और उस आवेदन पर, उक्त मजिस्ट्रेट अतिक्रमणकर्त्ता को अतिक्रमण हटाने का निदेश देते हुए एक आदेश देगा, अथवा जैसी भी स्थिति हो भूमि, भवन, स्थान अथवा अन्य संपत्ति खाली कराने और संबद्ध मुत्वली को सौंपने और आदेश का पालन न करने की स्थिति में अतिक्रमण हटाने, जैसी भी स्थिति हो अतिक्रमणकर्त्ता को भूमि, भवन, स्थान अथवा संपत्ति से बेदखल करने और इस प्रयोजनार्थ आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार की पुलिस सहायता ले सकता है।''

इस संबंध में कानून का अभाव नहीं है। धारा 55 और 56 भी वक्फ संपत्ति को पट्टे पर देने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है। वह अन्य समस्या है जो बारहमास बनी रहती है। इन वक्फ सम्पत्तियों को कुछ व्यक्तियों द्वारा उप-पट्टे पर दिया जाता है। यह बात दिल्ली के राजधानी शहर और अन्य स्थानों पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अतः, कानूनों का अभाव नहीं है। बात केवल यह है कि हम कानूनों को किस प्रकार लागू कर रहे हैं। अधिकांश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) कानूनों को उचित तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद है कि वे ये अधिकारी कुछ उन व्यक्तियों से मिले हुए हैं जो वास्तविक अतिक्रमणकर्त्ता हैं। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है। दुर्भाग्यवश समुदाय को कष्ट हो रहा है। मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड से अनुचित सहायता नहीं मिल रही है।

मैं माननीय मंत्री से बोर्ड के संविधान पर भी पुनः दृष्टिपात करने का अनुरोध करूंगा। बोर्ड के संविधान के संबंध में अनेक अभ्यावेदन दिए गए थे। इसमें कतिपय कमियां हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी वास्तव में समाज कल्याण के क्रियाकलापों में रुचि है उन्हें बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। इस पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस सभा के विद्वान सदस्य श्री बनातवाला को बधाई देता हूं। वह एक अति वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं और उन्हें मुस्लिम पर्सनल ला और वक्फ अधिनियम का भी काफी ज्ञान है। वे वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने के साधारण लक्ष्य के साथ इस विधान को लेकर आए हैं।

मैं नहीं समझता कि भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है। मेरा पूरा मुद्दा यह है कि वक्फ अधिनियम में कई उपबंध हैं। इन उपबंधों को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि वक्फ की संपत्तियों को बचाया जा सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं श्री बनातवाला का समर्थन न करने हेतु स्थिति स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सभी जानते हैं कि आज कल अतिक्रमण की समस्या आम बात है। सब जगह अतिक्रमण हो रहा है न केवल वक्फ संपत्तियों पर बल्कि सरकारी संपत्तियों पर भी अतिक्रमण हो रहा है। यदि मैं इस बात को रखूं तो यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। वन भूमि पर अवैध कब्जा वन अधिनियम के बावजूद देश में काफी क्षेत्र पर है। यह वन अधिनियम और भू-राजस्व कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अतिक्रमण में राजस्व अधिकारी और वन अधिकारी को अतिक्रमणकर्त्ताओं और अतिचारियों के साथ सांठ-गांठ है। परिणामत: सरकारें एक विशेष तिथि की घोषणा करने के लिए बाध्य होती है और इस तारीख से पूर्व सभी अतिक्रमणों को कानूनी दर्जा दे दिया जाएगा और उसके बाद के अतिक्रमणों को अपराध माना जाएगा। तत्पश्चात् उस विशेष वर्ष के बाद अतिक्रमण के लिए दिए गए कानूनी दर्जे में पुन: उस वर्ष में परिवर्तन कर दिया जाएगा। हम लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति पाते हैं। परिणामत:. अति गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे सामने आए हैं आज बादल-फटने की घटना आम हो गई है। जलवायु संबंधी स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है। अत: अतिक्रमण एक अति गंभीर समस्या है। केवल यही नहीं, बल्कि अतिक्रमणकर्त्ता वन्य जीवों के प्रति अमानवीय क्रूरता दिखाते हैं। हमें इन वन्य जीवों के प्रति दिखाई गई क्रूरता की कोई चिंता नहीं है। हमें केवल गायों के प्रति क्रूरता की चिंता है और किसी की चिंता नहीं।

हमारे देश में एक कानून है जो यह निश्चित करता है कि हमें पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन क्रूरता दिखाना आज आम बात हो गई है। वन्य जीव प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ऐसा उनकी भूमि पर अतिक्रमण के कारण हो रहा है। हमारे देश में यही स्थिति है।

महोदय, श्री बनातवाला ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं और मुझे इनमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका एक पहलू है। क्या भारतीय दंड विधि में संशोधन करके वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा? यह भारतीय दंड विधि अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है और यह समाज के सभी वर्गों पर लागू होता है। इसमें अपमिश्रण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कानून में कुछ और जोड़कर इसे खराब क्यों किया जाये। धर्म और विश्वास पर विचार किये बिना दंड विधि लागू होती है। यह देश के सभी नागरिकों पर लागू होती है। फिर वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर विचार करने के लिए एक नया अलग अध्याय क्यों हो? ऐसी स्थिति में मुझे भय है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिन्दुओं की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु एक नये अध्याय का आदेश देना पड़ेगा और हिन्दुओं की सम्पत्तियों की रक्षा भी कानून में एक अलग अध्याय बनाकर करनी पड़ेगी और फिर हिन्दू अपनी सम्पत्ति को अतिक्रमण से बचाने हेतु एक अलग अध्याय की मांग करेंगे।

महोदय भारतीय दंड विधि में किसी प्रकार का और अध्याय जोड़ने का कृत्य काफी खतरनाक होगा। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। श्री बनातवाला का उद्देश्य पूरा हो गया है। अन्य और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की रक्षा की जा सकती है। वक्फ बोर्ड कानून को कठोर बनाये जाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसे और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। हमें इस प्रयोजनार्थ भारतीय दंड विधि को नहीं बदलना चाहिए। भारतीय दंड संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। हम इस कानून पर कोई धार्मिक रंग नहीं चढ़ा सकते हैं। यह धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा। मैं श्री बनातवाला से अनुरोध करता हूं कि वह वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों से संबंधित एक विशेष अध्याय का अंत:स्थापन करने पर जोर न दें। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसके ठीक अगले दिन ही हिन्दू, पारसी और अन्य अपनी सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु इस कानून में अलग-अलग अध्याय जोड़ने की मांग करने लगेंगे और यही नहीं व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भी कानून बनाने की मांग होने लगेगी। यह बिल्कुल अतार्किक बात है। वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु अनेक आसान तरीके हैं।

महोदय, भ्रष्टाचार भी तो व्याप्त है। श्री हन्नान मोल्लाह ने- पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के संबंध में अपने कटु अनुभवों का उल्लेख किया है। इन सभी बातों की सुरक्षा की जानी चाहिए। हमें दंड विधि में बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। शब्द 'अतिचार' भारतीय दंड संहिता की धारा 447 और 448 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 447 में सामान्य अतिचारों के संबंध में उल्लेख किया गया है तथा धारा

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

448 में अन्य प्रकार के अतिचार संबंधी गम्भीर मामलों का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय दंड संहिता में अतिचार की स्पष्ट परिभाषा है और इसके लिए सजा का भी उपबंध किया गया है, तो फिर एक अलग अध्याय बनाकर इस उपबंध को साम्प्रदायिक रंग दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है। इसके कारण, मैं इसका सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं श्री बनातवाला से इस संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने का अनुरोध भी कर रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अन्य प्रभावी तरीके भी हैं। तथापि, मैं उन्हें इस संशोधन का प्रस्ताव करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यहां एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। हमारी न्यायिक प्रणाली संकट की स्थिति से गुजर रही है और इसके लिए हमने मलिमथ समिति गठित की है। इस समिति का प्रतिवेदन और सिफारिशें सरकार को सौंप दी गयी है। सरकार इसे गुप्त क्यों रख रही है? सिफारिशों का मात्र एक सारांश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं सरकार से मुझे उसकी एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): यह प्रतिवेदन ग्रंथालय में है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप कृपया इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करवाएं। लोगों को इस पर चर्चा करने दें। प्रतिवेदन की प्रति ग्रंथालय में रखना मात्र काफी नहीं है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह मुद्रणाधीन है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: भारत की जनता को यह जानने दें कि आखिर सिफारिशें क्या हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कतिपय टिप्पणियां की है। इसलिए, हम मलिमथ समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित करवाना चाहते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में जान सके। लीगल कम्युनिटी और बार एसोसिएशन को इस पर चर्चा करने दीजिये। इसे ग्रंथालय में रखना काफी नहीं है। इसे अवश्य प्रकाशित कराया जाना चाहिए। हमारे यहां दाण्डिक न्याय और सिविल न्याय संकट के दौर से गुजर रहा है। यह खर्चीला है और इसमें काफी देर लगती है। दोषसिद्धि दर के मामले में जटिल प्रक्रिया और दु:खद स्थिति है। जब हम इसकी तुलना अन्य सभ्य राष्ट्रों से करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारा दांडिक प्रशासन काफी स्तरहीन है और दोषसिद्धि दर काफी कम है। इसलिए, हमें इसको इस स्थिति से उबारना होगा।

इस प्रयोजनार्थ, मलिमथ समिति की सिफारिशें क्या हैं? इन सिफारिशों पर राष्ट्रीय बहस होने दीजिये। हम औपनिवेशक शासन के दौरान लार्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित कानून को बदलेंगे। हमें भारतीय दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। हमें आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में भी आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। मैं परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूं। मैं ऐसी प्रणाली के लिए लड़ रहा हूं जो सच्चाई को ढूंढ निकाले। हमेशा सच्चाई की विजय होनी चाहिए। परन्तु अतिक्रमण अधिनियम प्रणाली पूर्णत: अलग है। अभियुक्त के लिए निर्दोष होने का अभिनय करना काफी नहीं है।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह जनता के हित में मलिमथ समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित करायें ताकि इस पर राष्ट्रीय बहस हो सके नई सिफारिशें आएं और हम उन्हें लागू कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक, 2001, जिसे इस सदन के सदस्य श्री जी.एम. बनातवाला जी ने रखा है, का विरोध करता हूं। भावनात्मक रूप से मैं सहमत हो सकता हूं कि अपराधी को अपराध की ज्यादा से ज्यादा सजा मिले किन्तु उन्होंने भारतीय दंड संहिता में जिस प्रकार का संशोधन चाहा है, अगर वह हो गया तो देश में दोहरा कानून हो जायेगा। दोहरे कानून के अनुसार एक धर्म के लिए अलग कानून हो जायेगा और दूसरे धर्म के लिए अलग कानून हो जायेगा। जो कदापि उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि इस देश में समान नागरिक कानून बनना चाहिए, यह उस भावना के विपरीत होगा। इसलिए मैं बिल का विरोध कर रहा हूं।

माननीय बनातवाला जी ने चिंता व्यक्त की है कि वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वे उस पर कब्जा जमाकर उसको निजी सम्पत्ति के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूं। परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जितने धार्मिक संस्थान हैं, उन सब में इस प्रकार के अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। एक समय था जब लोग स्वयं की भूमि देकर, स्वयं का पैसा देकर धार्मिक संपत्ति का निर्माण करते थे, उसका रख-रखाव करते थे। अगर कोई व्यक्ति उस पर बुरी नजर रखता था, उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता था तो समाज के ही लोग उससे निपटकर उसे इस प्रकार की गतिविधि से वंचित कर देते थे और अतिक्रमण होने या इस प्रकार की और गड़बड़ी होने से रोक देते थे। परन्तु आज सब तरफ इस तरह की भावना बढ़ती जा रही है।

यह बात सही है कि सामान्यत: धार्मिक संस्थाएं बहुत कम निजी जमीन पर बनती हैं। सामान्यत: ज्यादातर अतिक्रमण करके ही बना लेते हैं या सरकार से एलाट करा लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो कागजी पक्ष सरकार की उस संस्था के पास होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार की कई गड़बड़ियां रहती हैं। इस कारण वर्तमान में जो व्यवस्था है, उसमें राजस्व न्यायालय में अतिक्रमण के खिलाफ केस चलता है और एक नहीं अनेक वर्षों तक इस प्रकार के केस चलते रहते हैं। मैंने एक-दो मामलों में ऐसा अनुभव किया है कि किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, किसी की खेती पर किसी ने कब्जा कर लिया और उनकी दो-दो पीढ़ियां मर गईं, 35-35 साल से न्यायालय में केस चल रहे हैं। तहसीलदार के यहां निर्णय होगा तो एसडीएम के यहां अपील होगी, एसडीएम के यहां से निर्णय होगा तो कलैक्टर के यहां अपील होगी, कलैक्टर के यहां से निर्णय होगा तो कमिश्नर के यहां अपील होगी, फिर केस रिवैन्यू बोर्ड में जाएगा और रिवैन्यू बोर्ड से कुछ हुआ तो सिविल न्यायालयों में चला जाएगा और सिविल न्यायालय में एक से एक ऊपर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इसमें हैं। निश्चित रूप से अतिक्रमणकर्त्ताओं को ज्यादा से ज्यादा दंड मिलना चाहिए, अतिक्रमण को सख्ती से रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। परन्तु यहां जो आईपीसी की धारा 291 के साथ क, ख, ग 3 सब-सैक्शन और जोड़ देंगे तो यह केवल वक्फ सम्पत्ति के लिए हो जाएगा अर्थात् मुस्लिम धर्म के लिए हो जाएगा परन्तु अगर कहीं मंदिर, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक संस्थान में अतिक्रमण हुआ तो उसके लिए वर्तमान कानून ही लागू होगा। केवल वक्फ सम्पत्ति के लिए यह कानून लागू हो, यह कदापि उचित नहीं है।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। जो बहु-विवाह होते हैं, मध्य प्रदेश में एक उदाहरण सामने आया था-शाहबानो, इंदौर की निवासी थी। उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। शाहबानो ने न्यायालय में केस दर्ज कर दिया। एक कोर्ट में कम्पैंसेशन के लिए उनके पक्ष में फैसला दिया। सामने वाला, जिसनें उसे छोड़ दिया था अर्थात् उनका पहले वाला पति, उसने फिर अपील की। उसमें भी शाहबानो जीत गईं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, शाहबानो को जिसने त्याग दिया था, उससे कहा कि आप इनको हर्जा-खर्चा दें। परन्तु उस समय उनको हर्जा-खर्चा देने के बजाए इस संसद ने संविधान में बैक डेट से संशोधन किया और यह प्रावधान कर दिया कि जिस व्यक्ति ने उस पत्नी को छोड़ा है, उसकी जांच की जाएगी कि वह पैसा देने में सक्षम है या नहीं जो बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। जब उसने दूसरी शादी की और उसका लालन-पालन कर रहा है, जब वह सक्षम होगा तभी तो की होगी। परन्तु उसका एक रास्ता यह निकाला गया कि अगर यह पाया जाए कि वह कम्पैंसेशन देने में आर्थिक दृष्टि से अक्षम है तो वक्फ की सम्पत्ति से उसे पैसा दिया जाएगा अर्थात् परित्यक्ता महिला शाहबानो वक्फ सम्पत्ति से पैसा लेने के लिए पात्र हो गई।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वक्फ संपत्ति जनता की संपत्ति में से बनती है। सरकारी टैक्स के पैसे में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वक्फ बोर्ड को पैसा देते हैं। पैसा हम लोगों का, पत्नी को छोड़कर गड़बड़ी उसने की, सजा उसे मिलनी चाहिए, उसके बजाए जनता को सजा मिल रही है, जनता का पैसा उस परित्यक्ता को दिलवाने की बात की गई है। इस प्रकार का दोहरा कानून अगर इस देश में बना तो उससे कभी भी संतुष्टि नहीं होगी और धार्मिक समरसता और अपनत्व भाईचारा निर्मित नहीं होगा। इसलिए मैं दोहरा कानून बनाने की बात का विरोध करता हूं। इसमें इसी प्रकार की बात आई है। अगर यह संशोधन विधेयक पास हो गया तो इस देश में दोहरा कानून लागू हो जाएगा।

मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं अतिक्रमण को रोकने की दृष्टि से मंदिरों आदि के ट्रस्ट बनाकर, कलैक्टर को उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। कलैक्टर के नियंत्रण में वह होता है। सामान्यत: अन्य धार्मिक संस्थानों में अतिक्रमण की प्रवृत्ति कम है। अगर कोई अतिक्रमण करता भी है तो, क्योंकि कलैक्टर उसका अध्यक्ष है और उसके पास डीएम की पावर भी रहती है, इसलिए वह उन अधिकारों का उपयोग कर उस अतिक्रमण को होने से रोक सकता है। अगर अतिक्रमण हो गया तो उसे हटाकर अतिक्रमणकर्त्ता को वह दंडित भी कर देते है। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मंदिरों, गुरुद्वारों पर जो कानून लागू हैं, वैसे ही कानून अगर इनके ऊपर कर दिया जाए तो वक्फबोर्ड की सम्पत्ति का अतिक्रमण रूक जाएगा। इसी भावना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में एक विस्तृत विधेयक लाए। धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग करने के खिलाफ, इस प्रकार की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने तथा अतिक्रमण हटाने संबंधी एक विस्तृत विधेयक लाए जिससे बनातवाला साहब की भावना का आदर हो और समस्या का निदान भी हो जाएगा। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह ऐसा विधेयक लाए, अधिनियम लाए जो इस समस्या को रोकने का काम करे। धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, बनातवाला साहब जो बिल लाए हैं, जो वक्फ समिति होती है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको इकानोमिकली और सोशली मदद देनी चाहिए और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसका विरोध करने

[श्री रामदास आठवले]

की आवश्यकता नहीं है। बिल को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज वक्फ सम्पत्तियों का कुछ लोग व्यक्तिगत लैवल पर दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वक्फ सम्पत्ति मुस्लिम समाज के लिए है तो समाज के इकानोमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। बनातवाला साहब जो बिल लाए हैं, हर राज्य में वक्फ समिति पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अगर कोई संस्था अच्छा काम कर रही है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए लेकिन अगर जो गलत काम कर रही है तो उसके अधिकार निकालने के बारे में भी राज्य को सोचना चाहिए। भारत सरकार को पार्लियामेंट में कानून बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए बनातवाला जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो मुस्लिम समाज हमारे देश में है, उसके इकानोमिक और सोशल विकास के लिए यह कानून बनाना जरूरी है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि बनातवाला जी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है, उसके बारे में विचार करके इस कानून को लागू करना चाहिए। मैं बनातवाला जी के इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया। पूरे देश के सामने आज समस्या है। आज वक्फ बोर्ड किसी भी प्रदेश का हो, बहुत ही अजीब परिस्थितियों से गुजर रहा है। तमाम प्रोपर्टीज पर ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो उसके लिए मुस्तहिक नहीं है। कानून अपनी जगह पर है लेकिन सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण नहीं है जिससे उसको इम्पलीमेंट किया जा सके। आज वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टीज पर जो मुतवल्ली बैठे हैं, वे ही उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत मकसद के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। चाहे केन्द्र का वक्फ बोर्ड हो या प्रदेश का वक्फ बोर्ड हो, मुत्वल्लियों को कोई भी डर नहीं है जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही करके इस गलत कार्य को रोका जा सके। कितनी प्रोपर्टीज पड़ी है जिन पर नाजायज कब्जा है और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बनातवाला साहब का बिल को लाने का मकसद यह है कि सरकार की तरफ से और प्रदेश की तरफ से इतना खौफ तो होना चाहिए कि इन गलत कामों को रोका जा सके। कोई नियम इसमें जोड़ा जाए जिससे यह डर पैदा हो कि गलत काम करने से यह सजा मिल सकती है। सरकार चाहे किसी रूप में इसे लाए ताकि वक्फ प्रोपर्टी का सही मकसद पूरा हो सके और जो वक्फ बोर्ड पर मुत्वल्ली के नाम पर काबिज किये बैठे हैं या किसी और कानूनी स्टे के जरिए बने बैठें हैं, उनको किस तरह से रोका जाए जिससे उस प्रोपर्टी का सही इस्तेमाल हो सके और जिस तरह से वाकिफ में इस प्रोपर्टी को वक्फ किया है, समाज के लिए किया है, खास उद्देश्यों के लिए किया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और सही इस्तेमाल हो सके। अगर आज कोई सख्ती होती, कोई डर होता कि यदि हमने इस तरह से वक्फ प्रोपर्टी का गलत इस्तेमाल किया तो हमें सजा मिल सकती है, आज इस किस्म का कोई प्रावधान नहीं है। 1995 में जो वक्फ बोर्ड का एक्ट आया है, इसमें यह प्रावधान तो है कि नाजाएज कब्जे से प्रापर्टी वापिस ली जा सकती है, लेकिन कोर्ट में 50-50 सालों से बगैर मकसद के ऐसे मुकदमें पेंडिंग हैं। इसलिए ऐसी वक्फ कमेटी या कोर्ट बनाया जाए, जो वक्फ के मुकदमात को अलग से सुनकर निदान कर सके। जिन्होंने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है और प्रापर्टी का मिसयूज कर रहे हैं मुतवल्लियों पर इस वक्फ बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक्ट है, प्रदेशों में भी वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन मुतवल्ली उनके प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि जो मुतवल्ली वक्फ के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वक्फ की प्रापर्टी को बचाने के लिए वह इस पर ध्यान देगी। यह नेशनल इंटरेस्ट में भी है, यह प्रापर्टी अवाम की है, उसको फायदा पहुंच सके, तालीम के लिए, हास्टल्स के लिए कई ऐसी चीजें हैं, जो समाज के काम में आ सकती हैं। लेकिन अभी ये प्रापर्टीज समाज के उद्देश्यों की पूर्ति न करते हुए जाती इस्तेमाल में आ रही हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को ऐसा कोई प्रोविजन करना चाहिए। इसके अलावा जो 20-20 साल से, 40-40 साल से केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनके लिए अलग कोर्ट बनाकर उनका निदान किया जाए।

अपराह्न 5.48 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

खासतौर से जो मुतवल्ली लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ भी इस संबंध में कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उनको दंड नहीं दिया जाता, और यह एहसास नहीं होता कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वे कभी भी वक्फ प्रोपर्टी पर कब्जा कर सकते हैं और दूसरों को लीज पर दे देते हैं। उसके बाद कोई वक्फ उसको रोक नहीं सकता और न ही कोर्ट से कुछ निर्णय हो पाता है। इस कारण वे सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए बनातवाला जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसका सरकार को समाधान निकालना चाहिए केन्द्र सरकार को और प्रदेश की सरकारों को इस संबंध में पूरा ध्यान देकर इस वक्फ प्रोपर्टी को बचाया जाना चाहिए।

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم بل پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ پورے ملک کے سامنے پریشانی ہے۔ آج وقف بورڈ کسی بھی پردیش کا ہو، بہت ہی عجیب حالت سے گذر رہا ہے۔ تمام پراپرٹیز پر ایسے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے جو اس کے لئے مستحق نہیں ہیں۔ قانون اپنی جگہ پر ہے لیکن سرکار کی طرف سے کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ جو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ آج وقف بورڈ کی پراپرٹیز پر جو متولی بیٹھے ہیں وہ ہی اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ذاتی مقصد کے لئے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ چاہے مرکز کا وقف بورڈ ہو یا پردیش کا وقف بورڈ ہو، متولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے جس سے ان کے خلاف کاروائی کر کے اس غلط کام کو روکا جا سکے۔ کتنی پراپرٹیز پڑی ہیں جن پر ناجائز قبضہ ہے اور جس پر سرکار کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ بنات والا صاحب کا بل کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے اور پردیش کی طرف سے اتنا خوف تو ہونا چاہئے کہ ان غلط کاموں کو روکا جا سکے۔ کوئی قانون اس میں جوڑا جائے جس سے یہ ڈر پیدا ہو کہ غلط کام کرنے سے یہ سزا مل سکتی ہے۔ سرکار چاہے کسی روپ میں اسے لائے تاکہ وقف پراپرٹی کا صحیح مقصد پورا ہو سکے اور جو وقف بورڈ پر متولی کے نام پر قبضہ کئے بیٹھے ہے یا کسی اور قانون اپنے کے ذریعے بنے بیٹھے ہیں، ان کو کس طرح سے روکا جائے جس سے اس پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو سکے اور جس طرح سے واقف نے اس پراپرٹی کو وقف کیا ہے، اس سماج کے لئے کیا ہے، خاص مقصد کے لئے کیا ہے، ان مقاصد کو پورا کیا جا سکے اور ان کا صحیح استعمال ہو سکے۔ اگر آج کوئی سختی ہوتی، کوئی ڈر ہوتا کہ اگر ہم نے اس طرح سے اس وقف پراپرٹی کا غلط استعمال کیا تو ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ آج اس قسم کا کوئی پراودھان نہیں ہے۔ یہ جو پراودھان ہے، سیکشن 95 میں جو یہ ترمیم بل آیا ہے، وقف بورڈ کا ایکٹ آیا ہے، اس میں یہ پراودھان تو ہے کہ ان سے پراپرٹی لی جا سکتی ہے، لیکن کورٹ میں 50-50 سالوں سے بغیر مقصد کے ایسے مقدمے پینڈنگ ہیں۔ اسلئے ایسی وقف کمیٹی یا کورٹ بنایا جائے، جو وقف کے مقدمات کو الگ سے سُن کر بدان کر سکے۔ جنھوں نے ناجائز روپ سے قبضہ کر رکھا ہے اور پراپرٹی کا مس یوز کر رہے ہیں اور متولیوں پر ان وقف بورڈ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سینٹرل وقف بورڈ ایکٹ ہے، پردیشوں میں بھی وقف بورڈ ہے، لیکن متولی ان کی طرف جواب دہ نہیں ہیں۔ ان کے خلاف کاروائی کے لئے کوئی پروویژن ہونا چاہئے۔ اسلئے ایسا کوئی پراودھان ہونا چاہئے کہ جو متولی وقف کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے۔ اسلئے میں سرکار سے اُمید کرتا ہوں کہ وقف کی پراپرٹی کو بچانے کے لئے وہ اس پر دھیان دے گی۔ یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے، یہ پراپرٹی عوام کی ہے، اس کو فائدہ پہنچ سکے، تعلیم کے لئے، ہاسٹلس کے لئے اور کئی ایسی چیزیں ہیں، جو سماج کے کام میں آ سکتی ہیں۔ لیکن ابھی پراپرٹیز سماج کے مقاصد کو پورا نہ کرتے ہوئے ذاتی استعمال میں رہی ہیں۔ اس کو روکنے کے لئے سرکار کو ایسا کوئی پروویژن کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ جو 20-20 سال سے، 40-40 سال سے مقدمات کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کے لئے الگ کورٹ بنا کر ان کا بدان کیا جائے۔

خاص طور سے جو متولی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف بھی اس سمبندھ میں کاروائی کی جائے۔ اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اور جو متولی ہیں، ان کو سزا نہیں دی جاتی، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے خلاف کاروائی ہوگی، تو وہ کبھی بھی وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو لیز پر دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی وقف اس کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی کورٹ سے کچھ فیصلہ ہو پاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ سارے مقامات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بنات والا جی نے جو بل پیش کیا ہے، اس کا سرکار کو حل نکالنا چاہئے، مرکزی سرکار کو اور پردیش کی سرکاروں کو اس سمبندھ میں پورا دھیان دے کر اس وقف پراپرٹی کو بچایا جانا چاہئے۔

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते समय मैं सभा को एक महत्वपूर्ण मामलों की याद दिलाना चाहता हूं। यदि मुझे ठीक याद हैं तो वर्ष 1995 में जब तत्कालीन कल्याण मंत्री स्वर्गीय श्री सीताराम केसरी द्वारा विधेयक लाया गया था तो सभा में दलों के बीच एक आम सहमति थी कि विधेयक पूरा नहीं है और यह विधेयक पर्याप्त व्यापक नहीं है। किन्तु तत्कालीन मंत्री ने हमें एक बात का आश्वासन दिया। बात यह है कि हमने जो भी संशोधन प्रस्तुत करने की मांग की थी तो हमसे उन्हें आस्थगित रखने के लिए कहा गया था क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा था वह संबंधित लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा मामला है जिसे हमने उस समय उठाया था।

वक्त के नाम पर निहित स्वार्थ करने वाले सभी लोग जिनकी धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए कोई सम्मान नहीं है राष्ट्र की आखों के सामने ही सम्पत्ति को लूट रहे हैं और कुछ भी नहीं किया जा सका। जब वक्फ से संबंधित सम्पत्ति वसूल करने के लिए वक्फ बोर्ड में कोई प्रस्ताव आता है जो अन्तत: ईश्वर के पास जानी है क्योंकि उसे वक्फ बोर्ड को छोड़कर किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था से संबंधित नहीं होना है: कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कुछ लोगों से, जो वक्फ की सम्पत्तियां लूट रहे हैं, सम्पत्तियां प्राप्त करना देश की सरकार के लिए तत्काल लोक महत्व का मामला है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को किराये आदि के रूप में नगण्य धनराशि देकर अनेक संपत्तिया बेच डाली हैं। वे अन्य लोगों को संपत्ति उप भाड़े पर दे रहे हैं। संपत्ति को उप भाड़े पर देकर वे तमाम पैसा बना रहे हैं। राजधानी दिल्ली जैसे शहर में भी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनेक भूखंडों पर अतिक्रमण किया गया है। अधिनियम 1995- धारा 54, 55 और 56 में कुछ प्रावधान हैं। इन धाराओं के अनुसार वक्फ बोर्ड इन मामलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। वक्फ बोर्ड दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। किन्तु कुछ नहीं किया गया है। कुछ कारणों से यह कार्य नहीं किया जा सकता। यदि मामला न्यायालय में भी ले जाया जाए, यदि इस न्यायालय द्वारा ही कार्रवाई शुरू की जाए तो वे पूर्व न्याय और सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के बारे में कुछ आपत्तियां उठाएंगे।

इस पर स्थगन आदेश होगा। तत्पश्चात् वह आपराधिक न्यायालय यह भी कहेगा कि चूंकि यह मामला सिविल प्रकृति का है इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर सकेंगे? अत: मुतवल्ली के नाम से अन्तत: ये लूटने वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यही समय है कि सरकार कदम उठाये और ऐसी लूट को रोके।

महोदय, इस देश की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष हैं और इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्सनल ला (धार्मिक कानून) रखने का विशेषाधिकार दिया गया है और राज्य इसका समर्थन करता रहा है। यह इंडिया अर्थात भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कोई नागरिक चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुस्लिम हो अथवा ईसाई हो, उसे अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है और उसे इस प्रयोजनार्थ उस सम्पत्ति का प्रबंधन करने का भी अधिकार है। जिसके लिए वह सम्पत्ति दी गई है। यहां जैसाकि श्री बनातवाला ने विधेयक के उद्देश्यों और औचित्यों के विवरण में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सरकार अतिक्रमण को हटाने के मात्र आदेश के रूप में ही इसे देखने की अपेक्षा वक्क संपत्ति के किसी अतिक्रमण को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिए। विशेषकर ऐसा इसलिए है क्योंकि वक्फ संपत्ति स्थायी रूप से पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए छोड़ी जाती है। यदि अतिक्रमण को गम्भीरतापूर्वक

[श्री ई. अहमद]

नहीं लिया जाता हैं तो वह धर्मार्थ प्रयोजन, वह पवित्र प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। अत: मैं सरकार से श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन को स्वीकार करते हुए इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह राष्ट्रीय हित में है, यह किसी विशेष समुदाय के हित में नहीं है। यह जनता की संपत्ति है। यह उन लोगों को संपत्ति है जो पवित्र प्रयोजनार्थ इस संपत्ति को न्यायोचित और कानूनी रूप से इस सम्पत्ति को अपनाए हुए हैं। अत: मेरा सरकार से इस संशोधन पर विचार करने का पुरजोर अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैं इस विषय को आज ही समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री ई. अहमद: मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इस्लामी देशों की बिरादरी में हमारे देश की स्थिति यह है कि यही एक ऐसा देश है जो धार्मिक अल्प सरकारों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जहां तक इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का संबंध है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। यदि यह संसद यह धर्मनिरपेक्ष संसद वक्फ संपत्ति का ऐसा सुरक्षा अधिनियम पारित करती है और इस संपत्ति को लूटने वालों से, निहित स्वार्थ वालों से बचाती है तो यह इस संसद के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम होगा।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह बिल जो माननीय बनातवाला जी आईपीसी को अमेंड करने के लिए लाए हैं कि वक्फ की प्रापर्टी पर जो जबरन कब्जे हो रहे हैं, इसका मिसयूज हो रहा है, जो प्रापर्टी अच्छे काम के लिए डैडिकेटिड की गयी थी लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है, उसे रोकने के लिए, यह बिल लाए हैं। उनकी मंशा और भावना बहुत अच्छी है। माननीय बनातवाला जी के अलावा जो 11 मैम्बर्स बोले हैं, चाहे वे किसी भी दल के रहे हों, सभी ने एक मत से इस बात को सपोर्ट किया है कि ऐसी प्रापर्टीज की हिफाजत होनी चाहिए। ऐसे कानून बनाने चाहिए और ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए जिसके हिसाब से, जो गलत किस्म के लोग हैं, जो समाज के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो सके। यह बात सही है और खुद बनातवाला जी ने भी महसूस किया होगा कि इस आईपीसी अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है। जैसे माननीय बंद्योपाध्याय जी ने कहा कि बंगाल में तो एक ऐसी ज्यूडिशियल इंक्वायरी हुई। वहां के मुतावक्ल्लीज हों या वक्फ का मैनेज करने वाले लोग हों, उनका नैक्सेस कुछ आफिसर्स और असामाजिक तत्वों के साथ बन जाता है। उसके लिए उनको ज्युडिशियल इंक्वायरी करानी पड़ी। इसी तरह माननीय चेन्नितला जी और माननीय अनादि साहू जी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड के प्रोविजन्स हैं, सैक्सन 32 के अनुसार, जिनका जिक्र यहां किया है कि सैक्शन 52, 54, 55, 56 अपने आप में सक्षम हैं और काफी अच्छे हैं, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर स्वयं एक्शन ले सकता है, इक्विशन के आर्डर पास करने के बाद अगर उनको कामयाबी मिले तो एसडीएम को अप्रोच कर सकता है। हमारे सीआरपीसी में पहले से कानून है कि वक्फ के मुलाजिम, वक्फ की प्रापर्टी मैनेज करने वाले अफसरान अगर फुर्ती से काम करें और अगर कोई वक्फ की प्रापर्टी पर इंक्रोचमेंट करें तो उसी वक्त किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं।

एग्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एप्रोच करने के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के नीचे धारा 147 में नोटिस जारी हो सकता है और 145 में वह प्रापर्टी अटैच हो सकती है। उसके बाद जब वह फैसला दे, तो वक्फ की प्रापर्टी, जिस किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है या कब्जा कर लिया है, उसको वापिस दिला सकते हैं। यह भी एक सीआरपीसी की धारा 143 से लेकर धारा 148 तक प्रिवैंटिव मैजर्स हैं और प्रिवैंट किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनें, तो वह सिविल कोर्ट में जा सकता है। सिविल कोर्ट में यह लम्बा सिलसिला लगता है। मैं समझता हूं कि यह बात सभी मैम्बरान ने कही है कि आईपीसी में एमेंडमेंट से बात नहीं बनेगी। जहां तक बनातवाला जी ने कहा कि यह रिलीजियन के खिलाफ होगा, क्योंकि यह आफैंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियन है। मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं रखता हूं। किसी भी मैम्बरान ने शायद इससे सहमति प्रकट नहीं की है। चैप्टर-15 भी आफैंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियन है। उनमें सैक्शन्स के हैडिंग हैं-

[अनुवाद]

> "पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर, बैर भाव अथवा इच्छापूर्वक भड़काना, धार्मिक सभा में बाधा डालना, कब्रिस्तानों का अतिक्रमण, धर्म का अपमान करने के लिए जानबूझकर शब्द कहना आदि।"

[हिन्दी]

उसी सैक्शन में अगर ये अमेंडमेंट शामिल कर लिए जायें, तो ठीक नहीं होगा। यह बात सामने आई है और सभी आनरेबिल मैम्बर्स ने इस बात को कहा है कि यह सैक्युलर कन्ट्री है। श्री बनातवाला जी ने आर्गुमेन्ट्स में कहा है कि सैक्युलर कन्ट्री में वक्फ की प्रापर्टी को प्रोटैक्ट करना जरूरी है, वहीं उनको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी, यह बात सभी मैम्बर्स ने भी कही है, कि सिर्फ वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी के लिए कानून में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरुद्वारों की भी प्रापर्टी है, मंदिरों की भी प्रापर्टी है, चैरिटेबल परपज के लिए जो ट्रस्ट बने हुए हैं, उनकी प्रापर्टी है तथा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं। इन सबके लिए कोई कानून बनें, तो सैक्युलर कन्ट्री में इस बात को देखा जा सकता है। यह कहना कि सैक्युलर कन्ट्री है, केवल वक्फ के लिए कोई अमेंडमेंट किया जाए, तो शायद यह नहीं होगा। श्री बनातवाला जी बहुत लर्नेड वकील भी है और बहुत पुराने

पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं उनकी बातों को आमतौर पर सुनता रहा हूं, मैं उनकी कद्र करता हूं। वे अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वक्फ प्रापर्टी को प्रोटैक्ट करने के लिए, वक्फ की प्रापर्टी को बचाने के लिए आईपीसी में कोई अमेंडमेंट की जाए, तो ठीक नहीं होगा। हां, वक्फ एक्ट में जो प्रोवीजन दिए गए हैं, उनको और सख्त बनाया जाए, वक्फ एक्ट में कोई अमेंडमेंट किया जाए, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। इस बारे में अन्य मैम्बरान ने भी सुझाव दिए हैं। समय की कमी को देखते हुए, मैं केवल उनसे इतनी अर्ज करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सईदुज्जमा: अध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि दंड में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

पनिशमेंट होनी चाहिए, जिन्होंने गलत काम किए हैं या प्रापर्टी गलत तरीके से कब्जा की है। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है।

پنیشمینٹ ہونی چاہیے، جنھوں نے غلط کام کیے ہیں یا پراپرٹی غلط طریقے سے قبضہ کی ہے۔ اُن کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے۔]

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं। जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं या प्राइवेट एन्क्रोचमेंट्स हैं या सरकारी आर्गेनिजेशन्स ने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में क्या प्रधान मंत्री जी कुछ कहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक यह मद समाप्त हो मैं सभा की बैठक का समय बढ़ाता हूं।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं यह समझता हूं कि अगर सैक्शन 144 से 148 तक देखें, तो थानेदार ने मामला अंडर 44 तैयार करना होता है। सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, तब भी क्लैक्टर को एक एप्लीकेशन एसडीएम को धारा 145 में अपनी किसी आफिसर को डैजिगनेट करके देनी पड़ती है। अगर सरकार ने भी कहीं कब्जा कर लिया है या वक्फ की प्रापर्टी पर कब्जा कर लिया है, और वह अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है या उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड की अथारिटीज, उसके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्युटिव आफिसर डिपार्टमेंट को एप्रोच कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि एप्रोच करने के बाद इसका हल निकल सकता है। अगर हल नहीं निकलता है, तो सी.ओ. के पास पावर्स हैं कि वह सरकार के खिलाफ इजैक्टमेंट आर्डर पास कर सकती है और सरकार के खिलाफ एक्शन न ले सके, तो एसडीएम को एक एप्लीकेशन दे सकता है। एसडीएम फैसला करेगा और अगर इजैक्टमेंट आर्डर होगा, तो एसडीएम उस आर्डर के लिए पुलिस की हैल्प ले सकता है। ऐसी बात नहीं है, यहां कानून सबके लिए बराबर है। हां, सरकार का कब्जा हो या गैर-सरकारी इरादे का कब्जा हो या चाहे किसी प्राइवेट पर्सन का कब्जा हो या किसी इन्स्टीट्यूशन का कब्जा हो, तो उसमें किसी के लिए भी मना नहीं है कि वह कानून उस पर लागू न हो।

सायं 6.00 बजे

जरूरत इस बात की है कि इस ला को सख्त किया जाए, वक्फ एक्ट को कुछ और सख्त किया जाए। इस बारे में सोचा जा सकता है। जेपीसी बैठी है। उसकी रिकमंडेशन्स भी आ जाएंगी। जैसा कि प्रापर्टी का सर्वे करने की बात आई। वह सर्वे भी हो जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए मैं बनातवाला जी से बार-बार प्रार्थना करूंगा कि वह इस अमैंडमैंट बिल को वापस ले लें। इसके बाद हम देख लेंगे कि वक्फ एक्ट में क्या संशोधन करने की जरूरत है। इस बारे में सोचा जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का उनकी सहानुभूतिपूर्वक किए गए हस्तक्षेप के लिए बहुत आभारी हूं। मैं विधेयक पर चर्चा करने वाले सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। मैंने विधेयक प्रस्तुत किया और इसकी चर्चा में सदस्यों ने भाग लिया। तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप किया। उनका हस्तक्षेप काफी उपयोगी है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमने बहुत ही गंभीर चर्चा की। सरकार के सहानुभूतिपूर्वक रवैये से जिसकी माननीय मंत्री ने अभी व्यक्त किया है, मुझे यह विश्वास है कि यह चर्चा केवल गंभीरता तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसके सार्थक परिणाम भी निकलेंगे।

मैं इतना उत्साहित और प्रसन्न हूं कि सभा का प्रत्येक वर्ग वक्फ की सम्पत्ति की हो रही लूट के बारे में व्यक्त किए गए हमारे विचारों और चिंताओं से सहमत है। प्रत्येक सदस्य ने इस पर चिंता व्यक्त की है। अब प्रश्न यह है कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। अत: हमारी चर्चा इस बात पर केन्द्रित रही कि क्या संशोधन की कोई आवश्यकता है और यदि संशोधन की कोई आवश्यकता है तो क्या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन होना चाहिए अथवा वक्फ अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। ये विस्तृत विषय हैं। अनेक

[श्री जी.एम. बनातवाला]

सुझाव दिए गए हैं। इसी प्रकार, यदि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कोई संशोधन होना है तो यह संशोधन किस प्रकार का होना चाहिए और यह संशोधन किस सीमा तक होना चाहिए? यह एक अन्य विषय है जिस पर विचार किया गया और अनेक सुझाव दिए गए।

मेरा यह कहना है कि मेरा संशोधन केवल वक्फ सम्पत्ति से ही सम्बद्ध है। 'देवस्थानम' के संबंध में यही स्थिति हो सकती है। मैं 'देवस्थानम' की और अन्य मंदिरों की स्थिति के संबंध में भी यह बता रहा हूं। किंतु मुझे खेद है कि इन मामलों में मेरी कम जानकारी है। मैं सोचता हूं कि मैं गलती न कर लूं और कहीं कोई उत्तेजना न पैदा कर दूं। अत: मैंने उस विशेष पहलू को नहीं छुआ। किंतु फिर कोई ऐसा प्रावधान किया जा सकता है जो धार्मिक महत्व की धार्मिक पूजा और स्थलों पर लागू हो चाहे वह वक्फ हो या 'देवस्थानम' या 'गुरुद्वारा' अथवा कुछ भी हो। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि धार्मिक महत्व की भूमि और सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। जनसेवा के नाम पर कोई भी अतिक्रमण समाज के प्रति अतिक्रमण है। कोई अपराधिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तथापि, हमें बताया गया है कि वक्फ अधिनियम के अंतर्गत उपबंध हैं। हां, उपबंध हैं। किंतु इसमें अनेक कठिनाईयां हैं। सर्वप्रथम वक्फ अधिनियम को लागू करना राज्य का काम है। जैसा कि मैंने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था, वक्फ अधिनियम को लागू करने के संबंध में विभिन्न राज्यों की स्थिति काफी शोचनीय है। यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ। अब वर्ष 2003 चल रहा है। आठ वर्ष गुजर गए हैं और अनेक राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं है और वक्फ बोर्ड न होने के कारण कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नहीं है। चूंकि कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है, इसलिए उन सभी अतिक्रमणों के मामले में वक्फ अधिनियम के उपबंधों 52, 53, 54, 55, 56 आदि को लागू नहीं किया जा सकता है। लोगों को यह पता है कि कोई वक्फ बोर्ड नहीं है अथवा वक्फ बोर्ड को पूरी तरह गठन नहीं किया गया है और कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है इसलिए वक्फ अधिनियम संबंधी कोई भी व्यवस्था और तंत्र भी विद्यमान नहीं है। अत: बिना दण्ड मिले अतिक्रमण हो रहा है। यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं समय की महत्ता को जानता हूं और इसे महसूस करता हूं।

दूसरी समस्या यह है कि जब कभी कोई तंत्र होता है तो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वक्फ प्राधिकारियों को जिला प्रशासन, पुलिस से पूरा सहयोग नहीं मिलता है। इन मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं केवल इतना कह कर ही अपनी बात समाप्त करूंगा कि मात्र एक सिविल प्रक्रिया होने से ही वक्फ सम्पत्तियों अथवा सरकारी सम्पत्तियों पर अतिक्रमण करने की समस्या नहीं सुलझेगी। एक आदमी अतिक्रमण करता है। मान लीजिए आप न्यायालय जाते हैं और मान लीजिए न्यायालय भी तुरन्त ही निर्णय दे देता है, जो कि मुश्किल है, किंतु फिर क्या होता है? आदमी वह अतिक्रमण छोड़ देता है जिसका उसने अनेक वर्षों तक लाभ उठाया। क्या इसकी यही अंत होगा? नहीं, उस व्यक्ति, जिसने अतिक्रमण किया है और धर्मार्थ कार्य वाली सारे स्थान का दुरुपयोग किया है, की अपराधिक जिम्मेदारी भी होगी और कठोर दण्ड का प्रावधान होगा ताकि इस विशेष अपराध के लिए समाज में कोई निवारक दण्ड हो।

मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि हमारे समक्ष उपस्थित गंभीर प्रश्नों पर जानकारीपरक चर्चा करके इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार विभिन्न मुद्दों विभिन्न सुझावों पर विचार करेगी। मैं अपनाई जाने वाली किसी विशेष पद्धति के प्रति हठी नहीं हूं किंतु समस्या उसे सुलझाने की है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस प्रश्न पर सोच-विचार करेगी और वक्फ की सम्पत्तियों अथवा किसी धार्मिक महत्व की सम्पत्तियों की इस लूट जो वस्तुत: हमारे समाज में चल रही है, को रोकने के लिए उचित उपाय करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मैंने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि वक्फ की काफी सम्पत्तियों पर केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों ने अतिक्रमण किया हुआ है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं उन्होंने एक फार्मूला सुझाया था। किंतु उस फार्मूले को भी लागू नहीं किया जा रहा है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी बातों पर विचार करे। दिल्ली में वक्फ की लगभग 23 सम्पत्तियां हैं जिन्हें सरकार से वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना है। मामला न्यायालय में है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह मामले में रुचि ले और मामले को जल्दी निपटाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस गंभीर प्रश्न पर यथोचित ध्यान देगी और अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, में विधेयक वापस लेता हूं।

सायं 6.09 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 39 का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 46 पर चर्चा करेंगे। श्री रामदास आठवले।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी और लीडर आफ अपोजीशन की उपस्थिति में मैंने इस बिल को मूव किया है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह बिल पास होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

सायं 6.10 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण तेरहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र, जो 21 जुलाई, 2003 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त होने जा रहा है। सत्र के दौरान सभा की कुल इक्कीस बैठकें हुई जो 113 घंटे से अधिक तक चली।

सत्र के दौरान सभा में कई महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्य किए गए।

लोक सभा ने 11 विधेयक पारित किए जिनमें दो संविधान संशोधन विधेयक भी सम्मिलित हैं।

सभा ने वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) और वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) भी पारित की।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र का मूलमंत्र वाद-विवाद और चर्चा है। इसलिए सभा में चर्चा के द्वारा सभी मुद्दों को हल किया जा सकता है। परंतु कभी-कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि सूचीबद्ध कार्य का निपटान मुश्किल हो जाता है। दुर्भाग्यवश सत्र के दौरान सभा में बहुमूल्य 35 घंटे और 36 मिनट स्थगन के कारण बर्बाद हो गये क्योंकि सदस्यगण सभा में अध्यक्षपीठ के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। अपितु मुझे प्रसन्नता है कि नेताओं और सदस्यों के पूर्ण सहयोग से बर्बाद हुए समय की भरपाई 28 घंटे और 6 मिनट देरी से बैठ कर पूरी की गई और दो अवसरों पर सभा मध्य रात्रि तक कार्य करती रही। इस प्रकार केवल 7 घंटे से कुछ अधिक का समय ही बर्बाद हुआ।

माननीय सदस्यगण, मेरा सदैव प्रयास रहा है कि अनुशासनात्मक शक्तियों का उपयोग किए बिना नेताओं से चर्चा करके मुद्दों को सुलझाया जाये।

सभा को ज्ञात है कि माननीय सदस्यों को उद्वेलित कर रहे विभिन्न मुद्दों पर जो पूर्व में विभिन्न प्रक्रियात्मक प्रावधानों के तहत उठाये जाने वाले थे को अन्य बातों के साथ-साथ विपक्ष की माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा की जा सकी। प्रस्ताव पर 18 और 19 अगस्त, 2003 को 21 घंटे और 7 मिनट चर्चा हुई। वाद-विवाद का प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सीधे किया गया। चर्चा में दोनों पक्षों के 39 सदस्यों ने भाग लिया और सभा तथा राष्ट्र के समक्ष अपने विचार रखे। मत विभाजन के पश्चात् प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

नियम 193 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के चार विषयों अर्थात् (एक) ताज हैरीटेज कारिडोर का निर्माण, (दो) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे, (तीन) जांच एजेंसियों विशेषत: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यकरण और (चार) देश के विभिन्न भागों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में सार्थक चर्चा हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.8.2003 में प्रकाशित।

[अध्यक्ष महोदय]

सभा ने पिछले दस वर्षों के दौरान स्वशासन की संस्थाओं के रूप में पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका से संबंधित संविधान के भाग नौ और नौ-क के कार्यान्वयन की प्रगति पर एक अन्य सरकारी प्रस्ताव के तहत सार्थक चर्चा की।

ध्यानाकर्षण के माध्यम से चार मामले उठाये गये थे जिनके उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिये। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषयों पर मंत्रियों ने 12 वक्तव्य दिये। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है इनमें से एक वक्तव्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ने समाचार पत्रों में शीतल पेयों में कथित रूप से कीटनाशी पदार्थों के पाये जाने से संबंधित छपी खबरों के संबंध में दिया था। सभा के विभिन्न वर्गों की मांग पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ने मामले की जांच हेतु दोनों सभाओं की संयुक्त संसदीय समिति के गठन हेतु एक प्रस्ताव पेश किया। सभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, गैर-सरकारी सदस्यों के कुल दो विधेयकों पर चर्चा हुई और इनमें से दो विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिए गए, एक अस्वीकृत हुआ और एक पर चर्चा अपूर्ण है। सभा ने गैर-सरकारी सदस्यों के तीन संकल्पों पर भी चर्चा की जिनमें से दो सभा की अनुमति से वापिस लिए गए और एक पर चर्चा अपूर्ण रही है।

सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 220 मामले उठायें और शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 93 मामले उठाये।

सत्र के दौरान विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों ने 16 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

मैं सभा के माननीय नेता, सभा में विपक्ष की माननीया नेता, सभा में दलों और समूहों के नेताओं और उपनेताओं तथा मुख्य सचेतकों और सचेतकों और सभा के प्रत्येक सदस्य को मुझे और मेरे सहयोगियों अर्थात् उपाध्यक्ष महोदय और सभापति तालिका के सदस्यों के साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभा के संचालन में अमूल्य सहयोग के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगी एजेंसियों की सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मैं मीडिया का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यगण, अब खड़े होंगे क्योंकि बंदे मातरम् की धुन बजाई जाएगी।

सायं 6.16 बजे

राष्ट्र गीत

(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.36.21/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।